रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1972 (श्रावण 28, 1894)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1972 (SRAVANA 28, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जनवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th January 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	855
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1347
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	77
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1187
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।) . .	2091
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3183
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	443
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	1151
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	241
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . .	1297
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	159
पूरक संख्या 34—	
12 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	1607
22 जुलाई, 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	1617

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	855
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1347
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	77
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1187
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	2091
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3183
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	443
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1151
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	241
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1297
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	159
SUPPLEMENT NO. 34—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 12th August 1972	1607
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 22nd July, 1972	1617

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1972

सं० 94-प्रेज/72—राष्ट्रपति निम्नांकित व्यक्तियों को पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं में वीरता के लिये 'वीर चक्र' प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं :—

1. लेफ्टिनेन्ट कर्नल सतिंदर कुमार कपूर (आई० सी०-7414) 9वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सतिंदर कुमार कपूर पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात 9वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की कमान कर रहे थे। 5/6 दिसम्बर 1971 की रात को इन्हें दुश्मन के एक बहुत मज़बूत रक्षित मोर्चे पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। लेफ्टिनेन्ट कर्नल सतिंदर कुमार कपूर निर्देश देने और हौसला बढ़ाने के लिए अपने अग्रिम दलों के साथ-साथ रहे ताकि दुश्मन के कड़े मुकाबले पर काबू पाया जा सके। दलों के साथ-साथ रहने से इनकी कमान पर बहुत प्रेरक प्रभाव पड़ा, जिससे इनकी बटालियन दुश्मन के भारी मुकाबले के बावजूद लक्ष्य पर कब्जा करने में सफल हुई।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल सतिनदर कुमार कपूर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

2. लेफ्टिनन्ट कर्नल एन० जी० ओ० कोनोर (आई० सी०-1578), सीमा सुरक्षा दल।

सीमा सुरक्षा दल की एक बटालियन की कमान करने वाले लेफ्टिनेन्ट कर्नल एन० जी० ओ० कोनोर को पूर्वी क्षेत्र में हाल की संक्रियाओं के दौरान अच्छी तरह किलेबन्द की हुई दुश्मन की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने संक्रियाओं की योजना बनायी और उसे दक्षता से पूरा किया और हमले के दौरान वह सबसे आगे रह कर अपने जवानों को दुश्मन पर गोलीबारी करने और लक्ष्य पर कब्जा करने के लिये उकसाते रहे। उन्होंने खुद तोपखाने से भी गोलाबारी करवाई। उनके जोशीले नेतृत्व के कारण हमला हुआ और दुश्मन अपने हताहत और बड़ी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद छोड़ कर भाग खड़ा हुआ।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल एन० जी० ओ० कोनोर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

3. लेफ्टिनेन्ट कर्नल राम बहादुर गुरंग (आई० सी०-6724) 11वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर 1971)

6/7 दिसम्बर 1971 की रात को लेफ्टिनेन्ट कर्नल राम बहादुर गुरंग, जो 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की कमान कर रहे थे, कारगिल क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर हमला करते समय अपनी बटालियन की प्रहार करने वाली कम्पनी के पीछे चल रहे थे। दुश्मन ने प्रहार करने वाली कम्पनी पर तोपखाने और मार्टर से भारी गोलाबारी के साथ मशीन-गनों से भी काम लिया, जिससे प्रहारक टुकड़ियों को भारी जानी नुक्सान पहुंचा। दुश्मन की मशीनगनों को खामोश करना जरूरी समझ कर लेफ्टिनेन्ट कर्नल राम बहादुर गुरंग ने अपने बचाव सैक्शन के मुट्ठी भर जवानों के साथ दुश्मन की मशीनगनों के बंकर पर धावा बोल दिया और शत्रु की मशीनगन चौकी को नष्ट कर दिया। इनकी इस कार्रवाई से इनके जवानों को लक्ष्य पर कब्जा करने में प्रेरणा मिली।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल राम बहादुर गुरंग ने उच्चकोटि की वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया।

4. लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुरेश चन्द्र गुप्त (आई० सी०-7140) 5वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर 1971)

5/6 दिसम्बर 1971 की रात को लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुरेश चन्द्र गुप्त को, जो 5वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की कमान कर रहे थे, पश्चिमी क्षेत्र में एक गांव पर कब्जा करने का आदेश मिला। यह गांव एक सुदृढ़ मोर्चा था, जहां दुश्मन भारी तादाद में था और जिसे उसने सुरंग और रुकावटें लगा कर सुरक्षित कर रखा था। लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुरेश चन्द्र गुप्त ने बड़ी क्षमता से अपनी बटालियन का नेतृत्व किया और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किये बिना उन्होंने हर स्तर पर मौजूद रह कर लड़ाई का ताव बनाये रखा और इस मुश्किल और मजबूत मोर्चे पर कब्जा करने में अपने जवानों को उत्साहित और प्रेरित किया।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल सुरेश चन्द्र गुप्त ने उच्च-कोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

5. लेफ्टिनेन्ट कर्नल भरतुहरि त्रिम्बक पंडित (आई० सी०-7320) इंजीनियर कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल भरतुहरि त्रिम्बक पंडित, पश्चिमी क्षेत्र के किसी स्थान में 5 दिसम्बर से 17 दिसम्बर, 1971 तक हमारी

आक्रामक संक्रियाओं के दौरान इंजीनियर रजिमेंट की कमान कर रहे थे। ये संक्रियाएं ऐसे भू-प्रदेश में की गयी थीं, जहां सड़कें नहीं थीं और बहुत प्राकृतिक और बनावटी रुकावटें थीं। लड़ाकू फार्मेशनों के संचालन में बहुत सी प्राकृतिक और बनावटी रुकावटें थीं। दो सुरंग क्षेत्र तोड़ने, सड़क और कच्चे रास्ते बनाने और बसंतार नदी पार करने के लिये इंजीनियरी मदद से काम लेना पड़ा। ये सभी कार्य दुश्मन से कड़ा मुकाबला करते हुए भारी गोलाबारी के बीच पूरे किये गये। लेफ्टिनेन्ट कर्नल भरतुहरि त्रिम्बक पंडित ने स्वयं मौजूद रह कर अपनी कमान को उत्साहित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद हर इंजीनियर टोली के पास जाकर उन्हें काम के महत्व का अहसास कराया। दुश्मन के जवाबी हमले से निपटने के लिए पुल पदाधार में भारी मात्रा में बख्तर सेना और सहायक सेनांग पहुंचाने का श्रय इन्हीं को जाता है।

पूरी कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेन्ट कर्नल भरतुहरि त्रिम्बक पंडित ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक, कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

6. लेफ्टिनेन्ट कर्नल राज सिंह (आई० सी०-4028)
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल राज सिंह एक ऐसी टुकड़ी की कमान कर रहे थे, जिसे पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन की एक स्थिति पर कब्जा करने का आदेश दिया गया था। हमले के दौरान दो राइफल कम्पनियां लक्ष्य से लगभग 500 गज दूर दुश्मन की गोलीबारी के कारण एक ही स्थान पर रुकी रह गई। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेन्ट कर्नल राज सिंह ने जल्दी से एक और कम्पनी के जवानों को संगठित किया और दूसरी तरफ से हमला कर दिया। इस तरह शत्रु को भारी संख्या में हताहत करके लक्ष्य पर कब्जा कर लिया। बाद में लेफ्टिनेन्ट कर्नल राज सिंह को एक इलाके में शत्रु के ठिकानों को समाप्त करने का आदेश दिया गया। इन्होंने बड़ी चतुराई से दुश्मन के इलाकों के चारों ओर बाजू से बढ़ते हुए हमले किये और दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा कर लिया और इस तरह इलाके को तेजी से साफ कर दिया।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल राज सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

7. लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुलदीप सिंह बरार (आई० सी०-6732)
मराठा लाइट इंफैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुलदीप सिंह बरार पूर्वी मोर्चे पर संक्रिया के दौरान मराठा लाइट इँफेन्ट्री की एक बटालियन की कमान कर रहे थे। 4 दिसम्बर से 16 दिसम्बर, 1971 तक इनकी बटालियन सबसे आगे रही और जमालपुर को मुक्त कराने में इनका बड़ा हाथ रहा। 10/11 दिसम्बर 1971 की रात को जमालपुर पर हमला करते समय लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुलदीप सिंह बरार ने लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए अपने जवानों को उत्साहित किया। बाद में जवाबी हमलों के दौरान वे अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करके एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में गये और अपने जवानों को डटे रहने और दुश्मन के हमलों को विफल कर देने के लिए उत्साहित करते रहे। दुश्मन ने छः बार हमला किया मगर सभी हमले विफल कर दिये गये और दुश्मन को भारी जान-माल का नुक्सान उठाना पड़ा।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल कुलदीप सिंह बरार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

8. लेफ्टिनेंट कर्नल नरिन्दर सिंह रावत (आई० सी०-6451)
आर्टिलरी रेजिमेंट

लेफ्टिनेन्ट कर्नल नरिन्दर सिंह रावत पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं में एक फील्ड रेजिमेन्ट की कमान कर रहे थे। 14 दिसम्बर, 1971 को जब दुश्मन ने एक चौकी पर, जिस पर हमारे जवान थे, भयंकर जवाबी हमला किया तो स्थिति को गम्भीर और कुछ जवान हताहत हुए जानकर लेफ्टिनेन्ट कर्नल नरिन्दर सिंह रावत तुरन्त आगे बढ़े और कुछ जवानों को लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और चौकी पर तब तक डटे रहे जब तक हताहतों को वहां से निकाल न लिया गया और वहां लगी रिकोइलैस गन को प्राप्त न कर लिया।

इस कारवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल नरिन्दर सिंह रावत ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

9. लेफ्टिनेन्ट कर्नल फ्रेंसिस टिबेरिअस डिआस (आई० सी०-7044)
11वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल फ्रेंसिस टिबेरिअस डिआस पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई संक्रियाओं के दौरान 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की कमान कर रहे थे। 12 दिसम्बर, 1971 को इन्हें आदेश दिया गया कि वे पूरी तरह सुरक्षित मोर्चे पर कब्जा करें, जिस पर दुश्मन की एक इंफैंट्री बटालियन ने कब्जा कर रखा था। 13 दिसम्बर, 1971 को इस बटालियन को दो पुलों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया जिस पर दुश्मन भारी संख्या में डटा हुआ था, और अन्त में 14 दिसम्बर, 1971 को इस बटालियन को बोगरा शहर के एक भाग पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। लेफ्टिनेन्ट कर्नल फ्रेंसिस टिबेरिलस डिआस के नेतृत्व में इस बटालियन ने दुश्मन को भारी जानी नुक्सान पहुंचाते हुए सभी कार्य सफलता-पूर्वक पूरे किये। महास्थन में दुश्मन का मुकाबला करने के पश्चात् ये दुश्मन के अग्रवर्ती रक्षित इलाकों में घुस गए और दुश्मन के बटालियन हैडक्वार्टर पर छापे मारे और कमान अफसर को अन्य अफसरों के साथ बन्दी बना लिया। इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि पुल उड़ाने के दुश्मन के सारे प्रयत्न विफल हो जाय। इनकी वजह से ही इनकी बटालियन बोगरा शहर से दुश्मन का सफाया करने और बहुत बड़ी संख्या में उन्हें बन्दी बनाने में सहायक हुई।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल फेसिस टिबेरिअस डिआस ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

10. लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक (आई० सी०-10891)
बिहार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक बिहार रेजिमेन्ट की एक बटालियन की कमान कर रहे थे। 4 दिसम्बर 1971 को इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन के एक ठिकाने पर कब्जा करते समय अपनी सेना का नेतृत्व किया। यहां पर मजबूती से किलाबंदी की गई थी और इस क्षेत्र में दुश्मन के बचाव के लिये यह महत्वपूर्ण ठिकाना था। लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक ने दुश्मन के भारी आर्टिलरी और स्वचालित फायर के बावजूद हमला बोला और इस ठिकाने पर कब्जा कर लिया। इस चौकी के हाथ से चले जाने पर दुश्मन ने जबर्दस्त प्रतिक्रिया की और हमारी सेनाओं को वहां से हटाने की कोशिश में घना फायर डाला। बिना झिझके और अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक इलाके-इलाके गये और अपने जवानों को डटे रहने की प्रेरणा दी। 5/6 दिसम्बर, 1971 की रात में लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक ने अपनी सेना को कुशलता से तैनात किया और दुश्मन के एक दूसरे ठिकाने पर हमला किया। जिस वेग और संवेग से यह हमला किया गया था उससे दुश्मन की रक्षा पंक्तियों में हड़बड़ाहट मच गयी और वह अपने मृत जवानों और बड़ी मात्रा में गोलाबारूद पीछे छोड़ तितर-बितर हो भाग गया।

इस कार्रवाई में लेफ्टिनेन्ट कर्नल इआन लालोर पैट्रिक ने उच्च-कोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

11. लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रशांत कुमार पुरकायस्थ (आई० सी०-2486)
गढ़वाल राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रशांत कुमार पुरकायस्थ पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात की गई सेना के कमाण्डर थे। इस क्षेत्र में दुश्मन ने मोर्चों का एक जाल सा बिछा रखा था। और इन पर पाकिस्तान की नियमित और पैरा सेनाओं के जवान भारी तादाद में थे। अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए इन्होंने असाधारण शक्ति और जोश से अपने जवानों का नेतृत्व किया और बिजली की सी तेजी से छापे मार कर एक के बाद एक चौकी पर कब्जा किया। दुश्मन के पीछे हटने के रास्ते काट दिये गये और उसके पांव उखाड़ दिये। इनके प्रेरक नेतृत्व में केवल पांच दिनों के भीतर बंगलादेश के एक बड़े क्षेत्र को मुक्त कराया गया।

आद्योपान्त लेफ्टिनेन्ट कर्नल प्रशांत कुमार पुरकायस्थ ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

12. लेफ्टिनेन्ट जसबीर पाल सिंह (आई० सी०-5984)
8वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर 1971)

लेफ्टिनेन्ट कर्नल जसबीर पाल सिंह जम्मू और काश्मीर मिलिशिआ की एक बटालियन की कमान कर रहे थे जो पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में रक्षार्थ तैनात थी। 3 दिसम्बर, 1971 की रात में जब दुश्मन ने भारी संख्या में तोपखाने की गोलाबारी के साथ बहुत अधिक हमला किया, तो ये कमांडो प्लाटून को साथ ले तुरन्त दौड़े और स्वयं लड़ाई का चार्ज सम्भाला। जब दुश्मन पर हमारी सेनायें तोपखाने से गोलाबारी कर रही थीं तो इन्होंने अपने जवानों को पुनः गठित किया और कमांडो प्लाटून को लेकर जवाबी हमला किया और भीषण मुठभेड़ की लड़ाई कर दुश्मन को अपने सौ से भी अधिक मृत जवानों को छोड़ पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। एक बार फिर 5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने हमारे ठिकाने पर हमला किया, परन्तु लेफ्टिनेन्ट कर्नल जसबीर पाल सिंह के नेतृत्व में तुरन्त और अचानक जवाबी हमले की वजह से शत्रु के पांव उखड़ गए और वह बहुत से घायलों और एक युद्धबन्दी को पीछे छोड़ गया।

इस कार्यवाही में, लेफ्टिनेन्ट कर्नल जसबीर पाल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

13. मेजर आत्मा सिंह हंसारा (आई० सी०-7470)
हवाई प्रेक्षण उड़ान चौकी, आर्टिलरी रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को, राजस्थान सैक्टर में लोंगेवाला पर शत्रु ने बहुत अधिक संख्या में बख्तर और इन्फैन्ट्री की मदद से हमला किया। 11 दिसम्बर, 1971 तक चलने वाली लड़ाई के दौरान हवाई प्रेक्षण उड़ान चौकी के मेजर आत्मा सिंह हंसारा, शत्रु के छोटे हथियारों की गोलीबारी के बावजूद लगातार उड़ान करते रहे और शत्रु की हरकत, उसके सैनिक जमाव और बख्तर का पता लगा कर उसके टैंकों के खिलाफ अपने बक्तर और तोपखाने से गोलाबारी करवाते रहे और अपने साथ जरूरी सूचनाएं भी लाए। अपनी एक उड़ान के दौरान इन्हें बजबूरन विमान नीचे उतारना पड़ा, लेकिन अपने सैन्यदल की सहायता से वे विमान को सुरक्षित क्षेत्र में ले आए, उसकी मरम्मत करवाई और दूसरे दिन फिर से वे चित्र लेने और सतर्कता मिशन की उड़ान पर गये।

आद्योपान्त मेजर आत्मा सिंह हंसारा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

14. मेजर बिमल किशन दास बदगल (आई० सी०-14797)
11वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

मेजर बिमल किशन दास बदगल 11 दिसम्बर, 1971 को पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान पर शत्रु की एक चौकी पर हमले के दौरान 11वी गोरखा राइफल्स की एक बटालियन में कम्पनी कमांडर थे। छोटे हथियारों की भारी और अचूक गोलाबारी

के बावजूद मेजर बिमल किशन दास बदगल अपने सैनिकों को बढ़ावा देते रहे और उन्होंने शत्रु के ठिकानों पर धावा बोल दिया इस दृढ़ हमले शत्रु पूरी तरह पस्त हो गया। यद्यपि शत्रु संख्या में अधिक था फिर भी हार गया और उसे भारी जानी नुक्सान पहुंचा। हमले के दौरान, वे घायल हो गए, लेकिन घावों की परवाह न करते हुए इन्होंने सफलतापूर्वक हमला करके लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर बिमल किशन दास बदगल ने उच्च कोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

15. मेजर सरलजीत सिंह अहलूवालिया (आई० सी०-15863) लद्दाख स्काऊट्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

मेजर सरजीत सिंह अहलूवालिया पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में शत्रु की चौकियों पर किए गए हमले के दौरान लद्दाख स्काऊट्स की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। शत्रु की एक चौकी पर हमले के दौरान इन्होंने अपनी कम्पनी का नेतृत्व किया परन्तु वे शत्रु के छोटे हथियारों और तोपखाने की भारी कोलाबारी के बीच आ गये। सभी कोशिशों के बावजूद हमला सफल न हुआ। इसलिए 15 जवानों के साथ इन्होंने खतरनाक भू-प्रदेश में से होकर ऐसी दिशा से हमला किया जहां से शत्रु को जरा भी उम्मीद न थी। इस तरह इन्होंने शत्रु के बहुत से जवानों को हताहत करके लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर सरलजीत सिंह अहलूवालिया ने उच्च-कोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

16. मेजर कृष्ण कुमार प्रधान (आई० सी०-13647) 4थी गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

मेजर कृष्ण कुमार प्रधान जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में एक स्थान पर तैनात 4थी गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। 3 दिसम्बर 1971 को बहुत भारी तादाद में शत्रु ने भारी तोपखाने की मदद से इस कम्पनी के सुरक्षित इलाके पर हमला किया। यद्यपि इनकी कम्पनी को शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया था और वह तीन दिन तक दिन और रात बार-बार हमला करता रहा फिर भी अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए वे एक बंकर से दूसरे बंकर तक जाकर अपने जवानों को उत्साहित करते रहे और इस तरह शत्रु के काफी जवानों को हताहत करके उसके हमलों को विफल करने में सफल हुए।

इस कार्यवाही में मेजर कृष्ण कुमार प्रधान ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

17. मेजर श्याम वीर सिंह राठौर (आई० सी०-18557) ग्रेनेडियर्स

मेजर श्याम वीर सिंह राठौर पूर्वी क्षेत्र के एक इलाके में ग्रेनेडियर रजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। उन्हें शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। शत्रु के छोट हथियारों और मार्टर की भारी गोली बारी के कारण हमला रुक गया। अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए मेजर श्याम वीर सिंह राठौर रेंगते हुए शत्रु के हल्की मशीनगन के बंकर तक जा पहुंचे और ग्रेनेड फैंक कर उसे तबाह कर दिया। इसके बाद इन्होंने अपने जवानों को उत्साहित और प्रेरित किया और खुद अगवानी करके शत्रु की चौकी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर श्याम वीर सिंह राठौर न उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

18. मेजर जितेन्द्र कुमार तोमर (आई० सी०-13775) राजपूताना राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर 1971)

मेजर जितेन्द्र कुमार तोमर जम्मू और काश्मीर क्षेत्र के एक इलाके में तैनात राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। 3 दिसम्बर, 1971 को तोपखाने की भारी गोलाबारी से शत्रु ने बड़ी संख्या में इस कम्पनी की स्थिति पर बार-बार हमले किए। मेजर जितेन्द्र कुमार तोमर एक बंकर से दूसरे बंकर में जाकर अपने जवानों को बढ़ावा देते रहे और इस तरह शत्रु को भारी नुक्सान पहुंचा कर उसके हमलों को विफल करते रहे। जब शत्रु कम्पनी की पोजीशन के एक हिस्से पर कब्जा करने में सफल हो गया तो अपनी जान की जरा भी परवाह न करत हुए इन्होंने जवाबी हमला किया और शत्रु के काफी जवानों को हताहत करके उसे पीछे धकेल दिया।

इस कार्यवाही में मेजर जितेन्द्र कुमार तोमर ने सराहनीय साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

19. मेजर जगमल सिंह राठौर (आई० सी० 13058) ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

मेजर जगमल सिंह राठौर ग्रेनडियर्स की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। इस कम्पनी को राजस्थान क्षेत्र में एक ऐसे स्थान पर कब्जा करन का काम सौंपा गया था जहां शत्रु भारी तादाद में डटा हुआ था। 6 दिसम्बर, 1971 को जब इनकी कम्पनी ने उस ठिकाने पर हमला किया तो शत्रु ने मशीन गन और मार्टरों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी जिससे हमारे सैनिकों का हमला रुक गया। बिना डरे मेजर जगमल सिंह राठौर अपनी एक प्लाटून को लेकर बगल से आगे बढ़े और इतनी तेजी और पक्के इरादे से हमला करके शत्रु पर काबू पा लिया कि वह हमले की तेजी और संवेग से एकदम हक्का बक्का रह गया।

इस कार्यवाही में मेजर जगमल सिंह राठौर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

20. मेजर बलबीर सिंह पूनिया (आई० सी०-13361)
राजपूताना राइफल्स

राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन को पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया । लक्ष्य पर कब्जा करने के तुरन्त बाद शत्रु ने भारी तोपखाने और मार्टर गोलाबारी की मदद से भयानक जवाबी हमला किया, जिसमें हमारे कमांडिंग अफसर घायल हो गए और एक बैटरी कमांडर मारे गए । इस मौके पर मेजर बलबीर सिंह पूनिया ने स्वयं चार्ज संभाला और आग बढ़ते शत्रु पर हमला करके उसके प्रहार को छिन्न-भिन्न कर दिया तथा इस तरह इन्होंने स्थिति पर काबू पाया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर बलबीर सिंह पूनिया ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

21. मेजर सोम दत्त शर्मा (आई० सी०-10450)
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 दिसम्बर, 1971)

मेजर सोम दत्त शर्मा राजस्थान क्षेत्र के एक स्थान में हमले के दौरान एक टोली की कमान कर रहे थे । शत्रु के इलाके में बहुत भीतर पहुंचने पर इनकी नजर शत्रु की गाड़ियों पर पड़ी । अपनी जान की तनिक परवाह न करते हुए, बेहद साहस और सूझ-बूझ से काम लेकर इन्होंने शत्रु को फांसने के लिए घात लगाई। शत्रु के छोटे हथियारों के भारी गोलीबारी के बावजूद मेजर सोम दत्त शर्मा एक चौकी से दूसरी चौकी पर जाकर अपने जवानों की हिम्मत बढ़ाते रहे और उनकी गोलाबारी का निर्देशन करते रहे। इस तरह शत्रु के 19 जवान मारे गए और एक जूनियर कमीशण्ड अफसर और 18 जवानों को बंदी बना लिया गया। भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और उपस्कर भी हाथ लगे।

इस कार्रवाही में मेजर सोम दत्त शर्मा ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

22. मेजर पंजाब सिंह (आई० सी०-18228)
सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

मेजर पंजाब सिंह एक कम्पनी की कमान कर रहे थे, जिसे पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान पर तैनात किया गया था। 3 दिसम्बर, 1971 को इनकी कम्पनी पर तोपखाने और मार्टर गोलाबारी की मदद से शत्रु ने दो कम्पनियों से हमला किया। मेजर पंजाब सिंह अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए एक खाई से दूसरी खाई में गये और उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमलावर शत्रु के विरुद्ध उनके पास उपलब्ध सभी शस्त्रों से प्रभावकारी गोलाबारी होती रहे । इनके प्रेरक नेतृत्व, संयमित साहस और दृढ़ संकल्प के कारण शत्रु का हमला विफल कर दिया गया । इसी प्रकार ठिकाने पर शत्रु के तीन और हमले अगले दो दिन में विफल कर दिये गये।

इस पूरी कार्यवाही के दौरान मेजर पंजाब सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

23. मेजर दलजीत सिंह खा (आई० सी०-21343)
महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

मेजर दलजीत सिंह खा महार रजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु के रक्षात्मक ठिकानों के पीछे रुकावट डालने का काम इनको सौंपा गया था। ज्यों ही कम्पनी का कालम अपने अड्डे से निकल कर शत्रु के प्रदेश में घुसा तभी अगली प्लाटून पर शत्रु ने मशीन गन से गोली चलानी शुरु कर दी। मेजर दलजीत सिंह खा ने बाकी की दो प्लाटूनों को गोली चलाने के लिए तैयार रहने को कहा और खुद उस क्षेत्र की ओर गए, जहां गोलाबारी के कारण प्लाटून रुक गई थी। इन्होंने जबरदस्त खतरा उठा कर अपने दल को संगठित किया और दूसरे रास्ते से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। मेजर दलजीत सिंह खा की मौके की ओर साहसिक कार्यवाही की वजह ही से सफलता से सड़क पर रुकावट खड़ी की जा सकी। इस रुकावट की वजह से शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचा और 12 पाकिस्तानी सैनिक बंदी बना लिए गए।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर दलजीत सिंह खा ने सराहनीय साहस दृढ़ निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

24. मेजर शील कुमार पुरी (आई० सी०-12418)
5वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

मेजर शील कमार पुरी, पश्चिमी क्षेत्र में एक कम्पनी के कमान कर रहे थे जिसे इस क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शत्रु के छोटे हथियारों की गोलीबारी के बावजूद इन्होंने निडर होकर, कुशलतापूर्वक अपनी कम्पनी का नेतृत्व किया और मुठभेड़ की लड़ाई लड़कर लक्ष्य पर कब्जा करने के लिए कम्पनी को प्रोत्साहित किया। पहले ठिकाने पर कब्जा कर लेने के बाद, मजर शील कुमार पुरी ने देखा कि शत्रु दुबारा अपनी बटालियन से हमला करने की नियत से लक्ष्य से खिसक रहा है। बिना समय बर्बाद किए इन्होंने दूसरे लक्ष्य पर हमला कर दिया और शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाकर उसे भी हथिया लिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर शील कुमार पुरी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

25. मेजर रणबीर सिंह (आई० सी०-8621)
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

मेजर रणबीर सिंह पश्चिमी क्षेत्र में तैनात मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन के सहायक कमान्डर थे। 6 दिसम्बर, 1971 को 12-30 बजे उनकी अग्रिम प्लाटून पर शत्रु की दो कम्पनियों ने हमला किया, मेजर रणबीर सिंह प्लाटून की स्थिति की तरफ लपके और इन्होंने अपने जवानों को शत्रु

का हमला विफल करने के लिए प्रोत्साहित किया। पास की चौकी पर शत्रु की कम्पनी को अस्त-व्यस्त देख कर इन्होंने दो प्लाटून सैनिक और टैंकों को इकट्ठा किया और दिन की रोशनी में ही शत्रु की चौकी पर हमले का नेतृत्व किया। तोपखाने और स्वचालित हथियारों के भारी गोली-बारी के बावजूद उन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व किया और गुत्थमगुत्था की लड़ाई में घायल हो गए। उन्होंने अपने घावों की तनिक भी परवाह न करके हमले का दबाव बनाए रखा, फलस्वरूप शत्रु के 22 सिपाई मारे गए और 7 मशीनगनों और बहुत से दूसरे हथियारों पर अधिकार कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर रणबीर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

26. मेजर शेर सिंह (आई० सी०-14619)
मराठा लाइट इंफैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

मेजर शेर सिंह एक कम्पनी की कमान कर रहे थे जिसे राजस्थान क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। उस चौकी पर शत्रु भारी संख्या में था और उसने सुरंग बिछाकर और रुकावटें खड़ी करके मजबूत मोर्चाबन्दी कर रखी थी। हमले के दौरान दुश्मन ने छोटे हथियारों से भारी और सही गोलाबारी की। शत्रु की भारी गोलीबारी के बावजूद मेजर शेर सिंह ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए बिजली के से तेज हमले का नेतृत्व किया और गुत्थमगुत्था की भयानक लड़ाई के बाद शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचा कर इन्होंने उस चौकी पर अधिकार कर लिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर शेर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

27. मेजर सुन्हारा सिंह (आई० सी०-20901)
कुमाऊं रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

मेजर सुन्हारा सिंह कुमाऊं रेजिमेन्ट की एक बटालियन के कम्पनी कमांडर थे। इनकी कम्पनी को राजस्थान क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। हमले के दौरान शत्रु ने हमारे सैनिकों पर छोटे हथियारों से तेज और प्रभावकारी गोलाबारी शुरू कर दी। मेजर सुन्हारा सिंह ने अडिग रह कर हमले का नेतृत्व किया और गुत्थमगुत्था की लड़ाई के बाद शत्रु को बरबाद कर दिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर सुन्हारा सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

28. मेजर अमरीक सिंह (आई० सी०-18055)
सिख रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर, 1971)

मेजर अमरीक सिंह सिख रेजिमन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। 10/11 दिसम्बर, 1971 की रात को राजस्थान क्षेत्र में इन्होंने शत्रु की एक आवरण चौकी पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद इन्होंने शत्रु के एक मोर्चे पर प्रहार का नेतृत्व करने के लिए अपने को प्रस्तुत किया। उस लक्ष्य पर पाकिस्तान के नियमित सैनिकों की एक कम्पनी थी जिसने वहां पर बहुत मजबूत मोर्चाबन्दी कर रखी थी और 600 मीटर गहरे सुरंग क्षेत्र से इस मोर्चे को रक्षित किये हुए थी। मेजर अमरीक सिंह ने प्रहार का नेतृत्व किया और उनके प्रेरक नेतृत्व में उनकी कम्पनी ने सुरंग क्षेत्र में से होकर हमला किया और गुत्थमगुत्था की लड़ाई के बाद लक्ष्य कब्जा कर लिया। प्रहार के दौरान मेजर अमरीक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन वे अपने जवानों को निर्देश देते रहे और इस तरह उन्होंने शत्रु के जवाबी हमले को विफल कर दिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर अमरीक सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

29. मेजर प्रशांत कुमार चटर्जी (आई० सी०-11965)
मराठा लाइट इंफैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

मेजर प्रशांत कुमार चटर्जी पूर्वी क्षेत्र में तैनात मराठा लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन के कम्पनी कमांडर थे। 4/5 दिसम्बर, 1971 को इनकी बटालियन को शत्रु के एक इलाके पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। इस इलाके में शत्रु ने अच्छी तैयारी कर रखी थी और वह वहां बड़ी तादाद में था। शत्रु पर बाजू से हमला किया गया और उसने मुकाबले में छोटे हथियारों से जोरदार गोलाबारी की। लेकिन मेजर प्रशांत कुमार चटर्जी ने अडिग रहकर हमले का नेतृत्व किया और गुत्थमगुत्था की लड़ाई के बाद लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

आद्योपान्त मेजर प्रशांत कुमार चटर्जी ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

30. मेजर विनोद कुमार शारदा (आई० सी०-13715)
पैराशूट रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर, 1971)

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान मेजर विनोद कुमार शारदा पैराशूट रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। इस कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में एक मोर्चा सम्भालने का आदेश दिया गया था, जिस पर विमानों द्वारा सैनिक उतार कर हमले के बाद अधिकार कर लिया गया था। मोर्चे खोदने का काम पूरा होने से पहले ही मेजर विनोद कुमार शारदा की नजर अपने इलाके की ओर बढ़ते हुए शत्रु के एक बड़े काफिले पर पड़ी। इन्होंने काफिले पर सही और भारी गोलाबारी करके शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचाया। शत्रु पुनर्गठन के लिए पीछे हट गया और इसने कम्पनी की स्थिति पर और दो हमले किए। शत्रु के छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद मेजर विनोद कुमार शारदा ने एक सैक्शन से दूसरे सैक्शन पर जा-जा कर अपने जवानों को मोर्चों पर डटे रहने को प्रोत्साहित किया और शत्रु के हमलों को विफल कर दिया।

आद्योपान्त मेजर विनोद कुमार शारदा ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

31. मेजर किटकुले प्रकाश दिगंबर (आई० सी०-15664)
आर्टिलरी रेजिमेन्ट

दिसम्बर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान पूर्वी क्षेत्र में मेजर किटकुले प्रकाश दिगंबर एक लाइट रेजीमेन्ट की एक बैटरी की कमान कर रहे थे। एक मौके पर मेजर किटकुले प्रकाश दिगंबर ने देखा कि शत्रु की एक कम्पनी हमले के लिए मोर्चा संभाल रही है। इन्होंने तुरन्त तोपखाने से तेज और सही गोलाबारी करवा कर शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाया और उनमें भगदड़ मच गई। इस स्थिति से लाभ उठा कर उन्होंने शत्रु पर हमला किया। हमले की तेजी से शत्रु बलहीन हो गया और वह उस क्षेत्र से तुरन्त पीछे हट गया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर किटकुले प्रकाश दिगंबर ने उच्चकोटि की वीरता, पहलशक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया।

32. मेजर कमल नन्दा (आई० सी०-12307)
4 हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

6 दिसम्बर, 1971 को मेजर कमल नन्दा आर्मर्ड रेजिमेन्ट के एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे और शकरगढ़ सैक्टर में एक गांव पर कब्जा करने के लिए अपने जवानों का नेतृत्व कर रहे थे। शत्रु के कड़े प्रतिरोध के बावजूद इन्होंने इस गांव पर कब्जा कर लिया और दूसरे इलाके पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। शत्रु ने टैंक रोधी मिसाइलों और रीकौइल गनों की गोलीबारी करते हुए कड़ा मुकाबला किया। मेजर कमल नन्दा के टैंक को मशीनी मणीन गन और शत्रु के मिग—19 विमान की गोलाबारी से क्षति पहुंची। हालांकि उनका बाजू बुरी तरह जख्मी हो गया था, फिर भी उन्होंने शत्रु की गोलाबारी और अपनी चोट की परवाह न करते हुए अपने टैंक को तेजी से आगे बढ़ाया और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए वे अपने स्क्वाड्रन की कमान करते रहे। उनके साहसपूर्ण नेतृत्व से पुल पदाधार बड़ा करने और शत्रु के लगातार भंयकर जवाबी हमलों के विरुद्ध उस पर अधिकार बनाये रखने में सहायक हुआ।

इस कार्यवाही में मेजर कमल नन्दा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

33. मेजर सूरज जीत चौधरी (आई० सी०-7312)
4 हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

मेजर सूरज जीत चौधरी शकरगढ़ क्षेत्र में आर्मर्ड रेजिमेन्ट की एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। 6 दिसम्बर, 1971 को वे अपने स्क्वाड्रन का साहस, कौशल और क्षमता के साथ नेतृत्व करते हुए शत्रु की घनी और भारी गोलाबारी के बावजूद उसके सुरंग क्षेत्र को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने उखाड़ फैंकने के लिए शत्रु ने बार-बार भयानक जवाबी हमले किए, मगर वे अपनी जगह डटे रहे। इन्होंने खुद बड़े कौशल से अपने टैंकों का संचालन करते हुए शत्रु के दो टैंक नष्ट कर दिए।

मेजर सूरज जीत चौधरी ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

34. मेजर विजय कुमार भास्कर (आई० सी०-16054)
इन्जीनियर कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि —6 दिसम्बर, 1971)

मेजर विजय कुमार भास्कर शकरगढ़ क्षेत्र में इंजीनियर रेजिमेन्ट की एक फील्ड कम्पनी की कमान कर रहे थे। 6 दिसम्बर, 1971 को हमारी आक्रामक कार्यवाही शत्रु के सुरंगों की वजह से रुक गई। कार्यवाही जारी रखने के लिए सुरंग क्षेत्र को तुरन्त तोड़ना जरूरी था। यद्यपि शत्रु ने छोटे हथियारों और तोपखानों से इस क्षेत्र को आवरण दे रखा था और हम अभी तक पुलपदाधार (ब्रिज हैड) भी नहीं बनापाए थे। फिर भी मेजर विजय कुमार भास्कर दिन के समय अकेले, इस सुरंगक्षेत्र में घुस गए और 400 मीटर भीतर तक इन्होंने सुरंगों को टोह ली और पता लगाया कि वे किस तरतीब में और कितनी गहराई तक बिछी हुई हैं। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करने, उनके साहसी कार्य के कारण ही बाद की सुरंगे साफ करने की क्रियायें तेजी से की जा सकी।

इस कार्यवाही में मेजर विजय कुमार भास्कर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

35. मेजर नंद दुलारे (आई० सी०-27413)
राजपूत रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसम्बर, 1971)

मेजर नंद दुलारे, राजपूत रेजिमेन्ट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। इनको पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान पर शत्रु की पिछली लाइनों पर सड़क रुकावटें लगाने का कार्य सौंपा गया था। 15 दिसम्बर, 1971 को सड़क रुकावट हटाने के लिए शत्रु ने भारी संख्या में बार-बार हमला किया, परन्तु मेजर नंद दुलारे ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाकर उसके हमले को विफल कर दें। एक हमले के दौरान मेजर नंद दुलारे ने शत्रु पर धावा बोल दिया और अपनी स्टेनगन को कमर पर रख कर चलाते हुए शत्रु के बहुत से जवानों को मार दिया। इनके साहसपूर्ण कार्य ने इनके जवानों में चौकी पर जमे रहने के लिए जोश भर गया और अन्त में उन्होंने शत्रु को पछाड़ कर उसके बहुत से जवानों, हथियार और उपस्कर पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में, नंद दुलारे ने उच्चकोटि की वीरता दृढ़ निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

36. मेजर गोपाल कृष्ण त्रिवेदी (आई सी--20021)
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसंबर, 1971)

मेजर गोपाल कृष्ण त्रिवेदी 10 दिसंबर, 1971 को शकरगढ़ क्षेत्र के किसी स्थान में शत्रु के इलाके पर हमले के दौरान ग्रेनेडियर्स

की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। यह एक ऐसा किलाबंद मजबूत मोर्चा था जिस पर शत्रु अधिक संख्या में था और उसने 800 गज की दूरी तक सुरंगें भी बिछा रखी थी। हमले के दौरान हमारे प्रहार दल पर शत्रु ने अचूक और भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इसके बावजूद मेजर गोपाल कृष्ण त्रिवेदी अपने जवानों को आगे ले गए और सुरंग क्षेत्र के बीच में से होकर लक्ष्य पर धावा बोल दिया और मुठभेड़ की जबरदस्त लड़ाई लड़कर उस पर कब्जा कर लिया। 11 दिसंबर, 1971 को शत्रु ने भारी संख्या में जवाबी हमला कर दिया। मेजर गोपाल कृष्ण त्रिवेदी ने खुद मौजूद रह कर अपने जवानों को प्रोत्साहित किया और एक खाई से दूसरी खाई में जा जाकर मोर्चे पर जमे रहने के लिए उनमें जोश भरा। इस तरह वे शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचा कर उसके हमले को विफल करने में सफल हुए।

आद्योपान्त मेजर गोपाल कृष्ण त्रिवेदी ने उच्चकोटि की वीरता दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

37. मेजर सदानंद बलवंत सालुंके (आई सी–18389)
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––10 दिसंबर, 1971)

मेजर सदानंद बलवंत सालुंके, शकरगढ़ क्षेत्र में मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 10 दिसंबर, 1971 को इन्हे शत्रु की कुछ ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया गया। मेजर सदानंद बलवंत सालुके ने अपने जवानों का नेतृत्व किया और शत्रु की तीन चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शत्रु की तेज तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी की परवाह न करते हुए ये और आगे बढ़ गए। शत्रु को अपने मोर्चे को दुबारा तैयार करते देखकर इन्होंने अपने जवानों को इकठ्ठा किया और तेजी से उस पर हमला करके उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया और लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर सदानन्द बलवंत सालुंके ने उच्चकोटि की वीरता, पहलशक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया।

38. मेजर मनजीत सिंह दुग्गल (आई सी–12641)
आर्टिलरी रेजिमेंट,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––7 दिसंबर, 1971)

मेजर मनजीत सिंह दुग्गल पूर्वी क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान डोगरा रेजिमेंट की बटालियन में बैटरी कमांडर थे। पूरी संक्रियाओं के दौरान इन्होंने तोपखाने की गोलाबारी से प्रभावकारी सहायता पहुंचाई और शत्रु के लक्ष्यों पर गोलीबारी करवाने के लिए उसके छोटे हथियारों और मार्टर गोलाबारी के बावजूद वे बार-बार खुले में आते रहे। इनका कार्य इनके जवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत था और बटालियन द्वारा की गई सफल संक्रियाओं में सहायक हुआ जिससे इन्होंने शत्रु द्वारा अधिकृत इलाके पर अपना कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर मनजीत सिंह दुग्गल ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

39. मेजर कुलदीप सिंह गिल (आई सी–14014)
5वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––14 दिसंबर, 1971)

मेजर कुलदीप सिंह गिल, पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान 5वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 14 दिसंबर, 1971 को इन्हें शत्रु के सैन्यदलों का पता लगाने का कार्य सौंपा गया। इन्होंने अपनी कंपनी को इस कार्य में लगा दिया। और खुद अपनी प्लाटूनों में से एक को साथ लेकर शत्रु का पता लगाने के लिए गए। खोज के दौरान इनके दल पर शत्रु ने ऊंचाई पर बनी अपनी खंदक में से स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस मोर्चे पर शत्रु एक कंपनी और पांच मझोली मशीनगनों की सहायता से कब्जा जमाए हुए था। हालांकि शत्रु संख्या में इनसे कहीं ज्यादा था और ये खुले में थे फिर भी मेजर गिल ने अपने जवानों को इकठ्ठा किया और मोर्चा लेकर 6 घंटे तक वहां जमे रहे और बाद में टैंकों की मदद से शत्रु के मोर्चे पर हमला कर दिया और उसे भारी जानी नुकसान पहुंचा कर, भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारूद और 5 मझोली मशीनगनों पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर कुलदीप सिंह गिल ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

40. मेजर चन्द्र कान्त (आई सी–18851)
गार्डस् ब्रिगेड,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि–4 दिसंबर, 1971)

मेजर चन्द्र कान्त उस कंपनी की कमान संभाले हुए थे जिसे पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के ठिकाने के पीछे रुकावट डालने का कार्य सौंपा गया था। इनके योग्य नेतृत्व में कंपनी ने शत्रु के पीछे हटने से पहले रुकावट डाली। जब शत्रु ने पीछे हटने के रास्तों को बंद पाया तो उसने भीषण प्रतिक्रिया की और कंपनी पर टैंकों से भारी गोलाबारी और प्रहार किया। परन्तु फिर भी मेजर चन्द्रकान्त बिना झिझके खाई-खाई गए और अपने जवानों को मोर्चे पर डटे रहने के लिए उस समय तक प्रोत्साहित करते रहे जब तक कि शत्रु का उस क्षेत्र से सफाया न हो गया।

इस कार्यवाही में मेजर चन्द्र कान्त ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

41. मेजर सतीश नम्बियार (आई सी–10018)
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––11 दिसंबर, 1971)

मेजर सतीश नम्बिया मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन की उस अग्रवर्ती कंपनी की कमान संभाले हुए थे, जिसने पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में सड़क रुकावट डाली थी। शत्रु ने 10 दिसंबर, 1971 को 0230 बजे भारी संख्या में सड़क रुकावट पर प्रहार किया। इस हमले में शत्रु ने तोपखाने मार्टर और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी की। मेजर सतीश नम्बियार अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना अपने जवानों को जोश दिलाने के लिए खाई-खाई गए। शत्रु अग्रवर्ती रक्षित इलाकों से 40 गज करीब तक आ पहुंचा परन्तु फिर भी उसके प्रहार को विफल कर दिया गया।

इसी तरह 11 दिसंबर, 1971 को 0430 बजे तक किए गए शत्रु के और प्रहार भी विफल कर दिए गए।

आद्योपान्त मेजर सतीश नम्बियार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़ निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

42. मेजर अशोक कुमार तारा (आई सी–20506)
गार्डस् ब्रिगेड

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––3 दिसंबर, 1971)

मेजर अशोक कुमार तारा पूर्वी क्षेत्र में एक स्थान पर हमला करते समय एक अग्रवर्ती कंपनी की कमान कर रहे थे। शत्रु ने स्वचालित हथियारों से भारी गोलाबारी करके हमले को रोक दिया। मेजर अशोक कुमार तारा अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना शत्रु की सबसे अगली मझोली मशीन गन मोर्चे तक रेंग कर गए और उसे शांत कर दिया। उनके इस साहसी कार्य से उनकी कंपनी के जवानों को इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने पूरे निश्चय से शत्रु पर प्रहार किया। मेजर अशोक कुमार तारा हालांकि घायल हो गए थे फिर भी वे प्रहार का उस समय तक नेतृत्व करते रहे जब तक कि उस मोर्चे पर कब्जा न हो गया।

इस कार्यवाही में, मेजर अशोक कुमार तारा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

43. मेजर रवि कुमार (आई सी–14817)
सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––12 दिसंबर, 1971)

मेजर रवि कुमार सिख लाइट इन्फैन्ट्री की बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे, जिसे पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। रास्ता तंग होने के कारण प्रहार सेक्शनों में बांट कर करना पड़ा और मेजर रवि कुमार सबसे आगे वाले सेक्शन की अगुआनी कर रहे थे। एक बंकर से शत्रु की एक मझोली मशीन गन के प्रभावकारी गोलीबारी से हमारा प्रहार रुक गया। उस गन को शांत करने की जरूरत को महसूस करके मेजर रवि कुमार अपनी जान की परवाह न करते हुए रेंग कर आगे बढ़े और इन्होंने एक हथगोला फेंक कर चालक को मार डाला। बहादुरी के इस कारनामे से प्रोत्साहित होकर कंपनी ने शत्रु की चौकी पर हमला किया और उसे भारी जानी नुकसान पहुंचा कर उस पर अधिकार कर लिया। शत्रु ने बड़ी तेजी में आकर चार जवाबी हमले किए, लेकिन वे सबके सब विफल कर दिए गए।

इस कार्यवाही में मेजर रवि कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

44. मेजर पतिहरे वीटिल सहदेवन (आई सी–22366)
मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––16 दिसंबर, 1971)

15/16 दिसंबर, 1971 की रात को मेजर पतिहरे वीटिल सहदेवन को, जो मद्रास रजिमेंट की बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे, पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में पुल-पदाधार स्थापित करने का काम सौंपा गया। इसके लिए 800 गज चौड़े सुरंग क्षेत्र के पार से हमला करना पड़ता था। हमले के दौरान इनकी कंपनी जब सुरंग क्षेत्र में थी तो इसके काफी जवान हताहत हो गए। मेजर सहदेवन, अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना आगे बढ़े और अपना साथ देने के लिए इन्होंने अपने जवानों को प्रेरित किया। सुरंग क्षेत्र के अंतिम सिरे पर पहुंचने पर कंपनी को कड़ा मुकाबला करना पड़ा। पास वाले बंकर से शत्रु की मझोली मशीनगन की गोलीबारी से हमारे जवान हताहत हो रहे थे। मेजर सहदेवन फौरन शत्रु के बंकर तक रेंग कर पहुंचे और उसमें इन्होंने एक ग्रेनेड फेंक दिया। इससे बंकर में रखे हुए ईंधन और गोलाबारूद में आग लग गई और शत्रु हड़बड़ाहट में भाग खड़ा हुआ। हमले के दौरान वे भारी गोलाबारी की परवाह किए बिना खाई-खाई गए और जवानों को अपनी जगह डटे रहने और शत्रु के हमलों को पछाड़ने के लिए उत्साहित करते रहे।

आद्योपान्त मेजर पतिहरे वीटिल सहदेवन ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

45. मेजर विक्रम कुमार आनंद (आई सी–16611)
सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––14 दिसंबर, 1971)

मेजर विक्रम कुमार आनन्द, शकरगढ़ क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान सिख लाइट इन्फैन्ट्री की बटालियन की एक राइफल कंपनी की कमान कर रहे थे। 14 दिसंबर, 1971 की सुबह इनकी कंपनी को एक कैवलरी रेजिमेंट की कमान में रखा गया जिसे दुश्मन के एक मोर्चे पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। दुश्मन के छोटे हथियारों, टैंकों और तोपखाने के लगातार गोलाबारी के बावजूद मेजर विक्रम कुमार आनन्द ने हमले का दबाव बनाए रखने के लिए अपनी कंपनी को प्रेरित किया और भारी लड़ाई के बाद दुश्मन के मोर्चे पर अधिकार कर लिया। इनके योग्य नेतृत्व में कंपनी ने दुश्मन के बहुत से जवाबी हमलों को पछाड़ दिया।

आद्योपान्त, मेजर विक्रम कुमार आनन्द ने उच्चकोटि की वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया।

46. मेजर गोविन्द सिंह (आई सी–6881)
4 हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––16 दिसंबर, 1971)

बसंतार नदी की लड़ाई के दौरान 17 हार्स, जो पुल-पदाधार स्थापित कर रही थी, दुश्मन के भारी दबाव में आ गई और यह तय किया गया कि पुल-पदाधार पर अतिरिक्त बख्तर सेना भेजी जाए। चार सैन्यदलों को एक तदर्थ सेना बनाई गई, जिसमें रेजिमेन्टल और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के सैन्यदल शामिल थे और इसे मेजर गोविन्द सिंह की कमान में रखा गया। दुश्मन 'जारपाल' पर हमारी सेना को घोंघे में काटने के लिए एक आर्मर्ड स्क्वाड्रन ले जाने की कोशिश कर रहा था। भारी गोलाबारी के बावजूद मेजर गोविन्द सिंह अपना टैंक लेकर आगे बढ़े और इन्होंने दुश्मन के दो टैंक नष्ट कर दिए। इसके बाद इन्होंने अपनी कमान में सेना को चतुराई से इस तरह नियोजित किया कि दुश्मन द्वारा बार-बार किए गए हमलों को भी विफल कर दिया गया।

आद्योपान्त, मेजर गोविन्द सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, पहल कदमी और नेतृत्व का परिचय दिया।

47. मेजर मलविंदर सिंह शेरगिल (आई सी–13152)
7 लाइट कैवेलरी

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसंबर, 1971)

मेजर मलविंदर सिंह शेरगिल, शकरगढ़ क्षेत्र में 7वीं कैवेलरी के एक स्क्वाड्रन की कमान कर रहे थे। 8 दिसंबर, 1971 को इन्हें एक रेल पर्यन्त पर, जिस पर दुश्मन की इन्फैन्ट्री और आर्मर भारी तादाद में जमा थी, अधिकार करने का आदेश मिला। हमले के दौरान वे बड़ी फुर्ती से आगे बढ़े और कड़े मुकाबले के बावजूद रेल-पर्यन्त पर अधिकार कर लिया और उस पर तब तक जमें रहे, जब तक इन्फैन्ट्री बटालियन ने आगे बढ़कर उस पर मोर्चे न बना लिए। 7 से 12 दिसंबर, 1971 के दौरान इन्होंने दुश्मन के बख्तर पर दो बार हमला किया और दुश्मन के दो टैंक नष्ट कर दिए। 13 दिसंबर, 1971 को इनकी स्क्वाड्रन ने पाकिस्तानी सेना के 20वें लान्सर और 33वीं कैवेलरी को लगभग 9 किलोमीटर पीछे धकेल दिया।

आद्योपान्त, मेजर मलविन्दर सिंह शेरगिल ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

48. मेजर वीरेन्दर सिंह रुहिल (आई सी–12414)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसंबर, 1971)

मेजर वीरेन्दर सिंह रुहिल पुर्वी क्षेत्र में लाइट रेजिमेंट की एक बैटरी की कमान कर रहे थे। 5 दिसंबर, 1971 को बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन ने एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दुश्मन ने तीव्र प्रतिक्रिया की और हमारी सैन्य टुकड़ियों को हटाने के प्रयत्न में मार्टर और मझोली मशीनगन से गोलाबारी कर दी। मेजर वीरेन्दर सिंह रुहिल अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना आगे बढ़े और दुश्मन की उन मझौली मशीनगन और मार्टर पर गोले बरसाए जो हमारी टुकड़ियों को जान-माल की क्षति पहुंचा रही थीं और उन्हें शांत कर दिया। 15 दिसंबर, 1971 को गार्डस् ब्रिगेड की एक बटालियन के हमले को दुश्मन ने रोक दिया क्योंकि वह अच्छी तरह तैयार किए गए मोर्चे पर डटा हुआ था। दुश्मन के छोटे हथियारों और मार्टर की भारी गोलाबारी के बावजूद मेजर वीरेन्दर सिंह रुहिल दुश्मन के मोर्चे के पास तक गए और दुश्मन पर सही तथा प्रभावी गोलाबारी की जिससे बटालियन लक्ष्य पर अधिकार कर सकी।

इस पुरी संक्रिया के दौरान मेजर वीरेन्दर सिंह रुहिल ने उच्च-कोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

49. मेजर रविन्दर कुमार अरोड़ा (ई सी–58565)
सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसंबर, 1971)

मेजर रविन्दर कुमार अरोड़ा राजस्थान क्षेत्र में सिख लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 15 दिसंबर, 1971 को इन्हें दुश्मन के एक मजबूत मोर्चे पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। मेजर रविन्दर कुमार अरोड़ा ने दुश्मन के छोटे हथियारों और तोपखाने की गोलाबारी के बावजूद अपने जवानों का साहस के साथ नेतृत्व किया और उन्हें लक्ष्य पर अधिकार करने की प्रेरणा दी। लक्ष्य पर अधिकार करने के पश्चात् पड़ोस के दुश्मन के इलाके पर हमला किया गया परन्तु दुश्मन ने छोटे हथियारों और तोपखाने से भारी गोलाबारी करके हमला रोक दिया। मेजर रविन्दर कुमार अरोड़ा ने अपनी दो प्लाटूनें लेकर दुश्मन के इलाके पर हमला किया और हालांकि ये गंभीर रूप से घायल हो गए फिर भी उन्होंने शत्रु की भारी गोलाबारी के नीचे अपनी टुकड़ियों का सुरंग-क्षेत्र पार करते समय नेतृत्व किया। ये दुश्मन के पास तक पहुंचे और कड़े मुकाबले के पश्चात् लक्ष्य पर अधिकार कर लिया।

इस पुरी संक्रिया के दौरान मेजर रविन्दर कुमार अरोड़ा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

50. मेजर सुशील कुमार शारदा (आई सी–12099)
महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसंबर, 1971)

मेजर सुशील कुमार शारदा राजस्थान क्षेत्र में महार रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 12/13 दिसंबर, 1971 की रात में उन्होंने दुश्मन के एक मोर्चे पर हमला करते समय अपनी कंपनी का नेतृत्व किया और उस पर अधिकार कर लिया। दुश्मन के जवाबी हमले के दौरान भारी गोले और छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद वे खुले में अपने जवानों को डटे रहने और दुश्मन के हमले को विफल करने की प्रेरणा देते हुए खाई-खाई गए।

इस पुरी कार्यवाही के दौरान, मेजर सुशील कुमार शारदा ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

51. मेजर इन्दर प्रक्चु खरबंदा (आई सी–18612)
गार्डस् ब्रिगेड

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसंबर, 1971)

मेजर इन्दर प्रक्चु खरबंदा गार्डस् ब्रिगेड की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्हें पुर्वी क्षेत्र में उस स्थान के पीछे जिस पर दुश्मन का अधिकार था, रुकावट डालने का कार्य सौंपा गया था। मेजर इन्दर प्रक्चु खरबंदा ने अपनी कंपनी का बड़े ही कौशल से नेतत्व किया और मोर्चे पर अधिकार कर लिया। दुश्मन ने उनके मोर्चे पर गन-बोटों से भारी एवं स्वचालित गोलाबारी की परंतु ये अपने स्थान पर डटे रहे जिससे उस संक्रिया में सफलता मिली।

इस कार्यवाही में मेजर इन्दर प्रक्चु खरबंदा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

52. मेजर कुप्पन्दा पोनप्पा मन्जप्पा (एस एस–19466)
कुमायूं रेजिमेंट

मेजर कुप्पन्दा पोनप्पा मन्जप्पा कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे जिसे पुर्वी क्षेत्र में दुश्मन के एक मजबूत मोर्चे पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। यह बहुत ही मजबूत किलाबंद मोर्चा था और इस क्षेत्र में और बाद की संक्रिया के लिए इस पर अधिकार करना जरूरी था। भारी और सही गोलाबारी और छोटे हथियारों की गोलीबारी के बावजूद मेजर कुप्पन्दा पोनप्पा मन्जप्पा ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना अपने जवानों का नेतृत्व किया और कड़े मुकाबले के पश्चात् लक्ष्य पर अधिकार कर लिया।

इस कार्रवाही में मेजर कुप्पन्दा पोनप्पा मन्जप्पा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

53. मेजर धर्मपाल सिंह (आई० सी०-13817)
बिहार रेजिमेंट

मेजर धर्म पाल सिंह बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे जिसे पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन के एक मजबूत मोर्चे पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद मेजर धर्मपाल सिंह ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना अपने जवानों का नेतृत्व किया और जबर्दस्त लड़ाई के बाद लक्ष्य पर अधिकार कर लिया। इन्होंने दुश्मन की 105 मझौली मशीनगनों को भी अधिकार में ले लिया।

इस कार्यवाही में, मेजर धर्मपाल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

54. मेजर मनोप्टक्या मंडप्पा रवि (एस० एस०-19469)
बिहार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसंबर, 1971)

मेजर मनोप्टक्या मंडप्पा रवि, बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्हें पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक मजबूत ठिकाने पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। हमले के दौरान इनकी कंपनी पर शत्रु ने तोपखाने, छोटे हथियारों और टैंकों से जबरदस्त गोलाबारी की और वे गोले की किर्च से गंभीर रूप से घायल हो गए। शत्रु की भारी गोलाबारी के बावजूद और अपने जख्मों की तनिक परवाह न करते हुए, मेजर मनोप्टक्या मंडप्पा रवि ने हमले में अपनी कंपनी का नेतृत्व किया उनके साहस से प्रेरणा लेकर उनकी कंपनी ने लक्ष्य पर धावा बोल दिया और भीषण लड़ाई के बाद इस पर अधिकार कर लिया। इस हमले में शत्रु का एक टैंक सही हालत में हमारे हाथ लगा।

इस कार्यवाही के दौरान, मेजर मनोप्टक्या मंडप्पा रवि ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

55. मेजर सुखपाल सिंह (आई० सी०-19213)
जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसंबर, 1971)

पाकिस्तान के विरुद्ध दिसंबर, 1971 की सक्रियाओं के दौरान मेजर सुखपाल सिंह पश्चिमी क्षेत्र में जाट रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। 4 दिसंबर, 1971 को उनकी कंपनी को एक गांव पर दोबारा अधिकार करने का काम सौंपा गया था, जिसे शत्रु ने एक दिन पहले अपने अधिकार में कर लिया था। इस मोर्चे पर शत्रु बड़ी तादाद में था और उसके मोर्चे बांध पर होने के कारण वह वहां हावी था। मेजर सुखपाल सिंह ने हमले में अपने जवानों का नेतृत्व किया। शत्रु उनपर छोटे हथियारों और तोपखाने से जबरदस्त गोलाबारी कर रहा था। इसके बावजूद, अपनी कंपनी को प्रेरित करके वे न केवल गांव पर दोबारा अधिकार करने में सफल हुए, बल्कि बांध के एक मजबूत मोर्चे पर भी अधिकार कर लिया, जहां से शत्रु उनके ठिकाने पर तोपखाने से गोलाबारी कर रहा था। तोपखाने और मझौली मशीनगन के भारी गोलीबारी की आड़ में शत्रु ने बांध पर कई जवाबी हमले किए। मेजर सुखपाल सिंह अडिग रहकर एक खाई से दूसरी खाई में जाकर अपने जवानों को जोश दिलाते रहे।

इस कार्यवाही में, मेजर सुखपाल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

56. मेजर विजय कुमार वेद (आई० सी०-21303)
ग्रेनेडियर्स

मेजर विजय कुमार वेद शकरगढ़ क्षेत्र में ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उनको शत्रु के एक मोर्चे पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। वह एक मजबूत किलाबंद मोर्चा था जिस पर शत्रु काफी संख्या में मौजूद था और वहां 12 ब्राउनिंग मशीनगनें भी लगी हुई थीं। शत्रु के तोपखाने और स्वचालित गोलाबारी के बावजूद मेजर विजय कुमार वेद ने अपने प्रहार करने वाले सैनिकों का नेतृत्व किया और जबर्दस्त लड़ाई लड़कर लक्ष्य पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही में मेजर विजय कुमार वेद ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

57. मेजर जय भगवान सिंह यादव (आई० सी०-16095)
11वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसंबर, 1971)

12 दिसंबर, 1971 को मेजर जय भगवान सिंह यादव 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की उस कंपनी की कमान कर रहे थे जो पूर्वी क्षेत्र में बोगड़ा की तरफ बढ़ते समय हरावल दस्ते के रूप में आगे बढ़ रही थी। हमारा आगे बढ़ना बोगड़ा क्षेत्र में पुल के दूसरी ओर से मशीनगन और रिकाइललेस गन की गोलियों की बौछार के कारण रुक गया। मेजर जय भगवान सिंह यादव को आदेश दिया गया कि वे दुश्मन के मोर्चे के पीछे सड़क पर रुकावट खड़ी कर। इच्छामती नदी को पार करने के पश्चात् कंपनी उस जगह पर पहुंच गई, जहां सड़क पर रुकावट खड़ी करनी थी। सड़क रुकावट खड़ी करने के लिए टोह लेते समय, शत्रु की एक टेलीफोन लाइन का पता लग गया जिससे शत्रु के बटालियन हेडक्वार्टर के ठिकाने का पता चला। मेजर जय भगवान सिंह यादव ने इस हेडक्वार्टर को घेर लिया और बटालियन कमान्डर और अन्य अफसरों को बंदी बना लिया। शत्रु ने बड़ी तेजी से जवाबी कार्यवाही की और इस कंपनी को अलग थलग करने के लिए बचकर पीछे हटने के इसके सभी रास्ते बंद कर दिए। शत्रु की इस हरकत के बावजूद उन्होंने जबर्दस्त दबाव बनाए रखा, खुद खतरा मोल लिया और अपने जवानों को अपनी जगह पर डटे रहने के लिए जोश दिलाते, और उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। इस समय तक शत्रु की कंपनी अपने कमान अफसर को बचाने के लिए इसके करीब आती जा रही थी। इस कंपनी ने कड़ा मुकाबला किया, जिससे शत्रु के मोर्चे कमजोर पड़ गए और हमारी बक्तर सेना उसकी रक्षा पंक्ति को तोड़कर आगे बढ़ सकी। शत्रु पुरी तरह बौखला गया और उसके हौसले पस्त हो गए। उसे भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा और फलस्वरूप बड़ी संख्या में हमारी सेनाओं के सामने उसने समर्पण कर दिया।

इस कार्यवाही में मेजर जय भगवान सिंह यादव ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

58. मेजर अवजीत सिंह मामिक (आई० सी०–14461)
11वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––13 दिसंबर, 1971)

13 दिसंबर, 1971 को मेजर अवजीत सिंह मामिक 11वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्हें पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक मोर्चे पर कब्जा करने का आदेश मिला। इनका हमला अभी शुरू ही हुआ था कि शत्रु ने मशीनगन से सही और भारी गोलीबारी शुरू कर दी जिसकी वजह से उनके सैनिक वहीं के वहीं रुक गए। पता लगता था कि शत्रु एक कंपनी की तादाद में है और उसने बहुत मजबूत मोर्चाबंदी की हुई है। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपने हमले का दबाव बनाए रखा और अपने जवानों का नेतृत्व किया और उन्हें शत्रु से भिड़ने के लिए हौसला दिया। उनके जवान उनके पीछे जुट गए और बंकर-बंकर लड़ते हुए शत्रु मोर्चे में दाखिल हो गए। शत्रु बहुत से मृतक सैनिक और बड़ी मात्रा में उपस्कर छोड़ कर भाग गया। मेजर अवजीत सिंह मामिक ने तेज रफ्तार से कार्यवाही करके शत्रु के कंपनी हेडक्वार्टर को घेर लिया और कंपनी कमांडर को हथियार डालने के लिए विवश कर दिया।

इस कार्यवाही के दौरान मेजर अवजीत सिंह मामिक ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

59. मेजर हरीश कुमार चोपड़ा (आई० सी०–13761)
आर्टिलरी रेजिमेंट

मेजर हरीश कुमार चोपड़ा उस इन्फैन्ट्री बटालियन के बटरी कमांडर थे जिसने शकरगढ़ क्षेत्र में बसंतार नदी के पार एक पुल पदाधार कायम किया था। तोपखाने और मशीनगन की भारी गोलाबारी की सहायता से शत्रु ने बड़ी तादाद में जवाबी हमला किया। इसमें एक अगली कंपनी के साथ तैनात प्रेक्षण चौकी अफसर घायल हो गया। मेजर हरीश कुमार चोपड़ा ने प्रेक्षण चौकी अफसर की ड्यूटी संभाली। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक पहुंचे, तोपखाने से शत्रु पर गोलाबारी करवाते रहे और इस तरह उनकी वजह से शत्रु का जवाबी हमला छिन्न-भिन्न किया जा सका। बटालियन हेडक्वार्टर्स लौटते समय बटालियन का कमांडिंग अफसर किर्च लगने से घायल हो गया। कमांडिंग अफसर की उस जगह से निकासी के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए, लेकिन उस क्षेत्र में शत्रु की मशीनगन के भारी कारगर गोलीबारी की वजह से वे ऐसा न कर सके। मेजर हरीश कुमार चोपड़ा ने कमांडिंग अफसर की वहीं प्राथमिक चिकित्सा की और तब तक उसके साथ बने रहे, जब तक उनकी निकासी सुरक्षित स्थान तक न हो गई।

इस कार्यवाही में मेजर हरीश कुमार चोपड़ा ने उच्चकोटि की वीरता, पहलशक्ति और कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

60. मेजर राजकुमार मल्होत्रा (आई० सी०–20824)
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––9 दिसंबर, 1971)

मेजर राजकुमार मल्होत्रा उस सैन्यदल के ग्रुप कमांडर थे, जो पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात था। इन्होंने दृढ़ता से अपने दल का नेतृत्व किया और शत्रु पर लगातार दबाव बनाए रख कर उसकी बहुत-सी चौकियों पर अधिकार कर लिया।

आद्योपांत मेजर राजकुमार मल्होत्रा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

61. मेजर हरीश चन्द्र शर्मा (आई० सी०–21075)
जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––9 दिसंबर, 1971)

दिसंबर, 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान मेजर हरीश चन्द्र शर्मा पूर्वी क्षेत्र में जाट रेजिमेंट की एक कंपनी की कमान कर रहे थे। उन्होंने मौजूदा नावों के बेड़े से ही काम चलाया और शत्रु के कड़े मुकाबले के बावजूद उसे पीछे हटाकर पुल पदाधार बनाया। इससे दूसरे दलों को नदी पार करने में सुविधा रही। बड़े जोश से आगे बढ़ कर उन्होंने 9 दिसंबर, 1971 को एक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उनके योग्य नेतृत्व में कंपनी ने शत्रु के भारी जवाबी हमलों को पछाड़ दिया।

आद्योपांत मेजर हरीश चन्द्र शर्मा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

62. मेजर सूरवेंद्र सिंह नेगी (आई० सी०–22805)
ग्रेनेडियर्स

मेजर सूरवेंद्र सिंह नेगी पूर्वी क्षेत्र में कार्यवाही कर रही सेना के ग्रुप कमांडर थे। उनके कुशल नेतृत्व में हमारी सेना ने शत्रु के एक मजबूत किलाबंद मोर्चे पर मुठभेड़ की लड़ाई लड़कर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण पुल को उड़ा दिया जिस पर से हमारे इलाके में शत्रु की हरकत रुक गई।

इस कार्यवाही में मेजर सूरवेंद्र सिंह नेगी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

63. मेजर वीरेन्द्र कुमार (आई० सी०–22619)
जम्मू और काश्मीर राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––7 दिसंबर, 1971)

मेजर वीरेन्द्र कुमार जम्मू और काश्मीर मिलिशिया की एक बटालियन की एक कंपनी की कमान कर रहे थे जो जम्मू और काश्मीर क्षेत्र में तनात थी। कंपनी के ठिकाने पर दुश्मन ने भारी संख्या में 7 दिसंबर, 1971 को तोपखाने की भारी और सही गोलीबारी की सहायता से हमला किया। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए वे स्थान-स्थान पर गए और अपने जवानों को दुश्मन का हमला विफल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे भारी नुकसान के बावजूद दुश्मन ने पुनः गठित होकर दूसरा हमला किया। सारी रात और अगले दिन भी दुश्मन ने हमारी सेनाओं पर भारी दबाव बनाए रखा। फिर भी वे सब हमले विफल कर गए और दुश्मन अपने 70–80 मृत जवानों को उस क्षेत्र में इधर-उधर पड़े छोड़कर पीछे हट गया।

इस कार्यवाही में, मेजर वीरेन्द्र कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

64. कैप्टेन सुरेन्द्र कौशिक (आई० सी०–17200)
आर्मर्ड कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि––4 दिसंबर, 1971)

4 दिसंबर, 1971 को कैप्टेन सुरेन्द्र कौशिक को छम्ब क्षेत्र में दो टैंकों के साथ 'देवा' अक्ष के साथ-साथ आगे बढ़ रहे शत्रु के

बख्तर को रोकने का काम सौंपा गया था। उन्होंने अपने टैंकों को गुराह की पहाड़ियों पर तैनात किया। मुनव्वर तवी पर छम्ब ब्रिगेड की ओर बढ़ते हुए शत्रु ने अपने दो बख्तर स्क्वाड्रनों के साथ उनके टैंकों पर हमला कर दिया। शत्रु के बड़ी तादाद में होने और भारी दबाव डालने के बावजूद वे अपने ठिकाने पर डटे रहे और शत्रु का कड़ा मुकाबला करते रहे। उन्होंने शत्रु के टैंकों पर ज़ोरदार गोला बारी की और उनके मोर्चों को तोड़कर आगे बढ़ जाने की दुश्मन की कोशिश को तब तक विफल करते रहे, जब तक उनके ठिकाने पर दूसरी बख्तर रैजिमेंट से कुमक न पहुंच गई। शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाकर, उन्होंने 5 दिसंबर, 1971 का हमला भी विफल कर दिया। इन लड़ाइयों में कैप्टेन कौशिक और उनके दोनों टैंकों के कर्मीदल ने शत्रु के नौ टी 59 टैंक और तीन रिकायललेस राइफलें नष्ट कर दीं।

आद्योपान्त, कैप्टेन सुरेन्द्र कौशिक ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

65. कैप्टन विष्णु स्वरूप शर्मा (एस० एस०-20957), गार्ड्स ब्रिगेड

कैप्टन विष्णु स्वरूप शर्मा ने पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन की चौकी पर हमला करते समय कम्पनी कमाण्डर की मृत्यु हो जाने पर गार्ड्स ब्रिगेड की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान सम्भाली। हालांकि उनकी कम्पनी के आधे जवान शहीद हो चुके थे, फिर भी इस अफसर ने दुश्मन के लगातार जवाबी हमलों के बावजूद लक्ष्य पर से हटने के लिये मना कर दिया। एक अवसर पर दुश्मन ने उनकी चौकी को घेर लिया। उस समय उन्होंने अकेले संगीन से जवाबी हमला किया। दुश्मन के भारी दबाव के बावजूद वे अपने मोर्चे पर डटे रहे और अन्त में अपनी कम्पनी के शेष जवानों को लेकर अपनी यूनिट से जा मिले।

आद्योपान्त, कैप्टन विष्णु स्वरूप शर्मा ने सराहनीय साहस, नेतृत्व और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

66. कैप्टन गुरबख्श सिंह सिंहोटा (आई० सी०-15471), आर्टिलरी रैजिमैन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

9 दिसम्बर, 1971 को कैप्टेन गुरबख्श सिंह सिंहोटा को पूर्वी क्षेत्र में हैलीकाप्टरों द्वारा की जाने वाली संक्रियाओं के लिये उपयुक्त अवतरण स्थान का चयन करने के लिए एक टोह पार्टी ले जाने के आदेश दिये गये। बड़े ही कौशल से हैलीकाप्टर को चलाते हुए दुश्मन द्वारा अधिकृत प्रदेश के बहुत अन्दर तक उन्होंने उड़ान भरी। इस टोह के दौरान उनके हैलीकाप्टर पर दुश्मन ने छोटे हथियारों से गोलाबारी की और इससे उनका हैलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी कैप्टेन सिंहोटा अपने क्षतिग्रस्त विमान को अग्रिम हैली पेड पर सुरक्षित वापिस ले आए। हालांकि उनका हैलीकाप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था फिर भी उन्होंने दो गम्भीर रूप से घायल जवानों को निकालने का काम अपने हाथ में लिया। इसके बाद उसी दोपहर और उसी क्षतिग्रस्त हैलीकाप्टर में उन्होंने हैलीकाप्टरों द्वारा की जाने वाली संक्रियाओं के पहले दौर का नेतृत्व किया और दूसरे हैलीकाप्टरों को सुरक्षित उतरने के निदेश दिये।

आद्योपान्त, कैप्टन गुरबख्श सिंह सिंहोटा ने उच्चकोटि के साहस, पहल-शक्ति और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

67. कैप्टेन तीरथ सिंह (आई० सी० 23312) आर्टिलरी रैजिमैन्ट

कैप्टेन तीरथ सिंह पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन की चौकी पर हमले के दौरान एक राइफल कम्पनी के साथ अग्रवर्ती प्रेक्षण अफसर के रूप में सम्बद्ध थे। दुश्मन एक मजबूत किलेबन्दी मोर्चे पर जमा हुआ था और उसके पास मझौली मशीनगनें थी जिनसे उसने लगातार और सही गोलाबारी करके हमारे एक प्लाटून कमाण्डर को घायल कर दिया। कैप्टन तीरथ सिंह ने इनफैंट्री प्लाटून की तुरन्त कमान सम्भाली और दुश्मन के मजबूत मोर्चे पर प्रहार का नेतृत्व किया और उसे नष्ट कर दिया।

इस कार्रवाई में, कैप्टेन तीरथ सिंह ने सराहनीय साहस और पहलशक्ति का परिचय दिया।

68. कैप्टेन पृथ्वी पाल सिंह संधा (आई० सी०-16285) आर्टिलरी रैजिमैन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को दुश्मन ने राजस्थान क्षेत्र में लोंगेवाला स्थान पर टैंकों और इन्फैंट्री से भारी तादाद में हमला किया। वायु प्रेक्षण फ्लाइट चौकी के कैप्टेन पृथ्वी पाल सिंह संधा को आदेश दिया गया कि वे हवाई जहाज में रहकर अपने टैंकों और तोपखाने की गोलाबारी दुश्मन के टैंकों और सैनिकों के जमावों पर करवायें। इस दौरान 5 दिसम्बर से 11 दिसम्बर, 1971 तक अपनी जान की ज़रा भी परवाह न करते हुए वे अधिक समय तक दुश्मन की गतिविधियों का प्रक्षण करने, कीमती सूचनाएं पीछे अड्डों पर भेजने और अपने टैंकों और गनों के हमलों को निर्देशित करने के लिए विमान-वाहित संक्रियाएं करते रहे।

इस कार्रवाई में, कैप्टन पृथ्वी पाल सिंह संधा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

69. कैप्टन गुरमुख सिंह गिल (एस० एस०-22577) पंजाब रेजिमैन्ट

जब हमारे सैनिकों पर हमला करने के लिए दुश्मन ने अपनी इन्फैन्ट्री और टैंकों का जमाव किया तो कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने तोपखाने के उस प्रेक्षण चौकी अधिकारी के बचाव के लिए एक गश्त का नेतृत्व किया जिसे दुश्मन पर हमला करके उसे तबाह करने का काम सौंपा गया था। यद्यपि यह गश्त वहां से सिर्फ 50 गज दूर थी, जहां शत्रु की 2 इन्फैन्ट्री बटालियनों और टैंकों की एक स्क्वाड्रन जमा थी, फिर भी कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने मोर्चा जमाया और प्रेक्षण चौकी अधिकारी ने सैनिकों और गनों से दुश्मन पर भारी और सही गोलीबारी शुरू कर दी। इससे दुश्मन की इन्फैंट्री और उसके टैंक घबराहट और डर के मारे तितर-बितर हो गए। लेकिन कुछ देर बाद दुश्मन के टैंकों ने इस गश्त पर हमला किया और इस दौरान तोपखाने के प्रक्षण चौकी अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गया। कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने इस अधिकारी का प्रथम उपचार किया और फिर इसे अपने कन्धों पर उठाकर सही सलामत अड्डे पर वापिस ले आए।

इस कार्रवाई में कैप्टन गुरमुख सिंह गिल ने उच्चकोटि की वीरता, पहल-शक्ति और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

70. कैप्टन हरबन्त सिंह कहलों (आई० सी०-16433)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन हरबन्त सिंह कहलों पश्चिमी सैक्टर में राणियां रक्षावरण चौकी के प्रेक्षण चौकी अधिकारी थे। 3 और 4 दिसम्बर के बीच शत्रु ने इस चौकी पर 7 बार हमले किए। ये हमले शत्रु ने बड़ी सेना और तोपखाने की सहायता से किए। भारी गोलाबारी के बावजूद अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए मेजर हरबन्त सिंह कहलों एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे में जाकर प्रेक्षण करते रहे और शत्रु के जमावों पर गोलाबारी करवाते रहे। शत्रु के हमले को विफल बनाने के लिए उन्होंने असाधारण योग्यता से अपने तोपखाने की गोलाबारी अपने मोर्चे से सिर्फ 20 गज की दूरी पर करवाई। राणियां की रक्षात्मक लड़ाई में जो सफलता मिली उसमें उनके अथक, दृढ़ और दिलेर प्रयासों का बड़ा हाथ रहा।

इस कार्यवाही में कैप्टन हरबन्त सिंह कहलों ने उच्चकोटि की वीरता, पहलशक्ति, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

71. कैप्टन गोपा कुमार रामन पिल्ले (आई० सी०21975)
मद्रास रेजिमेंट

कैप्टन गोपा कुमार रामन पिल्ले ने कार्मिकों के एक मिले जुले समूह को अपनी असीमित शक्ति, उत्साह और कठिन परिश्रम से एक प्रभावकारी और बहुत ही उद्देश्यपूरक दल के रूप में गठित किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के खिलाफ कई साहसिक और तेज किस्म की कार्यवाहियों में अपने दल की सफलतापूर्वक कमान की। इन कार्यवाहियों में से एक कार्यवाही में शत्रु के एक मजबूत मोर्चाबंदी ठिकाने पर अधिकार करना भी है।

आद्योपान्त कैप्टन गोपा कुमार रामन पिल्ले ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-संकल्प और नेतृत्व का परिचय दिया।

72. कैप्टन रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी (आई० सी०-23198)
आर्टिलरी रेजिमेंट

कैप्टन रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं के दौरान पूर्वी क्षेत्र में पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन के अग्रिम प्रेक्षक अफसर थे। इस बटालियन को हमारे मोर्चों पर गोलाबारी करने और जानी नुक्सान पहुंचाने वाली शत्रु की गनों पर गोलीबारी का आदेश दिया गया था। इससे पहले कि यह अफसर शत्रु की गनों पर गोलाबारी करवा सकता, उन्होंने देखा कि उनकी प्रेक्षण चौकी से केवल 200 मीटर के फासले पर शत्रु के टैंकों का एक स्क्वाड्रन और इन्फैन्ट्री हमारे मोर्चों पर हमला करने के लिए इकट्ठा हो रही है। अपनी सुरक्षा की परवाह न करके उन्होंने शत्रु पर अपने तोपखाने से भारी गोलाबारी करवाई और इस प्रकार शत्रु की इन्फैन्ट्री और टैंकों को भारी नुक्सान पहुंचाते हुए उसके हमले को पूर्णतया छिन्न-भिन्न कर दिया। शत्रु के एक टैंक के स्वचालित गोलीबारी से इनकी टांग घायल हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे शत्रु से तब तक जूझते रहे जब तक उसका हमला विफल न कर दिया गया। अपने अड्डे को लौटते समय खून ज्यादा निकल जाने के कारण वे बेहोश होकर गिर पड़े।

इस कार्यवाही के दौरान कैप्टन रघुनाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

73. कैप्टेन जितेन्द्र कुमार (आई० सी०-19997)
आर्टिलरी रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

5-6 दिसम्बर, 1971 की रात को डेराबाबा नानक क्षेत्र पर प्रहार करने वाली डोगरा रेजिमेन्ट की एक बटालियन की अग्रिम कम्पनी के कैप्टेन जितेन्द्र कुमार अग्रिम प्रेक्षक अफसर थे। हमले के बहुत से दौरों में वे अगले सैनिक दलों के साथ रहे और उन्हें प्रभावकारी गोलीबारी से सहायता दिलाते रहे। लक्ष्य पर कब्जा कर लेने के बाद वे अग्रिम चौकियों से गोलाबारी करवाते रहे तथा 6 और 8 दिसम्बर के बीच शत्रु के अनेक जवाबी हमलों को विफल बना कर उसे भारी जानी नुक्सान पहुंचाया। बिना आराम के वे तब तक अपनी ड्यूटी पर जमे रहे, जब तक 8 दिसम्बर, 1971 को वे गोलाबारी से घायल न हो गए और उन्हें वहां से हटा न लिया गया।

आद्योपान्त कैप्टेन जितेन्द्र कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

74. कैप्टेन बनचित्तेतिल ओम्मन चैरियन (एस० एस०-20567)
आर्टिलरी

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

कैप्टेन बनचित्तेतिल ओम्मन चेरियन मराठा लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन की एक कम्पनी के साथ प्रेक्षक चौकी अफसर थे जो पश्चिमी क्षेत्र में तैनात थी। 9 दिसम्बर को लगभग 12.30 बजे कम्पनी की चौकी पर शत्रु ने अधिक संख्या में हमला किया और इस पर तोपखाने और मझोली मणीन गनों से भारी गोलाबारी की। शत्रु ने तोपखाने की भारी गोलाबारी की ओट में एक और हमला किया। अपनी सुरक्षा की तनिक भी परवाह न करते हुए कैप्टन बनचित्तेतिल ओम्मन चैरियन रैंग कर आगे बढ़े और एक प्रेक्षक चौकी पर आ गए। वहां से इन्होंने हमला करने वाले शत्रु पर सही गोलाबारी करवाई और हमले को विफल बना दिया। शत्रु ने और ज्यादा तादाद में एक और जवाबी हमला किया और कैप्टन बनचित्तेतिल ओम्मन चैरियन ने घायल होने के बावजूद फिर से शत्रु पर भारी और सही गोलीबारी करवाई इस तरह हमले को विफल कर दिया।

आद्योपान्त कैप्टेन बनचित्तेतिल ओम्मन चैरियन ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

75. एक्टिंग कैप्टेन नवल सिंह रजावत (आई० सी०-19010)
राजपूत रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

कैप्टेन नवल सिंह रजावत राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन की कमांडो कम्पनी के कम्पनी कमांडर थे। 5/6 दिसम्बर, 1971

की रात के 6 बजे डेरा बाबा नानक पुल के पार एक ठिकाने पर कब्जा करने के लिए भेजी गई अपनी कम्पनी की कमान उन्होंने की। इस ठिकाने पर कब्जा करने के लिए शत्रु के इलाके में बहुत भीतर जाना पड़ता था। कैप्टेन नवल सिंह रजावत अपनी कम्पनी के साथ शत्रु के इलाके में सफलता पूर्वक घुस गए और उन्होंने शत्रु के ठिकानों पर हमला किया। प्रहार के दौरान शत्रु ने तोपखाने समेत सभी किस्म के हथियारों से भारी गोलाबारी की लेकिन वे अडिग रहे। अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने लक्ष्य पर हमले में अपने जवानों का नेतृत्व किया और शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचा कर ठिकाने पर कब्जा कर लिया।

इस कार्यवाही के दौरान कैप्टन नवल सिंह रजावत ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

76. कैप्टेन इनायत अलताफ यूसुफजी (आई० सी०-15992)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

8 दिसम्बर, 1971 को राजस्थान क्षेत्र में लड़ाई के दौरान कैप्टन इनायत अलताफ यूसुफजी ने शत्रु के जमाव क्षेत्रों का पता लगाने और वहां बममारी के लिए प्रेक्षण विमान से चार उड़ानें कीं। उनके हवाई जहाज में गोलियों से बहुत से सूराख हो गए थे, लेकिन वे हवा में रह कर अपने तोपखाने से गोलाबारी करवाते रहे। वे जब इस कार्यवाही में लगे हुए थे तभी उन्होंने देखा कि शत्रु के 6 लड़ाकू जहाज इनकी तरफ आ रहे हैं। कार्यवाही को बीच में रोक कर इन्होंने उच्चकोटि के वायुयान चालन और उड़ान दक्षता दिखाते हुए शत्रु के जहाजों से बच कर उड़ान की और शत्रु के ठिकानों पर फिर से बमबारी करने के लिए लौट गए। गोलियों से सूराख होने की वजह से उनके जहाज की चादर धीरे-धीरे फट रही थी और उड़ान यन्त्रों को दबाने पर बहुत धीमी प्रतिक्रिया होती थी। इस खतरे के बावजूद वे तब तक बममारी करते रहे, जब तक शत्रु शान्त न हो गया और इसके बाद वे अपने जहाज को अड्डे पर सुरक्षित लौटा लाए।

इस कार्यवाही के दौरान कैप्टन इनायत अलताफ यूसुफजी ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

77. कैप्टन पन्नीकोटे माधवन (आई० सी०-20198)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन पन्नीकोटे माधवन को राजस्थान क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु के मोर्चों का पता लगाने का आदेश दिया गया। शत्रु के इलाके में बहुत भीतर तक नीचे उड़ान करते हुए उनके हवाई जहाज पर शत्रु की एक मशीनगन से गोलियों की बौछार पड़ी, जिससे जहाज का वितान छितरा गया और उठाऊ-नियन्त्रक भी खराब हो गया। जहाज के बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने के बावजूद उन्होंने शत्रु के ठिकाने का निकट से प्रेक्षण करने के लिए युक्ति से उड़ान भरी और कीमती जानकारी पीछे भेजी। इससे आगे बढ़ते हुए हमारे सैन्यदल शत्रु के ठिकाने पर तुरन्त और सफलता से हमला कर सके। इस बीच उनके जहाज के इंजन में गड़बड़ी पैदा हो गई और उसकी उड़ान शक्ति खत्म होने लगी। बड़ी सूझ-बूझ के साथ उन्होंने कुशलतापूर्वक जहाज का संचालन किया और उन्होंने अपने क्षेत्र में ही एक दूसरी अवतरण-पट्टी पर जहाज को सुरक्षित उतार दिया।

इस कार्यवाही में कैप्टन पन्नीकोटे माधवन ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और उड़ान कौशल का परिचय दिया।

78. कैप्टन रवीन्द्रनाथ सेन गुप्ता (आई० सी०-20475)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसम्बर, 1971)

15 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन रवीन्द्रनाथ सेन गुप्ता सिख लाइट इंफैन्ट्री की एक बटालियन के सबसे आगे चलने वाले उन सैन्यदलों के साथ अग्रिम प्रेक्षण अफसर के रूप में थे, जिन्हें राजस्थान क्षेत्र में शत्रु के दो ठिकानों पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। लक्ष्यों पर हमले के दौरान कैप्टन रवीन्द्रनाथ सेन गुप्ता और उनके दल पर लगातार भारी गोलाबारी और छोटे हथियार से गोली चलाई जा रही थी। दूसरे लक्ष्य पर कब्जा कर लेने के बाद शत्रु ने बहुत भारी तादाद में टैंकों की मदद से जवाबी हमला किया और ठिकाने पर तोपखाने से जबरदस्त गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की जरा परवाह न करते हुए इन्होंने अडिग रह कर शत्रु के प्रहार को तितर-बितर करने के लिए अपने तोपखाने से सही गोलाबारी करवाई। यद्यपि शत्रु के एक टैंक की मशीन गन की गोली से वे गम्भीर रूप से घायल हो गए, फिर भी वे अपने तोपखाने की गोला-बारी का निदेशन करते रहे।

इस कार्यवाही में कैप्टन रवीन्द्रनाथ सेन गुप्ता ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

79. कैप्टन सुखवन्त सिंह गिल (आई० सी०-20521)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन सुखवन्त सिंह गिल छम्ब क्षेत्र में सिख रेजिमेंट की एक बटालियन के स्थानापन्न बैटरी कमांडर थे। 3 और 4 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने टैंकों, तोपखाने और मार्टरों की गोलाबारी के साथ हमारे ठिकानों पर जबरदस्त हमले शुरू किए। कैप्टन गिल के तोपखाने की गोलाबारी से सही और कारगर नियन्त्रण के कारण शत्रु भारी तादाद में हताहत हुआ और उसका प्रहार बिफल हो गया।

6 दिसम्बर, 1971 को हमारे जवानों ने जवाबी हमला किया। स्थानापन्न बैटरी कमांडर के कामों के अतिरिक्त कैप्टन गिल ने प्रेक्षण चौकी अफसर का भी काम किया और शत्रु पर तोपखाने से भारी गोलाबारी करवाई। शत्रु के भारी तोपखाने और स्वचालित गोलाबारी के बावजूद, वे प्रेक्षण के लिए बाहर निकल आए और हमला करने वाले जवानों को सही कारगर गोलीबारी की सहायता देने के लिए उन्होंने अपने तोपखाने की गोलाबारी का निदेशन किया, जिससे हमला सफल हुआ।

आद्योपान्त कैप्टन सुखवन्त सिंह गिल ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

80. कैप्टन गुरमीत सिंह पुनिया (आई० सी०-13666)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—14 दिसम्बर, 1971)

शकरगढ़ की ओर हमले के दौरान कैप्टन गुरमीत सिंह पुनिया को शत्रु के मोर्चों के भीतर दूर तक लक्ष्यों को ढूंढने का आदेश मिला। अपने ऊपर शत्रु के छोटे हथियारों और तोपखाने की विमान भेदी गोलाबारी के बावजूद वे उड़ान भरते रहे और शत्रु के लक्ष्यों पर अपने तोपखाने से गोलीबारी करवाते रहे। इस कार्यवाही के दौरान उन्होंने इलाके में शत्रु के तीन सैबर जहाज उड़ते हुए देखे। वे बिना झिझके अपना काम पूरा करने के लिए उड़ान भरते रहे। जब शत्रु के हवाई जहाजों ने हमला किया तो उन्होंने इस हवाई हमले की शुरू में ही बेकार करने में बड़ी सूझबूझ और उड़ान-कौशल का परिचय दिया। शत्रु ने अन्त में उनके हवाई जहाज पर गोला मारा। हालांकि जहाज बुरी तरह जल रहा था फिर भी वे उसे संभाले रहे और जैसे तैसे जमीन पर उतार कर उसमें से बाहर निकले।

इस कार्यवाही में कैप्टन गुरमीत सिंह पुनिया ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और उड़ान-कौशल का परिचय दिया।

81. कैप्टन भरत चन्द्र पाठक (एस० एस०-20520)
आर्टिलरी रेजिमेंट

कैप्टन भरत चन्द्र पाठक पश्चिमी क्षेत्र में संक्रियाओं के दौरान एक इंफैन्ट्री बटालियन में अग्रिम प्रेक्षक अफसर थे। वे शत्रु पर कारगर और सही गोलाबारी करवाने के खातिर प्रेक्षण के लिए शत्रु की भारी गोलाबारी के बीच खुले में चले गए, जिसके कारण बटालियन के सभी हमले सफल हुए। आगे चल कर पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में शत्रु की गनों को शान्त करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। बाद में, बटालियन के कमांडो प्लाटून के साथ रह कर उन्होंने तोपखाने की कारगर गोलाबारी करवाई।

आद्योपान्त कैप्टन भरत चन्द्र पाठक ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

82. कैप्टन नायक बालाकृष्ण रामचन्द्रा (आई० सी०-16103)
आर्टिलरी रेजिमेंट

कैप्टन नायक बालाकृष्ण रामचन्द्रा एक ऐसी इंफैन्ट्री बटालियन के बैटरी कमांडर थे जिसे पूर्वी क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। अभी बटालियन हमले के लिए जमा हो ही रही थी कि शत्रु ने तोपखाने की सही गोलाबारी और नजदीकी परास से मशीन गनों से गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी जिससे हमारे बहुत से जवान हताहत हो गए। बिना डरे और अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए कैप्टन नायक बालाकृष्ण रामचन्द्रा आगे बढ़ कर ऐसे मौके की जगह पहुंच गए जहां से उन्हें शत्रु की दो भारी मशीन गन चौकियों का पता चल गया। उन्होंने शत्रु पर तोपखाने की कारगर गोलाबारी करवाई और इस तरह हमलावर सैनिक लक्ष्य पर अधिकार करने में सफल हो गये।

इस कार्यवाही में कैप्टन नायक बालाकृष्ण रामचन्द्रा ने उच्च-कोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

83. कैप्टन नागुलपल्ली नरसिंग राव (एम० आर०-2646)
आर्मी मैडिकल कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन नागुलपल्ली नरसिंग राव, पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान, ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन के रेजिमेंट मैडिकल अफसर थे। 10/11 दिसम्बर की रात को उनकी बटालियन ने शत्रु के इलाके पर हमला कर दिया और उसके एक गढ़ पर कब्जा कर लिया। यह एक मजबूत किलाबन्द मोर्चा था और इसके बचाव के लिए शत्रु ने 800 गज तक सुरंगें बिछा रखी थीं इस कारण हमारे प्रहारक सैन्य दल को भारी जानी नुकसान पहुंचा। कैप्टन नागुलपल्ली नरसिंग राव, भारी गोलाबारी के बावजूद घायल जवानों को डाक्टरी सहायता देने के लिए लक्ष्य पर गए। ये एक-एक घायल जवान के पास गए और उनकी मरहम-पट्टी की। यहां तक कि, जब शत्रु ने जवाबी हमला कर दिया तब भी ये अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना हताहतों की मरहम-पट्टी करते रहे और जब तक सभी हताहतों को हटा नहीं दिया गया तब तक वहीं मौजूद रहे।

आद्योपान्त कैप्टन नागुलपल्ली नरसिंग राव ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

84. कैप्टन धीरेश कुमार शर्मा (आई० सी०-21354)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन धीरेश कुमार शर्मा को हुसैनीवाला क्षेत्र में पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन के साथ प्रेक्षण चौकी अफसर के तौर पर तैनात किया गया था। 3 दिसम्बर, 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने उनके मोर्चों पर स्वचालित हथियारों से गोली चलाना शुरू कर दिया और बड़ी मात्रा में गोलाबारी की, इसके अलावा शत्रु ने प्रेक्षण चौकी पर रिकायललैस गनों और तोपखाने से भी गोलाबारी की। शत्रु की भारी गोलाबारी की तनिक परवाह न करके वे तब तक शत्रु के लक्ष्यों पर गोलाबारी करवाते रहे, जब तक शत्रु के टैंक के गोलों से उनकी चौकी नष्ट नहीं हो गई। धैर्य और दृढ़-निश्चय का परिचय देते हुए उन्होंने अपने दल के सदस्यों को मलबे के भीतर से निकाला और पास ही एक और प्रेक्षण चौकी कायम की। ऐसा करने से 3 या 4 दिसम्बर को शत्रु हमारे ठिकानों पर बार-बार किए गए हमलों का जोर कम करने के लिए समय-समय पर तोपखाने की सहायता की जा सकी।

इस कार्यवाही के दौरान कैप्टन धीरेश कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

85. कैप्टन सुरजीत सिंह (आई० सी०-23708)
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन सुरजीन सिंह पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात पैराशूट रेजिमेंट की एक बटालियन के मध्योली मशीनगन प्लाटून कमांडर थे। जब ये अभी एक अगले सैक्शन के साथ थे तो शत्रु के एक सैक्शन ने गोली चलाना शुरू कर दिया। अपनी जान की जरा भी परवाह

न करते हुए कैप्टन सुरजीत सिंह शत्रु पर लपके और उसके एक सिपाही को गोली मारी और दूसरे के संगीन घोंपी। उनकी इस कार्यवाही से शत्रु का सैक्शन यूं घबरा गया कि उसने हथियार डाल दिए।

इस कार्यवाही में कैप्टन सुरजीत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया।

86. कैप्टन मदन लाल शर्मा (एस० एस०-19515)
लाइट रेजिमेंट (पैक)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन मदन लाल शर्मा पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर किए गए हमले के दौरान अगली कम्पनी के अगले प्रेक्षक अधिकारी थे। हमलावर कम्पनी के नजदीक पहुंचने ही शत्रु ने स्वचालित और छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। कन्धे और पेट पर मशीनगन की गोलियों की बौछार लगने से कैप्टन मदन लाल शर्मा बुरी तरह घायल हो गए। अपने घावों की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने शत्रु पर तोपखाने से सही और सकेन्द्रित गोलाबारी करवाई। यद्यपि उनके घावों से बुरी तरह खून बह रहा था पर फिर भी वे तब तक कम्पनी के साथ रहे जब तक लक्ष्य पर कब्जा न कर लिया गया।

इस कार्यवाही में कैप्टन मदन लाल शर्मा ने उच्चकोटि की वीरता दृढ़-निश्चय, नेतृत्व और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

87. कैप्टन चन्द्र कान्त (एम० आर०-8580)
आर्मी मैडिकल कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—14 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन चन्द्रकान्त शकरगढ़ क्षेत्र के एक इलाके में कार्यवाही करने वाले इंफैन्ट्री ब्रिगेड के साथ थे। 10 दिसम्बर, 1971 को शत्रु से हुई झड़प के दौरान एक इंफैन्ट्री कम्पनी के कुछ जवान हताहत हो गए। कैप्टन चन्द्रकान्त को हताहतों को तेजी से निकाल लाने के काम पर लगाया गया। यद्यपि उस इलाके में तेज गोलाबारी हो रही थी फिर भी अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए कैप्टन चन्द्र कान्त हताहतों तक पहुंचे और उनका प्रथम उपचार (फस्ट-एड) करके उन्हें वापिस ले आए और इस तरह उनका जान बचाई। 14 दिसम्बर, 1971 को उन्हें फिर हताहतों को निकाल लाने के काम पर लगाया गया। उन्होंने बड़ी फुर्ती से यह काम पूरा किया।

आद्योपान्त कैप्टन चन्द्र कान्त ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

88. कैप्टन विक्रम देऊसकर (एस० एस०-20902)
इन्डिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन विक्रम देऊसकर उस इन्डिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन के सैकिण्ड-इन-कमान थे जो राजस्थान क्षेत्र में तैनात सिख लाइट इन्फैन्ट्री बटालियन की मदद कर रही थी। 15 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन देऊसकर ने एक इलाके पर अधिकार करने में बटालियन को गोलाबारी में मदद दी। उनके टैंकों ने दुश्मन की दो रिकायललैस गनें तबाह की। जब दुश्मन का एक हवाई प्रेक्षण वायुयान उनके ऊपर आ गया तो उन्होंने अपनी मशीनगन से गोला चला कर उसे दूर भगा दिया और वह इनके सैनिकों पर तोपखाने से गोलाबारी न करवा सका। 16 दिसम्बर, 1971 को अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए ये दुश्मन से 800 गज दूर ऊंची जमीन पर स्थित ऐसे सुरंग क्षेत्र से टैंक निकाल ले गये जहां से थोड़ी सी ही सुरंगें निकाली गई थीं। इस तरह टैंक ठीक स्थान में पहुंच गया और उन्होंने दुश्मन की मझोली मशीनगनों पर गोलाबारी की और इस संक्रिया में दुश्मन का सफाया कर दिया।

आद्योपान्त, कैप्टन विक्रम देऊसकर ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

89. कैप्टन लारा जयाराम रेड्डी (आई० सी०-20990)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन इराला जयाराम रेड्डी राजस्थान क्षेत्र में एक इलाके पर किये गये हमले के दौरान सिख रेजिमेंट की एक बटालियन की अगली कम्पनी के अग्रिम प्रेक्षक अधिकारी थे। हमले के दौरान उन्होंने दुश्मन पर तेज और सही गोलाबारी करवाई। इससे लक्ष्य पर अधिकार करने में बड़ी मदद मिली। लक्ष्य पर अधिकार कर लेने के बाद उन्होंने पीछे हटते दुश्मन पर तोपखाने की तेज गोलाबारी करवाई जिससे उसके बहुत से जवान हताहत हुए। एक और हमले के दौरान कैप्टन रेड्डी स्वेच्छा से अगली कम्पनी के साथ गये और तोपखाने की गोलाबारी का बहुत अच्छा नियन्त्रण करके दुश्मन के हथियारों को पूरी तरह बेकार बना दिया। लक्ष्य पर अधिकार हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि दुश्मन जवाबी हमले के लिये इकट्ठा हो रहा है। दुश्मन के तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी का सामना करते हुए कैप्टन इराला जयाराम रेड्डी ने तुरन्त सही गोलाबारी करवा कर दुश्मन के हमले को छिन्न-भिन्न कर दिया।

आद्योपान्त कैप्टन इराला जयाराम रेड्डी ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

90. कैप्टन नरेश कुमार परमार (एम० एस०-8542)
आर्मी मैडिकल कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन नरेश कुमार परमार राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन के ठिकाने पर हमला करते समय सिख रेजिमैन्ट की एक बटालियन के साथ रेजिमैन्टल मैडिकल अफसर थे। तोपखाने की भारी गोलाबारी और सुरंग फटने के कारण इस बटालियन के काफी जवान हताहत हो गये। कैप्टन नरेश कुमार परमार चार स्ट्रेचर वाहकों के साथ इस सुरंग क्षेत्र के इलाके में गए और दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच अपने घायल जवानों को बचाने के लिए इलाज किया, जिससे बहुतों की जान बच सकी। पौ फटने पर उन्होंने देखा कि एक सिपाही सुरंग में पड़ा है और उसका एक टखना उड़ गया है। ऐसा जान पड़ता था कि जब तक कोई बचाव गलियारा न बना दिया जाये, तब तक उसे सुरंग क्षेत्र से नहीं निकाला जा सकता। कैप्टेन नरेश कुमार परमार, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना सुरंग क्षेत्र में उस घायल जवान के पास पहुंचे और तोप खाने की घनी गोलाबारी के बीच उसे अपनी पीठ पर उठाकर रेजिमेंटल

उपचार चौकी पर ले आए। इस कार्रवाई से सुरंग क्षेत्र में पड़े हुए सभी हताहतों को वापिस लाने में दूसरे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिली।

इस कार्रवाई में कैप्टन नरेश कुमार परमार ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

91. कैप्टन राजेंद्र सिंह विजय सिंह वाफले (एस० एस०-19786)
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर 1971)

कैप्टन राजेंद्र सिंह विजय सिंह दाफले को, एक प्लाटून की मदद से, 10/11 दिसम्बर, 1971 की रात में पूर्वी क्षेत्र के किसी स्थान में सड़क-रोक लगाने का आदेश दिया गया था। दुश्मन ने सड़क-रोक को तोड़ कर आगे बढ़ने की कोशिश में भारी संख्या में हमला कर दिया। कैप्टन राजेंद्र सिंह विजय सिंह दाफले के योग्य नेतृत्व में उनकी प्लाटून ने दुश्मन को भारी जानी नुक्सान पहुंचाते हुए उसके हमले को विफल कर दिया। दुश्मन ने इनकी प्लाटून को हटाने के लिए विभिन्न दिशाओं से कई बार हमला किया। भारी तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद कैप्टन दाफले एक खाई से दूसरी खाई में गये और मोर्चे पर डटे रहने के लिये अपने जवानों में जोश भरा।

इस कार्रवाई में कैप्टन राजेन्द्र सिंह विजय सिंह दाफले ने उच्च-कोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

92. कैप्टन रविन्द्र नाथ आनन्द (आई० सी०-18742)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसम्बर, 1971)

15 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन रविंद्र नाथ आनन्द एक इन्फैन्ट्री कम्पनी के साथ अग्र प्रेक्षण चौकी अफसर के तौर पर कार्य कर रहे थे, जिसे शकरगढ़ क्षेत्र में एक मोर्चे पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। हमले के दौरान शत्रु ने तोपखाने और मशीनगन से भारी और सही गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए कैप्टन रविंद्र नाथ आनन्द ने अपने दल को इन्फैन्ट्री के साथ साथ रखा और अपने तोपखाने से शत्रु के ठिकानों पर गोलाबारी की। लक्ष्य से लगभग 200 गज के फासले पर उनके पेट में गोली लगी और उनके दोनों रेडियो आपरेटर भी घायल हो गए। उन्होंने आपरेटर से रेडियो सैट ले लिया और अपने तोपखाने से शत्रु पर गोलाबारी जारी रखी। लक्ष्य पर अधिकार कर लेने के फौरन बाद शत्रु ने जवाबी हमला कर दिया। अपने घावों के बाय-जूद वे शत्रु की गोलाबारी के सामने खुले में आये और अपने तोप-खाने से उसपर गोलीबारी करवाते रहे, जिससे शत्रु का हमला छिन्न-भिन्न किया गया।

इस कार्रवाई के दौरान कैप्टन रविंद्र नाथ आनन्द ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

93. कैप्टन गोपालन लक्ष्मी नारायण स्वामी (एम० एस०-8733)
आर्मी मैडिकल कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

कैप्टन गोपालनलक्ष्मी नारायण स्वामी शकरगढ़ क्षेत्र के एक स्थान में अग्रिम मरहम पट्टी स्टेशन के अफसर-इन-चार्ज थे। 16 दिसम्बर, 1971 को उन्हें सूचना मिली कि इन्फैन्ट्री बटालियन के कमांडिंग अफसर और रेजिमेंट चिकित्सा अफसर शत्रु की कार्रवाई से शहीद हो गये हैं और फील्ड में 67 सैनिक बिना देखभाल के पड़े हैं। उन्होंने फौरन ही बटालियन के ठिकाने पर पहुंचने के लिए अपने आपको पेश किया। शत्रु की जबरदस्त गोलाबारी की वजह से उन्हें अपनी अम्बुलैंस गाड़ी रास्ते में ही छोड़नी पड़ी। लेकिन बिना झिझके वे अपना शल्य-चिकित्सा का थैला उठाकर पैदल ही चल पड़े और बटालियन के ठिकाने पर जा पहुंचे। शत्रु के तोपखाने और छोटे हथियारों की गोलाबारी के बावजूद वे बिना आराम किये खाई-खाई में जाकर हताहतों की तब तक चिकित्सा करते रहे, जब तक सभी हताहतों को चिकित्सा सहायता न दे दी गई और अग्रिम मरहम पट्टी स्टेशन तक उनकी निकासी न कर दी गई।

इस कार्रवाई के दौरान कैप्टन गोपालनलक्ष्मी नारायण स्वामी ने उच्चकोटि की वीरता और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

94. कैप्टन देवेन्द्र सिंह राजपूत (एस० एस०-20705)
राजपूत रेजिमेंट

कैप्टन देवेन्द्र सिंह राजपूत, राजपूत रेजमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। उन्हें पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु के तोपखाने के ठिकाने पर छापा मारने का काम सौंपा गया था। कैप्टन देवेन्द्र सिंह राजपूत के नेतृत्व में जब अगली प्लाटून अगले बंकरों पर पहुंची तो शत्रु ने छोटे हथियारों से भारी मात्रा में गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह न करते हुए कैप्टन देवेन्द्र सिंह राजपूत ने हमले में अपनी प्लाटून का नेतृत्व किया और शत्रु से गुत्थमगुत्था की लड़ाई लड़ी। उनकी हिम्मत से प्रेरणा लेकर प्लाटून शत्रु की मशीनगन चौकियों का सफाया करने में सफल हुई। दांई जांघ पर चोट लग जाने के बावजूद वे संक्रिया का तब तक निर्देश करते रहे, जब तक हमले में उन्हें सफलता न मिल गई।

इस कार्रवाई के दौरान कैप्टन देवेन्द्र सिंह राजपूत ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

95. कैप्टन सतीश कुमार वशिष्ट (आई० सी०-23301)
राजपूत रैजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 की सुबह कैप्टन सतीश कुमार वशिष्ट एक गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसे इसकी पुष्टि करने का काम सौंपा गया था कि दुश्मन सीमा की बाहरी चौकी को खाली कर गया है या नहीं। जब उनका गश्ती दल बाहरी चौकी के मोर्चों से लगभग 30 गज दूर था, दुश्मन ने स्वचालित शस्त्रों से गश्तीदल पर गोली चलानी शुरू कर दी। कैप्टन सतीश कुमार वशिष्ट ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना दुश्मन की मझोली मशीनगन बंकर पर हमला किया और उसे शान्त कर दिया। इसके पश्चात वे हल्की मशीनगन बंकर की तरफ लपके परन्तु इसी बीच सुरंग पर पड़ने से उनका पैर जाता रहा। हालांकि ये गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, फिर भी ये अपने जवानों को बंकर पर हमला करने और हल्की मशीनगन को शान्त करने के लिए जोश दिलाते रहे। उनके निजी उदाहरण से प्रेरित होकर उनके जवानों ने मशीनगन बंकर को नष्ट कर दिया और चौकी पर अधिकार कर लिया।

इस कार्रवाई में, कैप्टन सतीश कुमार वशिष्ट ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

96. कैप्टन सुरजीत सिंह परमार (एस० एस०-21614)
आर्टिलरी रैजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर 1971)

13 दिसम्बर, 1971 को कैप्टन सुरजीत सिंह परमार 11वीं गोरखा राइफल की बटालियन की एक कम्पनी के साथ प्रेक्षण चौकी अफसर थे। इस कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र के एक इलाके में दुश्मन के मोर्चों पर हमला करने का काम सौंपा गया। हमला जारी ही था कि दुश्मन ने मझोली मशीनगनों और तोपखाने से सही तथा कारगर गोलाबारी शुरू कर दी। प्रहार के दौरान उनका रेडियो आपरेटर घायल हो गया। इससे बिना डरे, उन्होंने रेडियो सैट सम्भाला और इसे खुद लेकर अपने तोपखाने की गोलाबारी का बड़े कारगर ढंग से निर्देशन किया। हालांकि उनकी बाजू में गोली और गर्दन में किर्च लग चुकी थी, मगर जब तक लक्ष्य पर अधिकार न कर लिया तब तक वे अपने जवानों के साथ रहे।

इस कार्रवाई में, कैप्टन सुरजीत सिंह परमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

97. लैफ्टिनैन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा (एस० एस०-23011)
राजपूत रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 दिसम्बर, 1971)

लैफ्टिनैन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे। 10 दिसम्बर, 1971 को उनकी प्लाटून को स्यालकोट क्षेत्र के एक इलाके में दुश्मन की एक चौकी पर छापा मारने का काम सौंपा गया था। उन्होंने असाधारण कुशलता और योग्यता से छापा मारने की योजना बनाई, संगठन किया और उसे कार्यान्वित किया। छापे के दौरान जब दुश्मन ने दो मझोली मशीन-गनों से गोलाबारी शुरू कर दी तो अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए लैफ्टिनैन्ट सुरेश चन्द्र शर्मा ने मझोली मशीनगन के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया और मझोली मशीनगन को हथिया लिया।

इस कार्रवाई में लैफ्टिनेंट सुरेश चन्द्र शर्मा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय, नेतृत्व और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

98. लैफ्टिनैन्ट राजविंदर सिंह चीमा (आई० सी०-23379)
आर्मर्ड रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि, 6 दिसम्बर, 1971)

6 दिसम्बर, 1971 को लैफ्टिनेंट राजविंदर सिंह चीमा ने पश्चिमी क्षेत्र में कुछ इलाकों पर अधिकार करने के लिए अपने सैन्यदलों का नेतृत्व किया। एक बांध पार करने में उन्होंने बहुत ही दक्षता और मजबूत इरादे से काम लिया और दुश्मन के भारी गोलाबारी के बावजूद उसके बंकरों में हथगोले फैंके तथा इस प्रकार दुश्मन की एक चौकी पर अधिकार कर दिया। रात को बाकी सेना से सम्पर्क टूट जाने पर भी वे अपने मोर्चे पर डटे रहे और उन्होंने दुश्मन के जवाबी हमलों को विफल कर दिया।

इस कार्रवाई के दौरान लैफ्टिनेंट राजविंदर सिंह चीमा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

99. लैफ्टिनैन्ट तजिन्द्र पाल त्यागी (आई० सी०-25375)
इंजीनियर्स कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

8 दिसम्बर, 1971 को लैफ्टिनैन्ट तजिन्द्र पाल त्यागी को पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में टैंकों को पार उतारने के लिये एक नहर पर काम-चलाऊ पुल बनाने का काम सौंपा गया था। जब उनकी प्लाटून पुल से 100 गज की दूरी पर रह गई तो वह शत्रु की गोलाबारी के सामने आ गई जिसके कारण अगली गाड़ी को आग लग गई और चार सैपर बुरी तरह घायल हो गये। लैफ्टिनैन्ट तजिन्द्र पाल त्यागी लगभग 500 गज तक पीछे की ओर रेंग कर सबसे नजदीक वाले टैंक तक गये और उसके स्क्वाड्रन कमाण्डर से सम्पर्क स्थापित किया और अपनी प्लाटून के घायल जवानों को निकाल लाने में उसकी मदद मांगी। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए वे फिर रेंगते हुए हताहतों की तरफ बढ़े और उन्हें सही सलामत वापिस लाने में सफल हो गये।

इस कार्रवाई में, लैफ्टिनैन्ट तजिन्द्र पाल त्यागी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

100. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट प्रकाश चन्द्र सिंह खाती (एस० एस०-24278)
गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

सैकण्ड लैफ्टिनेंट प्रकाश चन्द्र सिंह खाती, 1ली गोरखा राइफल्स की एक बटालियन में प्लाटून कमाण्डर थे। उनकी बटालियन छम्ब क्षेत्र में एक चौकी की रक्षार्थ तैनात थी। 3 दिसम्बर, 1971 की रात को उनकी प्लाटून के इलाके पर दुश्मन ने अचूक और भारी तोपखाने से लगातार तीन बार कम्पनी की तादात में हमला किया। वे एक बंकर से दूसरे बंकर में गये और हमले को विफल बना दिया। 4 दिसम्बर, 1971 को, उनकी प्लाटून के ठिकानों पर दुश्मन ने पुनः चार बार हमले किये। उनकी प्लाटून ने सब हमले विफल कर दिए और दुश्मन को भारी नुक्सान पहुंचाया। दुश्मन ने फिर 5 और 6 दिसम्बर, 1971 को इस इलाके पर अधिकार करने की नीयत से इन्फैन्ट्री और बख्तर की मदद से हमला किया लेकिन उसे भारी जानी-नुक्सान पहुंचा कर, पीछे धकेल दिया गया।

आद्योपान्त, सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट प्रकाश चन्द्र सिंह खाती ने सराहनीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया।

101. सैकण्ड लेफ्टिनेंट रूपिंदर सिंह संधू (एस० एस०-23317)
कुमाऊं रेजिमैंट

सैकण्ड लैफ्टिनैंट रूपिंदर सिंह संधू, कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन में प्लाटून कमाण्डर थे। उनकी कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। बंकर में लगी दुश्मन की एक हल्की मशीनगन, हमले के आगे बढ़ने में रुकावट डाल रही थी और हमारे जवानों को भारी जानी नुक्सान पहुंचा रही थी। हल्की मशीनगन को बेअसर करने के लिए, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना वे बंकर तक रेंग कर बढ़ने लगे। इस दौरान दुश्मन के फेंके गये एक हथगोले का किर्च उनकी

छाती में आ गया। इसके बावजूद भी वे बंकर तक पहुंच गये और उसमें हथगोला फेंककर हल्की मशीनगन को बर्बाद कर दिया। उनकी इस कार्रवाई की वजह ही से, उनकी कम्पनी दुश्मन की चौकी पर अधिकार करने में सफल हो सकी।

इस कार्रवाई के दौरान, सैकण्ड लैफ्टिनेंट रूपिंदर सिंह मधू ने, उच्चकोटि के साहस, पहलशक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

102. सैकण्ड लैफ्टिनेंट गुरजीत सिंह बजवा (एस० एस०-228442)
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

9 दिसम्बर, 1971 को सैकण्ड लैफ्टिनेंट गुरजीत सिंह बजवा, राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन की सीमा चौकी पर हमला करते समय कुमाऊ रेजीमेंट की एक बटालियन से अग्रवर्ती प्रेक्षक अफसर के रूप में संबद्ध थे। हमले के दौरान दुश्मन ने हमारी टुकड़ियों पर स्वचालित हथियारों से लगातार और सही गोलीबारी की और भारी नुकसान पहुंचाया। अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना और छोटे हथियारों और तोपखाने की भारी गोलाबारी के बावजूद सैकण्ड लैफ्टिनेंट गुरजीत सिंह बजवा दुश्मन के इलाके पर बराबर तोपखाने की सही गोलाबारी करते रहे। जिससे संक्रियाओं के कामयाब होने में मदद मिली।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट गुरजीत सिंह बजवा ने उच्चकोटि की वीरता, और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

103. सैकण्ड लफ्टिनेन्ट बलजीत सिंह गिल (आई० सी०-24758)
जाट रेजिमेंट

सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट बलजीत सिंह गिल पूर्वी क्षेत्र में घात लगाने के लिए तैनात किए गए एक दल के इंचार्ज थे। उन्होंने रात के समय अपने दल का नेतृत्व किया और कुशल सैनिक दक्षता से घात लगाई। पौ फटने पर शत्रु की तीन नावें आती दिखाई दीं। सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट बलजीत सिंह गिल ने नावों पर सही और प्रभावकारी गोलीबारी करवा कर उन्हें नष्ट कर दिया। इस घात में शत्रु का एक अफसर और 9 जवान मारे गए।

इस संक्रिया के दौरान सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट बलजीत सिंह गिल ने प्रशंसनीय साहस, व्यावसायिक कौशल और उच्चकोटि के नेतृत्व का परिचय दिया।

104. सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह जसवाल (एस० एस०-22853)
पंजाब रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह जसवाल पश्चिमी क्षेत्र में अपनी बटालियन की एक आवरण चौकी के कमांडर थे। इस चौकी पर शत्रु ने सही और भारी गोलाबारी की और 3/4 दिसम्बर, 1971 की रात को हमला किया। सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह जसवाल ने अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए अपने जवानों को हौसला बढ़ाने के लिए एक चौकी से दूसरी चौकी पर जाते रहे। उन्होंने बहुत अधिक गोलाबारी करके शत्रु के हमले को विफल कर दिया। शत्रु ने इस चौकी पर और दो बार हमले किए, लेकिन दोनों ही मौकों पर सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह जसवाल के नेतृत्व और साहस के कारण हमले विफल कर दिए गए। 5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु की एक मध्यमोर्टी मशीनगन को शान्त करने के लिए इन्होंने एक गश्ती दल का नेतृत्व किया। इस गश्त के दौरान उनकी गर्दन पर मध्यमोर्टी मशीन गन की एक गोली लगी। घायल होने के बावजूद वे अपने साथ के एक घायल नायक को उठा कर ले आए।

आद्योपान्त सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट जोगिन्दर सिंह जसवाल ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

105. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अजीत सिंह (आई० सी०-23772)
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अजीत सिंह ग्रेनेडियर्स की बटालियन में कम्पनी अफसर थे। 4 दिसम्बर, 1971 को जूनियर कमीशंड अफसर के नेतृत्व में भेजा गया, उनकी बटालियन का एक गश्ती दल शत्रु की मशीन गनों की भारी गोलीबारी के बीच आ गया सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अजीत सिंह अपनी प्लाटून के साथ उस जगह से लगभग एक किलोमीटर परे थे, लेकिन गोलीबारी की आवाज सुनकर वे ठिकाने पर दौड़ कर पहुंचे और बहादुरी से लड़ते हुए वे अपने गश्ती दल को सुरक्षित स्थान पर ले आए। इसके बाद 6 दिसम्बर, 1971 को शत्रु के एक मोर्चे पर हमले के दौरान वे एक तीन इंची मार्टर और एक मशीन गन ले कर बाजू की तरफ चले गए और अलग अलग ठिकानों से शत्रु पर गोलाबारी करते हुए उसे परेशान करते रहे। उनकी साहसिक और आक्रामक कार्यवाही से शत्रु मुकाबले में न टिक सका और इस तरह उनसे लक्ष्य पर कब्जा करने में मदद मिली। 14 दिसम्बर, 1971 को एक गश्ती दल के साथ वे शत्रु के पीछे की तरफ घुसपैठ कर गए, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। गश्ती दल के और आगे बढ़ने पर शत्रु की एक बटालियन के मार्टरों और मशीनगनों से इन पर भारी गोलीबारी की। लेकिन वे अपने दल को वहां से निकाल लाने में सफल हुए। ठीक उसी समय हमारी आवरण चौकी पर शत्रु के हमले का भारी दबाव पड़ रहा था। अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए उन्होंने 3 इंची मार्टर और मशीन गन का नियोजन किया और शत्रु पर प्रभावकारी गोलाबारी करके उस भारी जानी नुकसान पहुंचाया।

आद्योपान्त सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अजीत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, पहल-शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया।

106. सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट तुलसियां पुरुषोत्तम (एस० एस०-23082)
गार्ड्स ब्रिगेड

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर, 1971)

13 दिसम्बर, 1971 को सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट तुलसियां पुरुषोत्तम ने शकरगढ़ क्षेत्र में एक नदी के पार शत्रु के मोर्चों का पता लगाने के लिए एक गश्ती दल का नेतृत्व किया। जब वे अपने गश्ती दल के साथ नदी की रेतियों में लगभग 300 गज की दूरी तक ही पहुंचे

तो उनकी नजर परले किनारे में अपनी तरफ बढ़ रहे शत्रु के एक गश्ती दल पर पड़ी। शत्रु का गश्ती दल तीन ग्रुपों में बंटा हुआ था। उनमें से एक ग्रुप सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तुलसियां पुरुषोत्तम की ओर बढ़ रहा था और बाकी के दोनों ग्रुप इस ग्रुप को आड़ देने के लिए नदी के परले किनारे पर ठहर गए थे। सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तुलसियां पुरुषोत्तम ने बेहद सूझ-बूझ दिखाते हुए फौरन ही अपने गश्ती दल को मोर्चा सम्हालने का आदेश दिया और शत्रु के आने वाले गश्ती ग्रुप का इन्तजार किया। जब शत्रु का गश्ती ग्रुप उनके ठिकाने पर पहुंचा तो उन्होंने गोली चलवा करके उसके नौ सैनिक मार डाले। उनके हथियारों और गोलाबारूद पर कब्जा कर लिया और उनसे महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। शत्रु के बाकी सैनिक पीछे लौट गए।

इस कार्यवाही के दौरान सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तुलसियां पुरुषोत्तम ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

107. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट रोहित सेठी (आई० सी०-24323)
9वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट रोहित सेठी 9वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की कमांडो प्लाटून की कमान कर रहे थे और उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में अपनी प्लाटून के हमले का नेतृत्व किया। लक्ष्य के करीब पहुंचते ही शत्रु ने इन पर मशीनगनों से भारी गोलीबारी की। सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट रोहित सेठी तुरन्त शत्रु की चौकी की तरफ लपके और अपनी जान की जरा परवाह न करते हुए वे पिलबाक्स की संचार-खाई में कूद पड़े। वहां से उन्होंने एक हथगोला भीतर उछाला और उसके बाद शत्रु को शान्त करने के लिए संगीन से हमला किया। इसी तरह से उन्होंने दो और पिलबाक्सों और बंकरों का सफाया किया। उनके साहसिक कारनामें से प्रेरित होकर उनकी प्लाटून ने लक्ष्य पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर 6 दिसम्बर, 1971 की रात को शत्रु ने उनके इलाके पर दो जवाबी हमले किए, जिन्हें उन्होंने विफल बना दिया।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट रोहित सेठी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

108. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तेजिंदर सिंह (एम० एम०-22989)
इंजीनियर्स कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

9 दिसम्बर, 1971 की रात सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तेजिंदर सिंह को एक टोह दल का नेतृत्व सौंपा गया, जिसे शकरगढ़ क्षेत्र में एक सुरंग क्षेत्र में से एक गलियारे का पता लगाना था। सुरंगक्षेत्र के पार से शत्रु छोटे हथियारों और तोपखाने से भारी गोलाबारी कर रहा था, किन्तु इसके बावजूद उन्होंने उस क्षेत्र में टोह ली और सुरक्षित गलियारे के बारे में महत्वपूर्ण सूचना ले आए। इसके बाद उन्होंने सुरंग क्षेत्र में पड़े उस टैंक तक स्वयं एक सुरक्षित गलियारा बनाया जो पहले एक सुरंग से बेकार हो गया था और इस तरह उसकी पुनप्राप्ति में उन्होंने सहयोग दिया। 13 दिसम्बर, 1971 की रात को उन्हें एक इंफैन्ट्री कम्पनी के साथ टैंकों के जरिए नदी पार करने के स्थलों का पता लगाने के काम पर लगाया गया। नदी के पार कम्पनी पर शत्रु के टैंकों, तोपखाने और मशीनगन से भारी गोलाबारी होने लगी। सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तेजिंदर सिंह ने सूझबूझ और धैर्य से काम लिया, अपने दस जवानों को इकट्ठा किया और अपने दल को सुरक्षित स्थान पर लेकर लौट आए।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट तेजिंदर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

109. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अवतार सिंह अहलावत (आई० सी०-24180)
17वीं हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अवतार सिंह अहलावत 17वीं हार्स में ट्रूप कमांडर थे। 16 दिसम्बर, 1971 की सुबह उन्हें शकरगढ़ क्षेत्र के एक स्थान में अपनी रेजिमेंट के साथ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल पर पहुंचने का आदेश मिला। बसंतार नदी पर कायम किए गए पुल पदाधार पर से शत्रु को अभी पूरी तरह साफ नहीं किया गया था। निश्चित ठिकाने की तरफ जब उनका सैन्यदल बढ़ा तो शत्रु ने अपने ऐसे मजबूत ठिकानों और रिकायललैस गनों की चौकियों से गोलीकारी की जहां पर वह अभी तक जमा हुआ था। सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अवतार सिंह अहलावत ने अपनी जान की परवाह न करके शत्रु के मजबूत ठिकानों पर हमला किया, अपने टैंक से उन्होंने उसके पक्के मोर्चे को रौंद डाला और शत्रु की इंफैन्ट्री और दूसरे हथियार चलाने वाले जवानों को पकड़ लिया। वे अभी अपने मोर्चे पर पहुंच ही पाए थे कि शत्रु ने अपनी बख्तर सेना की एक स्क्वाड्रन के साथ रक्षा पंक्ति भेदने के लिए जवाबी हमला किया। टैंकों की भयानक लड़ाई लड़ी गई और दुश्मन के बहुत से टैंक बरबाद कर दिए गए। सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अवतार सिंह अहलावत के टैंक पर भी गोला लगा और उनका गनर घायल हो गया। लेकिन इससे पहले वे शत्रु के तीन टैंक बरबाद कर चुके थे। उन्होंने गन खुद संभाल ली और अपने टैंक से लड़ना जारी रखा। शत्रु के एक गोले की सीधी चोट से उनका टैंक बेकार हो गया और वे स्वयं भी घायल हो गए, लेकिन फिर भी अड़िग रह कर वे तब तक लड़ते रहे, जब तक शत्रु का हमला पीछे न धकेल दिया गया।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट अवतार सिंह अहलावत ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

110. सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट प्रबोध चन्द्र भारद्वाज (आई० सी०-24175) पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट प्रबोध चन्द्र भारद्वाज पैराशूट रेजिमेंट की एक बटालियन में प्लाटून कमांडर थे। यह बटालियन उस कम्पनी के अधीन थी, जिसे 16 दिसम्बर, 1971 की रात को फिरोजपुर क्षेत्र में शत्रु के एक ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। इस ठिकाने पर शत्रु भारी तादाद में था और सुरंगों तथा रुकावटों से उसने इसके बचाव का अच्छा बन्दोबस्त कर रखा था। प्रहार के दौरान उनकी प्लाटून पर एक बंकर से शत्रु की

मशीनगन प्रभावकारी गोलीबारी करने लगी । सैकण्ड लैफ्टिनेन्ट प्रबोध चन्द्र भारद्वाज अपनी जान की जरा परवाह न करते हुए बंकर की तरफ लपके और उन्होंने एक हथगोला भीतर उछाल दिया । उसके बाद बंकर के भीतर तेजी से घुसकर उन्होंने संगीन से शत्रु के सिपाही को मार डाला और मझोली मशीन गन पर अधिकार कर लिया । इस कार्यवाही के दौरान उनके माथे पर एक गोली लगी । अपने जख्म की परवाह न करके उन्होंने हमले का दबाव बनाए रखा और फिर शत्रु के एक और मशीन गन बंकर पर उन्होंने हमला किया । इस बार भी हथगोला फेंकने के बाद उन्होंने संगीन से हमला किया और दूसरी मशीन गन पर कब्जा करने में सफल हो गए ।

इस कार्यवाही में सैकण्ड लैफ्टिनैन्ट प्रबोध चन्द्र भारद्वाज ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

111. जे० सी० 36940 सूबेदार रतन सिंह
पंजाब रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

सूबेदार रतन सिंह पश्चिमी क्षेत्र में तैनात एक कम्पनी की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । 5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने इस मोर्चे पर बड़ी तादाद में हमला किया । सूबेदार रतन सिंह के एक खाई से दूसरी खाई में जाने के उदाहरणीय कार्य ने उनके जवानों में साहस और जोश फूंका और वे शत्रु के हमलों के विरुद्ध चौकी पर कब्जा बनाए रखने में अपने कम्पनी कमांडर की सहायता करते रहे ।

आद्योपान्त सूबेदार रतन सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

112. जे० सी० 44856 सूबेदार सुजान सिंह नेगी,
गढ़वाल राइफल्स

सूबेदार सुजान सिंह नेगी, गढ़वाल राइफल्स की बटालियन में प्लाटून कमांडर थे । इस बटालियन की एक कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक अड्डे को खत्म करने का आदेश दिया गया । शत्रु ने इस चौकी की मोर्चाबंदी के लिए चारों ओर सात फुट ऊंची दीवार खड़ी करके इसे दुर्भेय बना रखा था । उनकी कम्पनी के हमले के बढ़ाव को शत्रु ने मझोली मशीन गनों की गोलीबारी से रोक दिया । शत्रु की मोर्चाबंदी में घुसने के लिए किसी भी तरफ से रास्ता न पाकर सूबेदार नेगी ने दीवार फांदने के लिए अपने जवानों को सीढ़ी के तौर पर खड़ा किया और इस तरह शत्रु के मोर्चों के नजदीक पहुंचे । अपनी सुरक्षा की जरा परवाह न करते हुए वे दीवार के परली तरफ कूद गए और अपनी प्लाटून के साथ संगीन और हथगोलों से शत्रु पर बिजली की तेजी से धावा बोल दिया । एक खाई से दूसरी खाई में जा-जाकर लड़ते हुए सूबेदार नेगी ने अपने सैन्यदल का हौसला बढ़ाया और उन्हें रास्ता दिखाया । अखिरकार शत्रु की चौकी पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही के दौरान सूबेदार सुजान सिंह नेगी ने उच्चकोटि के साहस, नेतृत्व और पहल-शक्ति का परिचय दिया ।

113. जे० सी०-400453 सूबेदार मेगदान गुरंग
गोरखा राइफल्स (एफ० एफ०)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर 1971)

सूबेदार मेगदान गुरंग राजस्थान क्षेत्र में शत्रु की चौकी पर छापा मारने के दौरान गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । हमले के दौरान शत्रु ने एकत्रित होने के स्थान पर घनी तोपखाने से गोलाबारी की जिससे हमारे प्रहार की गति रुक गई । सूबेदार मेगदान गुरंग अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना शत्रु की बगली तरफ बढ़े जिससे उसकी हिम्मत पस्त हो गई और उसे अपनी चौकी छोड़कर भागना पड़ा ।

इस कार्यवाही में सूबेदार मेगदान गुरंग ने उच्चकोटि के साहस पहल-शक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

114. जे० सी० 33536 सूबेदार नंजी राम
जाट रेजिमेंट

सूबेदार नंजी राम पूर्वी क्षेत्र में घात लगाने के लिए तैनात दल के सहायक कमांडर थे । 12 दिसम्बर, 1971 को शत्रु की तीन नावें आती दिखाई दीं । सूबेदार नंजी राम ने नावों पर प्रभावकारी और सही गोलीबारी करके उन्हें नष्ट कर दिया । इस घात में शत्रु का एक अफसर और 9 जवान मारे गए ।

इस कार्यवाही के दौरान सूबेदार नंजी राम ने उच्चकोटि की वीरता, व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया ।

115. जे० सी० 35642 सूबेदार दादाराव घोड़ेश्वर
महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर, 1971)

सूबेदार दादाराव घोड़ेश्वर 12 दिसम्बर, 1971 की रात राजस्थान क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु पर हमले के दौरान महार रेजिमेंट की एक बटालियन की एक प्लाटून की कामन कर रहे थे । शत्रु ने 600 गज तक सुरंग क्षेत्र बिछा रखा था, लेकिन उन्होंने प्रहार का नेतृत्व किया और गुत्थमगुत्था की भयानक लड़ाई के बाद लक्ष्य पर कब्जा कर लिया । लक्ष्य पर पुनर्गठन करने के दौरान शत्रु ने जवाबी हमला किया । अपनी जान की जरा परवाह न करके उन्होंने शत्रु पर हमला किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया ।

इस कार्यवाही में सूबेदार दादाराव घोड़ेश्वर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

116. जे० सी० 39323 सूबेदार विश्व नाथ भोसले
महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर, 1971)

सूबेदार विश्व नाथ भोसले महार रेजिमट की बटालियन में प्लाटून कमांडर थे । उनकी कम्पनी ने 12/13 दिसम्बर, 1971 की रात को भंयकर लड़ाई लड़ने के बाद राजस्थान क्षेत्र में टीले के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया । जब उनकी कम्पनी लक्ष्य पर पुनर्गठित हो रही थी तो शत्रु को जवाबी हमले के लिए इकट्ठा होता देखा गया । सूबेदार विश्व नाथ भोसले ने बड़ी सूझबूझ और पहल के साथ अपने प्लाटन के दो सैक्शन लेकर शत्रु पर धावा बोल दिया ।

शत्रु चकरा गया और चार तीन इंची मार्टर और काफी मात्रा में गोलाबारूद छोड़कर भाग गया । सूबेदार भोसले ने शत्रु के पांच जवान भी पकड़ लिए । मार्टर हाथ लग जाने से शत्रु को और हमलों में उनसे गोलाबारी की मदद नहीं मिल सकी और उसे आसानी से पीछे धकेल दिया गया ।

इस कार्यवाही में सूबेदार विश्व नाथ भोसले ने उच्चकोटि की वीरता, पहल-शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया ।

117. जे० सी० 37034 सूबेदार नीमा लामा
8वीं गोरखा राइफल्स

सूबेदार नीमा लामा डेरा बाबा नानक क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर किए गए हमले के दौरान एक प्लाटून के कमांडर थे । शत्रु के मशीन गन के एक बंकर से सही और तेज गोलीबारी होने के कारण उनकी कम्पनी का हमला रुक गया । अपनी प्लाटून के साथ सूबेदार नीमा लामा ने शत्रु के उस बंकर पर हमला कर दिया । उन्होंने बंकर में एक गोला फैंका और फिर अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए बंकर में घुस गए और वहां मौजूद शत्रु के जवानों को मार डाला ।

हमले के दौरान, शुरू से आखिर तक सूबेदार नीमा लामा ने उच्चकोटि की वीरता पहल-शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया ।

118. जे० सी० 43961 सूबेदार बृजेंद्र सिंह
जाट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

सूबेदार बृजेंद्र सिंह, जाट रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी के उप-कमान अफसर थे । उस कम्पनी को पश्चिमी क्षेत्र के एक गांव पर दुबारा कब्जा करने का काम सौंपा गया था । उस गांव पर शत्रु ने ज्यादा मैनिकों की मदद से कब्जा जमा रखा था और एक बांध के ऊपर मोर्चा बना कर पूरे इलाके पर हावी था । लक्ष्य पर कब्जा कर लेने के बाद कम्पनी कमांडर ने सूबेदार बृजेंद्र सिंह को एक छोटी टुकड़ी की मदद से नजदीक की खाई में लगी मझौली मशीन गन को शान्त करने का आदेश दिया जिसकी गोलीबारी से हमारे सैन्य-दल को जानी नुकसान हो रहा था । सूबेदार बृजेंद्र सिंह ने अपनी टोली के तीन जवानों को साथ लेकर मशीन गन बंकर पर धावा बोल दिया ऐसा करते समय मशीन गन के फायर से अपने दो साथियों समेत वे बुरी तरह जख्मी हो गए । इसके बावजूद, ये बंकर तक गए और उसमें हथगोला फैंक कर गन को शान्त कर दिया मशीन गन के शान्त होते ही उनकी कम्पनी ने बांध के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया ।

इस कार्यवाही में सूबेदार बृजेंद्र सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

119. जे० सी० 60523 नायब सूबेदार राम कला सिंह
गार्ड्स ब्रिगेड

नायब सूबेदार राम कला सिंह 5 जवानों के साथ पूर्वी क्षेत्र में शत्रु के एक मोर्चे पर हमला करने वाली बटालियन के कमांडिंग अफसर की टोली में शामिल थे । हमले के दौरान टोली पर शत्रु ने स्वचालित हथियारों से सही गोलीबारी की जिससे एक अफसर घातक रूप से घायल हो गया और टोली के बाकी सदस्य वहीं के वहीं रुके रह गए ।

नायब सूबेदार राम कला सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए रेंगते हुए शत्रु की मशीनगन के एक बंकर तक जा पहुंचे और बंकर के मोखे में से एक हथगोला अंदर फेंका । ऐसा करते हुए शत्रु की मशीन गन की गोलियों की बौछार इनके दाहिने हाथ पर लगी और उनकी तीन उंगलियां उड़ गईं । अविचलित, नायब सूबेदार राम कला सिंह शत्रु के निकट जा पहुंचे और गुत्थमगुत्था की लड़ाई में शत्रु के बहुत से सैनिकों को संगीन घोंपी ।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार राम कला सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-संकल्प और कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

120. जे० सी० 53298 नायब रिसालदार राम परिक्षण सिंह
45वीं कैवेलरी

नायब रिसालदार राम परिक्षण सिंह, पूर्वी क्षेत्र में 45वीं कैवेलरी यूनिट की स्क्वाड्रन के एक सैन्य दल की कमान कर रहे थे । जब उनके ठिकाने पर शत्रु ने पैदल सेना और बख्तर की मदद से भारी तादाद में हमला कर दिया, उस समय उन्होंने अत्यन्त कुशलतापूर्वक अपने सैन्य दल का परिचालन किया और शत्रु के टैंकों के नजदीक पहुंच कर बिल्कुल पास से उसके दो टैंकों को बरबाद कर दिया । उसके बाद ये शत्रु की पैदल सेना से भिड़ गए और उसके प्रहार को तितर-बितर कर दिया । इस कारण शत्रु को अपने घायल तथा कुछ मरे हुए सैनिकों, बरबाद हुए टैंकों तथा उपस्करों को छोड़ कर पीछे हटना पड़ा ।

इस कार्यवाही में, नायब रिसालदार राम परिक्षण सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

121. जे० सी० 44325 नायब सूबेदार राम सिंह
जाट रेजिमेंट

4/5 दिसम्बर, 1971 की रात पूर्वी क्षेत्र में एक गश्ती दल का नेतृत्व करते हुए नायब सूबेदार राम सिंह ने बड़ी कुशलता से घात लगा कर शत्रु का एक जे० सी० ओ० और 6 जवान मार डाले । 5 दिसम्बर, 1971 को उनकी प्लाटून को सौंपे गए लक्ष्य पर प्रहार करने के दौरान शत्रु ने इन पर मशीन गन से भारी गोली बारी की । इसके बावजूद उन्होंने अपने जवानों को प्रोत्साहित किया और शत्रु पर हमला करके लक्ष्य पर कब्जा कर लिया । 6 दिसम्बर, 1971 को जब वे अपनी कम्पनी के आगे बढ़ने का नेतृत्व कर रहे थे तो उन पर तीन तरफ से शत्रु ने गोलीबारी की । अडिग रह कर उन्होंने बिजली की सी तेजी से शत्रु पर हमला किया और उसके 6 जवानों को बंदी बना लिया ।

आद्योपान्त नायब सूबेदार राम सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़ निश्चय और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

122. जे० सी० 52206 नायब सूबेदार शेरिंग वांगडुम
लद्दाख स्काउट्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 दिसम्बर, 1971)

लद्दाख स्काउट्स के नायब सूबेदार शेरिंग वांगडुम, कम्पनी की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । इस प्लाटून को पश्चिमी क्षेत्र में एक इलाके में उन चौकियों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था जो शत्रु के हाथ में थी । 10 दिसम्बर, 1971 को जब शत्रु

की मझोली मशीन गन और मार्टर की भारी गोलीबारी की वजह से उनकी कम्पनी का आगे बढ़ना रुक गया तो उन्होंने अपनी प्लाटून के दो दूसरे कार्मिकों को साथ लेकर मझोली मशीन गन के बंकर पर हमला किया और उसके पूरे कर्मीदल को मार कर मझोली मशीन गन हथिया ली ।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार शेरिंग वांगडुस ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

123. जे० सी० 4534061 नायब सूबेदार अर्जन जाधव
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर, 1971)

नायब सूबेदार अर्जन जाधव पूर्वी क्षेत्र में पैराशूट रेजिमेंट बटालियन की एक प्लाटून की कमान कर रहे थे । एक पुल पर कब्जा कर लेने के बाद उनकी प्लाटून लक्ष्य पर इकट्ठा हो रही थी । खाइयां खोदने का काम पूरा होने से पहले ही शत्रु की गाड़ियों का एक लम्बा काफिला उनकी प्लाटून के इलाके की ओर आता हुआ दिखाई दिया । उन्होंने अपनी प्लाटून का नेतृत्व करते हुए शत्रु के काफिले पर स्वचालित और छोटे हथियारों से भारी गोलीबारी की जिससे शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचा और उसकी गाड़ियां और मार्टर काफी तादाद में नष्ट हो गए । शत्रु फिर से जल्दी इकट्ठा हुआ और उसने मार्टरों और मझोली मशीन गनों से भारी तादाद में दो हमले किए । हालांकि शत्रु तादाद में ज्यादा था, फिर भी नायब सूबेदार अर्जन जाधव ने अपने जवानों को उत्साहित किया और शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाते हुए पहला हमला पीछे धकेल दिया । दूसरे हमले में एक जवान बुरी तरह घायल हो गया । नायब सूबेदार जाधव अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना बाहर निकल आए और घायल सैनिक को सुरक्षित स्थान में ले आए ।

आद्योपान्त नायब सूबेदार अर्जन जाधव ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

124. 13653064 नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह
गार्डस ब्रिगेड

नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह ब्रिगेड आफ गार्डस की एक बटालियन के प्लाटून कमांडर थे । उस प्लाटून को कारगिल क्षेत्र के एक इलाके पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था । हमले के दौरान शत्रु के स्वचालित हथियारों की भारी गोलाबारी के कारण सबसे आगे चलने वाली उनकी प्लाटून का हमला रुक गया । अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए वे शत्रु की मशीन गन चौकी की तरफ लपके । शत्रु की मशीन गन की गोलियों की बौछार से जख्मी होने पर भी उन्होंने गन को बेकार बना दिया और इस तरह लक्ष्य पर कब्जा किया जा सका ।

इस कार्यवाही में नायब सूबेदार भृगुनाथ सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

125. जे० सी० 51790 नायब रिसालदार नूर मुहम्मद खान
18वीं कैवलरी

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

नायब रिसालदार नूर मुहम्मद खान एक आरमर्ड रेजिमेंट की एक स्क्वाड्रन के ग्रुप लीडर थे । 3 दिसम्बर, 1971 की रात को उनकी स्क्वाड्रन को पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके पर हमला करने का आदेश दिया गया । वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि उनके स्क्वाड्रन कमांडर का टैंक जमीन में धंस गया है । शत्रु की भारी गोलाबारी का सामना करते हुए उन्होंने इस टैंक को बाहर निकालने की कोशिश की । पर जब टैंक जमीन से न निकल सका तो उन्होंने स्क्वाड्रन कमांडर को अपना टैंक दे दिया और खुद जमीन में धंसे टैंक के साथ पीछे रह गए । कुछ देर बाद जब शत्रु की एक प्लाटून ने उनके इस टैंक पर हमला किया तो वे अपने टैंक की बुर्जी खोलकर मशीन गन से फायर करने लगे और शत्रु के बहुत से जवानों को हताहत कर दिया ।

इस कार्यवाही में नायब रिसालदार नूर मुहम्मद खान ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़,-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

126. जे० सी० 56028 नायब रिसालदार दयाल सिंह
सिंध हार्स

नायब रिसालदार दयाल सिंह शकरगढ़ क्षेत्र में कार्यवाही करने वाले सिंध हार्स के ट्रुप लीडर थे । इनके ट्रुप ने शत्रु के एक मोर्चे पर किए गए हमले में हिस्सा लिया । शत्रु के कड़े मुकाबले के बावजूद उन्होंने साहस के साथ हमले का नेतृत्व किया और खुद शत्रु के दो टैंक तबाह किए । उनकी इस दिलेराना कार्यवाही से लक्ष्य पर कब्जा हो गया ।

इस कार्यवाही में नायब रिसालदार दयाल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय, पहल-शक्ति, और नेतृत्व का परिचय दिया ।

127. जे० सी० 44930 नायब रिसालदार मोहन सिंह
17वीं हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर, 1971)

नायब रिसालदार मोहन सिंह 15/16 दिसम्बर, 1971 की रात को शकरगढ़ क्षेत्र में 17 हार्स के स्क्वाड्रन के नं० 1 सैन्यदल के ट्रुप लीडर थे । 17 हार्स को पुल पदाधार में जमा होने और सुरंग क्षेत्र के पार इफैन्टरी के पास पहुंचने का आदेश मिला । नायब रिसालदार मोहन सिंह यह जानते हुए कि सुरंग क्षेत्र टूटा हुआ नहीं है, उसके बीच में से निकल गए । बाद में 16 दिसम्बर को इस स्क्वाड्रन पर पैटन टैंकों की रेजिमेंट ने तीन बार जवाबी हमला किया । हालांकि टैंकों के इन हमलों में शत्रु बहुत ज्यादा तादाद में था, फिर भी इस स्क्वाड्रन के डटकर गोलीबारी करने से शत्रु का हमला विफल हो गया, जिसमें नायब रिसालदार मोहन सिंह के सैन्यदल ने शत्रु के 8 टैंक नष्ट कर दिए ।

आद्योपान्त नायब रिसालदार मोहन सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

128. जे० सी० 54759 नायब रिसालदार वस्ता सिंह
69वीं आर्मर्ड रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर, 1971)

पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में संक्रियाओं के दौरान 11 दिसम्बर, 1971 को नायब रिसालदार वस्ता सिंह 69वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में ट्रुप लीडर थे । हमले के दौरान शत्रु के एक मोर्चे से इनके सैन्यदल पर टैंक तोपखाने और टैंकरोधी हथियारों की भारी गोलाबारी होने

लगी । उन्होंने असाधारण कुशलता से अपने टैंक का परिचालन किया और शत्रु का एक टैंक तथा एक 105 मि० मी० गन को बेकार कर दिया । टैंकरोधी हथियारों, तोपखाने और टैंकों की भारी गोलीबारी के बावजूद नायब रिसालदार वस्ता सिंह प्रहार के दौरान सबसे आगे वाले टैंक में थे । जब टैंकरोधी सुरंग से उनका अपना टैंक उड़ गया तो वे दूसरे टैंक में आ गए और अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुए प्रहार का नेतृत्व करते रहे । शत्रु का हौसला पूरी तरह पस्त हो गया और वह घबराहट और डर से पीछे हट गया । शत्रु अपने पीछे अपने बहुत से मरे हुए सैनिक और भारी मात्रा में उपस्कर, गोलाबारूद और गाड़ियां छोड़ गया ।

इस कार्यवाही में नायब रिसालदार वस्ता सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया ।

129. 11192741 बैटरी हवलदार मेजर बाबू माली
एयर डिफेंस रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

9 दिसम्बर, 1971 को बैटरी हवलदार मेजर बाबू माली एक संस्थापन की चौकसी करने वाली एयर डिफेंस बैटरी की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे । इस दौरान उन्होंने अपनी तोप से सही ढंग से गोलाबारी कर पाकिस्तान के एक 104 स्टार फाइटर को नीचे मार गिराया ।

इस कार्यवाही में बैटरी हवलदार मेजर बाबू माली ने सराहनीय साहस और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

130. 4038559 हवलदार कंवर सिंह चौधरी
गढ़वाल राइफल्स

गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में रक्षात्मक कार्यवाही के तौर पर शत्रु की एक चौकी का सफाया करने का आदेश दिया गया था । इस चौकी पर शत्रु की एक मजबूत किलाबंदी थी और उसने इसके गिर्द 7 फुट ऊंची दीवार बना रखी थी । शत्रु के मोर्चों से किए गए मक्खोली मशीन गन के भारी और सही गोलीबारी ने कम्पनी के हमले को आगे बढ़ने से रोक दिया । दीवार को फांदने के लिए जवानों से सीढ़ी का काम लिया गया । दीवार पर रास्ता बनाने की कार्यवाही के दौरान हवलदार कंवर सिंह चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गए । लहुलुहान होने के बावजूद वे दीवार फांद गए और शत्रु की मशीन गन चौकी पर हमला करके उसे हथगोले से नष्ट कर दिया । उनकी इस साहसिक कार्यवाही से लक्ष्य पर कब्जा किया जा सका ।

इस कार्यवाही में हवलदार कंवर सिंह चौधरी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

131. 2439873 हवलदार देस राज
पंजाब रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

हवलदार देस राज पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी के प्लाटून कमांडरों में से एक थे । यह कम्पनी पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में एक आवरण चौकी पर तैनात थी । 3 दिसम्बर, 1971 की रात को शत्रु ने इस चौकी पर बड़ी तादाद में हमला किया और वह अगले मोर्चों में घुस आया । अपनी सुरक्षा की जरा परवाह न करते हुए हवलदार देस राज अपने बंकर से बाहर निकल आए और बहुत निकट से शत्रु पर गोली चलाने लगे । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपने जवानों की हिम्मत बढ़ाते रहे और गोलीबारी करवाते रहे । इस तरह उनकी वजह से शत्रु का हमला विफल कर दिया गया ।

इस कार्यवाही के दौरान हवलदार देस राज ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

132. 1171094 हवलदार गोपाल कृष्णन
एयर डिफेंस रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

हवलदार गोपाल कृष्णन सैक्शन कमांडर थे और साथ ही अमृतसर की वायु सेना सिगनल यूनिट के बचाव के लिए तैनात एयर डिफेंस गन के नं० 1 का काम भी कर रहे थे । 5 दिसम्बर, 1971 को शत्रु के कैनबरा वायुयानों ने इस स्टेशन पर हमला किया । हवलदार गोपाल कृष्णन ने अपनी तोप से सही गोलीबारी करके शत्रु के एक कैनबरा वायुयान को मार गिराया । इस तरह उनकी वजह से शत्रु का एक नेवीगेटर पकड़ा गया ।

इस कार्यवाही के दौरान गोपाल कृष्णन ने उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

133. 1181589 हवलदार उत्तम जवालगे
एयर डिफेंस रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर, 1971)

8 दिसम्बर, 1971 को हवलदार उत्तम जवालगे छम्ब क्षेत्र में एक इंफैन्ट्री डिवीजन के हैडक्वार्टर के बचाव के लिए तैनात एयर डिफेंस बैटरी की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे । इस दौरान उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी करके हैडक्वार्टर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के चार सैबर जैटों में से एक को मार गिराया ।

इस कार्यवाही के दौरान हवलदार उत्तम जवालगे ने उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

134. 10356147 हवलदार अजमेर सिंह
एयर डिफेंस रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को जब हवलदार अजमेर सिंह अमृतसर के हवाई मैदान के बचाव के लिए तैनात एक एयर डिफेंस बैटरी की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी करके हवाई मैदान पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दो स्टार लड़ाकू वायुयानों में से एक को मार गिराया ।

इस कार्यवाही में हवलदार अजमेर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

135. 1155095 हवलदार (जी० डी०) के० के० गोपाल कृष्णन नायर
एयर डिफेंस रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर, 1971)

4 दिसम्बर, 1971 को हवलदार (जी० डी०) के० के० गोपाल कृष्णन नायर सैक्टर कमांडर थे और साथ ही पठानकोट

के एक डिपो के बचाव के लिए तैनात एक एयर डिफेंस गन के नं० 1 का काम भी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी करके पाकिस्तान के एक मिराज हवाई जहाज को मार गिराया।

इस कार्यवाही के दौरान हवलदार (जी० डी०) के० के० गोपाल कृष्णन नायर ने उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

136. 4146399 हवलदार मदन सिंह
कुमायूं रेजिमेंट

हवलदार मदन सिंह कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन की रिकायललैस राइफल प्लाटून में टुकड़ी कमांडर थे। पूर्वी क्षेत्र में एक स्थान पर हमले के दौरान वे शत्रु के छोटे हथियारों की भारी और अचूक गोलाबारी के बावजूद अपनी रिकायललैस गन के पास डटे रहे और शत्रु को भारी जानी नुकसान पहुंचाते हुए उसके 7 मजबूत मोर्चे बरबाद कर दिए। उनकी कार्यवाही की वजह से ही लक्ष्य पर कब्जा किया जा सका।

इस कार्यवाही के दौरान हवलदार मदनसिंह ने उच्चकोटि के साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

137. 2641259 हवलदार नंद राम
ग्रेनेडियर्स

ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन को पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में शत्रु की एक चौकी का सफाया करने का काम सौंपा गया था। यह हमला शत्रु के अच्छी तरह से किलाबंद मकान में स्थित मजबूत मोर्चे की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा था। हवलदार नंद राम ने शत्रु के इस मोर्चे को हटाने के महत्व को समझा और निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किए बिना वे रेंगते हुए आगे बढ़े और हथगोले फैंक कर मकान की निचली मंजिल में से शत्रु को मार भगाया। इसके बाद ये ऊपरी मंजिल की तरफ दौड़े और शत्रु पर पहले की तरह हमला किया और उस पर भी काबू पा लिया। इससे उनकी बटालियन आगे बढ़ सकी।

इस कार्यवाही में हवलदार नंद राम ने सराहनीय साहस, पहल-शक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

138. 13716818 हवलदार निर्मल सिंह
जम्मू काश्मीर राइफल्स

हवलदार निर्मल सिंह ने राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर हमला करते समय प्लाटून कमाण्डर के मारे जाने पर जम्मू-काश्मीर राइफल्स की बटालियन के एक प्लाटून की कमान सम्भाली। लक्ष्य पर पुनर्गठन के दौरान प्लाटून पर दुश्मन ने भारी गोलाबारी की, मगर हवलदार निर्मल सिंह अपनी सुरक्षा की परवाह न करके एक सैक्शन से दूसरे सैक्शन तक गये ताकि पुनर्गठन जल्दी किया जा सके। जब हमारे टैंक लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे तो दुश्मन ने एक रिकायललैस गन से यकायक गोलीबारी शुरू कर दी जिससे एक टैंक पर गोला लगा। इससे दूसरे टैंकों का आगे बढ़ना कुछ देर के लिए रुक गया। हवलदार निर्मल सिंह ने दुश्मन की इस गन को ठंडा करने की जरूरत महसूस करके एक सैक्शन के साथ बाजू से उस गन पर धावा बोल दिया। हालांकि वे ऐसा करते समय घायल हो गये थे फिर भी उन्होंने हमले को सफलता से आगे बढ़ाया और दुश्मन के मोर्चे को नष्ट करके रिकायललैस गन पर अधिकार कर दिया।

इस कार्रवाई में हवलदार निर्मल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

139. 3341590 हवलदार गुरदेव सिंह
सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर 1971)

हवलदार गुरदेव सिंह सिख रेजिमेंट की एक बटालियन की एक प्लाटून के प्लाटून हवलदार थे, जिसको पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में तैनात किया गया था। 31 दिसम्बर की रात, शत्रु ने तोपखाने के भारी और सही गोलाबारी की सहायता से बड़ी तादाद में उनके मोर्चों पर हमला कर दिया। प्लाटून ने शत्रु के दो हमलों को विफल कर दिया, लेकिन शत्रु ने प्रयत्न जारी रखे और दूसरी दिशा से उनके मोर्चे पर एक और आक्रमण किया। हवलदार गुरदेवसिंह एक बंकर से दूसरे बंकर में जा-जा कर अपने जवानों को प्रोत्साहित करते रहे। उन्हीं की वजह से शत्रु के सभी हमले विफल कर दिए गए।

आद्योपान्त, हवलदार गुरदेव सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय नेतृत्व और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

140. 3348059 हवलदार मलकियत सिंह
सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर 1971)

हवलदार मलकियत सिंह सिख रेजिमेंट की एक बटालियन की एक प्लाटून के प्लाटून-हवलदार थे, जिसको पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात किया गया था। उन्हें शत्रु की एक हल्की मशीनगन पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था, जो हमारे सैनिकों पर गोलीबारी करके जानी नुकसान पहुंचा रही थी। हवलदार मलकियत सिंह ने साहस और फुर्ती से एक सैक्शन का नेतृत्व सम्भाला और दुश्मन को जानी नुकसान पहुंचाते हुए उसकी मशीनगन पर हमला किया और उसे शान्त कर दिया।

इस कार्यवाही में हवलदार मलकियत सिंह ने सराहनीय साहस, दृढ़-निश्चय, नेतृत्व और उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

141. 4441429 हवलदार प्यारा सिंह
सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर 1971)

हवलदार प्यारा सिंह राजस्थान क्षेत्र के एक स्थान में सिख लाइट इंफैन्ट्री की आगे बढ़ती एक बटालियन की अग्रिम प्लाटून के प्लाटून हवलदार थे। 8 दिसम्बर, 1971 को आगे बढ़ते हुये दल पर दुश्मन ने छोटे हथियारों और तोपखाने से भारी गोलाबारी की। लेकिन यह अग्रिम प्लाटून लगातार आगे बढ़ती गई और दुश्मन के निकट पहुंच गई। दुश्मन ने बड़ी तादाद में इसपर जवाबी हमला किया। अपने एक सैक्शन को गोलीबारी में सहायता के लिये तैनात करके इस प्लाटून ने प्रहार करते दुश्मन पर हमला किया। सहायक सैक्शन की हल्की मशीनगन के गनर को गोली लगी और उसकी मशीनगन से गोली चलनी बंद हो गई। हल्की मशीनगन

की गोलीबारी की जरूरत को महसूस करके हवलदार प्यारा सिंह उस मशीनगन तक दौड़ कर गये और उन्होंने उससे गोलीबारी शुरू कर दी। उनके दाएं कंधे पर दुश्मन की हल्की मशीनगन से गोलियों की बौछार पड़ी लेकिन अपने सख्त घावों की परवाह न करके वे चौकी पर जमे रहे और प्रभावकारी गोलीबारी-सहायता देते रहे। इस तरह दुश्मन का जवाबी हमला विफल किया जा सका।

इस कार्रवाई के दौरान हवलदार प्यारा सिंह ने प्रशंसनीय साहस, पहल शक्ति और नेतृत्व का परिचय दिया।

142. 9406534 हवलदार फुरबा लिपचा
11वीं गोरखा राइफल्स

हवलदार फुरबा लिपचा 11वीं गोरखा राइफल्स की उस बटालियन में प्लाटून कमाण्डर थे जिसे कारगिल क्षेत्र में एक चौकी पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। यह चौकी एक खड़ी ढाल पर थी और उसकी सुरक्षा के लिये सुरंगे तथा रुकावटें लगा रखी थीं जिससे उसको जीतना वास्तव में असम्भव था। हवलदार फुरबा लिपचा किसी प्रकार चुपचाप दुश्मन के बंकर के पास पहुंचे और हथगोले फेंककर एक मशीनगन को शान्त कर दिया। जब दुश्मन ने दुबारा गोलीबारी शुरू की तो वे एक हल्की मशीनगन के बंकर में तेजी से घुस गये और उसके कर्मी-दल को मार डाला। इस साहसी कार्य से उनके जवानों को प्रेरणा मिली और इस चौकी पर अधिकार हो सका।

इस कार्रवाई में हवलदार फुरबा लिपचा ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और पहलशक्ति का परिचय दिया।

143. 1170770 हवलदार किचारला महालक्ष्मिआ
आर्टिलरी रेजिमेन्ट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 दिसम्बर, 1971)

17 दिसम्बर, 1971 को शकरगढ़ क्षेत्र में तैनात एक हवाई बचाव बैटरी की टुकड़ी की कमान करते हुये हवलदार किचारला महालक्ष्मिआ ने अपनी गन से सही गोलीबारी करके, उनकी गन पर हमला करने वाले दुश्मन के चार मिग 19 वायुयानों में से एक को मार गिराया।

इस कार्रवाई में, हवलदार किचारला महालक्ष्मिआ ने उच्च-कोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

144. 4039948 हवलदार संग्राम सिंह रावत
नागा रेजिमेंट

पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान हवलदार संग्राम सिंह रावत पूर्वी क्षेत्र में एक मझोली मशीनगन बटालियन के कमाण्डर थे। शत्रु ने बड़ी तादाद में उनकी चौकी पर हमला किया लेकिन हवलदार संग्राम सिंह रावत ने बड़ी कुशलता से अपनी गन से शत्रु पर जबरदस्त गोलीबारी की और उसे भारी जानी नुक्सान पहुंचा कर हमले को छिन्न-भिन्न कर दिया। शत्रु ने दोबारा हमला किया, लेकिन उन्होंने फिर सही गोलाबारी करके उसके बहुत से जवानों को मार डाला। शत्रु उनके मोर्चे के बहुत करीब आ पहुंचा और वहां से उसने उनकी चौकी पर हथगोलों से हमला किया। इससे उनकी गन बेकार हो गई तथा वे अपने कर्मी-दल सहित घायल हो गये। इस अवस्था में सेना के कमाण्डर ने उनको दूसरे मोर्चे पर चले जाने का आदेश दिया। अपनी जान की तनिक परवाह न करते हुये, हवलदार संग्राम सिंह रावत ने अपनी टुकड़ी को कूच का आदेश दिया, लेकिन वे स्वयं इस कूच की रक्षार्थ पीछे रुके रहे। इस बीच शत्रु ने इनकी चौकी पर आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने हथगोले फेंक कर उसे आगे बढ़ने से रोके रखा।

इस कार्रवाई के दौरान हवलदार संग्राम सिंह रावत ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय, नेतृत्व और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

145. 9070887 लांस हवलदार जगदीश सिंह
जम्मू और कश्मीर मिलिशिया

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

लांस हवलदार जगदीश सिंह, जम्मू और कश्मीर मिलिशिया की एक बटालियन के एक सैक्शन की कमान कर रहे थे। शत्रु ने बड़ी तादाद में उनकी चौकी पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने सैक्शन की गोलीबारी का प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया और अपने जवानों को शत्रु के हमले को विफल करने के लिये प्रेरणा दी। हमले को रोक कर उन्होंने शत्रु पर नजदीक से आक्रमण करके उसे भारी जानी नुकसान पहुंचाया।

इस कार्रवाई में लांस हवलदार जगदीश सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

147. 1026534 लांस हवलदार जसवंत सिंह
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर 1971)

लांस हवलदार जसवंत सिंह शकरगढ़ क्षेत्र में बसंतार नदी के पार की संक्रियाओं में ग्रेनेडियर्स की बटालियन की कम्पनी के एक सैक्शन की कमान कर रहे थे। कम्पनी ज्यों ही हमला करने के लिये इकट्ठा होने की जगह से चली, त्यों ही उस पर तोपखाने और मझोली मशीनगनों से भारी गोलाबारी होने लगी। लांस हवलदार जसवंत सिंह को अपने सैक्शन लेकर उस मझोली मशीनगन चौकी को नष्ट करने का काम सौंपा गया, जहां से जबरदस्त गोलाबारी के कारण जवान भारी संख्या में हताहत हो रहे थे। वे दुश्मन की मशीनगन चौकी पर प्रहार करने के लिये अपना सैक्शन बाईं तरफ को ले गए। उनकी हरकत को देखकर दुश्मन ने गोली चलानी शुरू कर दी और उनके दो जवान मारे गए। लांस हवलदार जसवंत सिंह ने अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना चौकी पर धावा बोल दिया और दुश्मन के दो सनिक मार दिये और गन को शान्त कर दिया।

इस कार्रवाई में लांस हवलदार जसवंत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

147. 10270151 लांस दफादार राम चंद्र
63वीं कैवेलरी

लांस दफादार राम चन्द्र, पूर्वी क्षेत्र में तैनात 63वीं कैवेलरी यूनिट के ट्रूप लीडर के टैंक के गनर थे। हमारे मोर्चे पर दुश्मन ने जब बख्तर की मदद से हमला कर दिया तो उस समय उन्होंने उस पर

गोले बरसाने और टैंक नष्ट करने में अत्यंत कौशल और संयमित साहस का परिचय दिया । बाद में इस क्षेत्र में जो दुश्मन का सफाया हुआ; उसमें उनका कम हाथ नहीं था ।

आद्योमान्त, लांस दफादार राम चन्द्र ने उच्चकोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

148. 9136879 लांस हवलदार पंकजोक स्टोब्डान
लद्दाख स्काउटस

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 दिसम्बर, 1971)

10 दिसम्बर, 1971 को परतपुर क्षेत्र में चैलुंका-कम्पलैक्स की लड़ाई में जब लांस हवलदार पंकजोक स्टोब्डान की कम्पनी ने हमला किया तो शत्रु की मशीनगन की भारी और सही गोलाबारी की वजह से यह आगे न बढ़ सकी । तब लांस हवलदार पंकजोक स्टोब्डान ने अपने प्लाटून कमाण्डर तथा टोली के एक और जवान के साथ शत्रु की मझोली मशीनगन चौकी पर हमला किया । अपनी जान की तनिक तरवाह न करते हुये, उन्होंने शत्रु की मशीनगन के बकर पर धावा बोल दिया और शत्रु के एक जवान को मार दिया और इस तरह हमले को जारी रखने में सहायता दी ।

इस कार्रवाई में लांस हवलदार पंकजोब स्टोब्डान ने उच्च-कोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

149. 2048099 लांस हवलदार बने सिंह
राजपूत रेजिमेंट

लांस हवलदार बने सिंह, राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन में सैक्शन कमाण्डर थे । उनकी कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी का सफाया करने का काम सौंपा गया था । हमले के दौरान शत्रु ने अपने स्वचालित हथियारों से लगातार सही गोला-बारी शुरू कर दी । जब हमला करने वाले लक्ष्य से सिर्फ 15 गज की दूरी पर रह गये तो शत्रु ने उन पर बड़ी मात्रा में हथगोले फेंके । लांस हवलदार बने सिंह शत्रु की एक हल्की मशीनगन की ओर तेजी से बढ़े, जो उनके जवानों को भारी जानी नुकसान पहुंचा रही थी । गम्भीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद भी उन्होंने बंकर से हल्की मशीनगन को छीन लिया । इस तरह लक्ष्य पर अधिकार किया जा सका ।

इस कार्रवाई के दौरान लांस हवलदार बने सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

150. 10324414 लांस हवलदार (जी० डी०) कंस राज
एयर डिफेन्स रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 दिसम्बर, 1971)

7 दिसम्बर, 1971 को लांस हवलदार (जी० डी०) कंस राज एक हवाई मैदान के बचाव के लिये लगाई गई एयर डिफेन्स गन के नं० 1 के रूप में काम कर रहे थे । दुश्मन के हवाई हमले के दौरान उन्होंने अपनी गन से सही गोलाबारी करके दुश्मन के एक हवाई जहाज को मार गिराया ।

इस कार्रवाही में लांस हवलदार (जी० डी०) कंस राज ने उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

151. 1034139 लांस दफादार सुशील कुमार
9वीं हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर, 1971)

दिसम्बर 1971 को जब लांस दफादार सुशील कुमार छम्ब क्षेत्र में एक क्रासिंग की निगरानी करने वाले ट्रूप लीडर के टैंक के गनर के रूप में काम कर रहे थे तो दुश्मन के टैंकों और इन्फैन्ट्री की एक स्क्वाड्रन ने उन पर हमला कर दिया । उन्होंने अपनी गन की कारगर गोलीबारी से दुश्मन के पांच टी० 59 टैंक तबाह कर दिये ।

इस कार्रवाई में लांस दफादार सुशील कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

152. 3154794 लांस हवलदार जसवंत सिंह
पैराशूट रजिमेन्ट (कमांडो)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

पैराशूट रेजिमेंट (कमांडो) के लांस हवलदार जसवंत सिंह को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में दुश्मन के एक मजबूत मोर्चे पर छापा मारने के लिये आदेश दिया गया था । ये चुपचाप दुश्मन के नजदीक पहुंचे और उस पर काबू पा लिया । इस मिशन में पाकिस्तानी सेना के विशेष सैन्य दल के कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की, उसका गढ़ नष्ट किया और उसके आठ कमांडो मार दिये ।

इस मिशन में कार्रवाई के दौरान लांस हवलदार जसवंत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, नेतृत्व और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

153. 103100 कार्यकारी लांस दफादार कटार सिंह
72वीं आर्मर्ड रेजिमेंट, आर्मर्ड कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

6 दिसम्बर, 1971 की रात को, कार्यकारी लांस दफादार कटार सिंह 72वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के स्क्वाड्रन के साथ थे । इस स्क्वाड्रन को पश्चिमी क्षेत्र में 'मुनब्बर तवी' के पूर्व में लगाया गया था । इस स्क्वाड्रन पर दुश्मन के बख्तरबंद हमले को पीछे धकेल दिया, मगर दुश्मन की इन्फैन्ट्री ने हमारे टैंकों को घेर लिया । कार्यकारी लांस दफादार कटार सिंह को दूसरे कर्मीदल और टैंक के साथ कैद कर लिया । इसी बीच भारी गोलाबारी शुरू हो गई । गड़बड़ में, लांस दफादार कटार सिंह ने अपने आपको मुक्त किया और टैंक में बैठ कर क्यूपोला बन्द कर दिया और मशीनगन से गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे घेरे डाले हुए दुश्मन भारी तादाद में हताहत हुए । उन्होंने दुश्मन के ठिकाने में से होकर अपना टैंक खुद चलाते हुए 'मुनब्बर तवी' पार की और अपना टैंक सही-सलामत वापिस लाकर अपने स्क्वाड्रन में वापिस आ गए ।

इस कार्रवाई में कार्यकारी लांस दफादार कटार सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, पहलशक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

154. 1141440 नायक बल बहादुर
आर्टिलरी रैजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 दिसम्बर, 1971)

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान नायक बल बहादुर पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में तैनात हवाई हमले से बचाव बैटरी की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे। 7 दिसम्बर, 1971 को शत्रु के हवाई हमले के दौरान उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी करके शत्रु के एक मिग 19 वायुयान को मार गिराया।

इस कार्रवाई में नायक बल बहादुर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

155. 13722858 नायक राजिन्दर सिंह
जम्मू और कश्मीर राइफल्स

नायक राजिन्दर सिंह उस मझोली मशीनगन टुकड़ी की कमान कर रहे थे, जिसे जम्मू और कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी के साथ रखा गया था। इस कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र के एक इलाके में रक्षात्मक मोर्चा लेने के आदेश दिये गये थे। दुश्मन ने हमारे मोर्चों पर तोपखाने और छोटे हथियारों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी जिससे हमारी मोर्चा-बन्दियों की तैयारी तहस-नहस हो जाये परन्तु जब दुश्मन की यह कोशिश नाकामयाब रही तो उसने कम्पनी के रक्षित इलाके पर भारी तोपखाने की आड़ में एक बटालियन लेकर हमला किया। अपनी मझोली मशीनगन से सही गोलाबारी करते हुए नायक राजिन्दर सिंह ने दुश्मन के प्रहार को रोकने में मदद दी। दुश्मन की जबरदस्त गोलाबारी से मझोली मशीनगन के हिस्से पुर्जों का बैलेट टूट गया और वह काम का न रहा। इसके बाद, जब दुश्मन हमारे मोर्चा से केवल दो सौ मीटर दूर रहा तो इस मशीनगन की फायरिंग पिन टूट गई। नायक राजिन्दर सिंह, बचाव के लिये मशीनगन-फायर के महत्व को समझकर अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना, अपने बंकर से बाहर निकले और इस तरह दुश्मन की गोलीबारी और गोलों के सामने आकर दूसरी टुकड़ी से फायरिंगपिन लेकर लौट आये। हालांकि मझोली मशीन की बैरल आग की तरह लाल हो रही थी, फिर भी उन्होंने उसकी फायरिंग पिन बदली और ऐसा करते समय उनके हाथ बुरी तरह झुलस गये। इस तरह एक बार फिर उनकी मशीनगन दुश्मन पर आग बरसाने लगी। इस समय दुश्मन हमारी मोर्चे-बन्दियों से केवल 50 मीटर दूर ही था। परन्तु फिर भी दुश्मन का प्रहार अपने अंतिम दौर में नाकामयाब रहा। इसका कारण बहुत अधिक अंशों तक नायक राजिन्दर सिंह की मझोली मशीनगन की जबरदस्त गोलीबारी ही था।

इस पूरी कार्रवाई के दौरान नायक राजिन्दर सिंह ने सराहनीय साहस, पहल शक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

156. 2851641 नायक रघुबीर सिंह
राजपूताना राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर, 1971)

3, 4 दिसम्बर, 1971 की रात को पश्चिमी क्षेत्र में शत्रु की एक चौकी पर हमले के दौरान नायक रघुबीर सिंह सब से अगले सैक्शन की कमान कर रहे थे। शत्रु की भारी गोलाबारी के बावजूद नायक रघुबीर सिंह ने हमले का जोर बनाये रखने के लिये अपने सैक्शन को प्रेरणा दी और बाद में गुत्थमगुत्था की लड़ाई में शत्रु को भारी जानी नुक्सान पहुंचाया और चौकी पर अधिकार कर लिया।

इस कार्रवाही में नायक रघुबीर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

157. 2447488 नायक खजूर सिंह
पंजाब रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—10 दिसम्बर, 1971)

10, 11 दिसम्बर की रात को नायक खजूर सिंह उस सेना के साथ थे, जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में शत्रु के ठिकाने पर हमला कर रही थी। इस इलाके में शत्रु ने मजबूत मोर्चे बना रखे थे और वह यहां बड़ी तादाद में था। इस हमले के दौरान प्रहार करने वाले सैनिकों पर शत्रु ने अपनी मझौली मशीनगनों से भारी मात्रा में सही गोलाबारी की। गम्भीर-रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने शत्रु की मझोली मशीन-गन के एक बैंकर पर हमला कर दिया और एक हथगोला फेंक कर गन को शान्त कर दिया। इस तरह उन्होंने हमले की सफलता में अपना योग दिया।

इस कार्रवाई के दौरान नायक खजूर सिंह ने उच्चकोटि के साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

158. 11193273 नायक ढोंडी राम मांसोडे
एयर डिफेंस रेजिमेंट (प्रादेशिक सेना)

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर 1971)

5 दिसम्बर, 1971 को जब नायक ढोंडी राम मांसोडे एक संस्थापन की चौकसी पर तैनात एयर डिफेंस बैटरी की एक टुकड़ी की कमान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी तोप से सही गोलाबारी कर के पाकिस्तान के एक सैबर जैट को मार गिराया।

इस कार्रवाई में नायक ढोंडी राम मांसोडे ने उच्चकोटि के साहस और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

159. 285359 नायक निहाल सिंह पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 दिसम्बर, 1971)

नायक निहाल सिंह राजस्थान क्षेत्र में एक छापे के दौरान कमांडो दल में थे। जब वे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके दल पर दुश्मन ने घात लगाई। वे फौरन आगे बढ़े और अपनी निजी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए उन्होंने लपक कर दुश्मन के दो कार्मिकों को मार डाला।

इस कार्रवाई में, नायक निहाल सिंह ने प्रशंसनीय साहस, दृढ़-निश्चय और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

160. 2743291 नायक शामू भोसले
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—11 दिसम्बर 1971)

11 दिसम्बर, 1971 को नायक शामू भोसल को पूर्वी क्षेत्र में एक रक्षित चौकी पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। उनके सैक्शन के मोर्चे पर पहुंचते ही शत्रु का एक दल चौकी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हमारे सैनिकों ने शत्रु के दल पर जब गोलाबारी की, तो शत्रु के लगभग 45 सैनिक नायक भोसले से करीब 15 गज की दूरी पर अपनी गाड़ियों से कूद पड़े और उन्होंने उनके मोर्चे पर आक्रमण कर दिया। अपनी जान की तनिक परवाह न करते हुए, उन्होंने अपनी हल्की मशीनगन से शत्रु पर गोलाबारी करके उसके 15 सैनिक मार दिये और बाकी सैनिकों को भगदड़ में पीछे हटना पड़ा। बाद में शत्रु ने जबरदस्त जवाबी हमला किया, लेकिन नायक शामू भोसले ने अपने जवानों को इतना जोश दिलाया कि शत्रु का हमला विफल कर दिया गया।

इस कार्रवाई के दौरान नायक शामू भोसले ने उच्चकोटि के व्यावसायिक कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया।

161. 2645231 नायक सरदार खां
ग्रेनेडियर्स

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रिया के दौरान नायक सरदार खां पूर्वी क्षेत्र में तैनात ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन में सेक्शन कमाण्डर थे। इस बटालियन की एक कम्पनी को एक ऐसे इलाके पर अधिकार करने का काम सौंपा गया, जहां दुश्मन भारी तादाद में था। लक्ष्य पर पहुंचने पर इस कम्पनी पर वो बैंकरों से घनी और सही गोलाबारी होने लगी तो नायक सरदार खां अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करके एक बंकर की तरफ लपके और अपनी स्टेन गन से गोली दाग कर उन्होंने दुश्मन के वो सैनिक मार दिये। वे फिर दूसरे बंकर तक रेंग कर पहुंचे और उन्होंने ग्रेनेड फेंक कर दुश्मन की गन को शान्त कर दिया।

इस कार्रवाई में नायक सरदार खां ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

162. 2550753 नायक भास्करन
मद्रास रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर 1971)

12 दिसम्बर, 1971 की रात को फिरोजपुर क्षेत्र के एक इलाके में उनकी प्लाटून जब उस चौकी पर हमला कर रही थी, जो दुश्मन के अधिकार में थी, तो नायक भास्करन ने देखा कि दुश्मन की एक मझोली मशीनगन हमारे प्रहार में अड़चन डाल रही है। उन्होंने तुरन्त मशीनगन बंकर पर हमले के लिये अपने सैक्शन का नेतृत्व किया। दुश्मन की एक हल्की मशीनगन की गोलाबारी से उनके सैक्शन को एक ही जगह पर रोके रखा। इसके बावजूद नायक भास्करन शत्रु की भारी गोलाबारी में नीचे से रेंग कर आगे बढ़े और उन्होंने एक हथगोला उछाल कर शत्रु की हल्की मशीनगन को तबाह कर दिया। इसके तुरन्त बाद वे मझोली मशीनगन की तरफ लपके और उसे भी शान्त कर दिया। दुश्मन उनकी हरकत से पूरी तरह घबरा गया और चौकी छोड़ कर भाग गया।

इस कार्रवाई में नायक भास्करन ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

163. 3963905 लांस नायक मेघराज सिंह
जम्मू और कश्मीर राइफल्स

लांस नायक मेघराज सिंह, जम्मू और कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन की प्लाटून में हल्की मशीनगन टुकड़ी के कमाण्डर थे। यह प्लाटन, पूर्वी क्षेत्र के एक रक्षित इलाके में मोर्चा सम्भाले हुए थे। इस रक्षित इलाके पर अधिकार करने के लिये दुश्मन ने भारी और लगातार तोपखाने की गोलाबारी के साथ तीन बार जबरदस्त हमले किये। हर बार, तोपखाने और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी के बावजूद लांस नायक मेघराज सिंह अपनी हल्की मशीनगन लेकर खाई से बाहर निकल आये और बगल में मोर्चा लेकर उन्होंने प्रहार सैन्य दलों पर कारगर गोलीबारी की, जिसके कारण दुश्मन का प्रहार विफल कर दिया गया।

आद्योपान्त, लांस नायक मेघराज सिंह ने उच्चकोटि के साहस, पहलशक्ति और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

164. 3357370 लांस नायक हरभजन सिंह
सिख रेजिमेंट

लांस नायक हरभजन सिंह उस कम्पनी के नेतृत्व करने वाले सैक्शन के सेक्शन कमाण्डर थे जिसे पूर्वी क्षेत्र के एक स्थान में दुश्मन के मोर्चों के करीब पहुंचने का कार्य सौंपा गया था। जब उनकी कम्पनी दुश्मन के मोर्चे से केवल 300 गज की दूरी पर रह गई तो उन पर दुश्मन ने छोटे हथियारों से सही और घनी गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सैक्शन को इस तरह तैनात किया कि वह दुश्मन के मोर्चों पर छाया रहा। हल्की मशीनगन खुद चलाते हुए लांस नायक हरभजन सिंह बराबर आगे बढ़ रहे थे। इसी समय दुश्मन की मशीनगन की गोली उन्हें लगी। इसके बावजूद वे आगे की तरफ रेंगते रहे और उन्होंने एक अच्छा मोर्चा लेकर दुश्मन के पिलबाक्स को नष्ट कर दिया। इसके बाद अपने घावों की तनिक परवाह किये बिना उन्होंने अपने सैक्शन को तैनात किया और यह देखा कि उनके जवान पूरी तरह गड्ढों में छिप गये हैं।

इस कार्रवाई में लांस नायक हरभजन सिंह ने उच्चकोटि के वीरता, नेतृत्व और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

165. 1275280 लांस नायक श्रीपति सिंह आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि 12 दिसम्बर 1971)

लांस नायक श्रीपति सिंह पश्चिमी क्षेत्र में एक रेडार संस्थापन के बचाव के लिये तैनात वायु रक्षा टुकड़ी की रेडार यूनिट के कमाण्डर थे। 4 दिसम्बर, 1971 को शत्रु ने एक 104 स्टार फाइटर

वायुयान द्वारा इस संस्थापन पर हमला कर दिया । लांस नायक श्रीपति सिंह ने अपने रेडार सैट पर हमला करने वाले शत्रु के वायुयान पर अपना रेडार ट्रेकर देख कर लगाये रखा और इस प्रकार जीवट और दृढ़ता का परिचय दिया । गम्भीर रूप से घायल हो जाने के बावजूद भी वे शत्रु के वायुयान का उस समय तक पीछा करते रहे जब तक कि इसे मार नहीं गिराया गया ।

इस कार्रवाई के दौरान लांस नायक श्रीपति सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

166. 4244322 लांस नायक चन्द्रकेत प्रसाद यादव
बिहार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर 1971)

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध की गई सक्रियाओं के दौरान लांस नायक चन्द्रकेत प्रसाद यादव पूर्वी क्षेत्र में तैनात बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन की राकेट-लांचर टुकड़ी के कमाण्डर थे । 16 दिसम्बर, 1971 को लगभग 12.15 बजे दुश्मन के एक कान्वाय ने बटालियन द्वारा सड़क पर लगाई गई रुकावट को हटाने की कोशिश की । इस कान्वाय में गोलाबारूद से लदी लगभग 10 लारियां थी और इनके अनुरक्षण के लिये एक लारी पर मझोली मशीन गनें लगी हुई थी और दो शैफी टैंक थे । दुश्मन के एक टैंक ने कम्पनी और बटालियन के हैडक्वार्टरों पर गोलीबारी की । लांसनायक यादव ने उस टैंक को तबाह करने का जिम्मा खुद लिया जो हमारे सैनिकों को हलाहत कर रहा था । वे टैंक के 10 गज पास तक पहुंच गये और राकेट लांचर से दुश्मन के टैंक को नष्ट कर दिया ।

लांस नायक चन्द्रकेत प्रसाद यादव ने उच्चकोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया ।

167. 4042984 लांस नायक गबर सिंह नेगी गढ़वाल
राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—17 दिसम्बर 1971)

16/17 दिसम्बर, 1971 की रात को गढ़वाल राइफल्स की एक बटालियन को पश्चिमी क्षेत्र में दुश्मन के इलाकों पर छापा मारने का आदेश दिया गया था । लक्ष्य की ओर बढ़ते समय जब हमारी बटालियन एक सुरंग क्षेत्र के बीच से गुजर रही थी कि अचानक दो कार्मिक-रोधी सुरंगें फट गई । इसके धमाके से दुश्मन चौकन्ना हो गया और अपने तोपखाने और छोटे हथियारों से हमारे सैन्यदल पर भारी गोलीबारी करने लगा । लांस नायक गबर सिंह नेगी छापा मारने वाली सबसे अगली टोली का नेतृत्व कर रहे थे । जब उनकी टोली दुश्मन की बंकर से 100 गज दूर रह गई तो शत्रु ने मझोली मशीनगन से गोलीबारी करना शुरू कर दिया । लांस नायक गबर सिंह नेगी, एक जवान को साथ लेकर दुश्मन के बंकर की ओर रेंग कर गये और उसमें ग्रेनेड फेंका । इसके बाद उन्होंने चौकी पर धावा बोल दिया और दुश्मन के दो जवान मार दिये तथा उसकी मशीनगन को अपनी छापामार टोली के लिये ले आये ।

इस कार्रवाई में, लांस नायक गबर सिंह नेगी ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

168. 2959144 लांस नायक विशेश्वर सिंह राजपूत
रेजीमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर 1971)

13 दिसम्बर, 1971 को राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन को पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन के एक ठिकाने पर अधिकार करने के आदेश दिये गये थे । दुश्मन के बगली मशीनगन बंकर से घनी और सही गोलीबारी की वजह से एक कम्पनी का हमला रुक गया । लांस नायक विशेश्वर सिंह कम्पनी के एक सैक्शन कमांडर थे । उन्हें दुश्मन की मशीनगन को बेअसर करने का कार्य सौंपा गया था । ये दुश्मन के घनी गोलीबारी के बावजूद एक बंकर तक रेंग कर गये और बंकर में हथगोला फेंका और गन को शान्त कर दिया । इसके पश्चात् वे एक दूसरे बंकर की तरफ गये परन्तु इसी बीच उनकी जांघ में मशीनगन की गोली लगी और वे गम्भीर रूप से घायल हो गये । बिना झिझके वे आगे बढ़ते रहे और उन्होंने दूसरे बंकर को भी बेअसर करने में सफलता पाई । जब वे अपनी कम्पनी को लौट रहे थे, उन्होंने अपने एक जवान को सुरंग क्षेत्र में घायल अवस्था में पड़े देखा । अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना वे सुरंग-क्षेत्र में घुस गये और उन्होंने अपने साथी को उठा लिया । जब वे घायल जवान को लेकर लौट रहे थे, उनका पैर एक सुरंग पर पड़ गया और पैर उड़ गया ।

इस कार्रवाई में, लांस नायक विशेश्वर सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़ निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया ।

169. 9408833 राइफलमैन धन बहादुर राय गोरखा
राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—7 दिसम्बर 1971)

7 दिसम्बर, 1971 को पश्चिमी क्षेत्र में एक इलाके में कार्रवाई करने वाले हमारे सैनिकों पर शत्रु के हवाई जहाजों ने भारी हमला किया । हर उड़ान में शत्रु ने 6 से 8 तक हवाई जहाजों का प्रयोग किया और हमारे सैनिकों पर गोलीयां बरसाई और बमबारी की । इस तरह के एक हवाई हमले के दौरान राइफलमैन धन बहादुर राय अपनी खाई से बाहर निकल आये और अपनी हल्की मशीनगन से शत्रु के हवाई जहाज पर गोलीबारी की और एक मिग हवाई जहाज को मार गिराया । इस तरह उनकी वजह से दुश्मन का एक विमान चालक पकड़ा गया ।

इस कार्रवाई में, राइफलमैन धन बहादुर राय ने उच्चकोटि की वीरता, और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया ।

170. 1038560 सवार जय सिंह
9वीं हार्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर 1971)

सवार जय सिंह, 4 दिसम्बर, 1971 को शुम्ब क्षेत्र में तैनात रेजिमेंट हैडक्वार्टर के टैंक गनर थे । उनके टैंक पर दुश्मन ने लगभग पूरी टैंक स्क्वैड्रन की मदद से हमला कर दिया । भारी गोलाबारी के बावजूद ये अपनी गन से अचूक गोलीबारी करते रहे और उन्होंने दुश्मन के 7 टी-59 टैंक और 1 रिकायललैस गन नष्ट कर दी । 5 दिसम्बर, 1971 को उन्होंने दुबारा दुश्मन पर गोले बरसाये और उसके दो टैंक और तीन रिकायललैस गनें नष्ट कर दी । इन्ही

नुकसानों की वजह से, सवार जय सिंह, 'देवा अक्ष' पर दुश्मन की बढ़ती हुई बख्तर सेना को रोकने में सहायक हुये।

आद्योपान्त, सवार जय सिंह ने, उच्चकोटि की वीरता और व्यावसायिक कौशल का परिचय दिया।

171. 12279927 सैपर दुर्गा शंकर
इंजीनियर्स कोर

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर 1972

12 दिसम्बर, 1971 को सैपर दुर्गा शंकर, राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन के इलाके में 27 किलोमीटर भीतर एक रसद गाड़ी को चला कर ले जा रहे थे तो उसी दौरान उन पर पाकिस्तान के 6 सैबर जेट जहाजों ने राकेट और दाहक बमों से हमला किया। एक दाहक बम उनसे केवल 2 मीटर परे गिरा, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये। लेकिन अपने घावों की परवाह न करके और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बावजूद गाड़ी को नुकसान से बचाने के लिये उन्होंने उसे उलटा चलाना शुरू किया। लेकिन पटरी टूटी होने की वजह से गाड़ी पटरी से उतर गई तो उन्होंने अपने घावों की डाक्टरी चिकित्सा से इंकार कर दिया और तुरंत अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देने के लिये वे पांच मील पैदल चल कर गये।

इस कार्रवाई के दौरान सैपर दुर्गा शंकर ने उच्चकोटि की वीरता, पहल-शक्ति और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

172. 1243715 गनर (आपरेटर रेडियो आर्टिलरी)
अजीत सिंह, आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—8 दिसम्बर 1971)

गनर अजीत सिंह, 8 दिसम्बर, 1971 की रात को फाजिल्का क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर हमले के दौरान आगेवर्ती प्रेक्षण अफसरों की टोली के साथ रेडियो आपरेटर थे। प्रहार के दौरान उन्हें गोले की किर्च लगी और वे बुरी तरह घायल हुये। अपने घावों की तनिक परवाह किये बिना वे रेडियो सैट को बराबर औपरेट करते रहे और आदेशों को प्रसारित करते रहे, जिसकी वजह से दुश्मन पर तोपखाने की सही गोलाबारी की जा सकी

इस कार्रवाई में गनर अजीत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

173. 4535016 पैराट्रूपर बैजनाथ शिन्दे
पैराशूट रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि-11 दिसम्बर 1971)

11 दिसम्बर, 1971 की रात पैराट्रूपर बैजनाथ शिन्दे पैराशूट रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी की राकेट लांचर टुकड़ी के साथ थे, जो पूर्वी क्षेत्र में एक मोर्चा सम्भाले हुये थी। जैसे ही सैन्य टुकड़ियां अपने मोर्चों पर पहुंची, दुश्मन की एक कान्वाय उस मोर्चे की ओर आती हुई देखी गई। पैराट्रूपर बैजनाथ शिन्दे ने एक गाड़ी पर गोली चलाई जिसकी वजह से 120 मिलीमीटर का मार्टर नष्ट हो गया और दुश्मन के 23 कार्मिक मारे गये। इस कार्रवाई के बाद भी वे दुश्मन पर गोलीबारी करते रहे जिससे उसकी भारी क्षति हुई। उस इलाके में वे सबसे आगे की खाई पर अधिकार किये हुये थे और उन्होंने अपनी प्लाटून पर होने वाले निश्चित प्रहारों का सबसे आगे रह कर मुकाबला किया। जब उनके प्लाटून कमाण्डर उनकी खाई तक आगे बढ़कर आये तो इसी बीच वे घायल हो गये। पैराट्रूपर शिन्दे अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना अपनी खाई से बाहर आये और अपने प्लाटून कमाण्डर को सुरक्षित स्थान पर ले आये। हालांकि उन्हें दुश्मन की गोली लग गई थी, फिर भी वे अपनी चौकी पर उस समय तक डटे रहे, जब तक कि दुश्मन का हमला विफल न कर दिया गया।

इस कार्रवाई में पैराट्रूपर बैजनाथ शिन्दे ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़निश्चय और कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

174. 2647494 ग्रेनेडियर राम कुमार
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर 1971)

ग्रेनेडियर राम कुमार ने शकरगढ़ क्षेत्र में ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन की आक्रामक संक्रियाओं में हिस्सा लिया। 16 दिसम्बर, 1971 की सुबह, जब उनकी कम्पनी आगे बढ़ रही थी तो उस पर दुश्मन के एक बंकर से मझोली मशीनगन की सही गोलीबारी पड़ने लगी। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करके ग्रेनेडियर राम कुमार रेंगकर बंकर तक पहुंचे और उसके अंदर की ओर गोलीबारी करने लगे। उन्होंने न सिर्फ गन को ही शान्त किया बल्कि उस गन को चलाने वाले तीन पाकिस्तानी सैनिकों को भी पकड़ लिया।

इस कार्रवाई में, ग्रेनेडियर राम कुमार ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

175. 1043502 सवार मोहन सिंह
17वीं हार्स

सवार मोहन सिंह शकरगढ़ क्षेत्र में 'बसंतार नदी' की लड़ाई में 17वी हार्स की स्कवाड्रन के ट्रूप लीडर के टैंक के गनर थे। 16 दिसम्बर, 1971 को दुश्मन ने टैंकों से भयंकर जवाबी हमला किया। सवार मोहन सिंह ने, भारी दिक्कतों के बावजूद दुश्मन के कई टैंकों पर गोले बरसाये और उनमें से पांच को उन्होंने स्वयं नष्ट किया।

इस कार्रवाई में सवार मोहन सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

176. 2658007 ग्रेनेडियर अमृत
ग्रेनेडियर्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—16 दिसम्बर 1971)

16 दिसम्बर, 1971 को ग्रेनेडियर्स की एक बटालियन की एक कम्पनी को शकरगढ़ क्षेत्र में दुश्मन के मोर्चों की टोह लेने का कार्य सौंपा गया था। जब ग्रेनेडियर अमृत चार और जवानों के साथ, अलग-थलग रह गये और एक गांव में दुश्मन से घिर गये, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना दुश्मन पर धावा बोला और तीन जवानों को मार गिराया।

इस कार्रवाई में, ग्रेनेडियर अमृत ने उच्चकोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

177. 5840320 राइफलमैन उदय बहादुर खत्री
9वीं गोरखा राइफल्स

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—15 दिसम्बर 1971)

राइफलमैन उदय बहादुर खत्री, 9वीं गोरखा राइफल्स की एक बटालियन की एक कम्पनी के सदस्य थे। 14/15 दिसम्बर, 1971 की रात को उनकी कम्पनी को आदेश दिया गया कि वह उस कम्पनी को कुमुक पहुंचाये जिससे शकरगढ़ क्षेत्र में एक स्थान पर पहले अधिकार कर लिया था और दुश्मन के दो जबरदस्त जवाबी हमलों को विफल करने में उसके काफी जवान हताहत हुये थे जब उनकी कम्पनी लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी, तो उस पर किनारे पर बने दुश्मन के बंकर से मझोली मशीनगन का सही और घनी गोलीबारी होने लगी। राइफलमैन उदय बहादुर खत्री ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना मशीनगन चौकी पर धावा बोला और चौकी पर एक हथगोला फेंका। लेकिन इससे भी गन शान्त न हो सकी। तब राइफलमैन उदय बहादुर खत्री मझोली मशीनगन चौकी तक रेंग कर गये और छिद्र से बंकर के अन्दर हथगोला फेंक कर गन को शान्त कर दिया।

इस कार्रवाई में राइफलमैन उदय बहादुर खत्री ने उच्चकोट की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

178. 361952 सिपाही रछपाल सिंह
सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—5 दिसम्बर 1971)

सिपाही रछपाल सिंह, सिख रेजिमेंट की एक बटालियन के कम्पनी-इलाके में तैनात उस रिकायललैस गन टुकड़ी के कर्मीदल में शामिल थे, जो छम्ब क्षेत्र में फागला टीले पर डटी हुई थी। 5 दिसम्बर, 1971 को, दुश्मन ने पक्के इरादे के साथ हमला कर दिया और कम्पनी के रक्षित इलाके में घुस आने में कामयाब हो गया। 8 पाकिस्तानी सैनिकों ने, रिकायललैस गन टुकड़ी को नष्ट करने के लिये उस पर धावा किया। दुश्मन से मुठभेड़ की लड़ाई लड़ने वालों में सिपाही रछपाल सिंह भी थे। उन्होंने गोलीमार कर और अपनी संगीन का इस्तेमाल करके 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला और एक हल्की मशीनगन और दो राइफलों पर अधिकार कर लिया। परिणामस्वरूप दुश्मन तितिर-बितर होकर पीछे हट गया।

इस कार्रवाई के दौरान सिपाही रछपाल सिंह ने उच्चकोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

179. 1193311 गनर टेक राम
आर्टिलरी रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर 1971)

9 दिसम्बर, 1971 को राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर, कुमाऊं रेजिमेंट की एक बटालियन ने हमला किया, जिसके गनर टेक राम, अग्रिम प्रेक्षण अफसर की टोली के रेडियो चालक थे। दुश्मन के तोपखाने और छोटे हथियारों की भारी गोलाबारी के बावजूद गनर टेक राम ने रेडियो संचार बनाये रखा जिसकी वजह से हमारी तोपें दुश्मन के ठिकानों को बेअसर कर सकीं और हमला सफल हुआ।

इस पूरे हमले के दौरान, गनर टेक राम ने उच्चकोटि के साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

180. 3364799 सिपाही सम्पूरन सिंह
सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—3 दिसम्बर 1971)

सिपाही सम्पूरन सिंह, जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में एक रक्षित इलाके के आगे तैनात श्रवण चौकी (लिसनिंग पोस्ट) की टोली के सदस्य थे। जब दुश्मन इस रक्षित इलाके में पूरी बटालियन के साथ आ पहुंचा तो भी वे श्रवण चौकी पर डटे रहे और हल्की मशीनगन से दुश्मन पर गोलियां बरसाते रहे जिससे दुश्मन दो घंटे से भी ज्यादा देर तक हमला न कर सका। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद सिपाही सम्पूरन सिंह उस समय तक गोलियां चलाते रहे जब तक कि वे बेहोश न हो गये।

इस कार्रवाई में, सिपाही सम्पूरन सिंह ने उच्चकोटि के साहस दृढ़निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

181. 2756356 सिपाही कृष्णा जगदले,
मराठा लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—4 दिसम्बर 1971)

सिपाही कृष्णा गजगदले मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की एक बटालियन की उस कम्पनी में शामिल थे जिससे पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन के ठिकाने पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। इस ठिकाने से दुश्मन को हटाने के लिये 'बी' कम्पनी की टैंकों का एक ट्रुप भी दिया गया था। हमले के दौरान इस कम्पनी पर दुश्मन की मशीनगन और तोपखाने की अत्यधिक गोलीबारी होने लगी जिससे उनका हमला रुक गया। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुये सिपाही कृष्णा जगदले इस मझोली मशीनगन के बंकर की तरफ रगते हुये बढ़े और एक ग्रेनेड फेंक कर उसे शान्त कर दिया। इसके बाद वे अपनी हल्की मशीनगन से दुश्मन की बाकी मशीनगन चौकियों पर तब तक गोलीबारी करते रहे जब तक कि उन्हें शान्त न कर दिया गया।

इस कार्रवाई में, सिपाही कृष्णा जगदले ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

182. 4444564 सिपाही बूटा सिंह
सिख लाइट इन्फैन्ट्री

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—12 दिसम्बर 1971)

सिपाही बूटा सिंह, सिख लाइट इंफैन्ट्री की बटालियन की एक कम्पनी के साथ थे, जिससे पश्चिमी क्षेत्र के एक इलाके में तैनात किया गया था। वह कम्पनी एक इलाके पर अधिकार कर लेने के बाद पुनर्गठित हो रही थी कि दुश्मन ने तोपखाने और मार्टरों की गोलाबारी के साथ जवाबी हमला कर दिया। सिपाही बूटा सिंह ने दुश्मन के दो सैनिकों को नजदीक से देखा। अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना वे अपनी खाई से बाहर निकले और कुल्हे से फायर शुरू कर दिया। उन्होंने दुश्मन के एक सैनिक को गोली से और दूसरे को संगीन से मार दिया। इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई को देख कर उनके सैक्शन के दूसरे जवान खाइयों से निकल आये और हमलावर दुश्मन पर टूट पड़े जिससे दुश्मन के जवान भारी संख्या में हताहतर हुये और उसका हमला विफल हो गया।

इस कार्रवाई में, सिपाही बूटा सिंह ने उच्चकोटि की वीरता दृढ़निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

183. 2760210 सिपाही हनमन्त कृष्ण मोरे, मराठा लाइट इन्फैन्ट्री ।

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—9 दिसम्बर, 1971)

सिपाही हनमन्त कृष्ण मोरे, मराठा लाइट इन्फैन्ट्री की उसी बटालियन की एक कम्पनी के साथ थे, जिसे पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया गया था। हमले के दौरान दुश्मन की एक मशीनी मशीनगन ने बाजू से गोली चलाना शुरू कर दिया जिससे हमारे बहुत से जवान हताहत हो गये। सिपाही हनमन्त कृष्ण मोरे ने अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना मशीनी मशीनगन चौकी पर धावा बोल दिया और उसमें एक ग्रेनेड फेंका। इसके बाद वे खाई के अन्दर कूद गये और उन्होंने कर्मीदल को मार डाला। इस कार्रवाई में मशीनगन की गोलियों की बौछार से वे घायल हो गये। अपने घावों की परवाह किये बिना उन्होंने दुश्मन की एक मशीनी मशीनगन चलानी शुरू कर दी और पीछे भागते हुए दुश्मन पर गोलीबारी की जिससे भारी संख्या में दुश्मन हताहत हुआ।

इस कार्रवाई में सिपाही हनमन्त कृष्ण मोरे ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया ।

184. 4440674 सिपाही कचरू साल्वे, महार रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि-11 दिसम्बर, 1971)

10/11 दिसम्बर, 1971 की रात में शकरगढ़ क्षेत्र के एक स्थान में महार रेजिमेंट की एक बटालियन को दुश्मन के एक मोर्चे पर अधिकार करने का काम सौंपा गया था। इस मजबूत किलाबन्द मोर्चे पर दुश्मन भारी संख्या में था और इसकी सुरक्षा के लिये गहरा सुरंग क्षेत्र भी बना रखा था। प्रहार करने वाली कम्पनियों पर दुश्मन ने तोपखाने और छोटे हथियारों की घनी गोलाबारी की परन्तु फिर भी वे लक्ष्य पर अधिकार करने में सफल हुई। इस प्रहार के दौरान बहुत से जवान हताहत हुए जिनमें बहुत से जवान सुरंग क्षेत्र में पड़े हुए थे। प्रातः होते ही यह देखा गया कि एक सिपाही सुरंग क्षेत्र में जिन्दा पड़ा है एक जूनियर कमीशन्ड अफसर के अधीन एक छोटी गश्त को उसे निकालने के लिए भेजा गया परन्तु दुश्मन के ठिकानों से बगली भागों पर छोटे हथियारों से गोलाबारी होने के कारण ये आगे न बढ़ सके। ऐसे समय सिपाही कचरू साल्वे ने यह समझ कर कि देरी होने से उसका साथी न बच पाये, सुरंग क्षेत्र में जाने और घायल जवान को निकालने के लिये स्वयं को प्रस्तुत किया। वे सुरंग क्षेत्र में घुस गये और दुश्मन की मशीनी मशीनगन की गोलाबारी की परवाह न करते हुए घायल सिपाही को सुरक्षित ले आने में सफल हुए।

इस कार्रवाई में सिपाही कचरू साल्वे ने उच्चकोटि की वीरता, और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

185. 3365976 सिपाही मोहन सिंह, सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—13 दिसम्बर, 1971)

सिपाही मोहन सिंह, 13 दिसम्बर, 1971 को राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन के इलाके पर हमारी प्रहार कर रही कम्पनियों में से एक के साथ थे। जैसे ही उनकी प्लाटून लक्ष्य के नजदीक पहुंची, दुश्मन ने उस पर बगल में लगी मशीनगन से सही और घनी गोली बारी शुरू कर दी। सिपाही मोहन सिंह ने, अपनी जान की परवाह किये बिना एक और सिपाही को साथ लेकर दुश्मन की मशीन चौकी पर धावा बोल दिया। ऐसा करते समय उनकी बाईं टांग में दुश्मन की एक मशीनी मशीनगन की गोली आ लगी और वे बुरी तरह जख्मी हो गये। जख्मों पर ध्यान दिये बिना वे दुश्मन के बंकर तक रेंग कर गये; छिद्र में से अंदर ग्रेनेड फैंक कर, दुश्मन के तीन तीन जवानों को मार दिया और मशीनी मशीनगन को शान्त कर दिया। इस कार्रवाई के बाद उनकी कम्पनी ने लक्ष्य पर अधिकार कर लिया।

इस कार्रवाई में, सिपाही मोहन सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

186. 3554638 एन० सी० (ई०) मंगत राम, सिख रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि— 4 दिसम्बर, 1971)

एन०सी० (ई०) मंगत राम, उस कम्पनी के सदस्य थे जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में एक रक्षित इलाके में डटी हुई थी। दुश्मन ने एक बटालियन की ताकत से और भारी तोपखाने के साथ इस इलाके पर बार-बार हमले किये। अपनी निजी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना वे दुर्गम पहाड़ी भूभाग से अग्रिम रक्षित इलाकों में गोला बारूद बराबर पहुंचाते रहे।

इस कार्रवाई में एन० सी० (ई०) मंगत राम ने उच्चकोटि के साहस और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

187. 2951940 सिपाही उदय राज सिंह, राजपूत रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि— 11 दिसम्बर, 1971)

11 दिसम्बर, 1971 को, सिपाही उदय राज सिंह राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी के साथ थे। इस कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में दुश्मन के एक ठिकाने पर हमला करने का काम सौंपा गया। हमले के लिये यह कम्पनी जैसे ही लक्ष्य से आधी दूर पहुंची तो दुश्मन ने मशीनगन से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। सिपाही उदय राज सिंह, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना आगे बढ़े और मोर्चा जमाकर दुश्मन की मशीनगन पर गोलाबारी शुरू कर दी। बाद में, वे बंकर की ओर बढ़े और अन्दर कूद कर कर्मीदल को मार दिया। इसके बाद अपने सैक्शन के साथ बंकर-बंकर में लड़ते हुए लक्ष्य पर अधिकार करने में उन्हीं की बदौलत सफलता मिली।

इस कार्रवाई में सिपाही उदय राज सिंह ने उच्चकोटि के दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

188. 4156190 सिपाही गंगा सिंह कुमायूं रेजिमेंट

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—14 दिसम्बर, 1971)

14 दिसम्बर, 1971 को सिपाही गंगा सिंह कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन की एक कम्पनी के साथ लाइट मशीन गनर थे। इस कम्पनी को पूर्वी क्षेत्र में मैनामती छावनी पर हमला करने का काम सौंपा गया। दुश्मन की मशीनगन और तोपखाने के भारी गोलाबारी के कारण यह कम्पनी रुकी रही। सिपाही गंगा सिंह, अपनी सुरक्षा की तनिक परवाह किये बिना, दुश्मन की

मशीनगन के बंकर पर रेंग कर गये और अपनी लाइट मशीनगन द्वारा बंकर के सूराख में गोली चला कर बंकर के अन्दर दुश्मन को मार दिया। बंकर-बंकर जा कर उन्होंने तीन बंकर साफ कर दिये। इसके बाद वे रेंगकर आगे बढ़े और तीन हताहतों के पास पहुंचे और दुश्मन के तोपखाने व मशीनगन की भारी गोलाबारी के बावजूद उन्हें वहां से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर ले आए।

इस कार्रवाई में, सिपाही गंगा सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

189. 5744329 राइफलमैन पदम बहादुर थापा,
8वीं गोरखा राइफल्स,

(पुरस्कार की प्रभावी तिथि—6 दिसम्बर, 1971)

6 दिसम्बर, 1971 को राइफलमैन पदम बहादुर थापा, गोरखा राइफल्स की बटालियन की एक कम्पनी के साथ थे। इस कम्पनी को पश्चिमी क्षेत्र में दुश्मन के एक ठिकाने पर हमला करने का काम सौंपा गया। बाजू से फायर करती हुई दुश्मन की मशीनगन से हमारे जवान हताहत होने लगे जिससे हमले की प्रगति रुक गई। राइफलमैन पदम बहादुर थापा, अपनी खुकरी निकालकर दुश्मन के मोर्चे की ओर लपके और उन्होंने मशीनगन के चालक को मार दिया इसके बाद उन्होंने दुश्मन की चौकी के अन्य चार सैनिकों पर हमला किया और उन सभी को मार दिया।

इस कार्रवाई में, राइफलमैन पदम बहादुर थापा ने उच्चकोटि की वीरता और दृढ़-निश्चय का परिचय दिया।

190. सहायक कम्पनी कमाण्डर जी० वी० वेलंकर

सहायक कम्पनी कमाण्डर जी० वी० वेलंकर ने पूर्वी क्षेत्र के किसी स्थान में अपनी कम्पनी का आगे बढ़ने में, साहस और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व किया। दुश्मन ने अपनी एक चौकी से जबरदस्त गोलाबारी करके कम्पनी को आगे बढ़ने से रोक दिया। यह एक मजबूत किलाबंद मोर्चा था और यहां पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप के आदमी अधिक संख्या में मौजूद थे। अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना दुश्मन के मोर्चे पर धावा करने में उन्होंने अपने जवानों का नेतृत्व किया और भयंकर लड़ाई लड़कर उस पर अधिकार कर लिया।

इस कार्रवाई में सहायक कम्पनी कमाण्डर जी० वी० वेलंकर ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और नेतृत्व का परिचय दिया।

191. श्री चन्दन सिंह चन्देल (1265)
सहायक कमांडेंट,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री चन्दन सिंह चन्देल, सीमा सुरक्षा दल के बटालियन की एक कम्पनी की कमान कर रहे थे। 10 दिसम्बर, 1971 को कच्छ क्षेत्र में स्थित दुश्मन की मजबूती से किलेबन्द मोर्चे पर उनकी कम्पनी ने हमला किया। दुश्मन के पास मार्टर, मशीनगनें और टैंक-रोधी हथियार थे। हमले के दौरान दुश्मन ने उनकी कम्पनी पर भारी और संकेन्द्रित गोलाबारी की और उन्हें वहीं रोक दिया। वह अपनी जान की तनिक परवाह न करते हुए एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक गये और अपने जवानों को हमले का दबाव बढ़ाने के लिये उकसाते और उत्साहित करते रहे। उनके प्रेरणादायक नेतृत्व और निजी उदाहरण का लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा हाथ था।

इस कार्रवाई में श्री चन्दन सिंह चन्देल ने उदाहरणीय साहस, नेतृत्व और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

192. श्री अजीत सिंह,
सब-इंस्पेक्टर 66232027,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री अजीत सिंह पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी पर हमले के दौरान प्रहार सैन्यदलों के साथ थे। हमारे बढ़ते हुये सैनिकों पर दुश्मन की मझौली मशीनगनें बहुत ही निकट से गोलीबारी करने लगीं। अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुए वे एक मझौली मशीन गन मोर्चे की तरफ लपके और दुश्मन के हाथों से हथियार छीन कर उसे मार डाला। समय पर मझौली मशीनगन को नष्ट करके श्री अजीत सिंह ने हमले को सफल बनाया।

इस कार्रवाई में श्री अजीत सिंह ने उच्चकोटि की वीरता, दृढ़-निश्चय और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया।

193. श्री हरी सिंह,
हैड कांस्टेबल 68176022,
सीमा सुरक्षा दल।

14 दिसम्बर, 1971 को कम्पनी के हैड कांस्टेबल हरी सिंह को राजस्थान क्षेत्र में दुश्मन की एक चौकी से आगे आवरण चौकी स्थापित करने का आदेश दिया गया था। जब वह अपनी चौकी में चले गये तो 50-60 पाकिस्तानी रेंजर्स और अस्थायी सैनिकों ने मझौली मशीन गनों से हमला कर दिया। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बावजूद श्री हरी सिंह ने अपने जवानों को डटे रहने के लिये प्रोत्साहित किया और जब तक और कुमुक नहीं पहुंच गई, उन्होंने दुश्मन को रोके रखा। बाद में दुश्मन ने इस चौकी पर दबाव बढ़ा दिया जिससे आवरण चौकी को कुमुक पहुंचाना कठिन हो गया। भारी गोलाबारी और दुश्मन के हमले का दबाव बढ़ने के बावजूद श्री हरी सिंह ने कड़ा मुकाबला किया और अपनी चौकी पर डटे रहे।

इस कार्यवाही में, हैड कांस्टेबल हरी सिंह ने उच्चकोटि की वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया।

194. 67276037 नायक चानन सिंह,
सीमा सुरक्षा दल।

नायक चानन सिंह, पाकिस्तान के विरुद्ध हाल की संक्रियाओं के दौरान पश्चिमी क्षेत्र के एक स्थान में सीमा सुरक्षा दल की बटालियन के आवरण चौकी के एक सैक्शन की कमान कर रहे थे। 3/4 दिसम्बर, 1971 को काफी ज्यादा तादाद में दुश्मन ने तोपखाने की भारी गोलाबारी की मदद से इस चौकी पर सात बार हमले किये। हमले के दौरान अपनी जान की जरा भी परवाह न करते हुये वह अपने बंकर से बाहर निकल आये और दुश्मन पर अत्यन्त निकट परास से गोलाबारी करने लगे जिससे दुश्मन के काफी जवान हताहत हो गये। उनकी इस कार्रवाई से उनके

जवानों को प्रेरणा मिली और उन्होंने वीरतापूर्वक लड़कर हमले को विफल कर दिया। इस के बाद दुश्मन ने इस चौकी पर 6 बार और हमला करके तेज गोलाबारी की, पर नायक चानन सिंह के प्रेरणादायक नेतृत्व के कारण उनके सैक्शन के जवानों ने दुश्मन के सब हमलों को बेकार कर दिया।

आद्योपान्त, नायक चानन सिंह ने साहस, नेतृत्व और उच्च-कोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 1972

सं० 95—प्रेज/72—राष्ट्रपति सन् 1972 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नांकित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

श्री प्रदीप चन्द्र दास,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
असम।

श्री राजेश्वर लाल,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
बिहार।

श्री ताराक्कद सुब्रहमण्य वेंकटाचलम,
पुलिस अधीक्षक, कोट्टायम्
केरल।

श्री गणेश सिंह,
पुलिस अपर महा निरीक्षक,
राजस्थान।

श्री नटेशन कृष्णस्वामी,
पुलिस उप महा निरीक्षक, (स्थानापन्न)
तामिल नाडु।

श्री सैयद अख्तर अब्बास,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
उत्तर प्रदेश।

श्री सुनीति भूषण सरकार,
पुलिस सहायक आयुक्त,
पश्चिम बंगाल।

श्री जगदीश चन्द्र सरकार,
पुलिस उप निरीक्षक,
अपराध इंटैलिजेंस अनुभाग,
पश्चिम बंगाल।

श्री यशवंत महादेव देशपांडे,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री श्रवण टंडन,
पुलिस महा निरीक्षक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री आर० के० मेहरा,
कमान्डेन्ट
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री अरथील कडेंथ माधवन नाम्बियर,
संयुक्त निदेशक,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

2. ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक से संबन्धित नियमों के नियम 4(ii) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

सं० 96—प्रेज/72—राष्ट्रपति सन् 1972 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नांकित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

श्री प्यापिली वेणु गोपाला कृष्णमाचारयुलु,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
वारंगल,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री सम्बतुरु वीरनारायण रेड्डी,
पुलिस अधीक्षक,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री मर्यादा महेन्द्र रेड्डी,
पुलिस अधीक्षक,
करनूल,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री पलाचोला वेंकट रंगय्या नायडू,
पुलिस उप आयुक्त,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री एराबेली संपत कुमार राव,
पुलिस सहायक महा निरीक्षक,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री बोलमपल्ली श्रीकान्त रेड्डी,
पुलिस अधीक्षक,
मैसूर,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री आमत्र केलोथ चिन्दन नाम्बियार,
कमांडेंट, उरी बटालियन,
ए० पी० एस० पी०, काकीनाडा,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री गंगीरेड्डी राघव रेड्डी,
कमांडेंट, होम गार्ड,
अपराध विभाग में विशेष ड्यूटी पर,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री कंचेरला वेंकट लक्ष्मी नरसिम्हावीरभद्र राव,
पुलिस निरीक्षक,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री वादरेवु रामचन्द्रवु,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री कसरला गोविन्द रेड्डी,
पुलिस निरीक्षक,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री मुल्लम बाबूराव,
पुलिस उप निरीक्षक,
आन्ध्र प्रदेश।

श्री नरेन्द्र नाथ बरसेकिया,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
पूर्वी रेंज,
असम।

श्री कंवर पाल सिंह गिल,
पुलिस अधीक्षक,
जिला कामरूप,
असम।

श्री मदन राम चौधरी,
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोध शाखा,
असम।

श्री क्षितीश रंजन मजूमदार,
पुलिस उप अधीक्षक,
डी० एस० बी०, डिब्रूगढ़,
असम।

श्री नरेन्द्र कुमार दास,
पुलिस निरीक्षक,
6वीं असम पुलिस बटालियन,
असम।

श्री सिधेश्वर बरुआ,
पुलिस निरीक्षक,
जिला विशेष शाखा,
असम।

श्री अखिलेन्द्र नाथ त्रिवेदी,
पुलिस अधीक्षक,
पुर्णिया,
बिहार।

श्री सहदेव राम,
पुलिस अधीक्षक,
मुंगेर,
बिहार।

श्री कृष्णदेव सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
शाहाबाद,
बिहार।

श्री सैयद मुजफ्फर अहसान,
पुलिस उप अधीक्षक,
बिहार।

श्री कृष्णदेव प्रसाद सिन्हा,
पुलिस उप अधीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार।

श्री बच्चा प्रसाद सिन्हा,
पुलिस उप निरीक्षक,
बिहार।

श्री बालेश्वर तिवारी,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक,
बिहार।

श्री हसन सज्जाद बख्शी,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक,
बिहार।

श्री लोपसा हेम्ब्रम,
हवलदार, धुमका,
बिहार।

श्री कलीम खान,
कांस्टेबल सं० 650,
बिहार।

श्री छत्रसिंह फतेहसिंह सोलंकी,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
बुलसार,
गुजरात।

श्री रमण लाल रणछोड़जी देसाई,
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो,
गुजरात।

श्री जीत बहादूर सिंह दुर्गाविक्षसिंह,
निरस्त्र तृतीय श्रेणी हैड कांस्टेबल,
गुजरात।

श्री जगतसिंह अमरसिंह जदेजा,
निरस्त्र तृतीय श्रेणी हैड कांस्टेबल,
गुजरात।

श्री राजेन्द्र सिंह दलपतसिंह वाघेला,
निरस्त्र हैड कांस्टेबल, (स्थानापन्न)
गुजरात।

श्री श्रीकान्त छगनलाल शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो,
सूरत,
गुजरात।

श्री जीवनभाई गेमलभाई मोतावर,
निरस्त्र तृतीय श्रेणी हैड कांस्टेबल,
गुजरात।

श्री इकबाल सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
पानीपत,
हरियाणा।

श्री नरंजन सिंह,
अभियोजक निरीक्षक,
विशेष जांच ऐजेन्सी,
हरियाणा।

श्री राम चन्द्र,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
हरियाणा।

श्री रोशन लाल,
पुलिस उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
अपराध अनुसंधान विभाग,
हरियाणा।

श्री शांति स्वरूप आनन्द,
पुलिस निरीक्षक,
इन्वार्ज जिला विशेष शाखा,
जम्मू व कश्मीर।

श्री मीतल वीतिल कैसरी पद्मनाभन् नाम्बियार,
पुलिस उप अधीक्षक,
केरल।

श्री चकोला थामस एंटोनी,
पुलिस उप अधीक्षक,
अपराध अनुसंधान विभाग,
केरल।

श्री वेलुवा पुटी वीत्तिल बालकृष्णन् नाम्बियार,
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक,
केरल।

श्री कारत पोलियेदेथ करुणाकरन् नायर,
सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक,
मालाबार विशेष पुलिस,
केरल।

श्री कुन्नथ करुणकार मैनन,
सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक,
केरल।

श्री कल्लिवल्लपु वेलायुधन नायर,
पुलिस उप निरीक्षक,
केरल।

श्री चोलासारिल कुन्हालनकुट्टी मूसा,
हैड कांस्टेबल,
केरल।

श्री नेचीकदन चंदू,
पुलिस कांस्टेबल,
केरल।

श्री कलीम हमीद रिजवी,
पुलिस उप अधीक्षक,
मध्य प्रदेश।

श्री सत्य देव दीक्षित,
पुलिस मण्डल निरीक्षक,
मध्य प्रदेश।

श्री गिरीश कुमार तिवारी,
पुलिस नगर निरीक्षक,
जबलपुर,
मध्य प्रदेश।

श्री मोहन सिंह,
पुलिस मण्डल निरीक्षक,
बिजावर,
मध्य प्रदेश।

श्री गुरवीर सिंह
पुलिस नगर निरीक्षक, सागर,
मध्य प्रदेश।

श्री दौलत राव काकड़े,
पुलिस माण्डल निरीक्षक, रतलाम,
मध्य प्रदेश।

श्री चन्द्र सिंह नेगी,
कम्पनी कमांडर,
2री बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश।

श्री शेख अकबर गुल मोहम्मद,
पुलिस सहायक उप निरीक्षक, खंडवा,
मध्य प्रदेश।

श्री पीतम सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 390,
जिला गुना,
मध्य प्रदेश।

श्री केशर सिंह,
कांस्टेबल सं० 443,
10वीं बटालियन,
विशेष सशस्त्रदल, सागर,
मध्य प्रदेश।

श्री रमाकान्त शेषगिरि कुलकर्णी,
पुलिस उप आयुक्त,
बृहत्तर बंबई,
महाराष्ट्र।

श्री जलियो फांसिस रिबीरो,
पुलिस उप आयुक्त,
बृहत्तर बम्बई,
महाराष्ट्र।

श्री निंगप्पा गंगाधरप्पा येक्कुडी,
पुलिस निरीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण कालिज, नाशिक,
महाराष्ट्र।

श्री रामचन्द्र पीरजी चव्हाण,
पुलिस निरीक्षक पूना,
महाराष्ट्र।

श्री अरविन्द गोविन्द पटवर्धन,
प्रवरण श्रेणी उप निरीक्षक,
बृहत्तर बंबई,
महाराष्ट्र।

श्री मुहम्मद इस्माईल मुहम्मद यासीन कादरी,
आरक्षित उप निरीक्षक
महाराष्ट्र।

श्री गोविन्द सीताराम सावन्त,
निरस्त्र हैड कांस्टेबल,
महाराष्ट्र।

श्री मधुकर शंकर लोहगांवकर,
निरस्त्र हैड कांस्टेबल,
भ्रष्टाचार निरोध तथा नशाबंदी इंटलिजेंस ब्यूरो,
महाराष्ट्र।

श्री ब्रह्मावर रत्नाकर राय,
पुलिस उप आयुक्त,
बैंगलौर,
मसूर।

श्री पी० एम० डी'सोजा,
पुलिस उप अधीक्षक,
मैसूर।

श्री बंगलौर कोलय्या नायडू वेंकटचलम,
पुलिस निरीक्षक,
मैसूर।

श्री अनन्त दत्तात्रेय नायक,
पुलिस निरीक्षक, शिमोगा,
मैसूर।

श्री कुल्लेतिरे बोपाया अप्पाचू,
पुलिस निरीक्षक,
मैसूर।

श्री चिकमगलूर वासप्पा नागप्पा,
हैड कांस्टेबल सं० 66,
मैसूर।

श्री के० मुंडप्पा शेट्टी,
पुलिस कांस्टेबल,
मैसूर।

श्री निरोदबिहारी मोहंती,
पुलिस अधीक्षक,
सतर्कता II, केन्द्रीय खंड,
कटक,
उड़ीसा।

श्री गोदावरीश मिश्र,
पुलिस उप अधीक्षक,
उड़ीसा। (स्थानापन्न)

श्री रंगधर सर,
पुलिस निरीक्षक,
विशेष शाखा, कटक,
उड़ीसा।

श्री शशिभूषण मिश्र,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
उड़ीसा।

श्री मुहम्मद मुजीबुर्रहमान,
पुलिस निरीक्षक,
सर्तकता, सम्बलपुर,
उड़ीसा।

श्री हरजीत सिंह,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
पंजाब।

श्री कृष्ण कुमार,
पुलिस सहायक महानिरीक्षक,
पंजाब।

श्री अमृतलाल वडेरा,
अभियोजक पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
पंजाब।

श्री शिव चरण सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
पंजाब।

श्री देवा सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
राजस्थान।

श्री महताब सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
राजस्थान।

श्री कुनेरू भास्कर,
पुलिस उप आयुक्त,
कानून एवं व्यवस्था (उत्तर), मद्रास,
तामिल नाडू।

श्री वलावीत्तित बालकृष्ण मैनन,
पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध निदेशालय, मद्रास,
तामिल नाडू।

श्री कृष्णास्वामी स्वामी नायडू,
पुलिस उप अधीक्षक (स्थानापन्न)
अपराध अनुसंधान विभाग,
तामिल नाडु।

श्री एकाम्बर श्रीनिवासन,
पुलिस निरीक्षक, मद्रास,
तामिल नाडू।

श्री रामकृष्ण पिल्लै वेंकटेशन,
पुलिस निरीक्षक, मद्रास,
तामिल नाडू।

श्री अर्जुन मीनाक्षी सुन्दरम् सुब्रमण्यम्,
पुलिस निरीक्षक (स्थानापन्न)
अपराध अनुसंधान विभाग,
तामिल नाडु।

श्री कोप्पुकुट्टी नायर कृष्णन् उन्नी,
एडजुटेंट निरीक्षक,
तामिल नाडु विशेष पुलिस II बटालियन,
तामिल नाडु।

श्री रामस्वामी उडयार मुनुस्वामी,
पुलिस उप निरीक्षक,
कोयम्बटूर,
तामिल नाडु।

श्री पुन्नुस्वामी नरसिंहम्,
आरक्षित उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
तामिल नाडु।

श्री पोन्नय्या पिल्लै अंतोनीस्वामी,
हैड कांस्टेबल सं० 1234,
ज़िला तिरुनिलवेली,
तामिल नाडु।

श्री अरुणाचलम् पिल्लै पिच्चीमुतु,
पुलिस कांस्टेबल सं० 699/एम० यू०,
मदुराई शहरी जिला,
तामिल नाडु।

श्री हरिपद मजूमदार,
पुलिस उप अधीक्षक,
त्रिपुरा।

श्री निरापद गण चौधरी,
उप कमांडेंट
टी० ए० पी० बटालियन,
त्रिपुरा।

श्री श्याम लाल,
पुलिस अधीक्षक,
मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश।

श्री जमुना नारायण अवस्थी
पुलिस अधीक्षक,
सीतापुर,
उत्तर प्रदेश।

श्री अवतार नारायण कौल,
पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

श्री मिर्ज़ा बाकर हुसैन,
सहायक कमांडेंट,
14वीं बटालियन,
प्रादेशिक सशस्त्र कांस्टेबुलरी,
उत्तर प्रदेश।

श्री सैयद मोहम्मद आबिद,
पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
अपराध अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश।

श्री श्रीश चन्द्र पांडे,
पुलिस उप अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश। (स्थानापन्न)

श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी, (स्थानापन्न)
वरिष्ठ लोक अभियोजक,
उत्तर प्रदेश।

श्री सैयद इल्तजा अली किरमानी,
पुलिस उप अधीक्षक, (स्थानापन्न)
पुलिस रेडियो अनुभाग,
उत्तर प्रदेश।

श्री काशी प्रसाद शुक्ल,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
अपराध अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश।

श्री बालक राम वर्मा,
पुलिस डिप्टी इंस्पेक्टर (एम),
उत्तर प्रदेश।

श्री शिव सिंह,
हैड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस,
उत्तर प्रदेश।

श्री अमर बहादुर सिंह,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
सतर्कता संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

श्री वी० राबिन्सन,
पुलिस सहायक आयुक्त,
पश्चिम बंगाल।

श्री अमूल्य कुमार चक्रवर्ती,
पुलिस निरीक्षक, दार्जिलिंग,
पश्चिम बंगाल।

श्री सुखेन्दु सरकार,
पुलिस निरीक्षक,
जिला प्रवर्तन शाखा, मिदनापुर,
पश्चिम बंगाल।

श्री विनयेन्द्र नाथ चक्रवर्ती,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
पश्चिम बंगाल।

श्री सीतेश चन्द्र सान्याल,
पुलिस निरीक्षक,
पश्चिम बंगाल।

श्री ध्रुव नाथ गुप्त,
पुलिस निरीक्षक,
गुप्तचर विभाग,
पश्चिम बंगाल।

श्री मानवेन्द्र नाथ दत्त,
पुलिस निरीक्षक, (स्थानापन्न)
पश्चिम बंगाल।

श्री सनत कुमार बनर्जी,
ब्रिग्रेड आरक्षिन निरीक्षक,
कलकत्ता सशस्त्र पुलिस,
पश्चिम बंगाल।

श्री विनय कुमार मुखर्जी,
पुलस उप निरीक्षक,
गुप्तचर विभाग, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री हरिदास बनर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
पश्चिम बंगाल।

श्री अतुल चन्द्र तालुकदार,
पुलिस उप निरीक्षक, (स्थानापन्न)
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री विश्वनाथ मुखर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला इंटैलिजेंस शाखा,
दार्जिलिंग,
पश्चिम बंगाल।

श्री ननी गोपाल बनर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक,
पश्चिम बंगाल।

श्री नरेन्द्र चन्द्र डे,
हैड कांस्टेबल सं० 163,
हावडा,
पश्चिम बंगाल।

श्री चितरंजन पंडित,
हैड कांस्टेबल सं० 310,
हावडा,
पश्चिम बंगाल।

श्री परितोष कुमार चटर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री अरुण कुमार सेनगुप्त,
सार्जेंट, कलकत्ता पुलिस,
पश्चिम बंगाल।

श्री शिव प्रसाद ओझा,
कांस्टेबल सं० 10181, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल।

श्री राम सेवक पाठक,
कांस्टेबल सं० 10589,
पश्चिम बंगाल।

श्री कमल कृष्ण गुहा,
पुलिस अधीक्षक, मालदा,
पश्चिम बंगाल।

श्री शिव प्रसाद मुखर्जी,
पुलिस अपर अधीक्षक,
पश्चिम दीनाजपुर,
पश्चिम बंगाल।

श्री राम कुमार ओहरी,
पुलिस अधीक्षक,
दिल्ली।

श्री भगवान दास,
पुलिस उप अधीक्षक,
दिल्ली।

श्री तिलक राज आनन्द,
पुलिस निरीक्षक,
दिल्ली।

श्री रामचन्द्र,
पुलिस उप अधीक्षक,
दिल्ली।

कर्नल आर० एन० बनर्जी,
उप महा निरीक्षक, त्रिपुरा,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री सुखदेव सिंह गिल,
सहायक कमांडेंट,
57वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री किशन सरन सिंह,
सहायक कमांडेंट,
1ली बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री प्यारा सिंह,
निरीक्षक,
58वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री शिव सिंह,
निरीक्षक, (स्थानापन्न)
17वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल।

श्री गोविन्द राव रामचन्द्रन,
पुलिस अधीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री तेजेन्द्र सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो.

श्री नटवर सिंह बखतसिंह जडेजा,
पुलिस उप अधीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री राम अवतार त्रिवेदी,
पुलिस उप अधीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री सुदेश कुमार दुआ,
पुलिस उप अधीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री चन्द्र नाथ मुखर्जी,
पुलिस उप अधीक्षक,
आर्थिक अपराध खंड, कलकत्ता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री कुइयलिल कोवन भारतन,
पुलिस उप अधीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री तरलोक सिंह भिंडर,
लोक वरिष्ठ अभियोजक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री वीरापल्ली राजगोपाल रेड्डी,
पुलिस निरीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री विनायक तातोबा सावंत,
पुलिस निरीक्षक,
आर्थिक अपराध खंड,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

श्री कहीरमपोकिल अहमदकुट्टी मुहम्मद
पुलिस निरीक्षक,
विशेष पुलिस संस्थान,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो।

ब्रिगेडियर के० एम० पंडलेई,
उप निदेशक (संक्रिया),
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री बलोत्तम शर्मा,
पुलिस उप महा निदेशक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री जितेन्द्र कुमार सेन,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

लेफ्टिनेन्ट कर्नल उमराव सिंह,
प्रिंसिपल, केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज 1,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री वामन राव पवार,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री डी० एस० पाल,
प्रिंसिपल, रंगरूट प्रशिक्षण केन्द्र II,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री जागीर सिंह चीमा,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री के० एम० सुब्बा,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री नवल सिंह,
सूबेदार मेजर,
6वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री सरदारा सिंह,
जमादार,
51वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री चूडामणि खत्री,
जमादार,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल।

श्री ओंकार सिंह,
उप महा निरीक्षक,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

श्री नारायण सिंह भट्टी,
वरिष्ठ प्रशिक्षक,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट,
उप निरीक्षक,
मंत्रिमंडल सचिवालय।

श्री तुषार दत्त,
पुलिस उप महा निरीक्षक, (स्थानापन्न)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल।

श्री जोजफ गोम्स,
सहायक कमांडेंट, (स्थानापन्न)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल।

श्री भगत सिंह,
उप महा निरीक्षक,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।

श्री लक्ष्मी चन्द,
जमादार,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।

श्री सत्य देव सहगल,
उप केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी,
सबसिडियरी इंटैलिजेंस ब्यूरो, शिमला,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री वेणुगोपालशंकर कल्याणपुरकर,
उप केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी,
सबसिडियरी इंटैलिजेंस ब्यूरो, बंबई,
इंटैलीजेंस ब्यूरो।

श्री सुभाष चन्द्र टंडन,
संयुक्त उप निदेशक,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री जसवंत सिंह प्रताप सिंह रघुवंशी,
सहायक केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी ग्रेड–1,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री सुधीन्द्र नाथ गुप्त,
संयुक्त उप निदेशक,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री गजेन्द्र प्रसाद दुबे,
सहायक केंद्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी ग्रेड–2,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री बाबूलाल दुबे,
उप केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी,
सबसिडियरी इंटैलिजेंस ब्यूरो, भोपाल,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री अमृत कुमार छावड़ा,
सहायक केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी ग्रेड–1,
सबसिडियरी इंटैलिजेंस ब्यूरो, जम्मू एवं कश्मीर,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री सुकोमल कांति घोष,
उप केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी,
सबसिडियरी इंटलिजेंस ब्यूरो, त्रिपुरा,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा,
उप केन्द्रीय इंटैलिजेंस अधिकारी, लेह,
इंटैलिजेंस ब्यूरो।

श्री प्रेम नारायण मेहरोत्रा,
अग्नि शमन उप सलाहकार,
गृह मंत्रालय।

श्री राम शंकर गुप्त,
निदेशक,
राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा कालिज, नागपुर,
गृह मंत्रालय।

श्री हरीश चन्द्र सिंह,
मुख्य सुरक्षा अधिकारी,
पश्चिमी रेलवे,
रेल मंत्रालय।

श्री इन्द्र सिंह,
सुरक्षा अधिकारी,
उत्तरीय रेलवे,
रेल मंत्रालय।

श्री मधुकर यशवंत सावंत,
सहायक सुरक्षा अधिकारी,
पश्चिमी रेलवे,
रेल मंत्रालय।

श्री दिनेश मुखर्जी,
एडजुटेंट,
पहली बटालियन,
रेलवे सुरक्षा विशेष दल, लुम्बडिंग,
रेल मंत्रालय।

श्री नारायण दास,
उप निरीक्षक,
रेलवे सुरक्षा दल,
उत्तरीय रेलवे,
रेल मंत्रालय।

2. ये पदक पुलिस पदक से संबंधित नियमों के नियम 4(ii) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

पं० ना० कृष्णमणि, राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव

मंत्रीमंडल सचिवालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1972

सं० एम-13013/4/71-रा० न० सर्वे० 1—भारत सरकार ने सरकारी आंकड़ों और संबंधित रीतिविधान में प्रशिक्षण देने हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया है जिसका कार्य निम्नलिखित है :—

(क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के सम्बन्ध में सलाह देना जिसमें, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यचर्या, "प्रविष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों का प्रवर्ग, श्रेणी, उनकी व्यवसायिक पृष्ठ-भूमिका, अर्हताएं, अनुभव और वय सम्मिलित हैं।

(ख) राज्य सांख्यिकीय कार्यालयों द्वारा चलाये गये/चलाये जाने वाले प्राथमिक और मध्यवर्ती स्तर के कार्य-कर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में पाठ्य-चर्या तथा कालावधि तथा अन्य आवश्यकताओं में एकरूपता लाने के लिए सिफारिश करना।

2. समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

निदेशक, . . . अध्यक्ष
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन एवं पदेन संयुक्त
सचिव,
सांख्यिकी विभाग।

निदेशक, ... सदस्य
अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो,
महाराष्ट्र, बम्बई।

सांख्यिकी निदेशक, . . . सदस्य
तमिल नाडु, मद्रास।

निदेशक, . . .	सदस्य
व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो	
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता ।	
सहायक महापंजीकार .	सदस्य
(जनांकिकी तथा प्रशिक्षण),	
महापंजीकार कार्यालय, भारत	
नई दिल्ली ।	
उप-निदेशक, . .	सदस्य
श्रम ब्यूरो	
शिमला-4 ।	
निदेशक, . . .	सदस्य
कृषि अनुसन्धान सांख्यिकी संस्थान,	
लायब्रेरी एवेन्यू,	
नई दिल्ली-12 ।	
डा० ती० पी० चौधरी, .	सदस्य
भारतीय सांख्यिकीय संस्थान 203 बैरकपुर,	
ट्रंक रोड,	
कलकत्ता-35 ।	
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण, .	सदस्य
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,	सचिव
नई दिल्ली ।	

3. समिति का मुख्यालय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में होगा जो समिति को सचिवालयीय सहायता भी प्रदान करेगा । समिति का प्रतिवेदन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, भारत सरकार को भेजा जाएगा ।

ह० ल० कोहली, अवर सचिव

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1972

शुद्धिपत्र

सं० 10/11/72-सी०एस० (II)—मन्त्रिमण्डल सचिवालय (कार्मिक विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/11/72-सी० एस० (II) दिनांक 22 जुलाई, 1972 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र के भाग I, खण्ड (1) में प्रकाशित उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1972 के नियमों के नियम 4(2) में वर्तमान धारा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी गई है, अर्थात्—

"(ख) वह 1-7-1972 को 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात् वह 2 जुलाई, 1927 से पूर्व पैदा न हुआ हो" ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक अगस्त 1972

नियम

सं० एफ० 32/17/72-स्था० (डी०)—निम्नलिखित सेवाओं के ग्रेड में आरक्षित रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से ऐसे निर्मुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के, जिन्हें 1 नवम्बर 1962 के पश्चात् किंतु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन मिला अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए परन्तु जिन्हें इस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ था, चयन के लिये 1973 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सार्वजनिक जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

(i) भारतीय अर्थ सेवा, और

(ii) भारतीय सांख्यिकी सेवा ।

2. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती की जाने वाली रिक्तियों की संख्या का उल्लेख आयोग के द्वारा निकाली गई सूचना में किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण भारत सरकार द्वारा निश्चित संख्या के अनुसार किया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों/आदिमजातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, जैसा कि बंबई पुनगर्ठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है । संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति, आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 । संविधान (गोवा दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968, संविधान (गोवा दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियों आदेश, 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1970 ।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट 2 में विहित रीति से लेगा ।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा नियत किये जायेंगे ।

4. इन नियमों के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित श्रेणियों के वे आपातकालीन कमीशनप्राप्त या अल्पकालीन सेवा कमीशनप्राप्त अधिकारी इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, जिन्हें 1 नवम्बर, 1962 के बाद किंतु 10 जनवरी, 1968 से पूर्व सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त हुआ अथवा जो परवर्ती तारीख से पहले किसी कमीशनप्राप्त प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए परन्तु जिन्हें इस तारीख को अथवा उसके बाद कमीशनप्राप्त हुआ :—

(i) वे अधिकारी जो इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व 1972 में निर्मुक्त हो चुके हैं अथवा इसके बाद 1973 के अन्त तक निर्मुक्त होने हैं ।

(ii) नियम 9 के उपबन्धों की सीमा तक तथा उनके अनुसार इस नियम में उल्लिखित अधिकारी ।

नोट 1 : इन नियमों के प्रयोजन के हेतु "निर्मुक्त" का अर्थ है :—

(i) निर्मुक्त होने के निर्धारित वर्ष के अनुसार "निर्मुक्त" ।

(ii) सैनिक सेवा द्वारा उत्पन्न विकलांगता के कारण विकलांगता की घोषणा, सेवा की अवधि के पश्चात् निर्मुक्त, न कि प्रशिक्षण के दौरान या प्रशिक्षण समाप्त होने पर, या वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को नियमित करने के लिए दिए गए अल्पकालीन सेवा कमीशन के दौरान या उसकी समाप्ति पर नियुक्त, और कदाचार, अदक्षता या अपने अनुरोध पर निर्मुक्त अफसरों के मामले इसके अधीन नहीं आएंगे ।

नोट 2 : "निर्मुक्त होने का निर्धारित वर्ष" अभिव्यक्ति का अर्थ है :—

(i) जहां तक आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों से इसका सम्बन्ध है, वह वर्ष जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें निर्मुक्त होना है, और

(ii) जहां तक अल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों का सम्बन्ध है, उनके लिए वह वर्ष माना जाएगा जिसमें कल्पकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में यथास्थिति 3 अथवा 5 साल के सामान्य सेवाकाल की समाप्ति होनी है ।

नोट 3 : यदि किसी व्यक्ति को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सशस्त्र सेना में स्थायी कमीशन मिल जाता है, अथवा वह सशस्त्र सेना से इस्तीफा दे देता है या वह उससे कदाचार या अदक्षता या अपने निजी अनुरोध के कारण निर्मुक्त कर दिया जाता है तो व्यक्ति की पात्रता रद्द कर दी जायेगी ।

नोट 4 : जो इंजीनियर तथा डाक्टर केन्द्रीय सरकार में या राज्य सरकारों में या सरकार के स्वामित्व में चलने वाले औद्योगिक उद्यमों में कार्य कर हैं और जिनको अनिवार्य दायता योजना के अन्तर्गत सशस्त्र सेना में कम से कम निर्धारित अवधि के लिए सेवा करनी पड़ती है और जिनको संगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की सेवा की अवधि में अल्पकालीन सेवा कमीशन प्रदान किया जाता वे है, इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे ।

नोट 5 : जो अधिकारी सशस्त्र सेना के स्वैच्छिक आरक्षी सेवा (वालंटियर रिजर्व फोर्सेज) से सम्बद्ध होंगे और जो अस्थायी सेवा के लिए नियुक्त किए गए होंगे, वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे ।

5. उम्मीदवार को या तो :—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका के कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टांगानीका और जंजीबार) देशों से आया हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा दिया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण पत्र होना चाहिए ।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हों और उसे सरकार द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

6. (क) उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि उसकी आयु 26 वर्ष से अधिक उस वर्ष की 1 जनवरी को न हो जिसमें वह सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो, या (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण हो) उसने कमीशन प्राप्त किया हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु में निम्नलिखित स्थितियों में और छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, से 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 से भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर, 1964 मे भारत श्रीलंका करार के अधीन, 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति भी हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(6) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार कीनिया, उगांडा, तथा संयुक्त गणराज्य टेंजानिया (भूतपूर्व टेंगानिका तथा जंजीबार) से आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 या उसके बाद वर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष, और

(9) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, वर्मा, से प्रत्यावर्तित होकर भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय, व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(10) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रहत क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्युक्त हुए, तथा

(11) रक्षा सेवाओं उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्षों अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ।

(12) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो उसके लिय अधिकतम तीन वर्ष तक,

(13) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा 1963 में कमीशन प्राप्त किया हो (वहां केवल परवर्ती प्रशिक्षण था) और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो और पाकिस्तान से वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो, तो उसके लिये अधिकतम आठ वर्ष तक,

(14) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963, 1964 या 1965 में कमीशन प्राप्त किया हो (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का निवासी हो तो अधिकतम चार वर्ष तक, और

(15) यदि उम्मीदवार सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुआ हो अथवा उसने 1963 या 1964 या 1965 में कमीशन (जहां केवल कमीशन परवर्ती प्रशिक्षण था) प्राप्त किया हो और वह भारतीय नागरिक है और लंका से प्रत्यावर्तित हो तो उसके लिये अधिकतम तीन वर्ष तक,

(16) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

उपर्युक्त परिस्थितियों को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायगी ।

(ग) गोवा, दमन, दियू के उन स्वाधीनता सेनानियों को, जो गोआ, दमन, दियू की सरकार के कर्मचारी नहीं थे और उन्होंने मुक्ति संघर्ष में भाग लिया था और उसके फलस्वरूप भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छः मास के लिए कारावास अथवा हिरासत में रहे हों, परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते कि 1-1-1972 को उनकी आयु 35 वर्ष की न हुई हो ।

टिप्पणी :—नियम 6 (ग) के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार उपरोक्त नियम 6 (ख) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु में छूट के हकदार नहीं होंगे ।

7. किसी उम्मीदवार को दो से अधिक बार प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायगी । यह प्रतिबन्ध 1971 में हुई परीक्षा से प्रभावी है ।

8. किसी भी उम्मीदवार को उसके पहले तथा दूसरे अवसर के रूप में क्रमशः उसके निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके निर्मुक्त होने के वर्ष के बाद के वर्ष में परीक्षा देनी चाहिए ।

9. नियम 8 में दी गई किसी भी बात के बावजूद :—

(i) ऐसा कोई भी उम्मीदवार जिसपर निम्नलिखित खंड 5 के उपबन्ध लागू नहीं होते और जिसे 1971 की परीक्षा के आवेदनपत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तिथि के पश्चात् 1971 के दौरान मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण अमान्य ठहराया गया हो, 1973 में होने वाली परीक्षा अपने दूसरे अवसर के रूप में दे सकता है ।

(ii) ऐसा कोई उम्मीदवार, जिसे 1972 की परीक्षा के आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तिथि के पश्चात् 1972 के दौरान मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण अमान्य ठहराया गया हो, 1973 में होने वाली परीक्षा अपने पहले अवसर के रूप में दे सकता है।

(iii) ऐसा उम्मीदवार जिसे 1972 में निर्मुक्त होना है और जिसे 1972 में हुई परीक्षा देने की स्वीकृति दी गई थी, अपने पहले अवसर के रूप में 1973 में होने वाली परीक्षा दे सकता है बशर्ते कि उसे मिलिट्री सेवा की अत्यावश्यकता के कारण 1972 में हुई परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी गई हो।

(iv) ऐसा उम्मीदवार, जिसे 1972 से पूर्व निर्मुक्त होना है और जिसे 1972 में हुई परीक्षा देने की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु उसने परीक्षा नहीं दी, अपने दूसरे अवसर के रूप में, 1973 में होने वाली परीक्षा दे सकता है, बशर्ते वह 20 सितम्बर, 1971 को या उससे पहले निर्मुक्त न हुआ हो।

(v) ऐसा कोई उम्मीदवार, जिसे 1971 की परीक्षा के आवेदन-पत्रों की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख के पश्चात् 1971 में मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण 1972 में हुई परीक्षा देने की स्वीकृति दी गई थी, परन्तु उसने वह परीक्षा नहीं दी अपने पहले अवसर के रूप में 1973 में होने वाली परीक्षा दे सकता है बशर्ते कि वह 20 सितम्बर, 1971 को या उससे पहले निर्मुक्त न हुआ हो।

(vi) कोई भी आपातकालीन कमीशन प्राप्त /अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सशस्त्र सेनाओं में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 10-1-1968 से पहले सम्मिलित हुआ हो परन्तु उसे 10-1-1968 को या उसके बाद कमीशन प्राप्त हुआ हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन 1973 में होने वाली परीक्षा दे सकता है:—

(क) अपने दूसरे अवसर के रूप में, यदि 1972 से पहले निर्मुक्त हुआ हो;

(ख) अपने पहले अवसर के रूप में यदि वह 1972 के दौरान निर्मुक्त हुआ हो;

(ग) अपने पहले अवसर के रूप में यदि वह 1971 की परीक्षा के लिए आवेदन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् 1971 के दौरान मिलिट्री सेवा के कारण हुई विकलांगता अथवा विकलांगता के गंभीर रूप धारण करने के कारण अमान्य ठहराया गया हो।

टिप्पणी 1—उपरोक्त (i), (v) तथा (vi) (ग) में दिये गए उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 1971 में निर्मुक्त होना था।

2. उपरोक्त (ii) में दिया गया उपबन्ध उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जिन्हें 1972 में निर्मुक्त होना था।

10. (क) भारतीय अर्थ सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-I में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की अर्थ शास्त्र या सांख्यिकी विषय सहित उपाधि होनी चाहिए।

(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए उम्मीदवार के पास परिशिष्ट-I में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय की सांख्यिकीय या गणित या अर्थशास्त्र विषय सहित उपाधि होनी चाहिए, अथवा उसके पास परिशिष्ट-I क में उल्लिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता होनी चाहिए।

टिप्पणी (I) यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है किन्तु अभी उसे परीक्षा परिणाम की सूचना न मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह उस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है। जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हता परीक्षा (क्वालीफाइंग एक्जामिनेशन) में बैठना चाहता हो, वह भी आवेदन कर सकता है बशर्ते कि वह अर्हता परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले समाप्त हो जाये, ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों तो इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अनंतिम मानी जायेगी और यदि वे अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक 2 महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी (II) विशेष परिस्थितियों में, संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी उम्मीदवार को भी परीक्षा में प्रवेश का पात्र मान सकता है जिसके पास उपर्युक्त अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो बशर्ते कि उस उम्मीदवार ने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित ऐसी परीक्षा पास की हो जिसके स्तर को देखते हुए आयोग उसको परीक्षा में प्रवेश देना उचित समझे।

टिप्पणी (III) यदि कोई उम्मीदवार अन्यथा परीक्षा में प्रवेश का पात्र हो किन्तु उसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो परिशिष्ट-I में सम्मिलित न हो तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और आयोग यदि उचित समझे तो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

11. सशस्त्र सेना में सेवा करने वाला उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र अपनी यूनिट के कमान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जो इसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा। यदि उम्मीदवार स्वयं ही अपनी यूनिट का कमान अधिकारी है तो उसे आवेदन पत्र अपने अगले उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए।

सब अन्य सरकारी सेवा के उम्मीदवारों को, चाहे वे स्थायी अथवा अस्थायी पद पर हो या अनियत अथवा दिहाड़ी पर रखे कर्मचारियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी के रूप में नियुक्त हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति अवश्य लेनी होगा।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

13 किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा, अब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

15. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग ने किसी दूसरे व्यक्ति की परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर बदल किये हुए प्रमाण-पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठा तथ्य प्रस्तुत करने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने के फलस्वरूप अपराधी घोषित किया है तो उसके विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है:—

(क) सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए परीक्षा से वंचित किया जाना:—

(i) आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नौकरियों के लिए ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासकीय कार्यवाही की जा सकती है ।

16. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उतने न्यूनतम अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्क्स) प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे, तो उसे आयोग मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा ।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग परीक्षा के आधार पर योग्य समझेगा, उनकी नियुक्ति करने के लिए सिफारिश की जाएगी ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे जा सकते हैं तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए, सेवा के लिए योग्य होने पर, परीक्षा की योग्यता सूची में उनके रैंक को ध्यान में रखे बिना ही आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है ।

18. (क) यदि परीक्षा के परिणाम पर, योग्य उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या निर्युक्त आपात कमीशन प्राप्त अफसरों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अफसरों द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए प्राप्त नहीं है तो बिना भरे हुए रिक्त स्थानों को सरकार द्वारा इस विषय में निर्धारित ढंग से भरा जाएगा ।

(ख) यदि अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या, नियुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या से अधिक हो तो उनमें से जिन्हें नियुक्त नहीं किया जाए उनके नाम आने वाले वर्ष (वर्षों) में आरक्षित रिक्त स्थानों के कोटा में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षक सूची (वेटिंग लिस्ट) पर रख दिये जायेंगे ।

19. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाय, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षा फल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

20. दोनों सेवाओं के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के मामले में उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन देते समय अभिव्यक्त की गयी तरजीह पर अपेक्षित ध्यान दिया जाएगा ।

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इसमें नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक न निभा सके । यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की शारीरिक परीक्षा करवाई जा सकती है ।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों का किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और इसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 4 में दिए गए हैं । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों को सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरी जांच के स्तर में छूट दी जाएगी ।

23. ऐसा कोई पुरुष/स्त्री,

(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह करने का करार किया हो, अथवा विवाह कर लिया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो ।

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिससे विवाह किया गया हो उस पर लागू

होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो ऐसे व्यक्ति को इस कानून से छूट दे सकती है।

24. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिए भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

बी० एल० मथुरिया, अवर सचिव

परिशिष्ट-I

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 10 के अनुसार)

भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो अथवा अन्य शिक्षा संस्थाएं जिन्हें संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिए जाने की घोषणा की जा चुकी है।

बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय

मांडले विश्वविद्यालय

इंगलैंड और वल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिघंम, ब्रिस्टल, कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स, लीवरपूल, लंदन, मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रिडिंग, शैफिल्ड तथा वेल्स के विश्वविद्यालय।

स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय

एबरडीन, एडिनबरा, ग्लासगो, और सेंट एन्ड्रूज विश्वविद्यालय।

आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनीटी कालेज)

आयरलैंड नेशनल विश्वविद्यालय

क्वीन्स विश्वविद्यालय बैल्फास्ट

पाकिस्तान विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय

सिंध विश्वविद्यालय

बंगला देश के विश्वविद्यालय

ढाका विश्वविद्यालय

राजशाही विश्वविद्यालय

नेपाल के विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमांडू

परिशिष्ट-I—क

केवल भारतीय सांख्यिकीय सेवा की परीक्षा में बैठने के लिए मान्यता प्राप्त अर्हताओं की सूची (देखिए नियम (10) (ख))।

(i) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता का संख्याविद्-डिप्लोमा (स्टेटिस्टीशियन डिप्लोमा) और

(ii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान सांख्यिकीय संस्थान का व्यावसायिक संख्याविद् प्रमाण-पत्र (प्रोफेसनल स्टेटिसटिशियन सार्टिफिकेट)।

परिशिष्ट-II खण्ड 1

परीक्षा की रूप-रेखा :—

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :—

(क) अधिकतम 700 अंकों की, निम्नलिखित खण्ड के उपखण्ड क्रमशः (क) तथा (ख) में दिखाए गए विषयों में लिखित परीक्षा।

(ख) जो उम्मीदवार आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएं जाएं, उनके लिए अधिकतम 450 अंकों की मौखिक परीक्षा, जिसमें से 50 अंक सशस्त्र सेना में की गई सेवा की सेवा पूंजी के मूल्यांकन के लिए होंगे।

खण्ड 2

परीक्षा के विषय

भारतीय अर्थ सेवा	अधिकतम अंक
1. सामान्य अंग्रेजी . . .	150
2. सामान्य ज्ञान . . .	150
3. अर्थशास्त्र-I . .	200
4. अर्थशास्त्र-II . . .	200
(ख) भारतीय सांख्यिकीय सेवा	अधिकतम अंक
1. सामान्य अंग्रेजी . . .	150
2. सामान्य ज्ञान . . .	150
3. सांख्यिकीय-I . . .	200
†4. सांख्यिकीय-II . .	200

†इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक के अलग-अलग पत्र होंगे, जिनमें से उम्मीदवार को केवल दो चुनने होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र के 100 अंक होंगे :—

1. औद्योगिक सांख्यिकीय (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित)
2. आर्थिक सांख्यिकी
3. शैक्षिक सांख्यिकी
4. जनन (जैनेटीकल) सांख्यिकी तथा डैमोग्राफी और जन्म-मरण सांख्यिकी

नोट :—इस खण्ड में उल्लिखित विषयों का स्तर और पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग 'क' में दिया गया है।

खण्ड III

1. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखने होंगे ।

2. सांख्यिकी-II को छोड़कर उपर्युक्त खण्ड-II में दिये गये प्रत्यक विषय के प्रश्न पत्र के लिये 3 घण्टे का समय दिया जायेगा । सांख्यिकी-II में इस परिशिष्ट की अनुसूची के भाग (क) की मद 6 पर इस विषय के नीचे दिए गए नोट के अनुसार डेढ़-डेढ़ घण्टे के पांच प्रश्न पत्र होंगे ।

3. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा । उन्हें किसी भी हालत में उसकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के (अर्हक अंक क्वालीफाइंग मार्क्स) निर्धारित कर सकता है ।

5. भारतीय अर्थ सेवा के लिए केवल उन्हीं उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के अर्थशास्त्र-I और अर्थशास्त्र-II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे, जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा ।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा के लिए केवल उन्हें उम्मीदवारों के निम्नलिखित विषयों, अर्थात् सामान्य अंग्रेजी तथा सामन्य ज्ञान के प्रश्न पत्रो को जांचा और अंकित किया जाएगा जो लिखित परीक्षा के सांख्यिकीय-I और सांख्यिकीय-II विषयों में एक निश्चित न्यूनतम स्तर प्राप्त करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा अपने निर्णय से निर्धारित किया जाएगा ।

6. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो उसे अन्यथा मिलने वाले कुल नम्बरों में से कुछ नम्बर काट लिए जाएंगे ।

7. केवल सतही ज्ञान के लिए नम्बर नहीं दिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग और ठीक-ठीक की गई हो ।

9. उम्मीदवारों से तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली की जानकारी की आशा की जाती है । प्रश्नों के उत्तर जहां कहीं ऐसा आवश्यक हो, तोल और माप की मीट्रिक प्रणाली का ही उपयोग किया जाए ।

अनुसूची

(भाग-क)

अंग्रेजी भाषा तथा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्रों का स्तर वही होगा जिसकी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है ।

अन्य विषयों के प्रश्न पत्र किसी भारतीय विश्वविद्यालय के सम्बद्ध व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "मास्टर" डिग्री परीक्षा स्तर के होंगे । उम्मीदवारों से तथ्यों द्वारा सिद्धांत की व्याख्या करने और सिद्धांतो द्वारा समस्याओं का विश्लेषण करने की अपेक्षा की जाएगी उनसे अर्थशास्त्र सांख्यिकी के क्षेत्र (क्षेत्रों) में भारतीय समस्याओं से सम्बन्धित विशेष रूप से निपुणता की अपेक्षा की जाएगी ।

1. **सामान्य अंग्रेजी**

उम्मीदवारों को अंग्रेजी भाषा में एक निबन्ध लिखना होगा । अन्य प्रश्न उम्मीदवारों को अंग्रेजी संबंधी योग्यता एवं अंग्रेजी शब्दों के सामान्य प्रयोग की जांच करने के लिए रखे जाएंगे । साधारणतया सारांश अथवा सारलेखन के लिए गद्यांश रखे जाएंगे ।

2. **सामान्य ज्ञान**

इस प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे :—

पहले भाग में उम्मीदवार से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें सामयिक घटनाओं का और दिन प्रतिदिन देखी और अनुभव की जाने वाली बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ऐसा ज्ञान सम्मिलित है जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न पत्र में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए ।

दूसरे भाग में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके द्वारा उम्मीदवारों की तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग करने तथा उनसे तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने, जटिलताओं की प्रत्यक्ष जाने लेने की योग्यता एवं महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण के बीच अन्तर करने की योग्यता की जांच की जा सके ।

3. **अर्थशास्त्र-I**

क्षेत्र तथा रीतिविधान

संतुलन विश्लेषण

उपभोक्ता का मांग का सिद्धांत/तटस्थावक्र रेखाओं का विश्लेषण अधिमान संबंधी विचारधाराएं, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के कारक, उत्पत्ति फलन, उत्पत्ति के नियम, फर्म तथा उद्योग के अन्तर्गत साम्य ।

विभिन्न प्रकार के बाजार संगठनों में मूल्य निर्धारण । समाजवादी अर्थ व्यवस्था में मूल्य निर्धारण । मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल निर्धारण ।

लोकोपयोगी सेवाएं :—लोकोपयोगिताओं की आर्थिक विशेषताएं लोकोपयोगिताओं में मूल्य निर्धारण, लोकोपयोगिताओं का नियतन ।

वितरण का सिद्धांत/उत्पत्ति कारकों का मूल्य निर्धारण, लगान, मजदूरी, ब्याज तथा लाभ के सिद्धांत । समष्टि वितरण सिद्धांत । राष्ट्रीय आय में मजदूरी का भाग । लाभ और आर्थिक प्राप्ति । आय वितरण में असमानताएं ।

रोजगार और उत्पादन का सिद्धांत-क्लासिकल तथा नव-क्लासिकल विचारधाराएं । किन्स का रोजगार सिद्धांत । कीन्स के बाद के सिद्धान्त ।

आर्थिक उतार चढ़ाव । व्यापार चक्रों के सिद्धान्त । व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय तथा मीट्रिक नितियां ।

कल्याणकारी अर्थशास्त्र—कल्याणकारी अर्थशास्त्र का क्षेत्र, क्लासिकल तथा नव क्लासिकल विचारधाराएं, नवीन कल्याणकारी अर्थशास्त्र तथा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत, अनुकूलपन दशाएं, नीति संबंधी बाधाएं।

4 **अर्थशास्त्र II**

आर्थिक विकास की संकल्पना तथा उसका मापन।

सामाजिक लेखे :—राष्ट्रीय आय के लेखे। निधि प्रवाह का लेखा, निविष्ट निपज का लेखा।

सामाजिक विचारधाराएं तथा आर्थिक विकास।

विकासोन्मुखी अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं की विशेषताएं तथा समस्याएं।

जनसंख्या की वृद्धि तथा आर्थिक विकास।

आर्थिक विकास के सिद्धांत। विकास के प्रतिमान।

आयोजन—संकल्पना तथा विधियां। समाजवादी तथा पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आयोजन। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आयोजन। ठोस पर्सपक्टिव आयोजन। क्षेत्रीय आयोजन। विनियोजन के सिद्धांत तथा पद्धतियां का चयन लागत लाभ विश्लेषण। योजना माडल।

भारत में आयोजन। आयोजन का प्रारंभ। पंचवर्षीय योजनाएं। उद्देश्य तथा पद्धतियां। संस्थापनों की गतिशीलता, प्रशासन तथा जनसहयोग। मीद्रिक और वित्तीय नीतियों का योगदान, मुख्य नीति, नियंत्रण तथा बाजार विन्यास। व्यापार नीति तथा भुगतान संतुलन। सार्वजनिक उद्यमों का योगदान।

5 **सांख्यिकीय-I**

विभिन्न प्रकार से सांख्यिकीय सन्निकटन, परिमित अंतर, मानक अन्तर्वेशन-सूत्र तथा परिशुद्धताएं, प्रतिलोभ अंतर्वेशन। अवकलन और समाकलन की सांख्यिकीय विधियां।

संभाविता की परिभाषा—क्लासिकल मत, कार्य सिद्ध मत – प्रतिचयन अवकाश। पूर्ण एवं मिश्रित समाविता कर सिद्धांत। प्रतिबन्धी संभावता। स्वतन्त्र घटनाएं। बाई का सूत्र। यादृच्छिक चर, संभाविता अंटन, गणितीय प्रत्याशा। पूर्णजनक फलन तथा लक्षण फलन, लामीकरण प्रमेय, टेबीकेज की असमता। प्रतिबन्धित बंटन। बृहत संख्याओं के नियम तथा केन्द्रीय सीमित प्रमेय।

मानक बंटन :—द्विपद, प्वासों, प्रसामान्य, आयताकार, पातीय विलोम द्विपद, अतिगुणोत्तर, कौशी, लाफ्लास, बीटा, तथा आमा बंटना द्विचर तथा बहुचर प्रसामान्य बंटन।

बृहत और लघु प्रतिचयन सिद्धांत :—अनन्त स्पर्शीय प्रतिचयन बंटन तथा बृहत प्रतिचयन परीक्षण। मानक प्रतिचयन बंटन जैसे टी०, एक्स 2, एफ (tx^2f) तथा उन पर आधारित सार्थकता परीक्षण। साहचर्य तथा आसंग सारणियों का विश्लेषण।

सह संबन्ध गुणांक तथा उसका बंटन, फिशर का "जैड" स्थान्तरण गुणांक।

समाश्रयण :—आसजन रेखा बहुपद, आंशिक समाश्रयण तथा आंशिक सह-सम्बन्ध गुणांक नले मामलों में उनका बंटन। अन्तवर्गीय सह संबंध। वक्र आसंजन तथा लम्ब कोणीय बहुपद।

प्रसरण विश्लेषण। एक घातीय प्राक्कलन का सिद्धांत। अन्तक्रिया प्रभाग सहित दिक्क वर्गीकरण। सह प्रसरण विश्लेषण। प्रयोग अभिकल्पना के मूल सिद्धांत। सामान्य अभिकल्पनाओं का अभिन्यास तथा विश्लेषण जैसे यादृच्छिकीकृत खण्ड लेटिन चित्र। बहु उपादीनीय प्रयोग तथा संकरण लुप्त क्षेत्र प्रविधियां।

प्रतिचयन विधियां :—प्रतिस्थापन युक्त तथा प्रतिस्थापन रहित सरल यादृच्छ प्रतिचयन। समाश्रयण तथा अनुपात प्राक्कलन। सामूहिक प्रतिचयन। बहुक्रम प्रतिचयन। तथा व्यवस्थित प्रतिचयन। अप्रतिचयन त्रुटियां।

प्राक्कलन :—मूल संकल्पनाएं। एक अच्छे प्राक्कलन की विशेषताएं बिन्दु प्राक्कलन तथा अंतराल प्राक्कलन। अधिकतम संभाविता प्राक्कलन तथा उनके गुणधर्म।

परिकल्पनाओं के परीक्षण / सांख्यिकीय परिकल्पनाएं :—सरल तथा संयुक्त परिकल्पना। सांख्यिकीय परीक्षण की संकल्पना। त्रुटियों के दो प्रकार। घात फलन। संभावित अनुपात परीक्षण। विश्वास अन्तराल प्राक्कलन। अनुकूलतम विश्वास परिबन्ध।

असमष्टीय परीक्षण जैसे—संकेत परीक्षण, माध्यिका परीक्षण तथा चाल परीक्षण। सरल विकल्पना के विपरीत सरल परिकल्पना परीक्षण के लिए वाल्डका अनुक्रमिक संभाविकता अनुपात परीक्षण "ओसी" तथा ए०एस०एन० फलन तथा उनके सन्निकटन।

6 **सांख्यिकी-II**

नोट :—इस विषय में निम्नलिखित पांच शाखाओं में से प्रत्येक पर भिन्न-भिन्न प्रश्नपत्र होंगे, अर्थात् (i) औद्योगिक सांख्यिकीय (सांख्यिकीय गुण नियंत्रण सहित) (ii) आर्थिक सांख्यिकी (iii) शैक्षिक सांख्यिकी (iv) जन सांख्यिकी तथा (v) जनविद्या और जन्म-मरण सांख्यिकी।

उम्मीदवारों को उपर्युक्त किन्हीं दो का चुनाव करना होगा, जिसको उन्हें अपने प्रार्थना पत्र में बताना होगा। एक बार प्रश्न पत्र चुनने के बाद परिवर्तन की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

सांख्यिकीय प्रकार नियंत्रण सहित औद्योगिक आंकडे

उद्योग के अन्तर्गत प्रकार नियंत्रण का सैद्धांतिक आधार। सहन-सीमाएं। विभिन्न प्रकार के नियंत्रण चार्ट "एक्स" "आर" "चार्ट", "पी" और "सी०" चार्ट, वर्ग नियंत्रण चार्ट।

स्वीकार प्रतिचयन। एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा अनुक्रमिक प्रतिचयन योजना। "बी" सी" तथा "ए०एस० एन०" फलन। गुणों (attributes) तथा चरों (Variables) द्वारा प्रतिचयन। डोज रामिग तथा अन्य सारणियां।

औद्योगिक सम्परीक्षण डिजाइन। उद्योगों में समाश्रयण विधियों का प्रयोग तथा प्रसरण विधियों का विश्लेषण।

उद्योग में एकयातीय कार्यक्रम सहित सांख्यिकीय अनुसंधान विधियों का प्रयोग।

II अर्थ सांख्यिकी

मूल्य और परिमाण के सूचकांक : सूचकांकों के विभिन्न प्रकार, जैसे :—थोक मूल्यों के सूचकांक तथा जीवन निर्वाह में सूचकांक। सूचकांकों का सिद्धांत।

आय-विरण। पैरेटो वक्र तथा अन्य वक्र। एक केन्द्रीय वक्र तथा उनके प्रयोग।

राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के विभिन्न क्षेत्र। राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन की विधियां। अन्तक्षेत्रय आगम। क्षेत्रीय आय प्राक्कलन वर्ग समस्याएं। अन्तर्गउद्योग सारणी। निविष्ट-निष्ट विश्लेषण तथा एक जातीय कार्यक्रम का प्रयोग।

आर्थिक-काल श्रेणियों का विश्लेषण तथा निर्वचन। आर्थिक काल श्रेणियों के चार संघटक। गुणात्मक तथा संयोज्यात्मक माडल। वक्र आसंजन तथा चल माध्यविधि उपनिधि निर्धारण। स्थिर तथा चल समयिक सूचकांकों का निर्धारण। ऋतु हसंबंध। आवर्तिता वर्कविश्लेषण। यादृच्छिका का परीक्षण।

उपभोग और मांग का सिद्धांत, मांग के कार्य, मांग की लोच, काल श्रेणी तथा पारिवारिक बजट आंकड़ों द्वारा मांग का सांख्यिकीय विश्लेषण।

III शिक्षा सांख्यिकी मनोमिति सहित

परीक्षण मदों का मापन। विशेष, प्रमाप विशंक, सामान्य विशंक "टी०" तथा "सी०" माप, स्टैनीन मान, शततमक माप।

मानसिक परीक्षण, परीक्षणों की विश्वसनीयता और सुसंगीत। विश्वसनीयता की संगणना की विभिन्न विधियां। विश्वसमियता का सूचक। सुसंगति निर्धारण की प्रक्रियाएं। परीक्षण बेटरी के मान्यकरण। चाल बनाम धात परीक्षण।

उपादन विश्लेषण। मद विश्लेषण। अभिरुचि परीक्षणों में सह-संबंध विधियों का उपयोग।

स्मरण तथा विस्मरण का माप, स्मरण माडल। अभिवृत्ति तथा मत का माप। समूह गत व्यवहार के माप।

(IV) जनन आंकड़े :—

आनुवंशिकता का मौलिक आधार। मैंडल के नियम। लिंकेज। पृथकरण का विश्लेषण। लिंकेज की पहिचान तथा प्राक्कलन।

बहुजनन आनुवंशिकी। दृश्यरूप विचलन के संघटक। अनुवंशिकता का प्राक्कलन चयन। चयन का आधार। प्रजनन परीक्षण। चरित्र समिश्रण के लिए चयन।

जनसंख्याजनन।जनन वारंवारता। अन्तःप्रजनन। यादृच्छिक उमागम। लिंकेज का विसाम्य।

मानव जनन के तत्व। रक्त वर्गों का अध्ययन। रोग विशेषताएं तथा विषथन।

(V) जनांकिकी तथा जन्म मरण संबंधी आंकड़े :

जीवन सारिणी, उसका निर्माण तथा गुण। मैकेहम तथा मार्गतत्व वक्र, मृत्यु संस्था की वार्षिक तथा केन्द्रीय दरों की मुस्थिति। राष्ट्रीय जीवन सारणियां। यू० एन० आदर्श जीवन सारणियां। संक्षिप्त जीवन सारणियां। स्थिर जनसंख्या। स्थावर जनसंख्या।

अशोधित प्रजनन दरें, विशिष्ट प्रजनन दरें, कुल और शुद्ध जन्म दरें, परिवार का आकार, अशोधित मृत्यु दरें, बाल मृत्यु दरें। सकारण मृत्यु संख्या, प्रमाणीकृत दरें।

आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यावर्तन, विशुद्ध प्रत्यावर्तन, पिछली तथा उग्रत अतिजीविता अनुपात सिद्धांत।

जनांकिकीय संक्रमण, जनसंख्या निर्धारण के सामाजिक तथा आर्थिक निर्धारण।

जनसंख्या प्रक्षेप। गणितीय तथा संपटक विधियां वृद्धिह्रास वक्र आसंजन।

भाग—ख

मौखिक परीक्षा—उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा एक बोर्ड द्वारा ली जाएगी जिसके समक्ष सशस्त्र सेना में उम्मीदवार की सेवा अवधि सहित उनकी सेवा अवधि का रिकार्ड होगा। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य सक्षम और निष्पक्ष परीक्षकों के एक बोर्ड द्वारा उस सेवा अथवा सेवाओं के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता जांचना है जिस के लिए उसने आवेदन पत्र दिया हो। साक्षात्कार का उद्देश्य उम्मीदवार की सामान्य और विशिष्ट योग्यता और क्षमता की जांच करने के लिए लिखित परीक्षा के अनुपूरक रूप में है। उम्मीदवारों से सामान्य रूचि के मामलों और सशस्त्र सेना में उनके अनुभव से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

मौखिक परीक्षा की तकनीक नितांत रूप से सीधे सवाल जवाब की नहीं है अपितु स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्य वार्तालाप की है, जिसका उद्देश्य समस्याओं के समझने में उम्मीदवार की क्षमता और बौद्धिक उत्सुकता तथ्य ग्रहण करने में उसकी क्षमता, विचार संतुलन, सूक्ष्मबूझ सामाजिक स्थितियों को समझने की योग्यता, सचरित्रता और नेतृत्व जैसे गुणों का पता लगाया जाना है।

परिशिष्ट—III

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है, उनका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. जो उम्मीदवार दोनों में से किसी भी सेवा के लिए सफल होंगे, उनको नियुक्ति उस सेवा के ग्रेड–IV में परख पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी, और इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। सफल उम्मीदवारों की परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णयानुसार निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनुदेश तथा परीक्षा पास करनी होगी।

2. यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकती है।

3. परख अवधि या उसकी बढ़ाई हुई अवधि की समाप्ति पर यदि सरकार की राय में उम्मीदवार स्थाई नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती है।

4. यदि सरकार की राय में उम्मीदवार ने संतोषजनक रूप से अपनी परख अवधि समाप्त कर ली है, और यदि वह स्थाई नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उसे स्थाई पदों में मौलिक रिक्तियां उपलब्ध होने पर पक्का कर दिया जाएगा।

5. भारतीय अर्थ सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के निर्धारित वेतन मान निम्नलिखित हैं :—

ग्रेड–I निदेशक (डायरेक्टर) रु० 1300–60–1600–100–1800।

ग्रेड–II संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट डायरेक्टर) रु० 1100–50–1400।

ग्रेड–III उपनिदेशक (डिप्टी डायरेक्टर) रु० 700–40–1100–50/2–1250।

ग्रेड–I सहायक निदेशक (असिस्टेंट डायरेक्टर) रु० 400–400–450–30–600–35–670–ई०बी०–35–950।

6. सेवा के उच्च पदों में पदोन्नति, प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटे के अनुसार उम्मीदवारों की प्रवरणता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर की जाएगी। यह कोटा ग्रेड–III के लिए 75 प्रतिशत, ग्रेड–II के लिए 50 प्रतिशत और ग्रेड–I के लिए 75 प्रतिशत है।

भारतीय अर्थ सेवा/ भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत भारत में कहीं भी या भारत के बाहर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है, अथवा उनको निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है।

7. दोनों सेवाओं के अधिकारियों की छुट्टी पेंशन और सेवा की शर्तें उसी प्रकार होंगी जो भारत सरकार के मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) और सिविल सेवा विनियम (सिविल सर्विस रेगुलेशन) में दी गई है और जिनमें सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधन हो सकता है।

8. समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली (जनरल प्राविडेंट फंड—सेन्ट्रल सर्विसेज रूल्स) के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

परिशिष्ट–IV

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं ताकि वे इस बात का पता लगा सकें कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य अपेक्षित स्तर का है या नहीं। ये विनियम मैडिकल परीक्षकों के मार्गदर्शन के लिए भी हैं और जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, उसको मैडिकल परीक्षक स्वस्थ घोषित नहीं कर सकते। किन्तु जब मैडिकल बोर्ड की यह राय हो कि उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित स्तर के अनुसार स्वस्थ्य नहीं है, तो भी मैडिकल बोर्ड की यह अनुमति है कि वह भारत सरकार को विशेषकर लिखे हुए कारणों द्वारा सिफारिश कर सकता है कि उसको सरकार की सेवा में बिना नौकरी में लिया जा सकता है।

2. परन्तु यह साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार अपने निर्णय से मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार रखती है।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2. भारतीय (एंग्लो–इंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु कद और छाती के घेर से परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए, यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य घोषित करेगा।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जायगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप दण्ड (स्टैडई) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाए एड़ियों के, पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। यह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां, पिंडलियां, नितंब और कंधे माप दण्ड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बर्टेक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हुए हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हुई हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़ समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे। फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ ढीला लटका रहने दिया जाएगा। किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सैंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84–89, 86–93 आदि। नाप को रिकार्ड करते समय एक सेंटीमीटर से कम के भिन्न (फ्रेक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवार की ऊंचाई और छाती दो बार नापी जाएगी।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी। प्रत्येक का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनियम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस

में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा उसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बैसिक इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

(ग) चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर निम्नलिखित मानक निर्धारित किया जाता है :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)		अच्छी आंख/खराब आंख (संशोधित दृष्टि)	
6/9	6/9 अथवा		
6/9	6/12	जे० I	जे० II

(घ) निकट दृष्टि के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्यधिकृत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकती है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) दृष्टि क्षेत्र—सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी, जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोष जनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परिमापी (पैरीमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) रतौंधी—(नाइट ब्लाइंडनेस) साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है (1) विटामिन 'ए' की कमी होने के कारण और रेटीना के व्यवहारिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन 'ए' के खाने से ठीक हो जाता है, ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस की खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है। और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेष तथा जब फंडस खराब नहीं तो इलक्ट्रो—रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबंध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण वैकल्पिक जांच के लिए ये दोनों संभव नहीं। तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर होगा कि पद से संबंध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी किस तरह की होगी।

(छ) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्युलर कंडीशंस)—

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की संभावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भैंगापन (स्विवंट) तकनीकी सेवाओं में जहां द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भैंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) एक आंख वाले व्यक्ति—यदि किसी व्यक्ति की एक आंख हो अथवा एक आंख की दृष्टि सामान्य हो और दूसरी आंख की दृष्टि एम्बीलियोपिक अथवा अर्द्ध सामान्य हो तो आमतौर पर उसका प्रभाव यह होता है कि गहराई को देखने के लिए स्टीरियोस्कोपिक दृष्टि उसकी कमजोर होती है। अनेक सिविल पदों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, मेडिकल बोर्ड से ऐसे व्यक्तियों की सिफारिश कर सकते हैं यदि उनकी सामान्य आंख में—

(i) ऐनक के साथ या ऐनक के बिना दूर की दृष्टि 6/6 और समीप की दृष्टि जे० I हो, परन्तु शर्त यह है कि किसी भी मैरीडियन में गलती दूर की दृष्टि के लिए 4 डायोप्टीयर से अधिक न हो।

(ii) उसकी दृष्टि का क्षेत्र पूरा हो।

(iii) रंगों की सामान्य पहचान हो, जहां भी इसकी आवश्यकता हो, परन्तु शर्त यह है कि कोई इस बात से संतुष्ट हो कि उम्मीदवार संबंधित पद के सभी कार्य करने में समर्थ हो।

(ज) कोन्टेक्ट लैंस (Contuact lenses)—उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टेक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 15 पादवर्ती (फुट कैंडलस) से प्रकाशित हों।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रेशर)

ब्लड प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टोलिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों की औसत ब्लड प्रेसर लगभग 100+आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु सम्मिलित करें। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 के ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध समझ लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य होने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि वह उम्मीदवार को अस्पताल में रखे। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटेमेंट आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या उसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृद लेखी (इलैक्ट्राकार्डियां ग्राफिक) परिक्षाएं और रक्त यूरिया निकास (क्लीयरेंस) की जांच भी नेमीरूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने पर या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रेशर (रक्त दाब) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाली दाबमानी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का आला (इस्ट्रमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पंद्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अंदर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए। ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रचंड धमनी (ब्रैकिकल आर्टरी) को दवा दबा कर ढूंढा जाता है और तब उसके ऊपर बीचों बीच स्टेथोस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी। जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हलकी दबी हुई सी लुप्त प्राय हो जाय, वह साइस्टालिक प्रेशर है। ब्लड प्रेशर काफी थोड़ी अवधि में ही से ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभ कर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस 'साइलेटेगप' से रीडिंग में गलती हो सकती है)।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रसायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोयूरिया) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान-डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टेस्ट समेत जो भी निकले या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की फिट या अनफिट की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक इसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक के स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी होतो इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया, आपरेशन या हियरिंग ऐंड के इस्तेमाल से हो तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बिमारी बढ़ने वाली न हो।

(ख) कि वह बिना किसी बाधा के बोल सकता है।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दातों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक है यानहीं।

(ङ) उसे कोई पेट की बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसील वेरिकोज शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और सभी ग्रंथियां भली भांति स्वतंत्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ण) उसे कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान हैं या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेशनल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो सभी मामलों (केसेज) में ने भी रूप से छाती की पटेक्षण (स्क्रीनिंग) की

जानी चाहिए, जहां आवश्यक समझा जाए, एक छायाचित्र (स्काय ग्राम) लिया जानी चाहिए,

जब कोई दोष मिले तो इसे प्रमाण पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. इस परीक्षा के उम्मीदवारों को अपील की शुल्क 50 रुपए भारत सरकार के इस संबंध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा अरोग्य घोषित किए जाएंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जावेगी। यदि उम्मीदवार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गए निर्णय के 21 दिन के अंदर अपील पेश करनी चाहिए अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और उसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा। दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यात्राओं के लिए कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबंध के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शक के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में संबंधित उम्मीदवार की आयु और सेवाकाल (यदि हो) के लिए उचित गुंजायश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथा स्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बिमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इन-फर्मिटी) नहीं जिसे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरंतर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगीयों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में ही दी जानी चाहिए जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

बोर्ड में साधारणतया तीन सदस्य होंगे (i) एक चिकित्सक (ii) एक शल्य चिकित्सक और (iii) एक नेत्र चिकित्सक। ये सभी यथा संभव साध्य समान स्तर के होने चाहिए। महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी महिला चिकित्सक (लेडी डाक्टर) को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भारतीय अर्थ सेवा (इंडियन एकानोमिक सर्विस) भारतीय सांख्यिकीय सेवा (इंडियन स्टेटिस्टिकिल सर्विस) में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को भारत में और भारत के बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। इस प्रकार के किसी उम्मीदवार के बारे में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकार सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामले में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने से संबंधित पदाधिकारी स्वतंत्र हो।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा होती है ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न करने की नियुक्ति के लिए उसकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेंट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें—— .....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं—— .....

2(क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जाति आदि से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए और यदि उत्तर हां में है तो उस जाति का नाम बताइए।

3(क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लेंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बिमारी, फेफड़े की बिमारी, मूर्छा के दौरे, रूमेटिज्म, एपेडिसाइटिस हुआ है?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बिमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ता हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है।

4. आप को चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक कार्य या किसी दूसरी कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्योरा दें।

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित है, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्य के के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण
यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित है उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु तथा मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? .....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां हो तो बताइए किस सेवा/सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? .....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? .....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो .....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक है।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर .....

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर .....

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धिक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएन्युएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ..... की शारीरिक परीक्षा की।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

सामान्य विकास अच्छा / निम्न / साधारण

घोषणा :—पतला ..... औसत ..... मोटा ...

कद (जूते उतार कर) ... वजन .....

अन्युत्तम वजन .....कब था? .....

वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन....

तापमान .....

1. छाती का घेर

(1) पूरा सांस खींचने पर .....

(2) पूरा सांस निकालने पर.....

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी .. ..

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी .....

(2) रतौंधी .....

(3) कलर विजन का दोष .....

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) .....

(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी) .....

(6) फंडस परीक्षा .....

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर	द० ने०		
	ब० ने०		
पास की नजर	द० ने०		
	ब० ने०		

4. कान निरीक्षण ..... सुनना .....

दायां कान ..... बायां कान .....

5. ग्रंथियां ..... थाइरायड .....

6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पूरा ब्यौरा है।

8. हृदय : कोई आंगिक क्षति (वार्गानिक लोजन)

गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25 बार कुदाए जाने के बाद .....

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद .....

(ख) ब्लड प्रेशर ..... सिस्टालिक .....

डीयस्थालिक

9. उदर (पेट) घेरदाब वेदना (टेडरनेस)

हर्निया ....

(क) दबा कर मालूम करना, जिगर ...तिल्ली ....गुर्दे..........ट्यूमर ...

(ख) बवासीर के मस्से .....फिस्तुला ...

10. तांत्रि तंत्र—(नर्वस सिस्टम) तंत्रिक या मानसिक अशक्तता का संकेत.................

11. चाल तंत्र (लोकोमोटर सिस्टम)

कोई विलक्षणता ....

12. जनन मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी सिस्टम)

हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है।

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) इल्ब्युमन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट (सैल्स)

13. छाती का पटेशब्ला (स्क्रीनिंग) एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है जिसके लिए यह उम्मीदवार है?

नोट :—...यदि उम्मीदवार कोई महिला है और यदि यह 12 सप्ताह या उससे अधिक समय से गर्भवती है तो, उसे विनियमावली के विनियम के अनुसार अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

15. (1) क्या वह भारतीय अर्थ सेवा, भारतीय सांख्यकीय सेवा में दक्षतापूर्वक और निरंतर कार्य करने के लिए सब तरह से योग्य पाया गया है।

(2) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिए योग्य है।

नोट :—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए।

(1) योग्य (फिट)

(2) अयोग्य (अनफिट), जिसका कारण ....

(3) अस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण ...

अध्यक्ष ....

स्थान .... सदस्य ....

तारीख .... सदस्य ....

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1972

सं० 7(15)/71-आई० सी०—10 प्रतिशत का सीधा केन्द्रीय अनुदान अथवा राज सहायता योजना, 1971 के बारे में भारत के असाधारण राजपत्र के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7 (15)/71-आई० सी० (क्र० सं० 127) दिनांक 26 अगस्त, 1971 के पैरा 9 के अनुसरण में, सरकार ने वित्तीय संस्थाओं को इस योजना के अन्तर्गत उनके माध्यम से दी गई राज सहायता की प्रतिपूर्ति करने के बारे में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है। तदनुसार योजना के पैरा 8 में एतस्मिनपश्चात् निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :—

"8. सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता किये जाने वाले औद्योगिक एकक के संबंध में पैरा 6 और 7 के अन्तर्गत उल्लिखित समिति द्वारा यथा-निर्धारित अनुमानित अचल पूंजी विनिधान का 10 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इतनी ही किश्तों में उस एकक को संवितरित किया जाएगा जितनी में ऋण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संवितरित किया जाता है और साथ ही केन्द्रीय औद्योगिक विकास मन्त्रालय से भी उतनी ही राशि का दावा किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित राज्य सरकार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा संबंधित एकक के बीच किये जाने वाले संविदा में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और 10 प्रतिशत अनुदान या सहायकी द्वारा आस्तियों का बन्धक/गिरवी/आडमान भी हो सकेगा। नए औद्योगिक एकक के मामले में अथवा वर्तमान औद्योगिक एकक के पर्याप्त विस्तार के मामलों में वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली पैरा 6 और 7 में उल्लिखित समिति द्वारा निर्धारित किये गये कुल अचल पूंजी निवेश के 10 प्रतिशत की समान राशि, वित्तीय संस्था द्वारा कई किश्तों में दी जाएगी जैसा कि ऋण वित्तीय संस्था द्वारा दिया जाता है और इसके साथ ही औद्योगिक विकास मन्त्रालय से दावा करेगा। ऐसे मामलों में, संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण तथा 10 प्रतिशत राज सहायता की राशि तक एकक की आस्तियों के बन्धक/गिरवी/आडमान की बातें संबंधित एकक और वित्तीय संस्था के बीच दिये जाने वाले सम्बिदा में दी हुई होती हैं।

बशर्ते कि, यदि संबंधित वित्तीय संस्था को केन्द्रीय सरकार से राज सहायता अथवा किश्तों की प्रतिपूर्ति मिलने में देर होती है तो वित्तीय संस्था द्वारा संबंधित औद्योगिक एकक को वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये ऋण की तारीख तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय संस्थान को दी गई राज सहायता की चालू प्रतिपूर्ति की किश्त की तिथि की अवधि का देय ब्याज संबंधित औद्योगिक एकक से केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी"।

(2) पैरा 8 के इस संशोधन को ध्यान में रखते हुए, इस योजना के पैरा 9 की दूसरी पंक्ति को जिसे 26-8-1972 को प्रकाशित किया गया, एतद्द्वारा हटाया जाता है और संशोधित पैरा 9 को इस प्रकार पढ़ा जाए :.....

"9. ऊपर के पैरा 7 और 8 के अनुसार दावे का निपटारा करने के पश्चात् राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रथमतः उस व्यय को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं के लिये दिये गये अर्थोपाय उधारों के बकाया से, वित्त मन्त्रालय के पत्र संख्या 2(17)/पी०/2/58 दिनांक 12 मई, 1958 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार समायोजित करेगा"।

एस० रजारामन, उप-सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 1972

संकल्प

सं० बी० एल० 5(17)/70—ब्वायलर—केन्द्रीय ब्वायलर बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों तथा विभिन्न संगठनों, यथा :—सेंट्रल इलैक्ट्रिसिटी अथारिटी, इंण्डियन मर्चेन्टस् चेम्बर, बर्मा शैल रिफाइनरीज लिमिटेड, फरटिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया, सिन्द्री एकक तथा इण्डियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन से प्राप्त निवेदनों के अनुसरण में भारत सरकार ने, ब्वायलर तथा युनीफाइड प्रेशर वैसल्स के विद्यमान कानूनों की व्यापक समीक्षा तथा सिफारिशों करने हेतु, एक उच्च स्तरीय समिति के गठन करने का निश्चय किया है।

2. समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार होगा :—

(1)	श्री के० बी० राव, तकनीकी विकास महानिदेशक	अध्यक्ष
(2)	महाप्रबंधक, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तिरुचि	सदस्य
(3)	सदस्य (थरमल) पावर विंग, केन्द्रीय जल तथा विद्युत शक्ति आयोग	सदस्य
(4)	'ब्वायलरे' विषय के अधिभारी, भारत सरकार, औद्योगिक विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव	,,
(5)	तमिलनाडु राज्य सरकार का एक तकनीकी प्रतिनिधि	,,
(6)	महाराष्ट्र राज्य सरकार का एक तकनीकी प्रतिनिधि	,,
(7)	भारतीय मानक संस्था का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि	,,
(8)	परमाणु ऊर्जा आयोग का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि	,,
(9)	फैक्टरी एडवाइज़ सर्विस के महानिदेशक	,,
(10)	महाप्रबंधक (ब्वायलर तथा प्रैशर वैसल प्रभाग) एसोसियेटेड विकास-बैबकाक लिमिटेड, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)।	,,
(11)	तकनीकी सलाहकार (ब्वायलर), औद्योगिक विकास मंत्रालय	सदस्य-सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) यह जांच करना कि क्या ब्वायलरों —

(क) निर्माणाधीन (घरेलू आवश्यकताओं के तथा निर्यात व्यापार के लिए दोनों प्रकार के) तथा

(ख) जिनका प्रयोग हो रहा है का विद्यमान निरीक्षण तंत्र पर्याप्त है जिससे कि यह सुनिश्चय हो सके कि जनबल, तकनीकी क्षमता तथा प्रयोगशाला-सुविधाएं पर्याप्त हैं, ऐसे ब्वायलरों का समय से, संतोषजनक निरीक्षण हो रहा है और यदि नहीं, तो निरीक्षण तंत्र में सुधार लाने हेतु कदम उठाए जाने हेतु सिफारिशें करना जिसमें वर्तमान कानूनों का संशोधन करना भी सम्मिलित है,

(2) यह विचार करना कि क्या वर्तमान कानूनी उपबंध निम्नलिखित बातों के शीघ्रतापूर्वक समाधान हेतु पर्याप्त हैं :—

(क) निरीक्षण संगठनों के अंतरराज्यीय मतभेद, तथा

(ख) निरीक्षण अधिकारियों तथा निर्माताओं के बीच मतभेद यदि नहीं है, तो यथाआवश्यक वर्तमान कानूनों में संशोधन करने हेतु कदम उठाए जाने की सिफारिश करना,

(3) यह विचार करना कि क्या आधुनिक तकनीकी विकास के संदर्भ में सुरक्षा स्तर गिराए बिना कुछ प्रकारों के भाप ब्वायलरों का परीक्षण कुछ अधिक अवधि के बाद संभव है, यदि हां, तो वर्तमान कानूनी उपबंधों में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना।

(4) यह विचार करना कि क्या न्यूक्लियर रेक्टर से संबंधित भाप ब्वायलरों के विनियमन का वर्तमान कानूनी उपबंध पर्याप्त है, यदि नहीं, तो वांछित परिवर्तनों के लिए सिफारिश करना,

(5) यह विचार करना कि क्या ब्वायलर निर्माण करने में नई सामग्री, डिजायन तथा तकनीक के वर्तमान कानूनी उपबंध पर्याप्त हैं, ताकि ब्वायलर निर्माण करने की तकनालांजी के विकास करने को बढ़ावा मिले और यदि नहीं हैं तो जहां भी आवश्यक हो तो आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करना,

(6) समान्यतया, निर्माणाधीन तथा प्रयोगाधीन ब्वायलरों से संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, पुर्णानुभव के आधार पर जहां भी आवश्यक हो अन्य परिवर्तनों की सिफारिश करना, भावी आवश्यकताओं विशेषकर, इस क्षेत्र में हो रहे आधुनिक तकनीकी विकास तथा ब्वायलर तथा उसके सहायक सामान के उद्योगों के विस्तार के संदर्भ में सिफारिश करना।

(7) अनफायर्ड प्रेशर वेसल से संबंधित वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना तथा जैसा कि समिति को उचित जहां जंचे इन अनफायर्ड प्रेशर वैसलों के डिजायन

तथा निर्माण के विनियमन में संशोधन तथा उपायों को सुझाना।

(8) ऊपर (1) से (7) में की गई सिफारिशों तथा निष्कर्षों पर आधारित एक व्यापक विधेयक के लिए सिफारिश करना।

(9) समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एन० जे० कामथ, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 1972

सं० एस० एस० आई० (1)-17(3)/72—औद्योगिक विकास मन्त्रालय के संकल्प सं० एस० एस० आई० (1)-17(3)/72, दिनांक 7 जुलाई, 1972 में, जिसके द्वारा लघु उद्योग बोर्ड पुनर्गठित किया गया था, बोर्ड के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये :—

81. श्री एम० कृष्णमूर्ति,
27, फर्स्ट मेन रोड,
गांधी नगर, बंगलौर-9।

82. श्री एन० भूमानन्द मनय,
मै० मनय बैगन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी,
4, कारपोरेशन बिल्डिंग,
रेजिडैन्सी रोड, बंगलौर-25।

83. श्री वी० वी० अजमेरा,
9, हेली रोड, आशा दीप,
फ्लैट नं० 102, नई दिल्ली।

84. श्री सुरेन्द्र "तरुण"
स्थान और पो० आ० राजगीर,
जिला पटना, बिहार।

ओ० आर० पद्मनाभन, अवर सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 जुलाई 1972

आदेश

सं० 53/15/72-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खण्ड (ii) के अनुसरण में कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के एक अधिकारी श्री आई० एम० पुरी, संयुक्त निदेशक (लेखा) नई दिल्ली को कथित धारा 209 के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करता है।

2. कम्पनी विधि बोर्ड, एतद्द्वारा वित्त मन्त्रालय, कम्पनी कार्य विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 1965 के आदेश सं० 51/2/65-सी० एल०-2, में श्री आई० एम० पुरी के पक्ष में पहले के प्रेषित प्राधिकरण का प्रतिसंहरण करता है।

(कम्पनी विधि बोर्ड)

सं० 53/15/72-सी० एल० 2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के अनुसरण में कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग, के एक अधिकारी श्री एस० बन्धोपाध्याय, उप-निदेशक, निरीक्षण, कलकत्ता को, कथित धारा 209 के उद्देश्य के लिये प्राधिकृत करता है।

टी० एस० श्रीनिवासन, संयुक्त निदेशक
निरीक्षण, एवं पदेन, उप-सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 1972

संकल्प

विषय :—राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की अवधि में वृद्धि

सं० एफ० 15-3/72-स्कूल-4—भारत सरकार, शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय ने 20 अगस्त, और 20 दिसम्बर, 1969 के अपने संकल्प सं० एफ० 15-5/68 बी० एस० ई०-4 के अनुसार राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का दो वर्षों के लिय पुनर्गठन किया था। इस परिषद की अवधि 17-4-1972 को समाप्त हो गयी थी। इस पुनर्गठित परिषद की कार्याविधि को अब 31-12-72 तक और आगे बढ़ाया जाता है।

आदेश

आदेश हुं कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल परिषद्, संसदीय कार्य-विभाग, (6 प्रतियों सहित), भेजी जाये।

आदेश दिया जाता हुं कि सार्वजनिक की सूचनार्थ संकल्प का भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

त० रा० जयरामन, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1972

प्रस्ताव

सं० 15-1/72-सर्वे० 2—राष्ट्रपति सहर्ष राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय तथा अन्य मानचित्रावलियों की तैयारी और प्रकाशन के कार्यक्रम और राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन के अन्य क्रियाकलापों की समीक्षा एवं सरकार को उस संबंध में सिफारिश करने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना करते हैं। इस सलाहकार समिति का संयोजन तथा विचारार्थ विषय निम्नप्रकार होगा :—

संयोजन :

1. डा० एस० पी० चटर्जी, . . अध्यक्ष
भूतपूर्व निदेशक और भूतपूर्व सलाहकार,
राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन।

2. डा० आर० एल० सिंह, . . सदस्य
भूगोल प्राध्यापक,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी-5 (उत्तर प्रदेश)

3. डा० वी० एल० एस० प्रकाश राव . सदस्य
विभाग अध्यक्ष,
मानव भूगोल,
दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक्स,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-7।

4. डा० मुहम्मद सफी, सदस्य
विभाग अध्यक्ष,
भूगोल,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

5. प्राध्यापक एस० मन्जूर अलम, विभाग अध्यक्ष, भूगोल, उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद-7 (आन्ध्र प्रदेश) — सदस्य

6. विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

7. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

8. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

9. भारतीय प्राणिसर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

10. भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग का एक प्रतिनिधि। — सदस्य

11. निदेशक, राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन, 50-ए०, गारी घाट रोड, कलकत्ता। — सदस्य-सचिव।

विचारार्थ विषय :

(1) राष्ट्रीय तथा अन्य मानचित्रावलियों के निर्माण तथा प्रकाशन के कार्यक्रम, एवं राष्ट्रीय मानचित्रावलियों के अन्य कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा, और सरकार को उस सम्बन्ध में सिफारिश करना।

(2) राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन तथा राष्ट्रीयमानचित्रावली संगठन द्वारा बनाए गए विभिन्न मानचित्रावलियों के प्रयोक्ताओं के मध्य सहयोग के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना।

(3) सरकार द्वारा विशिष्टतया भेजे हुए राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

2. अध्यक्ष तथा समिति के सदस्यों की कार्यावधि इस प्रस्ताव के निर्गम के दिनांक से 3 वर्ष की होगी। समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर लेकिन वर्ष में कम से कम एक बार बैठेगी।

3. सलाहकार समिति के गैर सरकारी सदस्यों को सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर वित्त मन्त्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर परिवर्तित का० ज्ञा० सं० (26)-ई० आई० बी०/59, दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार, समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा। व्यय राष्ट्रीय मानचित्रावली संगठन द्वारा भुगतान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलाहकार समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सभी सदस्यों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

वी० एन० भारद्वाज, उप-सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अगस्त 1972

संकल्प

सं० वि० का०-दो०-31 (17)/72—श्रीनगर में हाल में हुए राज्यों के सिंचाई और विद्युत मन्त्रियों के छठे सम्मेलन ने, पिछली दशाब्दी में किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप वृहत तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों की शक्यता के समुपयोजन की राष्ट्रीय औसत को, जो कि 88 प्रतिशत थी, सन्तोषपूर्वक नोट करते हुए यह देखा कि देश में कुछ ऐसे क्षेत्र और प्रदेश हैं जहां समुपयोजन राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है और वही शक्यता के समुपयोजन में और तीव्रता लाई जा सकती है। अतः सम्मेलन ने सिफारिश की कि सिंचाई शक्यता के समुपयोजन में कमी के कारणों की जांच करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए मन्त्रियों की एक समिति का गठन किया जाए। तदनुसार, भारत सरकार ने मन्त्रियों की एक समिति का गठन करने का निश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. श्री वसंतराव पाटिल, सिंचाई और विद्युत मन्त्री, महाराष्ट्र — अध्यक्ष
2. सार्वजनिक कार्य मन्त्री, गुजरात — सदस्य
3. सिंचाई और विद्युत मन्त्री, मध्य प्रदेश — सदस्य
4. सिंचाई मन्त्री, बिहार — सदस्य
5. सिंचाई और राजस्व मन्त्री, राजस्थान — सदस्य
6. बृहत सिंचाई मन्त्री, मैसूर — सदस्य
7. स्वास्थ्य, सिंचाई और विद्युत तथा परिवहन मन्त्री, हरियाणा — सदस्य

2. संयुक्त सचिव (गंगा बेसिन), सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार इस समिति के संयोजक होंगे।

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) भारत में सिंचाई शक्यता के समुपयोजन की वर्तमान पद्धति के प्रदेशवार और परियोजनावार आंकड़े एकत्र करना तथा उनका विश्लेषण करना,

(2) सामान्यतः सिंचाई शक्यता के समुपयोजन में पिछड़ने और समुपयोजन में कमी के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण तथा विशेषकर ऐसे प्रदेशों और बृहत्त और मध्यम परियोजनाओं को निश्चित करना जहां तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो;

(3) उत्पादन की गई सिंचाई शक्यता के उपर्युक्त तथा शीघ्र समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित स्कीमों के आयोजन, कार्यान्वयन तथा प्रचालन के विभिन्न चरणों पर किए जाने वाले, समस्या के प्रशासनिक, तकनीकी, आर्थिक, विधायी तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में, उपचारी उपाय सुझाना,

(4) सिंचाई शक्यता का द्रुत समुपयोजन करने के लिए अन्य सभी सामान्य सुझाव देना।

4. यह समिति अपनी रिपोर्ट छः महीने की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-क, खण्ड-एक में प्रकाशित कर दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों, प्रधान मन्त्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय और योजना आयोग, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों तथा समिति के अध्यक्ष/सदस्यों को भेज दी जाए ।

बी० पी० पटेल, सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 1972

संकल्प

विषय :—भूमि तथा विकास कार्यालय के कार्य की जांच हेतु बनाई गई दिल्ली भूमि प्रबन्ध जांच समिति

सं० जी०-25017/1/70-एल०-II—इस मन्त्रालय के दिनांक 16/20 जनवरी, 1971, 29 जून, 1971 तथा 1 दिसम्बर, 1971 के समसंख्यक संकल्प के अनुसार नियुक्त किए गए दिल्ली भूमि प्रबन्ध जांच समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के अतिरिक्त, निम्नलिखित दो व्यक्ति भी उक्त समिति के सदस्य होंगे :—

(1) मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त, पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली ।

(2) श्री एच० के० एल० अरोड़ा, 19, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-8 ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये तथा इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

पी० सी० मैथ्यू, सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th August 1972

No. 94-*Pres.*/72.—The President is pleased to approve the award of the VIR CHAKRA for acts of gallantry in the recent operations against Pakistan to :—

1. Lieutenant Colonel SATINDAR KUMAR KAPOOR (IC-7414)
The 9th Gorkha Rifles

(*Effective date of award—6th December* 1971)

Lieutenant Colonel Satindar Kumar Kapoor was commanding a Battalion of the 9th Gorkha Rifles in an area in the Western Sector. On the night of 5th/6th December, 1971, he was given the task of capturing a heavily defended enemy position. Lieutenant Colonel Satindar Kumar Kapoor was with the leading troops to guide and encourage them in overcoming the stiff opposition. His presence with the troops had an inspiring effect on his command which enabled his battalion to capture the objective inspite of heavy resistance by the enemy.

In this action, Lieutenant Colonel Satindar Kumar Kapoor displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

2. Lieutenant Colonel NG O'CONNOR (IC-1578)
The Border Security Force

Lieutenant Colonel NG O'Connor who was commanding a Battalion of the Border Security Force, was given the task of capturing a well fortified enemy post during the recent operations in the Eastern Sector. He planned and executed the operations with competence and was in the forefront during the attack encouraging his men to engage the enemy and capture the objective. He personally directed the artillery fire. Under his inspiring leadership, the objective was captured and the enemy was compelled to retreat leaving behind his casualties and large quantities of arms and ammunition.

In this action Lieutenant Colonel NG O'Connor displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

3. Lieutenant Colonel RAM BAHADUR GURUNG (IC-6724) The 11th Gorkha Rifles

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

On the night of 6th/7th December 1971, Lieutenant Colonel Ram Bahadur Gurung who was commanding a Battalion of the 11th Gorkha Rifles was following closely behind the assaulting company of his battalion during the attack on an enemy post in the KARGIL Sector. The enemy brought down intense artillery and mortar fire and opened up with machine guns inflicting heavy casualties on the assaulting troops. Realising the importance of silencing the enemy machine guns, Lieutenant Colonel Ram Bahadur Gurung charged the enemy medium machine gun bunker, leading the handful of men of his protection section and destroyed the enemy machine gun post. His action inspired his men to capture the objective.

In this action, Lt. Col. Ram Bahadur Gurung displayed gallantry and leadership of a high order.

4. Lieutenant Colonel SURESH CHANDRA GUPTA (IC-7140) The 5th Gorkha Rifles

(*Effectlve date of award—5th December* 1971)

On the night of 5th/6th December, 1971, Lieutenant Colonel Suresh Chandra Gupta who was commanding a Battalion of the 5th Gorkha Rifles was ordered to capture a village in the Western Sector. The village was a well fortified position held in strength by the enemy and protected by minefield and obstacles. Lieutenant Colonel Suresh Chandra Gupta led his battalion with competence and unmindful of his personal safety, he influenced the battle at each stage by his presence, encouraging and inspiring his command to capture this difficult and formidable position.

In this action, Lieutenant Colonel Suresh Chandra Gupta displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

5. Lieutenant Colonel BHARTRUHARI TRIMBAK PANDIT (IC-7320) The Corps of Engineers

(*Effective date of award—16th December*, 1971)

Lieutenant Colonel Bhartruhari Trimbak Pandit was commanding an Engineer Regiment during the offensive operations in an area in the Western Sector from the 5th December to the 17th December, 1971. These operations were undertaken in terrain totally devoid of any road communication network and interspersed with natural and artificial obstacles which posed serious problems for the movement of fighting formations. The engineer support involved the breaching of two deep minefields, construction of roads and tracks and the crossing of the Basantar River. All these tasks were carried out in the face of stiff enemy opposition and heavy shelling.

Lieutenant Colonel Bhartruhari Trimbak Pandit inspired his command by his presence and undeterred by enemy shelling and small arms fire went from one engineer party to the other infusing a sense of urgency. It was largely due to him that sufficient armour and supporting arms could cross the obstacle in the bridge-head to meet the enemy counter attacks.

Throughout the operation, Lieutenant Colonel Bhartruhari Trimbak Pandit displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

6. Lieutenant Colonel RAJ SINGH (IC-4028) The Grenadiers.

(Effective date of award—15th December, 1971)

Lieutenant Colonel Raj Singh who was in command of a force was ordered to capture certain enemy position in the Eastern sector. During the assault, two of the rifle companies were pinned down approximately 500 yards from the objective. Despite intense enemy fire, Lieutenant Colonel Raj Singh quickly organised a force of another company and led the assault from a different direction capturing the objective and inflicting heavy casualties on the enemy. Subsequently Lieutenant Colonel Raj Singh was ordered to clear the enemy pockets in an area. He organised outflanking moves around the enemy held areas skilfully, and captured the enemy positions thereby clearing the area swiftly.

Throughout these operations Lieutenant Colonel Raj Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

7. Lieutenant Colonel KULDIP SINGH BRAR (IC-6732) The Maratha Light Infantry

(Effective date of award—11th December, 1971)

Lieutenant Colonel Kuldip Singh Brar was commanding a Battalion of the Maratha Light Infantry during the operation in the Eastern Front. His battalion was in the lead from the 4th December to the 16th December, 1971 and took a major part in the libration of Jamalpur. During the attack on Jamalpur on the night of 10th/11th December, 1971, Lieutenant Colonel Kuldip Singh Brar inspired his men to capture the objective. In the subsequent counter attacks, he moved from the one company locality to another, unmindful of his personal safety, encouraging his men to stand fact and beat back the enemy attacks. The enemy attacked six times but all these attacks were repulsed with heavy losses to the enemy in men and equipment.

Throughout this action, Lieutenant Colonel Kuldip Singh Brar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

8. Lieutenant Colonel NARINDER SINGH RAWAT (IC-6451) The Regiment of Artillery.

Lieutenant Colonel Narinder Singh Rawat was commanding a Field Regiment in the operations against Pakistan in the Western Sector. On the 14th December, 1971, when the enemy launched a fierce counter attack on a post held by our troops, Lieutenant Colonel Narinder Singh Rawat, realising that a grave situation had arisen, and there were some casualties, immediately rushed forward and rallied some of the troops and led them to charge the enemy and to hold on to the post till the evacuation of the casualties and recovery of a recoilless gun.

In this action, Lieutenant Colonel Narinder Singh Rawat displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

9. Lieutenant Colonel FRANCIS TIBERIUS DIAS (IC-7044) The 11th Gorkha Rifles

(Effective date of award—12th December 1971)

Lieutenant Colonel Francis Tiberius Dias was commanding a Battalion of the 11th Gorkha Rifles during the operations against Pakistan in the Eastern Sector. On the 12th December, 1971, he was ordered to capture a well prepared defended position held by an enemy infantry Battalion. Again, on the 13th December, 1971, the battalion was assigned the task of capturing two bridges held by the enemy in strength, and finally on the 14th December, 1971 this battalion was assigned the task of capturing a portion of Bogra Town. The battalion under the leadership of Lt. Col. Francis Tiberius Dias carried out all the tasks successfully, inflicting heavy casualties on the enemy. After contacting the enemy defences at Mahasthan, he infiltrated between the enemy's forward defended localities, raided the enemy battalion headquarters, and captured the officer commanding along with other officers. He also ensured that all the efforts of the enemy to blow up the bridges were foiled. It was due to him that the battalion contributed to a great extent in clearing Bogra Town and taking a large number of prisoners.

Throughout this operation, Lieutenant Colonel Francis Tiberius Dias displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

10. Lieutenant Colonel IAN LAWLOR PATRIC (IC-10891) The Bihar Regiment

(Effective date of award—5th December 1972)

Lieutenant Colonel Ian Lawlor Patric was commanding a Battalion of the Bihar Regiment. On the 4th December, 1971, he led his force to capture an enemy position in the Eastern Sector. The position was well fortified and was vital to the enemy defences in the area. Lieutenant Colonel Ian Lawlor Patric launched the attack despite heavy artillery and automatic fire by the enemy and captured the post. The enemy reacted strongly to the fall of this post and brought down a heavy volume of fire in a bit to dislodge our troops. Undeterred and with utter disregard for his safety, Lieutenant Colonel Ian Lawlor Patric moved from the one locality to another encouraging his men to hold on to the position. On the night of the 5th/6th December, 1971, Lieutenant Colonel Ian Lawlor Patric skilfully manoeuvred his force and launched an attack on another enemy position. The speed and momentum of the attack created panic in the enemy lines who fled in confusion, leaving behind dead and large quantities of ammunition.

In this action, Lieutenant Colonel Ian Lawlor Patric displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

11. Lieutenant Colonel PRASANTA COOKAR PURKAYASTHA (IC-2486) The Garhwal Rifles

(Effective date of award—9th December, 1971)

Lieutenant Colonel Prasanta Cookar Purkayastha, was the commander of a force which was deployed in an area in the Eastern Sector. In this sector, the enemy had organised a chain of defences held in strength by the Pakistan regular and Para Military forces. With utter disregard to his safety, he led his men with exceptional vigour and zeal, capturing post after post in lightning raids, cutting their routes of withdrawal and reinforcements and throwing the enemy out of balance. Under his inspiring leadership, a large area in Bangladesh was liberated in a short period of five days.

Throughout, Lieutenant Colonel Prasanta Cookar Purkayastha displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

12. Lieutenant Colonel JASBIR PAL SINGH (IC-5984) 8th Gorkha Rifles

(Effective date of award—3rd December, 1971)

Lieutenant Colonel Jasbir Pal Singh was commanding a battalion of the Jammu and Kashmir Militia which was occupying the defences in an area in the Western Sector. On the night of 3rd December, 1971, when the enemy attacked this position in overwhelming strength supported

by intense and heavy artillery fire, he immediately rushed with the Commando Platoon and himself took charge of the battle. While the enemy was engaged by artillery fire by our troops, he reorganised his men, and with the commando platoon, led a counter attack, and after a bitter hand to hand fight, forced the enemy to withdraw leaving behind over a hundred dead. Again on the 5th December, 1971, the enemy launched an attack on our position, but due to a quick and surprise counter attack led by Lt Col. Jasbir Pal Singh, the enemy was routed. A number of casualties and a prisoner were left behind by the enemy.

In this action, Lieutenant Colonel Jasbir Pal Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

13. Major ATMA SINGH HANSARA (IC-7470) Air Observation Post Flight, The Regiment of Artillery

(Effective date of award—5th December, 1971)

On the 5th December, 1971, the enemy attacked Longewala area in the Rajasthan Sector in overwhelming strength with armour and infantry. During the battle which lasted upto the 11th December, 1971, Major Atma Singh Hansara of an Air Observation Post Flight, unmindful of the enemy small arms fire, was continuously in the air, spotting enemy moves and concentrations of his troops and armour and directing own armour and artillery fire against enemy tanks, he also brought back valuable information. During one of his flights he was forced to land. With the assistance of own troops he brought the aircraft to a safe area, got it repaired and was on shooting and vigilance missions again the next day.

Throughout, Major Atma Singh Hansara displayed gallantry, determination, and devotion to duty to a high order.

14. Major BIMAL KISHAN DAS BADGEL (IC-14797) The 11th Gorkha Rifles

(Effective date of award—8th December, 1971)

Major Bimal Kishan Das Badgel was a company Commander in a Battalion of the 11th Gorkha Rifles on the 8th December, 1971, during the attack on an enemy post in an area in the Eastern Sector. Undeterred by heavy and accurate small arms fire and shelling, Major Kishan Das Badgel encouraged his men and charged the enemy position. This determined attack completely unnerved the enemy, who though superior in numbers, was defeated and suffered heavy casualties. During the assault, he was wounded but, unmindful of his injuries, he pressed home the attack and captured the objective.

In this action, Major Bimal Kishan Das Badgel displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

15. Major SARLEJEET SINGH AHLUWALIA (IC-15863) The Ladakh Scouts

(Effective date of award—8th December, 1971)

Major Sarlejeet Singh Ahluwalia was commanding a company of the Ladakh Scouts during the attack on enemy posts in an area in the Western Sector. He led his company in an attack on an enemy post but came under intense enemy small arms fire and shelling. As despite all efforts, the attack failed to make progress, he with fifteen other ranks, moved across treacherous terrain and launched an attack from an unexpected direction and captured the objective inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Sarlejeet Singh Ahluwalia displayed galalntry, determination and leadership of a high order.

16. Major KRISHAN KUMAR PRODHAN (IC-13647) The 4th Gorkha Rifles

(Effective date of award—3rd December, 1971)

Major Krishan Kumar Prodhan was commanding a company of a battalion of the 4th Gorkha Rifles occupying a position in the Jammu and Kashmir Sector. On the 3rd December, 1971, the enemy, supported by heavy artillery, attacked this company defended locality in overwhelming strength. Although surrounded by the enemy and subjected to repeated attack both by day and night for three days, he unmindful of his safety, moved from bunker to bunker, encouraging his men and thus repulsed the attacks, inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Krishan Kumar Prodhan displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

17. Major SHYAM VEER SINGH RATHORE (IC-18557) The Grenadiers.

Major Shyam Veer Singh Rathore who was commanding a company of a Battalion of the Grenadiers Regiment in an area in the Eastern Sector was given the task of capturing an enemy post. The attack was halted by intense enemy small arms and mortar fire. With utter disregard to his personal safety, Major Shyam Veer Singh Rathore crawled upto the enemy light machine gun bunker and destroyed it by lobbing a grenade. Thereafter, exhorting and inspiring his men, he led an assault on the enemy post and captured it.

In this action, Major Shyam Veer Singh Rathore displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

18. Major JITENDRA KUMAR TOMAR (IC-13775) The Rajputana Rifles

(Effective date of award—3rd December, 1971)

Major Jitendra Kumar Tomar was commanding a company of a Battalion of the Rajputana Rifles deployed in an area in the Jammu and Kashmir Sector. On the 3rd December, 1971, the Company position was subjected to repeated enemy attacks in overwhelming strength supported by heavy artillery fire. Major Jitendra Kumar Tomar moved from bunker to bunker encouraging his men and repulsed the attacks with heavy losses to the enemy. When the enemy succeeded in seizing a part of the company position, he with utter disregard to his personal safety, launched a counter attack throwing back the enemy after inflicting heavy casualties.

In this action, Major Jitendra Kumar Tomar displayed commendable courage, leadership and devotion to duty.

19. Major JAGMAL SINGH RATHORE (IC-13058) The Grenadiers

(Effective date of award—6th December, 1971)

Major Jagmal Singh Rathore who was commanding a company of a Battalion of the Grenadiers was assigned the task of capturing a feature, held by the enemy in strength in an area in the Rajasthan Sector. On the 6th December, 1971, when his company assaulted this position, the enemy brought down heavy machine gun and mortar fire, pinning down the assaulting troops. Undeterred Major Jagmal Singh Rathore led one of his platoons to a flank and, charging with speed and determination, overpowered the enemy who was completely stunned by the speed and momentum of the attack.

In this action, Major Jagmal Singh Rathore displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

20. Major BALBIR SINGH POONIA (IC-13361) The Rajputana Rifles

A Battalion of the Rajputana Rifles was given the task of capturing an enemy post in an area in the Eastern Sector. Immediately after the objective was captured,

the enemy launched a fierce counter attack supported by heavy artillery and mortar fire in which the Commanding Officer was injured and the Battery Commander killed. At this stage, Major Balbir Singh Poonia took charge of the situation and charged the advancing enemy, disorganising his assault and restored the situation.

In this action, Major Balbir Singh Poonia displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

21. Major SOM DUTT SHARMA (IC-10450) The Parachute Regiment

(*Effective date of award—17th December*, 1971)

Major Som Dutt Sharma was commanding a party during an attack in an area in the Rajasthan Sector. When deep inside enemy territory, he saw an enemy vehicular column. With utter disregard to his safety and showing commendable presence of mind and courage, he laid an ambush to trap the enemy. Undeterred by heavy enemy small arms fire, Major Som Dutt Sharma went from post to post, encouraging his men and directing their fire. This resulted in nineteen enemy soldiers being killed and one junior commissioned officer and eighteen other ranks being taken prisoners. A large quantity of arms, amunition and equipment was also captured.

In this action, Major Som Dutt Sharma displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

22. Major PANJAB SINGH (IC-18228) The Sikh Regiment

(*Effective date of award—4th December*, 1971)

Major Panjab Singh was commanding a company which was deployed in an area in the Western Sector. On the 3rd December, 1971, his company was attacked by two companies of enemy supported by artillery and mortar fire. Major Panjab Singh, with complete disregard to his safety moved from trench to trench and ensured that all weapons under his command engaged the assaulting force affectively. By his inspiring leadership, cool courage and determination, the enemy assault was beaten back. Three more attempts by the enemy to assault the position were similarly foiled in the next two days.

Throughout, Major Panjab Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

23. Major DALJEET SINGH SRA (IC-21343) The Mahar Regiment

(*Effective date of award—5th December*, 1971)

Major Daljeet Singh Sra who was commanding a company of a Battalion of the Mahar Regiment was detailed to establish a block behind an enemy defensive position in an area in the Western Sector. Soon after the Company column moved from the base and entered the enemy held territory, the leading platoon was fired at by an enemy machine gun. Major Daljeet Singh Sra ordered the other two platoons to get into firing positions and himself moved up to the area where the leading troops were held up due to enemy fire. He at great personal risk reformed his column and proceeded on his mission taking a different route. This timely and courageous action of Major Daljeet Singh Sra led to the successful establishment of the road block which inflicted heavy casualties on the enemy and resulted in the capture of twelve Pakistani soldiers.

In this action, Major Daljeet Singh Sra displayed commendable courage, determination and leadership.

24. Major SHEEL KUMAR PURI (IC-12418) The 5th Gorkha Rifles

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

Major Sheel Kumar Puri was commanding a company which was assigned the task of capturing enemy position in an area in the Western Sector. Undaunted by the small arms fire and shelling by the enemy, he led his company boldly and skilfully and inspired them to capture the objective after fierce hand to hand fighting. Having captured the first position, Major Sheel Kumar Puri found that the enemy was thinning out from the objective for the next phase of the battalion attack. Without losing time, he launched an attack on the second objective and captured it inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Sheel Kumar Puri displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

25. Major RANBIR SINGH (IC-8621) The Maratha Light Infantry

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

Major Ranbir Singh was the second-in-command of a battalion of the Maratha Light Infantry which was deployed in the Western Sector. He saw two companies of the enemy assaulting the forward platoon at 12.30 hours on the 6th December, 1971. Major Ranbir Singh rushed to the platoon position and inspired his men to repulse the attack. Finding the enemy company in a disorganised state in the neighbouring position, he quickly grouped two platoons and a troop of armour and led the assault in day light on the enemy position. The officer led his men, undeterred by heavy artillery and automatic fire, and was wounded in the hand to hand fighting. Unmindful of his injuries, he pressed home the attack, as a result of which 22 enemy soldiers were killed and seven medium machine guns and a number of other weapons were captured.

In this action, Major Ranbir Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

26. Major SHER SINGH (IC-14619) The Maratha Light Infantry.

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

Major Sher Singh was commanding a company in the force which was assigned the task of capturing an enemy position in the Rajasthan Sector. The position was held in strength by the enemy and was fortified with mines and obstacles. During the attack, the enemy brought down heavy and accurate small arms fire and shelling. Showing utter disregard to his personal safety, and undaunted by the heavy volume of enemy fire, Major Sher Singh led his men in a lightening attack and captured the post after fierce hand to hand fighting inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Sher Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

27. Major SUNHARA SINGH (IC-20901) The Kumaon Regiment

(*Effective date of award—5th December*, 1971)

Major Sunhara Singh was a company commander in a Battallion of the Kumaon Regiment. His company was assigned the task of capturing an enemy post in the Rajasthan Sector. During the attack, the enemy brought down intense and effective small arms fire on our troops. Undeterred, Major Sunhara Singh led the charge and destroyed the enemy after hand to hand fighting.

In this action, Major Sunhara Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

28. Major AMRIK SINGH (IC-18055) The Sikh Regiment

(*Effective date of award—12th December*, 1971)

Major Amrik Singh was commanding a company in a Battalion of the Sikh Regiment. Having attacked and captured an enemy screen position on the night of 10th/11th December, 1971, he volunteered to lead the assault on another position in the Rajasthan Sector. The

objective was held by a company of the Pakistan Regulars, well fortified and protected by a mine field 600 meters deep. Major Amrik Singh led the assault and under his inspiring leadership his company charged through the mine field and captured the objective after fierce hand to hand fighting. During the assault, Major Amrik Singh was seriously wounded but he continued to direct his men and repulsed the enemy's counter attack.

In this action, Major Amrik Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

29. Major PROSHANT KUMAR CHATTERJEE (IC-11965)

The Maratha Light Infantry

(*Effective date of award—4th December,* 1971)

Major Proshant Kumar Chatterjee was Company Commander in a Battalion of the Maratha Light Infantry, which was deployed in the Eastern Sector. On the 4th/5th December, 1971, his battalion was assigned the task of capturing an enemy locality. This was a well prepared locality held in strength by the enemy. The attack was launched from a flank and came under heavy enemy small arms fire and shelling. Undeterred, Major Proshant Kumar Chatterjee, led his men in the assault and captured the objective after a fierce hand to hand fight.

Throughout, this action, Major Proshant Kumar Chatterjee displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

30. Major Vinod KUMAR SARDA (IC-6715)
The Parachute Regiment

(*Effective date of award—12th December,* 1971)

Major Vinod Kumar Sarda who was commanding a company of a Battalion of the Parachute Regiment during the operations against Pakistan in December, 1971, was ordered to occupy a position in the Eastern Sector, which had been captured after an airborne assault. Before the digging could be completed, Major Vinod Kumar Sarda observed that a large enemy convoy was approaching his locality. He brought down accurate and intense fire on the column and inflicted heavy casualties on the enemy. The enemy withdrew to reorganise and later but in two attacks on the company position. Major Vinod Kumar Sarda, despite heavy enemy small arms fire, moved from one section to the other to inspire his men to hold their ground and beat back the enemy attacks.

Throughout this action, Major Vinod Kumar Sarda displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

31. Major KITKULE PRAKASH DIGAMBER (IC-19564)

The Regiment of Artillery

Major Kitkule Prakash Digamber was commanding a Battery of a Light Regiment which was deployed in the Eastern Sector during the operations against Pakistan in December, 1971. On one occasion, Major Kitkule Prakash Digamber observed an enemy force of a company strength taking up positions for an attack. He immediately engaged the enemy by bringing down accurate and intense artillery fire inflicting heavy casualties and causing confusion in the enemy ranks. Taking advantage of the situation, he launched an attack on the enemy. The speed and momentum of the attack unnerved the enemy who hastily withdrew from the area.

In this action, Major Kitkule Prakash Digamber displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

32. Major KAMAL NANDA (IC-12307)
4th Horse

(*Effective date of award—6th December* 1971)

On the 6th December 1971, Major Kamal Nanda commanding a Squadron of an Armoured Regiment was leading the advance for the Capture of a village in the Shakargarh Sector. Cutting through the heavy enemy opposition, he captured the village and continued advancing to capture another area. The enemy presenting strong resistance opened up with anti-tank missiles and recoilless gun fire. Major Kamal Nanda's tank was hit by a medium gun shell and by fire from an enemy MIG 19 aircraft. Though his arm was seriously injured, he unmindful of the enemy fire and undeterred by his injury, charged his tank and continued to command his squadron inspiring his men. His courageous leadership helped in enlarging the bridge-head and holding it against relentless and fierce enemy counter attacks.

In this action, Major Kamal Nanda displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

33. Major SURAJ JIT CHAUDHARI (IC-7312)
4th Horse

(*Effective date of award—6th December* 1971)

Major Suraj Jit Chaudhari was commanding a squadron of an Armoured Regiment in the Shakargarh Sector. On the 6th December, 1971, leading his squadron with courage, skill and competence he broke through an enemy minefield despite intense and heavy enemy fire. He held his ground despite repeated fierce counter attacks by the enemy to dislodge him. Manoeuvring his tanks with great skill, he himself accounted for two enemy tanks.

Major Suraj Jit Chaudhari displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

34. Major VIJAY KUMAR BHASKAR (IC-16054)
The Corps of Engineers.

(*Effective date of award—*6th *December* 1971)

Major Vijay Kumar Bhaskar was commanding a field company of an Engineer Regiment in the Shakargarh Sector. On the 6th December, 1971, our offensive operations were held up by the enemy minefield and it was essential to breach them speedily. Although the obstacle was covered by enemy small arms and artillery fire and a bridge head had not been established, Major Vijay Kumar Bhaskar entered the minefield alone in broad daylight and reconnoitred the obstacle upto a depth of four hundred metres, establishing the enemy pattern of mine laying and the depth of the minefield. His bold and courageous action and complete disregard to personal safety enabled subsequent breaching operations to be carried out with speed.

In this action, Major Vijay Kumar Bhaskar displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

35. Major NAND DULARE (IC-17413)
The Rajput Regiment

(*Effective date of award—15th December* 1971)

Major Nand Dulare who was commanding a company of a Battalion of the Rajput Regiment was assigned the task of establishing a road block behind the enemy lines in an area in the Eastern Sector. On the 15th December, 1971, the enemy launched repeated attacks in strength, to clear the road block, but Major Nand Dulare rallied his men and inspired them to repulse the attacks inflicting heavy casualties. During one of the attacks, Major Nand Dulare charged the enemy and firing his sten gun from his hip killed a number of enemy soldiers. His act of courage inspired his men to hold on the posts and ultimately led to the capture of a large number of prisoners and arms and equipment.

In this action, Major Nand Dulare displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

36. Major GOPAL KRISHAN TRIVEDI (IC-20021)
The Grenadiers

(*Effective date of award—11th December* 1971)

On the 10th December, 1971, Major Gopal Krishan Trivedi was commanding a company of a Battalion of the Grenadiers during their attack in an area in the Shakargarh Sector. This was a well fortified position held in strength by the enemy and covered by a 800 yards deep minefield. During the attack, the assaulting troops came under very heavy and accurate shelling. Undeterred, Major Gopal Krishan Trivedi led his men and charged through the minefield and captured the objective after bitter hand to hand fighting. On the 11th December, 1971, the enemy launched a counter attack in strength. Major Gopal Krishan Trivedi inspired his men by his presence and moving from trench to trench exhorted his men to hold ground and beat back the enemy attack inflicting heavy casualties.

Throughout this action, Major Gopal Krishan Trivedi displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

37. Major SADANAND BALWANT SALUNKE (IC-18389)
The Maratha Light Infantry

(*Effective date of award—10th December* 1971)

Major Sadanand Balwant Salunke was commanding a Company of a Battalion of the Maratha Light Infantry in the Shakargarh Sector. On the 10th December, 1971, he was ordered to attack certain enemy positions. Major Sadanand Balwant Salunke led his men and captured three enemy posts. Thereafter, he advanced further disregarding intense enemy shelling and small arms fire. Finding the enemy in the process of re-adjusting his defences, he rallied his men and launched an attack with speed, and captured the objective, inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Major Sadanand Balwant Salunke displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

38. Major MANJIT SINGH DUGGAL (IC-12641)
The Regiment of Artillery

(*Effective date of award—7th December* 1971)

Major Manjit Singh Duggal was the Battery Commander with a Battalion of the Dogra Regiment during the operations in the Eastern Sector. Throughout the operations, he provided effective artillery support and repeatedly exposed himself to enemy small arms and mortar fire to engage the enemy targets. His conduct was a source of inspiration to others and was instrumental in the success of the operations undertaken by the battalion for the capture of an enemy held area.

In this action, Major Manjit Singh Duggal displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

39. Major KULDEEP SINGH GILL (IC-14014)
The 5th Gorkha Rifles

(*Effective date of award—14th December* 1971)

Major Kuldeep Singh Gill was commanding a company of a Battalion of the 5th Gorkha Rifles during the operations against Pakistan in the Western Sector. On the 14th December, 1971, he was assigned the task of locating enemy troops. He deployed his company for the task and accompanied one of his platoons in the combing out operations. During the search, his column came under heavy automatic fire from the enemy entrenched in a dominating position. The enemy had occupied the position with a company supported by five Medium Machine Guns. Though heavily outnumbered and caught in the open Major Kuldip Singh Gill rallied his men and stood his ground for over six hours and subsequently attacked the position supported by a troop of tanks, inflicting heavy casualties on the enemy and capturing large quantities of arms and ammunition including five Medium Machine Guns.

In this action, Major Kuldeep Singh Gill displayed gallantry, determination, and leadership of a high order.

40. Major CHANDRA KANT (IC-18851)
The Brigade of the Guards

(*Effective date of award—4th December* 1971)

Major Chandra Kant was in command of company detailed to put a stop behind an enemy position in the Eastern Sector. Under his able leadership, the company established the stop before the enemy could withdraw. The enemy finding its routs of withdrawal cut reacted violently and subjected the company to intense shelling and assault by tanks. Undeterred, Major Chandra Kant went from trench to trench encouraging men to hold on to the position till the area was cleared of the enemy.

In this action, Major Chandra Kant displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

41. Major SATISH NAMBIAR (IC-10018)
The Maratha Light Infantry

(*Effective date of award—11th December* 1971)

Major Satish Nambiar was in command of a Forward Company of a Battalion of The Maratha Light Infantry which had established a road block in an area in the Eastern Sector. The enemy assaulted the road block in strength at 0230 hours on the 10th December 1971. The attack was supported by intense artillery, mortar and small arms fire. Major Satish Nambiar, in complete disregard for his safety, moved from trench to trench to encourage his men. This assault was beaten back when the enemy was barely 40 yards from the Forward Defended localities. Similar assaults by the enemy till 0430 hours on the 11th December 1971 were also repulsed.

Throughout, Major Satish Nambiar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

42. Major ASHOK KUMAR TARA (IC-20506),
The Brigade of Guards

(*Effective date of award—3rd December* 1971)

Major Ashok Kumar Tara was commanding a Forward company during an attack on an area in the Eastern Sector. The enemy opened up with heavy automatic fire and the attack was held up. Major Ashok Kumar Tara, with complete disregard for his safety, crawled upto the leading Medium Machine gun position of the enemy and silenced it. The daring act of the officer so inspired the company that they assaulted the enemy with great determination. Major Ashok Kumar Tara, though wounded, continued to lead the assault till the position was captured.

In this action, Major Ashok Kumar Tara displayed courage, determination and leadership of a high order.

43. Major RAVI KUMAR (IC-14817), The Sikh Light Infantry

(*Effective date of award—12th December* 1971)

Major Ravi Kumar was commanding a company of a Battalion of the Sikh Light Infantry which was assigned the task of capturing an enemy post in the Western Sector. Due to the narrow approach, the assault had to be in section groups and Major Ravi Kumar was with the leading section. The assault was held up due to effective fire from an enemy Medium Machine Gun firing from a bunker. Realising the importance of silencing this gun, Major Ravi Kumar, with complete disregard for his safety, crawled upto it and killed the crew with a grenade. The company inspired by the daring act assaulted

the enemy post and captured it, inflicting heavy casualties on the enemy. The enemy reacted sharply and put in four counter attacks but these were all repulsed.

In this action, Major Ravi Kumar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

44. Major PATINHARE VEETIL SAHADEVAN (IC-22366), The Madras Regiment

(*Effective date of award—16th December* 1971)

On the night of 15th/16th December 1971, Major Patinhare Veetil Sahadevan who was commanding a company of a Battalion of the Madras Regiment was given the task of establishing a bridge-head in an area in the Western Sector. This involved an attack across a minefield of over 800 yards depth. During the assault, his company suffered casualties while in the minefield. Major Sahadevan, with utter disregard for his safety, moved ahead and inspired his men to follow him. On reaching the far end of the minefield the company encountered stiff opposition. An enemy Medium Machine Gun firing from a bunker nearby was causing casualties on our troops. Major Sahadevan immediately crawled upto the enemy bunker and lobbed a grenade in it. This set ablaze fuel and ammunition in the bunker and the enemy started fleeing in confusion. During the attack, he moved from trench to trench, unmindful of the heavy shelling, to encourage his men to hold their ground and repulse the attacks.

Throughout the action, Major Patinhare Veetil Sahadevan displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

45. Major VIKRAM KUMAR ANAND (IC-16611), The Sikh Light Infantry.

(*Effective date of award—14th December* 1971)

Major Vikram Kumar Anand was commanding a rifle company of a Battalion of the Sikh Light Infantry during the operations in the Shakargarh Sector. On the morning of the 14th December, 1971, his company was placed under command of a Cavalry Regiment which was assigned the task of capturing an enemy position. Despite continuous enemy small arms, tank and artillery fire, Major Vikram Kumar Anand inspired his company to press home the attack and after heavy fighting cleared the enemy position. Under his able leadership, the company repulsed repeated counter attacks by the enemy.

Throughout, Major Vikram Kumar Anand displayed gallantry and leadership of a high order.

46. Major GOVIND SINGH (IC-6881), 4th Horse.

(*Effective date of award—16th December* 1971)

During the battle of the Basantar River, 17th Horse which was establishing the bridge-head came under heavy pressure, and it was decided to send additional armour, into the bridge-head. An *ad hoc* force of four troops was formed, including the Regimental and Brigade Headquarters troops, and placed under the command of Major Govind Singh. The enemy was attempting to move an armoured squadron to cut off our forces at 'Jarpal'. Despite heavy shelling, Major Govind Singh moved forward with his own tank and destroyed two enemy tanks. Thereafter by skilfully, deploying the force under his commander, he helped in repulsing repeated enemy attacks.

Throughout, Major Govind Singh displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

47. Major MALVINDER SINGH SHERGILL (IC-13152), 7th Light Cavalry

(*Effective date of award—13th December* 1971)

Major Malvinder Singh Shergill was commanding a squadron of 7th cavalry in the Shakargarh Sector. On the 8th December, 1971, he was ordered to capture a rail head which was held in strength by enemy Infantry and Armour. During the assault, he moved swiftly and captured the rail head despite heavy opposition and continued to hold the same till the Infantry Battalion moved forward and built up on it. During the period 7th to 12th December, 1971, he led two missions against enemy armour and destroyed two enemy tanks. On the 13th December 1971, his squadron was instrumental in throwing back elements of 20th Lancers and 33rd Cavalry of the Pakistan Forces almost 9 Kilometres.

Throughout this operation, Major Malvinder Singh Shergill displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

48. Major VIRENDER SINGH RUHIL (IC-12414), The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—15th December* 1971)

Major Virender Singh Ruhil was commanding a battery of a Light Regiment in the Eastern Sector On the 5th December, 1971, a Battalion of the Bihar Regiment captured an area. The enemy reacted sharply and brought down intense mortar and medium machine gun fire in a bid to dislodge our troops. Major Virender Singh Ruhil with utter disregard for his safety, went forward, and engaged enemy Medium Machine Guns and mortars which were causing casualties to our troops, and silenced them. On the 15th December, 1971, the attack of a Battalion of the Brigade of the Guards was held up by the enemy who was occupying well prepared defences. Despite heavy enemy small arms and mortar fire, Major Virender Singh Ruhil moved close to the enemy position, brought down accurate and effective fire on the enemy and thus enabled the Battalion to capture the objective.

Throughout this operation, Major Virender Singh Ruhil displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

49. Major RAVINDER KUMAR ARORA (EC-58565), The Sikh Light Infantry.

(*Effective date of award—15th December* 1971)

Major Ravinder Kumar Arora was commanding a Company of a Battalion of the Sikh Light Infantry in the Rajasthan Sector. On the 15th December 1971, he was given the task of capturing an enemy strong hold. Major Ravinder Kumar Arora, despite heavy enemy small arms and artillery fire, led his men with courage and inspired them to capture the objective. After the capture of the objective, a neighbouring enemy locality was attacked but the attack was held up by the heavy volume of enemy small arms and artillery fire. Major Ravinder Kumar Arora with two of his platoons charged the enemy locality and though seriously wounded, he led his troops across the minefield under intense enemy fire and closing in with the enemy, captured the objective after bitter fighting.

Throughout this operation, Major Ravinder Kumar Arora displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

50. Major SUSHIL KUMAR SARDA (IC-12099), The Mahar Regiment.

(*Effective date of award—12th December* 1971)

Major Sushil Kumar Sarda was commanding a Company of a Battalion of the Mahar Regiment in the Rajasthan Sector. On the night of the 12th/13th December 1971, he led his Company in an attack on an enemy position, and captured it. During the enemy counter attack, he moved in the open from trench to trench despite heavy shelling and small arms fire, to encourage his men to hold their ground and best back the enemy attack.

Throughout this action, Major Sushil Kumar Sarda displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

51. Major INDER PRAKCHU KHARBANDA (IC-18612), The Brigade of the Guards.

(*Effective date of award—4th December* 1971)

Major Inder Prakchu Kharbanda was commanding a mpany of a Battalion of the Brigade of the Guards. He is given the task of establishing a block behind an emy held area in Eastern Sector. Major Inder Prakchu narbanda led his company with great skill and occupied e position. The enemy subjected his defences to intense elling and automatic fire from gun beats but he held s ground and ensured the success of the operation.

In this action, Major Inder Prakchu Kharbanda disayed gallantry, determination and leadership of a high der.

52. Major KUPPANDA PONAPPA MANJAPPA (SS-19466), The Kumaon Regiment.

Major Kuppanda Ponappa Banjappa who was comanding a company of a Battalion of the Kumaon Regient was assigned the task of capturing an enemy strong oint in the Eastern Sector. This was a well fortified osition and its capture was vital for the subsequent opetion in this area. In spite of heavy and accurate shellg and small arms fire, Major Kuppanda Ponappa Manppa with utter disregard for his safety, led his men and aptured the objective after fierce fighting.

In this action, Major Kuppanda Ponappa Manjappa isplayed gallantry, determination and leadership of a igh order.

53. Major DHARAMPAL SINGH (IC-13817), The Bihar Regiment.

Major Dharampal Singh who was commanding a comany of a Battalion of the Bihar Regiment, was assigned he task of capturing an enemy strong point in the Eastern Sector. Despite intense shelling and small arms ire Major Dharampal Singh with utter disregard for his afety, led his men and captured the objective after lerce fighting. He also captured an enemy 105 medium nachine gun.

In this action, Major Dharampal Singh displayed, gallantry, determination and leadership of a high order.

54. Major MANOPTKIA MANDAPPA RAVI (SS-19469), The Bihar Regiment.

(*Effective date of award—3rd December* 1971)

Major Manoptkia Mandappa Ravi who was commanding a Company of a Battalion of the Bihar Regiment, was assigned the task of capturing an enemy strong point in the Eastern Sector. During the assault, his company came under intense artillery, small arm and tank fire and he was seriously wounded by a shell splinter. Undeterred by the heavy volume of fire and unmindful of his injuries, Major Manoptkia Mandappa Ravi led the charge. Inspired by his courage, his company rushed the objective and captured it after fierce fighting. One enemy tank was also captured intact in this attack.

In this action, Major Manoptkia Mandappa Ravi displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

55. Major SUKHPAL SINGH (IC-19213), The Jat Regiment

(*Effective date of award—9th December* 1971)

Major Sukhpal Singh was commanding a company of a Battalion of the Jat Regiment during the operations against Pakistan in December, 1971 in the Western Sector. On the 4th December 1971, his company was assigned the task of recapturing a village which had been occupied by the enemy the previous day. This position was held in strength by the enemy and was dominated by the enemy located on a bund. Major Sukhpal Singh led the attack and, despite heavy small arms and artillery fire, inspired his company to capture not only the village but also a position of the strongly held bund from where the enemy were bringing down artillery fire on to his position. The enemy launched a number of counter attacks on the bund under cover of heavy artillery and medium machine gun fire. Undaunted, Major Sukhpal Singh moved from trench to trench encouraging his men.

In this action, Major Sukhpal Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

56. Major VIJAY KUMAR VAID (IC-21303), The Grenadiers.

Major Vijay Kumar Vaid who was commanding a company of a Battalion of the Grenadiers in the Shakargarh Sector, was assigned the task of capturing an enemy position. This was a strongly fortified position held in strength and supported by twelve Browning Machine Guns. Despite heavy artillery and automatic fire by the enemy, Major Vijay Kumar Vaid led the assault and captured the objective after fierce fighting.

In this action, Major Vijay Kumar Vaid displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

57. Major JAI BHAGWAN SINGH YADAV (IC-16095), The 11th Gorkha Rifles.

(*Effective date of award—12th December* 1971)

On the 12th December 1971, Major Jai Bhagwan Singh Yadav commanding a company of a Battalion of the 11th Gorkha Rifles was acting as the vanguard during the advance to Bogra Area in the Eastern Sector. The advance was held up by machine gun and recoilless gun fire from across a Bridge in the Bogra Area. Major Jai Bhagwan Singh Yadav was ordered to establish a road block, behind the enemy defences. The company after crossing the Ichamati River reached the location of the road block. During the reconnaissance for the road block, an enemy telephone line was located which gave the location of the enemy Battalion Headquarters. Major Jai Bhagwan Singh Yadav surrounded this Headquarters and captured the Battalion Commander and other officers. The enemy reacting sharply blocked all the routes of escape to isolate this company. Undaunted by this move of the enemy, he maintained relentless pressure exposing himself to danger, enthusing and encouraging his men to hold their ground. By this time, the enemy companies were closing in, in a bid to rescue their Commanding Officer. The stiff resistance by the company, and the enemy reactions created a wedge in the enemy defences permitting our armour to break through. The enemy completely confused and unnerved and suffering heavily in men and material surrendered to our forces in large numbers.

In this action, Major Jai Bhagwan Singh Yadav displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

58. Major ABJEET SINGH MAMIK (IC-14461) The 11th Gorkha Rifles.

(*Effective date of award—13th December* 1971)

On the 13th December, 1971, Major Abjeet Singh Mamik who was commanding a company of a Battalion of the 11th Gorkha Rifles was ordered to capture an enemy position in the Eastern Sector. The attack had barely progressed when the enemy opened up with heavy and accurate machine gun fire, pinning down the troops. It became evident that the enemy was a company strong and had well fortified defences. Undeterred, he pressed forward, leading his men and encouraging them to close with the enemy. His men rallied behind him and fighting from bunker to bunker, succeeded in penetrating the enemy defences. The enemy fled leaving behind many dead and large quantities of equipment. Major Abjeet Singh Mamik in a swift action surrounded the enemy

company headquarters forcing the Company Commander to surrender.

In this action, Major Abjeet Singh Mamik displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

59. Major HARISH KUMAR CHOPRA (IC-13761)
The Regiment of Artillery.

Major Harish Kumar Chopra was a Battery Commander with an Infantry Battalion which had established a bridge-head across River Basantar in the Shakargarh Sector. The enemy counter attacked in strength supported by heavy artillery and machine gun fire. The Observation Post Officer with one of the forward companies was injured. Major Harish Kumar Chopra took over the duties of the Observation Post Officer. He moved from one position to another, disregarding his own safety, and directed own artillery fire and was instrumental in breaking up the counter attack. On his way back to the Battalion Headquarters, the Officer Commanding of the Battalion was wounded by a splinter. He made all efforts to evacuate the Officer Commanding but could not do so due to heavy machine gun fire which was covering the area effectively. Major Harish Kumar Chopra rendered first aid and stayed by the side of the Officer Commanding till such time as he could be evacuated to a safe place.

In this action, Major Harish Kumar Chopra displayed gallantry, initiative and devotion to duty of a high order.

60. Major RAJ KUMAR MALHOTRA (IC-20824)
The Parachute Regiment.

(Effective date of award—9th December 1971)

Major Raj Kumar Malhotra was the Group Commander of a Force which was deployed in an area in the Eastern Sector. He led his men with determination and maintaining relentless pressure on the enemy succeeded in capturing a number of posts.

Throughout, Major Raj Kumar Malhotra displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

61. Major HARISH CHANDRA SHARMA (IC-21075)
The Jat Regiment.

(Effective date of award—9th December 1971)

During the operations against Pakistan in December, 1971, Major Harish Chandra Sharma, was commanding a company of the Jat Regiment in the Eastern Sector. He improvised a flotille of local boats and despite heavy enemy resistance estaolished a bridge-head pushing the enemy back. This facilitated the crossing over by other columns. Pressing forward relentlessly, he captured an area on the 9th December 1971. Under his able leadership, the company repulsed desperate counter attacks by the enemy.

Throughout, Major Harish Chandra Sharma displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

62. Major SURVENDRA SINGH NEGI (IC-22805)
The Grenadiers.

Major Survendra Singh Negi was Group Commander of a Force operating in the Eastern Sector. Under his able leadership, the Force captured a heavily fortified enemy position after a hand to hand fight. He, thereafter destroyed a vital bridge to deny enemy movements in this area.

In this action, Major Survendra Singh Negi displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

63. Major VIRENDRA KUMAR (IC-22619)
The Jammu and Kashmir Rifles.

(Effective date of award—7th December 1971)

Major Virendra Kumar was commanding a company of a Battalion of the Jammu and Kashmir Militia which was deployed in the Jammu and Kashmir Sector. The company position was attacked by the enemy in overwhelming strength on the 7th December 1971, supported by intense and accurate artillery fire. Unmindful of his safety, he moved from locality to locality encouraging his men to beat back the enemy's attack. Despite suffering heavy losses, the enemy reorganised and launched another attack. Throughout the night and the next day, the enemy put great pressure on our troops. All these attacks were, however, repulsed, the enemy withdrew leaving behind seventy to eighty dead, strewn all over the area.

In this action, Major Virendra Kumar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

64. Captain SURENDRA KAUSHIK (IC-17200)
The Armoured Corps.

(Effective date of award—4th December 1971)

On 4th December, 1971, Captain Surendra Kaushik with two tanks was assigned the task of preventing the enemy armour advancing along Dewa axis in the Chhamb Sector. He deployed his tanks on the Gurah heights. The enemy advancing towards the Chhamb Brigade on the Munawar Tawi, attacked his tanks with two squadrons of armour. Undeterred by the enemy's superiority in numbers and pressure, he struck to his position and presented strong resistance, hitting back at the enemy tanks and foiling his desperate bids to break through till his position was reinforced with a troop from another armoured regiment. The attack on the 5th December 1971, was also repulsed with heavy losses to the enemy. In the encounters, Captain Kaushik and his crew in two tanks destroyed nine enemy T-59 tanks and three Recoilless Rifles.

Throughout, Captain Surendra Kaushik displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

65. Captain VISHNU SWARUP SHARMA (SS-20859)
The Brigade of Guards.

Captain Vishnu Swarup Sharma took over command of a Company of a Battalion of the Brigade of the Guards on the death of the Company Commander in an attack on an enemy post in the Eastern Sector. Although his company had been reduced to half the strength through casualties, the officer refused to withdraw from the objective inspite of repeated counter attacks by the enemy. On one occasion, he personally launched a bayonet counter attack on the enemy who had surrounded the post. Inspite of heavy enemy pressure, he held his ground and eventually rejoined his Unit with the remaining men of his Company.

Throughout, Captain Vishnu Swarup Sharma displayed commendable courage, leadership and determination.

66. Captain GURBAKSH SINGH SIHOTA (IC-15471)
(Air Observation Post Flight),
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—9th December 1971)

On 9th December 1971 Captain Gurbaksh Singh Sihota was ordered to carry a reconnaissance party for the selection of a suitable landing site for helicopter borne operations in the Eastern Sector. Skillfully piloting his helicopter, he penetrated deep behind enemy occupied territory. During this reconnaissance, the helicopter was fired upon and hit by enemy small arms fire. Captain Sihota however, brought the damaged aircraft safely back to forward helipad. Although his helicopter was damaged, he undertook a mission to evacuate two serious casualties. Later, the same afternoon and in the same damaged helicopter, he led the first wave of the helicopter borne operations and directed the other helicopters to a safe landing.

Throughout, Captain Gurbaksh Singh Sihota displayed courage, initiative and professional skill of a high order.

67. Captain TIRATH SINGH (IC-23312)
The Regiment of Artillery.

Captain Tirath Singh was attached to a Rifle Company as a Forward Observation Officer in an assault on an enemy post in the Eastern Sector. The enemy was holding a well-fortified position supported by Medium Machine Guns and brought down subtained and accurate fire wounding one of the platoon commanders. Captain Tirath Singh immediately took charge of the Infantry Platoon and led the assault on the enemy strong point and destroyed it.

In this action, Captain Tirath Singh displayed commendable courage and initiative.

68. Captain PRITHVI PAL SINGH SANGHA (IC-16285)
(Air Observation Post Flight),
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—5th December 1971)

On the 5th December, 1971, the enemy attacked Longewala in the Rajasthan Sector in an overwhelming strength with armour and infantry. Captain Prithvi Pal Singh Sangha of an Air Observation Post Flight was ordered to be air borne to direct own tanks and artillery fire against enemy tanks and troops concentration. Throughout the period of this action from 5th December to 11th December, 1971, with complete disregard to his personal safety, he spent most of the time carrying out air borne missions of observing the enemy movements, passing back valuable information and directing the strikes by own tanks and guns.

In this action, Captain Prithvi Pal Singh Sangha displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

69. Captain GURMUKH SINGH GILL (SS-22577)
The Punjab Regiment.

When the enemy infantry and tanks concentrated for an attack on our troops, Captain Gurmukh Singh Gill led a patrol to provide protection to an Artillery Observation Post Officer, who was assigned the task of engaging and destroying the enemy. Despite the fact that the patrol was within fifty yards of the enemy concentration where two infantry battalions with a squadron of tanks had formed up for an assault, Captain Gurmukh Singh Gill took up a position and the Observation Post Officer directed the troops and brought down heavy and accurate fire which forced the enemy infantry and tanks to break up in panic and confusion. The enemy tanks thereafter charged on this patrol and in this process the Artillery Observation Post Officer was seriously wounded. Captain Gurmukh Singh Gill, after administering first aid to the officer, carried him on his shoulders and fought his way back to safety.

In this action, Captain Gurmukh Singh Gill displayed gallantry, initiative and devotion to duty of a high order.

70. Captain HARBANT SINGH KAHLON (IC-16433)
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—3rd December 1971)

Captain Harbant Singh Kahlon was the Observation Post Officer with the Ranian screen position in the Western Sector. The enemy launched seven attacks on this position between the 3rd and 4th December. These attacks were in overwhelming strength under heavy artillery support. Major Harbant Singh Kahlon with complete disregard for his personal safety, moved from one position to another despite heavy shelling, observing and directing fire on enemy concentrations. With exceptional competence, he brought down own artillery fire as close as twenty yards from his own position to break up the enemy assault. The successful defensive battle at Ranian is attributable largely to his tireless, determined and bold efforts.

In this action, Captain Harbant Singh Kahlon displayed gallantry, initiative, professional skill and devotion to duty of a high order.

71. Captain GOPA KUMAR RAMAN PILLAI (IC-21975)
The Madras Regiment.

Captain Gopa Kumar Raman Pillai organised a mixed group of personnel into a highly motivated and effective team by his zeal, boundless energy and hard work. He successfully commanded this group in a series of bold and courageous actions against the enemy in the Eastern Sector. These action included capture of a well fortified enemy position.

Throughout, Captain Gopa Kumar Raman Pillai displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

72. Captain RAGHUNATH PRASHAD CHATURVEDI (IC-23198)
The Regiment of Artillery.

Captain Raghunath Prasbad Chaturvedi who was the forward observation officer with a Battalion of the Punjab Regiment during the recent operations against Pakistan in the Eastern Sector, was ordered to engage enemy guns which were shelling our positions and inflicting casualties. Before the officer could engage the enemy gun positions, he found an enemy squadron of tanks and infantry forming up for an assault on our positions, barely 200 metres from his observation post. With utter disregard to his personal safety, he brought down intense artillery fire on the enemy, thereby completely disorganising the enemy's attack with heavy casualties to his infantry and tanks. Though he was injured in a leg by automatic fire from an enemy tank, he kept on engaging the enemy till the attack was disorganised. On the way back to his base, he fell down unconscious due to loss of blood.

In this action, Captain Raghunath Prashad Chaturvedi displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

73. Captain JITENDRA KUMAR (IC-19997)
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—8th December 1971)

Captain Jitendra Kumar was the forward observation officer with the leading company of a Battalion of the Dogra Regiment while assaulting the Dera Baba Nanak Enclave on the night of 5th/6th December 1971. During the various phases of the attack, he remained with the leading elements and provided effective fire support. After the capture of the objective, he continued to direct fire from the forward positions and assisted in the breaking up of several enemy counter attacks between the 6th and the 8th December 1971 inflicting heavy casualties on the enemy. He remained on duty without rest till he was injured due to shelling on the 8th December, 1971, and evacuated.

Throughout, Captain Jitendra Kumar displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

74. Captain VANCHITATIL OMMEN CHERIAN (SS-20567)
Artillery.

(Effective date of award—9th December 1971)

Captain Vanchitatil Ommen Cherian was the observation post officer with a company of a Battalion of the Maratha Light Infantry which was deployed in the Western Sector. At about 1230 hours, on the 9th December, 1971, the enemy launched an attack in strength

on the post held by the company and subjected it to heavy artillery and medium machine gun fire. The enemy launched another attack under cover of heavy artillery fire. Unmindful of his personal safety, Captain Vanchitatil Ommen Cherian crawled and occupied an observation post and brought down accurate artillery fire on the attacking enemy thereby disorganising the attack. The enemy launched a further counter attack in greater force and once again Captain Vanchitatil Ommen Cherian, though wounded, brought down heavy and accurate artillery fire on the enemy and thus enabled the attack to be repulsed.

Throughout this action, Captain Vanchitatil Ommen Cherian displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

75. Acting Captain NAWAL SINGH RAJAWAT (IC-19010)
The Rajput Regiment.

(Effective date of award—5th December 1971)

Captain Nawal Singh Rajawat was the company commander of Commando Company of a Battalion of the Rajput Regiment. At 1800 hours on the night of 5th/6th December 1971, he led his company for the capture of a feature across the Dera Baba Nanak Bridge. The capture of the feature involved infiltration deep into the enemy territory. Captain Nawal Singh Rajawat successfully infiltrated his company and attacked the enemy position. During the asault, the enemy brought down intense fire with all available weapons including artillery fire, but this did not deter him. Regardless of his personal safety, he led his men in the assault on the objective and captured the feature inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Captain Nawal Singh Rajawat displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

76. Captain INAYAT ALTAF YUSUFJI (IC-15992)
(Air Observation Post Flight),
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—8th December 1971)

On the 8th December, 1971, during a battle in the Rajasthan Sector Captain Inayat Altaf Yusufji of the Air Observation Post Flight flew four missions to locate and engage enemy concentration. Though his aircraft was riddled with bullet holes, undeterred, he remained airborne, directing own artillery fire. While he was thus engaged, he saw six enemy fighter aircraft approaching. He broke off the engagement and, showing a high order of airmanship and flying skill, evaded the enemy aircraft and returned to resume the engagement of the enemy position. As a result of the bullet holes, he found that the fabric of his aircraft was slowly tearing off and the response from the flying controls was extremely sluggish. Unmindful of this danger, he continued the engagement until the enemy was silenced and then brought his aircraft safely back to the base.

In this action, Captain Inayat Altaf Yusufji displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

77. Captain PANNIKOTE MADHAVAN (IC-20198)
(Air Observation Post Flight),
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—5th December 1971)

On the 5th December, 1971, Captain Pannikote Madhavan was ordered to locate enemy disposition in an area in the Rajasthan Sector. While flying low and deep into enemy territory, his aircraft was hit by a barrage of enemy machine gun bullets, shattering the canopy and damaging the elevator controls. Undeterred by the severe damage to his aircraft, he manoeuvred it to have a closer look at the enemy and passed back valuable information. This enabled the advancing troops to launch a quick and decisive attack on enemy position. By this time, his aircraft developed engine trouble and was losing power. With great presence of mind he skilfully manoeuvred it and landed safely on an alternate landing site within our own territory.

In this action, Captain Pannikote Madhavan displayed gallantry, determination and flying skill of a high order.

78. Captain RABINDRANATH SEN GUPTA (IC-20475)
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—15th December, 1971)

On the 15th December, 1971, Captain Rabindranath Sen Gupta was the forward observation officer with the leading elements of a Battalion of the Sikh Light Infantry which was assigned the task of capturing the two enemy positions in an area in the Rajasthan Sector. During the attack on the objectives, Captain Rabindranath Sen Gupta along with his party were continuously under heavy shelling and small arms fire. After the capture of the second objective, the enemy counter-attacked in overwhelming strength, using tanks and subjected the position to heavy artillery fire. Undeterred and unmindful of his personal safety, he directed our own artillery fire with accuracy to break up the enemy assault. Though seriously wounded by a machine gun bullet from an enemy tank, he continued to direct own artillery fire.

In this action, Captain Rabindranath Sen Gupta displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

79. Captain SUKHWANT SINGH GILL (IC-20521)
The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—6th December 1971)

Captain Sukhwant Singh Gill was the Officiating Battery Commander with a Battalion of the Sikh Regiment in the Chhamb Sector. On the 3rd and 4th December 1971, the enemy launched a series of massive attacks against our positions supported by armour, artillery and mortar fire. Captain Gill's accurate and effective control of the Artillery fire was responsible to a large extent in inflicting heavy casualties and breaking up the enemy assault.

On the 6th December, 1971, our troops counter attacked. In addition to the duties of Officiating Battery Commander, Captain Gill also acted as the Observation Post Officer and brought down heavy Artillery fire on the enemy. Undeterred, by heavy enemy artillery and automatic fire he came out in the open to observe and direct own artillery fire to ensure effective fire support to the attacking troops, thereby contributing to the success of the attack.

Throughout this action, Captain Sukhwant Singh Gill displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

80. Captain GURMEET SINGH PUNIA (IC-13666)
The Regiment of Artillery,

(Effective date of award—14th December 1971)

During the thrust towards Shakargarh, Captain Gurmeet Singh Punia was ordered to register targets deep inside the enemy defence. Despite enemy small arms and artillery air burst fire directed at him, he remained airborne directing our artillery fire on the enemy targets. During this mission, he spotted three enemy Sabre aircrafts operations in the area. Undeterred, he remained airborne to complete his task. When attacked by the enemy aircraft, he displayed great presence of mind and flying skill in evading the initial air attack. The enemy ultimately shot his aircraft. Though badly burnt, he nursed his aircraft till he forcelanded and got out of the burning aircraft.

In this action, Captain Gurmeet Singh Punia displayed gallantry, determination and flying skill of a high order.

81. Captain BHARAT CHANDRA PATHAK (SS-20520)
The Regiment of Artillery.

Captain Bharat Chandra Pathak was a Forward Observation Officer with an infantry battalion during the operations in the Western Sector. He moved about in the open

under heavy enemy fire to observe and bring down effective and accurate fire on the enemy, thereby contributing to the success of all the attacks launched by the Battalion. Subsequently, he was largely responsible for silencing enemy guns in an area in the Western Sector. Later, while accompanying the Commando Platoon of the Battalion, he supported its action with effective artillery fire.

Throughout, Captain Bharat Chandra Pathak displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

82. Captain NAIK BALAKRISHNA RAMACHANDRA (IC-16103)

The Regiment of Artillery.

Captain Naik Balakrishna Ramachandra was the Battery Commander with an infantry battalion which was assigned the task of capturing an enemy post in the Eastern Sector. As the battalion was forming up for the attack, the enemy brought down accurate artillery fire and opened up with heavy machine guns from close range inflicting heavy casualties on our troops. Undeterred and unmindful of his own safety, Captain Naik Balakrishna Ramachandra moved forward to a vantage point, located two heavy machine gun posts and brought down effective artillery fire on the enemy and thus enabled the assaulting troops to capture the objective.

In this action, Captain Naik Balakrishna Ramachandra displayed gallantry, professional skill and devotion to duty of a high order.

83. Captain NAGULAPALLI NARSING RAO (MR-2646)

Army Medical Corps.

(*Effective date of award—11th December* 1971)

Captain Nagulapalli Narsing Rao was the Regimental Medical Officer with a Battalion of the Grenadiers, during the operations against Pakistan in the Western Sector. On the night of 10th/11th December, 1971, the battalion launched an attack and captured an enemy strong hold. This was a well fortified position protected by a 800 yards deep minefield and the assaulting troops suffered heavy casualties. Captain Nagulapalli Narsing Rao, undeterred by the heavy enemy shelling, moved on the objective to provide medical aid to the wounded. He went from one casualty to another attending to their wounds and even during the enemy counter attack he continued with his task without any regard to his safety, till all the casualties had been attended to and their evacuation arranged.

Throughout this action, Captain Nagulapalli Narsing Rao displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

84. Captain DHIRESH KUMAR SHARMA (IC-21354)

The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—4th December* 1971)

Captan Dhiresh Kumar Sharma was deployed as the Observation Post Officer with a Battalion of the Punjab Regiment in the Hussainiwala Sector. On the 3rd December, 1971, the Pakistani forces engaged our defences with heavy automatic fire and intense shelling. They also engaged the Observation Post with Recoilless Guns and artillery fire. Undeterred by the heavy volume of fire, Captain Dhiresh Kumar Sharma continued to engage enemy targets till his post was destroyed by enemy tank fire. Showing fortitude and determination, he extricated his party from the debris and established another Observation Post nearby to provide timely artillery support to blunt repeated enemy attacks on our positions on the 3rd and 4th December, 1971.

In this action, Captain Dhiresh Kumar Sharma displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

85. Captain SURJIT SINGH (IC-23708)
The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—16th December* 1971)

Captain Surjit Singh was the Medium Machine Gun Platoon Commander with a Battalion of the Parachute Regiment which was occupying an area in the Eastern Sector. He was with one of his forward sections when an enemy section opened fire. Captain Surjit Singh, with complete disregard for his safety, rushed at the enemy and shot one enemy soldier and bayonetted another. The enemy section was so unnerved by this action that it surrendered.

In this action, Captain Surjit Singh displayed gallantry and leadership of a high order.

86. Captain MADAN LAL SHARMA (SS-19515)
Light Regiment (Pack).

(*Effective date of award—4th December* 1971)

Captain Madan Lal Sharma was the Forward Observation Officer with the leading company daring the assault on an enemy position in the Eastern Sector. As the assaulting company closed in, the enemy brought down heavy automatic and small arms fire. Captain Madan Lal Sharma was seriously wounded in the shoulder and the stomach by a burst from a medium machine gun. Unmindful of the serious wounds sustained by him, he brought down accurate and concentrated artillery fire on the enemy. Although bleeding profusely he remained with the Company till the objective was captured.

In this action, Captain Madan Lal Sharma displayed gallantry, determination, leadership and devotion to duty of a high order.

87. Captain CHANDRA KANT (MR-8580)
Army Medical Corps.

(*Effective date of award—14th December* 1971)

Captain Chandra Kant was attached to an Infantry Brigade operating in an area in the Shakargarh Sector. On the 10th December, 1971, during an engagement with the enemy an infantry company suffered some casualties. Captain Chandra Kant was detailed to evacuate the casualties speedily. Though the area was under intense shelling, Captain Chandra Kant, with complete disregard for his safety, reached the casualties and after giving them first aid, brought them back and thus saved their lives. He was again detailed on the 14th December 1971, to evacuate casualities. He completed the assigned task with great speed.

Throughout, Captain Chandra Kant displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

88. Captain VIKRAM DEUSKAR (SS 20902)
Independent Armoured Squadron.

(*Effective date of award—16th December* 1971)

Captain Vikram Deuskar was the second-in-command of an Independent Armoured Squadron supporting a Battalion of the Sikh Light Infantry in the Rajasthan Sector. On the 15th December, 1971, Captain Deuskar provided fire support to the Battalion in the capture of an area. His tanks destroyed two enemy recoilless guns. When an enemy Air Observation plane came overhead, he engaged it with his machine gun and chased it away before it could bring down effective artillery fire on own troops. On the 16th December, 1971, he, with complete disregard for his safety, guided a tank through a partially cleared mine field on the high ground 800 yards from the enemy. Having positioned the tank, he engaged the enemy medium machine guns and cleared the operation.

Throughout this operation, Captain Vikram Deuskar displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

89. Captain IRALA JAYARAM REDDY (IC-20990)
The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award*—13*th December* 1971)

Captain Irala Jayaram Reddy was the Forward Observation Officer with the leading company of a Battalion of the Sikh Regiment during their attack on an area in the Rajasthan Sector. During the assault, he brought down accurate and intense fire on the enemy which contributed largely to the capture of the objective. After the capture of the objective, he engaged the withdrawing enemy with intense artillery fire, causing heavy casualties. During another attack Captain Reddy volunteered to go with the leading company and it was his excellent control of artillery fire that ensured complete neutralisation of the objective. After the capture of the objective, the enemy was seen forming up for a counter attack. Captain Irala Jayaram Reddy exposing himself to enemy shelling and small arms fire promptly brought down accurate fire thereby breaking up the enemy assault.

Throughout, Captain Irala Jayaram Reddy displayed gallantry, leadership and professional skill of a high order.

90. Captain NARESH KUMAR PARMAR (MS-8542)
Army Medical Corps.

(*Effectie date of award*—13*th December* 1971)

Captain Naresh Kumar Parmar was the Regimental Medical Officer with a Battalion of the Sikh Regiment during their attack on an enemy held feature in the Rajasthan Sector. The Battalion suffered casualties due to intense Artillery shelling and mine blasts. Captain Naresh Kumar Parmar, alongwith four stretcher ocarers, went to the mine field area and gave life saving treatment to the casualties under heavy enemy shelling. At first light, he observed a sepoy lying in the mine field, with one of the ankles blown off and it seemed that he could not be evacuated from the mine field until a safe lane had been made. Captain Naresh Kumar Parmar, with complete disregard for his safety, rushed to the casualty, through the mine field, and under intense artillery shelling, lifted the casualty on his back and carried him to the Regimental Aid post. This act inspired others to bring back all casualties lying in the mine field.

During this operation, Captain Naresh Kumar Parmar displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

91. Captain RAJINDER SINGH VIJAY SINGH DAFLE (SS-19786)

The Maratha Light Infantry.

(*Effective date of award*—11*th December* 1971)

On the night of 10th/11th December, 1971, Captain Rajinder Singh Vijay Singh Dafle was ordered to take a platoon and establish a road block in an area in the Eastern Sector. The enemy launched an attack in strength in a bid to break through the road block. Under the able leadership of Captain Rajinder Singh Vijay Singh Dafle the platoon repulsed the attack, inflicting heavy casualties on the enemy. The enemy made repeated attempts from different directions to dislodge this platoon. Major Dafle moved from trench to trench, despite heavy shelling and small arms fire, to encourage his men and held his ground.

In this action, Captain Rajinder Singh Vijay Singh Dafle displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

92. Captain RABINDER NATH ANAND (IC-18742)

The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award*—15*th December* 1971)

On the 15th December, 1971, Captain Rabinder Nath Anand was the Forward Observation Post Officer with an Infantry company which ordered to capture an enemy position in the Shakargarh Sector. During the attack, the enemy brought down accurate and heavy artillery and machine gun fire. Disregarding his safety, Captain Rabinder Nath Anand kept his party moving abreast with the infantry and directed own artillery fire on the enemy positions. When just about two hundred yards short of the objective, he was hit on his abdomen and both his radio operators were wounded. He took over the radio set from the operator and continued directing own artillery fire on the enemy. Immediately after the capture of the objective, the enemy launched a counter attack. Despite his wounds, he exposed himself to enemy fire to direct the artillery fire thereby breaking up the enemy attack.

In this action, Captain Rajinder Nath Anand displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

93. Captain GOPALAN LAKSHMINARAYANA SWAMY

The Army Medical Corps.

(*Effectlve date of award*—16*th December* 1971)

Captain Gopalan Lakshminarayana Swamy, was the officer incharge of the Advance Dressing Station in an area in the Shakargarh Sector. On the 16th December 1971, he was informed that the Officer Commanding and the Regimental Medical Officer of an infantry battalion had died due to enemy action and sixty seven casualties were lying in the field unattended. He immediately volunteered to go to the battalion location. Enroute he was forced to abondon his ambulance car due to intense shelling but undeterred, he took his surgical haversack and proceeded on foot. He reached the battalion location and despite enemy artillery and small arms fire, moved from trench to trench attending to the casualties without respite till he had rendered medical aid to all the casualties and had arranged for their evacuation to the Advance Dressing Station.

In this action, Captain Gopalan Lakshminarayana Swamy displayed gallantry and devotion to duty of a high order.

94. Captain DEVINDER SINGH RAJPUT (SS-20705)

The Rajput Regiment.

Captain Devinder Singh Rajput who was commanding a company of a Battalion of the Rajput Regiment was signed the task of raiding enemy gun positions in an area in the Eastern Sector. As the leading platoon led by Captain Devinder Singh Rajput reached the forward bunkers, the enemy brought down a heavy volume of small arms fire. With complete disregard for his safety, Captain Devinder Singh Rajput led this platoon in a charge and engaged the enemy in a hand to hand fight. Inspired by his example, the platoon succeeded in clearing the Machine Gun nests. Though wounded in his right thigh, he continued to direct the operation till the mission was completed.

In this action, Captain Devinder Singh Rajput displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

95. Captain SATISH KUMAR VASHISHT (IC-23301)
The Rajput Regiment.

(*Effective date of award—5th December*, 1971)

On the morning of the 5th December 1971, Captain Satish Kumar Vashisht was leading a patrol to confirm the vacation of a Border outpost by the enemy. When his patrol was approximately thirty yards from the outpost defences, the enemy opened fire on the patrol with automatic weapons. Captain Satish Kumar Vashisht with complete disregard for his safety, charged an enemy medium Machine Gun bunker and silenced it. He then charged towards the light Machine Gun bunker but in the process stepped on a mine and lost his foot. Though seriously injured, he continued to exhort his men to charge the bunker and silence the light machine gun. Inspired by his personal example, his men destroyed the machine gun bunker and captured the post.

In this action, Captain Satish Kumar Vashisht displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

96. Captain SURJIT SINGH PARMAR (SS-21614)
The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—13th December* 1971)

On the 13th December, 1971, Captain Surjit Singh Parmar was the Observation Post Officer, with a company of a Battalion of the 11th Gorkha Rifles which was assigned the task of attacking enemy entrenchments in an area in the Eastern Sector. As the attack progressed, the enemy brought down accurate and effective machine gun and artillery fire. During the assault, his radio operator was wounded. Undaunted by this, he took over the radio set and carrying it himself continued to direct own artillery fire most effectively. Though hit by a bullet in the arm and a splinter in the neck, he remained with the troops till the objective was captured.

In this action, Captain Surjit Singh Parmar displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

97. Lieutenant SURESH CHANDRA SHARMA (SS-23011)
The Rajput Regiment.

(*Effective date of award—10th December* 1971)

Lieutenant Suresh Chandra Sharma was commanding a platoon of a Battalion of the Rajput Regiment. On the 10th December, 1971, his platoon was assigned the task of raiding an enemy post in an area in the Sialkot Sector. He planned, organised and executed the raid with exceptional skill and competence. During the raid, when the enemy opened up with two medium machine guns, Lieutenant Suresh Chandra Sharma with utter disregard to his personal safety, charged the medium machine gun bunker attacking it with grenades and captured the medium machine gun.

In this action, Lieutenant Suresh Chandra Sharma displayed gallantry, determination, leadership and devotion to duty of a high order.

98. Lieutenant RAJVINDER SINGH CHEEMA (IC-23379)
Armoured Regiment.

(*Effective date of award—6th December* 1971)

On the 6th December 1971, Lieutenant Rajvinder Singh Cheema led his troops for the capture of certain areas in the Western Sector. He showed great skill and determination in crossing a Bund and, undeterred by the enemy fire, he lobbed grenades into the enemy bunkers and captured an enemy post. Even when isolated at night, he stuck to his position and repulsed enemy counter attacks.

In this action, Lieutenant Rajvinder Singh Cheema displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

99. Lieutenant TEJENDRA PAL TYAGI (IC-25375)
The Corps of Engineers.

(*Effective date of award—8th December* 1971)

On the 8th December, 1971, Lieutenant Tejendra Pal Tyagi was assigned the task of making an improvised tank crossing over a canal in an area in the Western Sector. When his platoon was 100 yards short of the bridge site, it came under direct enemy fire, as a result of which the leading vehicle caught fire and four sappers were seriously wounded. Crawling about 500 yards to the arear, Lieutenant Tejendra Pal Tyagi got to the nearest tank, contacted the Squadron Commander and sought his assistance to extricate the wounded personnel of his platoon. With complete disregard to his personal safety, he then crawled back to the casualties and succeeded in bringing them back to safety.

In this action, Lieutenant Tejendra Pal Tyagi displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

100. Second Lieutenant PRAKASH CHANDRA SINGH KHATI (SS-24278)
The Gorkha Rifles.

(*Effective date of award—3rd December* 1971)

Second Lieutenant Prakash Singh Khati was a platoon Commander in a Battalion of the 1st Gorkha Rifles, defending a post in the Chhamb Sector. On the night of the 3rd December, 1971, his platoon locality was subjected to three successive company attacks by the enemy supported by accurate and heavy artillery fire. He moved from bunker to bunker and repulsed the attack. On the 4th December 1971, his platoon locality was again attacked four times by the enemy. His platoon repulsed all the attacks inflicting heavy losses on the enemy. Again on the 5th and 6th December, 1971, the enemy's attempts to capture this locality with infantry and armour were beaten back with heavy casualties.

Throughout Second Lieutenant Prakash Chandra Singh Khati played commendable courage and leadership.

101. Second Lieutenant RUPINDER SINGH SANDHU (SS-23317),
The Kumaon Regiment.

Second Lieutenant Rupinder Singh Sandhu was a platoon Commander in a Battalion of the Kumaon Regiment. His company was assigned the task of capturing an enemy post in the Eastern sector. The company attack on the post was interfered wth a Light Machine Gun firing from an enemy bunker inflicting heavy casualties on own troops. With complete disregard to his safety, he crawled upto this bunker to neutralise the Light Machine Gun. In this process, he was hit on his chest by a splinter from an enemy grenade. Undeterred, he reached the bunker, lobbed a grenade and destroyed the light machine gun. This action was directly responsible for the capture of the enemy post by his company.

In this action, Second Lieutenant Rupinder Singh Sandhu displayed courage, initiative and determination of a high order.

102. Second Lieutenant GURJEET SINGH BAJWA (SS-228442),
The Regt of Artillery.

(*Effective date of award—9th December*, 1971)

On the 9th December, 1971, Second Lieutenant Gurjeet Singh Bajwa was the Forward Observation Officer attached to a Battalion of the Kumaon Regiment in the attack on an enemy Border post in the Rajasthan sector.

During the attack, the enemy subjected our troops to sustained and accurate fire from automatic weapons inflicting heavy casualties. With complete disregard to his personal safety and unmindful of the heavy small arms fire and shelling, Second Licutenant Gurjeet Singh Bajwa continued to bring down accurate artillery fire on the enemy locality thereby contributing to the success of the operations.

In this action, Second Lieutenant Gurject Singh Bajwa displayed gallantry and determination of a high order.

103. Second Lieutenant BALJIT SINGH GILL (IC-24758),

The Jat Regiment.

Second Lieutenant Baljit Singh Gill was incharge of a party detailed to lay an ambush in the Eastern sector. He led his party by night and organised the ambush with professional competence. At dawn three enemy boats were sighted. Second Lieutenant Baljit Singh Gill engaged the boats with accurate and effective fire and destroyed them. One officer and 9 other ranks of the enemy were killed in this ambush.

In this operation, Second Lieutenant Baljit Singh Gill displayed commendable courage, professional skill and leadership of a high order.

104. Second Lieutenant JOGINDER SINGH JASWAL (SS-22853),

The Punjab Regiment.

(*Effective date of award—5th December*, 1971)

Second Lieutenant Joginder Singh Jaswal was commander of a screen position of his battalion in the Western Sector. This position was subjected to heavy and accurate shelling and attacked by the enemy during the night of 3rd/4th December, 1971. Second Lieutenant Joginder Singh Jaswal with complete disregard to his personal safety, moved from one post to another to inspire his men. He brought heavy voume of fire on the enemy and repulsed the attack. The enemy attacked the position twice again and on both the occasions the attacks were repulsed due to the leadership and courage displayed by 2nd Lieut. Joginder Singh Jaswal. On the 5th December, 1971, he led a patrol to silence an enemy medium machine gun. In the process, he was hit by a medium machine gun burst on the neck. Inspite of his wound, he brought back a wounded Naik who was with him.

Throughout, Second Lieutenant Joginder Singh Jaswal displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

105. Second Lieutenant AJIT SINGH (IC-23772),

The Grenadiers.

(*Effective date of award—4th December*, 1971)

Second Licutenant Ajit Singh was a company officer in a Battalion of the Grenadiers. On the 4th December, 1971, a patrol of his Battalion led by a Junior Commissioned Officer came under heavy machine gun fire. Second Lieutenant Ajit Singh who was approximately one kilometer away with his platoon, heard the firing and rushed to the spot and fighting courageously helped the patrol to move to a safe place. Again, on the 6th December, 1971, during the attack by his company on an enemy position, he moved to the flank taking one 3 inch mortar and a machine gun and kept on harassing the enemy by firing from different position. His bold and aggressive action broke the enemy's resistence and assisted the company in capturing the objective. On the 14th December, 1971, when out on a patrol, he infiltrated behind the enemy, forcing the enemy to beat a retreat. When the patrol advanced further, it came under heavy mortar and machine gun fire from an enemy battalion. He however, managed to extricate his patrol. At this time, the own screen position was under heavy pressure of enemy attack. With utter disregard to his safety, he deployed the 3 inch mortar and machine gun and brought down effective fire on the enemy inflicting heavy casualties.

Throughout, Second Lieutenant Ajit Singh displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

106. Second Lieutenant TULSIAN PURSHOTTAM (SS-23082),

The Brigade of the Guards,

(*Effective date of award—13th December*, 1971)

On the 13th December, 1971, Second Lieutenant Tulsian Purshottam led a patrol to find out enemy dispositions across a river in the Shakargarh Sector. When his patrol reached approximately 300 yards into the river bed, he observed an enemy patrol on the far bank moving towards him. The enemy organised his patrol into three groups; one group moved towards Second Lieutenant Tulsian Purshottam's position while the other two groups remained on the far bank to give covering fire. Second Lieutenant Tulsian Purshottam displaying great presence of mind, immediately ordered his patrol to take position and awaited the approaching enemy patrol. When the enemy patrol reached his location, he opened fire killing nine enemy soldiers, captured their arms and ammunition and obtained vital identifications. The remaining enemy soldiers withdrew.

In this action, Second Lieutenant Tulsian Purshottam displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

107. Second Lieutenant ROHIT SETHI (IC-24323), The 9th Gorkha Rifles

(*Effective date of award—5th December* 1971)

On the 5th December, 1971, Second Lieutenant Rohit Sethi commanding the Commando Platoon of a Battalion of the 9th Gorkha Rifles led his platoon attack on an area in the Western Sector. As he neared his objective, the enemy opened fire with heavy machine guns. Second Lieutenant Rohit Sethi immediately charged the enemy post and, with utter disregard for his safety, jumped into the communication trench of the pill box, lobbed a grenade inside and followed it up with a bayonet attack to silence the enemy. He dealt with two other pill boxes and two bunkers in a similar manner. Inspired by his courage, his platoon charged the objective and captured it. Again, on the night of the 6th December, 1971, he repulsed two enemy counter attacks against his locality.

In this action, Second Lieutenant Tulsian Purshottam gallantry, determination and leadership of a high order.

108. Second Lieutenant TEJENDER SINGH (SS-22989), The Corps of Engineers.

(*Effective date of award—9th December*, 1971)

On the night of the 9th December, 1971, Second Lieutenant Tejender Singh was detailed to lead a reconnaissance party to locate a lane through a mine-field in the Shakargarh Sector. He carried out the reconnaissance in the area despite enemy small arms and heavy artillery fire from across the minefield and brought back valuable information regarding the location of the safe lane. He then personally cleared a lane through the mine-field upto a tank which had earlier been damaged by a mine and helped in its recovery. Subsequently, on the night of the 13th December, 1971, he was detailed with an infantry company to find out crossing places for tanks over a river. Across the river the company came under heavy tank, artillery and machine gun fire. Second Lieutenant Tejender Singh showing cool courage and presence of mind, collected ten of his men and led the party to safety.

In this action, Second Lieutenant Tejender Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

109. Second Lieutenant AVTAR SINGH AHLAWAT (IC-24180), 17th Horse.

(Effective date of award—16th December, 1971)

On the morning of the 16th December, 1971, Second Lieutenant Avtar Singh Ahlawat a Troop Commander in the 17th Horse, was ordered to reinforce his regimental pivot in an area in the Shakargarh Sector. The Bridge Head across the Basantar River had not been fully cleared of the enemy. As his troop moved towards the assigned position, they were fired upon from enemy strong points and recoilless gun nests that were still holding out. Second Lieutenant Avtar Singh Ahlawat with utter disregard for his safety, attacked the enemy strong points, overran the defence works with his tank and captured the enemy infantry and weapon crew. He had barely got into position when the enemy launched a counter attack with a squadron of armour to effect a break through. A fierce tank battle ensued and a number of enemy tanks were destroyed. Second Lieutenant Avtar Singh Ahlawat had knocked out three enemy tanks when his own tank was hit, wounding his gunner. Taking over the gun control, he continued to fight from his tank. A direct hit put his tank out of action and he himself was wounded, but undeterred he continued to fight till the enemy attack was repulsed.

In this action Second Lieutenant Avtar Singh Ahlawat displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

110. Second Lieutenant PRABODH CHANDRA BHARDWAJ (IC-24175), The Parachute Regiment.

(Effective date of award—16th December, 1971)

On the night of the 16th December, 1971, Second Lieutenant Prabodh Chandra Bhardwaj a Platoon Commander in a Battalion of the Parachute Regiment, formed part of the company which was assigned the task of capturing an enemy position in the Ferozepore Sector. This position was held in strength by the enemy and protected by mines and obstacles. During the assault, his platoon came under the effective fire of an enemy machine gun firing from a bunker. Second Lieutenant Prabodh Chandra Bhardwaj with utter disregard for his safety, charged the bunker, lobbed a grenade inside and immediately thereafter, rushing inside the bunker, he bayonated the personnel and captured the medium machine gun. In this process, he was injured by a bullet in the forehead. Undeterred by his injury, he pressed on with the assault and charged another machine gun bunker. Here again, he followed up his grenade attack with the bayonet and succeeded in the capturing the second machine gun.

In this action, Second Lieutenant Prabodh Chandra Bhardwaj displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

111. Subedar RATAN SINGH (JC-36940), The Punjab Regiment.

(Effective date of award—5th December, 1971)

Subedar Ratan Singh was commanding a platoon of a company which was deployed in the Western Sector. On the 5th December, 1971, the enemy attacked this position in strength. Subedar Ratan Singh moved from trench to trench and by his personal example infused courage and enthusiasm in his men and was of great help to his Company Commander in holding the post against the enemy attacks.

Throughout, Subedar Ratan Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

112. Subedar SUJAN SINGH NEGI, (JC-44856), The Garhwal Rifles

Subedar Sujan Singh Negi was a platoon Commander in a Battalion of the Garhwal Rifles. A company of this Battalion was ordered to eliminate an enemy base in the Eastern Sector, The enemy defences on this post were formidable, protected with a seven feet high wall all round. The company attack on this post was being held up by heavy medium machine gun fire. Finding no route for entry into the enemy defences, Subedar Negi skillfully organised his troops into human ladders to get over the wall and close in with the enemy defences. With complete disregard for his personal safety, he jumped across the wall and led the platoon in a lightning attack, charging the enemy with bayonets and hand grenades. Fighting from bunker to bunker, Subedar Negi inspired and directed his troops and this finally led to the capture of the enemy position.

In this action, Subedar Sujan Singh Negi displayed courage, leadership and initiative of a high order.

113. Subedar MEGDAN GURUNG (JC-400453). The Gorkha Rifles (FF).

(Effective date of award—8th December, 1971)

Subedar Megdan Gurung was commanding a platoon of a Battalion of the Gorkha Rifles during a raid on an enemy post in the Rajasthan Sector. During the attack, the enemy brought down intense artillery fire in the Forming Up place thereby interfering with the assault, Subedar Megdan Gurung with complete disregard for his personal safety, advanced towards the flanks of the enemy thereby unnerving him and causing him to run away from his post.

In this action, Subedar Megdan Gurung displayed courage, initiative and determination of a high order.

114. Subedar NANJI RAM (JC-33536), The Jat Regiment

Subedar Nanji Ram was Second-in-Command of a party detailed to lay an ambush in the Eastern Sector. On the 12th September, 1971, three enemy boats were sighted. Subedar Nanji Ram engaged the boats with accurate and effective fire, and destroyed them. One officer and 9 other ranks of the enemy were killed in this ambush.

In this operation, Subedar Nanji Ram displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

115. Subedar DADARAO GHODESWAR (JC-35642), The Mahar Regiment.

(Effective date of award—12th December, 1971)

Subedar Dadarao Ghodeswar was commanding a platoon in a Battalion of the Mahar Regiment during an attack on the enemy positions in an area in the Rajasthan Sector on the night of 12th December, 1971. Although there was over a 600 meter deep mine-field, he led the assault and captured the objective after a fierce hand to hand fight. While reorganising on the objective, the enemy launched a counter-attack. With utter disregard to his safety, he charged the enemy and forced him to retreat.

In this action, Subedar Dadarao Ghodeswar displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

116. Subedar VISWANATH BHOSLE (JC-39323), The Mahar Regiment.

(Effective date of award—13th December, 1971)

Subedar Viswanath Bhosle was a platoon commander in a Battalion of the Mahar Regiment. His company had occupied a portion of a feature in the Rajasthan Sector after a fierce battle on the night of the 12th/13th December, 1971. While his company was reorganising on the objective, the enemy was seen forming up for a counter attack. Subedar Viswanath Bhosle, with great presence of mind and initiative, too two sections of his platoon and led a charge against the enemy. The enemy

was taken by surprise on and ran away leaving behind four 3 inch mortars with large quantities of ammunition. Subedar Bhosle also captured five enemy other ranks. By capturing the mortars, the subsequent enemy attack was deprived of its fire support and was easily repulsed.

In this action, Subedar Viswanath Bhosle displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

117. Subedar NIMA LAMA (JC-37034), 8th Gorkha Rifles.

Subedar Nima Lama was the commander of a platoon during an attack on an enemy position in the Dera Baba Nanak Sector. The company assault was interfered with by intense and accurate fire from an enemy Machine Gun bunker. Subedar Nima Lama, charged with his platoon towards the enemy bunker. He lobbed a hand grenade into the bunker and later, with utter disregard to his safety, entered the bunker and killed its occupants.

Throughout the attack, Subedar Nima Lama displayed gallantry, initiative and leadership of a high order.

118. Subedar BRIJENDRA SINGH (JC-43961), The Jat Regiment.

(*Effective date of award—4th December,* 1971)

Subedar Brijendra Singh was the Second-in-Command of a Company of a Battalion of the Jat Regiment which was assigned the task of a recapturing a village in the Western Sector. This village was held in strength by the enemy and was dominated by enemy positions on a bund. After the capture of the objective the Company Commander ordered Subedar Brijendra Singh to take a small party and silence an enemy Medium Machine Gun which was firing from a bunker nearby and inflicting casualties on our troops. Subedar Brijendra Singh led his party of three men and charged the machine gun bunker. In the process, he and his two comrades were seriously wounded by machine gun fire. Undeterred, he moved upto the bunker and succeeded in lobbing a grenade and silencing the gun. This enabled his company to secure a portion of the bund.

In this action, Subedar Brijendra Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

119. Naib Subedar RAM KALA SINGH (JC-60523), The Brigade of the Guards.

Naib Subedar Ram Kala Singh along with five other ranks was with the Commanding Officer's party in a battalion attack on an enemy position in the Eastern Sector. During the attack, the party came under accurate cross fire of automatic weapons whereby one officer was mortally wounded while the rest of the party was pinned down. Naib Subedar Ram Kala Singh, with complete disregard to his personal safety, crawled up to the enemy Machine Gun bunker and lobbed a grenade through the slit. While doing so, a machine gun burst from the bunker hit his right hand and blew off three of his fingers. Undeterred Naib Subedar Ram Kala Singh closed in with the enemy and dayonated many enemy soldiers in hand to hand fight.

In this action, Naib Subedar Ram Kala Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

120. Naib Risaldar RAM PARIKASHAN SINGH, (JC-53298), 45 Cavalry.

Naib Risaldar Ram Parikashan Singh was commanding a troop of a squadron of a 45 Cavalry unit in an area in the Eastern Sector. When his position was attacked in strength by enemy infantry and armour, he manoeuvred his troop with utmost skill and closed up with the enemy tanks at point blank ranges and knocked out two enemy tanks in quick sucesson. He then engaged the enemy infantry and broke up their assault. The enemy retreated leaving behind some dead and wounded soldiers and destroyed tanks and equipment

In this action, Naib Risaldar Ram Parikashan Singh displayed gallantry, leadership, and determination of a high order.

121. Naib Subedar RAM SINGH, (JC-44325), The Jat Regiment.

On the night of 4th/5th December, 1971, while leading a patrol in the Eastern Sector, Naib Subedar Ram Singh skilfully ambushed an enemy patrol killing one JCO and six other ranks of the enemy. On the 5th December, 1971, while assaulting the objective given to his platoon, he encountered heavy machine gun fire. Undaunted, he encouraged his men, assaulted the enemy and captured the objective. On 6th December, 1971, while leading the advance of his Company, he came under enemy fire from three directions Undeterred, he assaulted the enemy with lightning speed and captured six enemy soldiers.

Throughout, these action, Naib Subedar Ram Singh displayed gallantry, determination and, devotion to duty of a high order.

122. Naib Subedar SHERIN WANGDUS (JC-52206), The Ladakh Scouts.

(*Effective date of award—10th December,* 1971)

Naib Subedar Shering Wangdus of the Ladakh Scouts was commanding a platoon of the company assigned the task of capturing enemy held posts in an area in the Western Sector. On the 10th December, 1971, when due to heavy enemy medium machine gun and mortar fire, his company's advance was held up, he along with two other personnel of his platoon assaulted the medium machine gun bunker, killed the entire crew and captured the medium machine gun.

In this action, Naib Subedar Shering Wangdus displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

123. Naib Subedar ARJUN JADAV (JC-4534061), The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—11th December,* 1971)

Naib Subedar Arjun Jadhav was commanding a platoon of a Battalion of the Parachute Regiment in the Eastern Sector. After capturing a bridge, his platoon was forming in on the objective. Before the digging of trenches could be completed, a long convoy of enemy vehicles was seen approaching towards his platoon locality. Under his leadership, he brought down intense automatic and small arms fire on the convoy, causing heavy casaulties, and extensive damage to enemy vehicles and mortars. The enemy regrouped quickly and launched two attacks in strength supported by mortars and medium machine guns Though outnumbered, Naib Subedar Arjan Jadhav encouraged his men and the first attack was repulsed, inflicting heavy casualties on the enemy. In the second attack, one of the men was seriously wounded. Naib Subedar Jadhav, with utter disregard to his safety, rushed out in open and brought the wounded soldier to a place of safety.

Throughout, Naib Subedar Arjan Jadhav displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

124. Naib Subedar BHRIGUNATH SINGH (13653064), The Brigade of Guards.

Naib Subedar Bhrigunath Singh was a platoon Commander in a Battalion of the Brigade of Guards which was assigned the task of capturing an area in the Kargil Sector. During the attack, his platoon which was leading the assault was held up due to heavy enemy automatic fire. With utter disregard for his personal safety, he rushed towards the enemy machine gun post, and though

wounded by a burst from the machine gun, succeeded in neutralising the gun, and thus enabled the objective to be captured.

In this action, Naib Subedar Bhrigunath Singh displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

125. Naib Risaldar NOOR MOHAMMAD KHAN (IC-51790), 18 Cavalry.

(*Effective date of award*—3rd *December*, 1971)

Naib Risaldar Noor Mohammad Khan was a troop leader of a squadron of an Armoured Regiment. On the night of 3rd December, 1971, his squadron was ordered to launch an attack in an area in the Western Sector. When he reached the area, he found his Squadron Commander's tank had bogged down. He tried to recover this tank, exposing himself to heavy enemy fire. Since the tank could not be recovered, he offered his own tank to the Squadron Commander and stayed back with the bogged down tank. Later, when the enemy in a platoon strength attacked his tank, he opened up his cupola and fired with the machine gun, inflicting heavy casualties on the enemy.

In this action, Naib Risaldar Noor Mohammand Khan displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

126. Naib Risaldar DAYAL SINGH (JC-56028), The Scinde Horse.

Naib Risaldar Dayal Singh was a troop leader of Scinde Horse operating in the Shakargarh Sector. His troop participated in the assault on an enemy position. Despite stiff enemy resistance he led the attack with courage and personally destroyed two enemy tanks. His bold action resulted in the capture of the objective.

In this action, Naib Risaldar Dayal Singh displayed gallantry, determination, initiative and leadership of a high order.

127. Naib Risaldar MOHAN SINGH (JC-44930), 17th Horse.

(*Effective date of award*—16*th December*, 1971)

Naib Risaldar Mohan Singh was the troop leader of number 1 troop of a Squadron of the 17th Horse in the Shakargarh Sector. On the night of the 13th/16th December, 1971, 17th Horse was ordered to build up in the bridge-head and link up with the Infantry across the mine-field. Naib Risaldar Mohan Singh rushed through the mine-field despite the fact that the mine-field had not been breached. Later, on the 16th December, a Squadron was counter-attacked thrice by a regiment of patton tanks. Though heavily outnumbered in these tank engagements, the enemy's assault was broken by the steadfast fire of the squadron in which the troop commanded by Naib Risaldar Mohan Singh knocked out eight enemy tanks.

Throughout, Naib Risaldar Mohan Singh displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

128. Naib Risaldar BASTA SINGH (JC-54759), 69 Armoured Regiment.

(*Effective date of award*—11*th December* 1971)

On the 11th December, 1971, Naib Risaldar Basta Singh was a Troop Leader in 69 Armoured Regiment during the operations in an area in the Eastern Sector. During the attack, his troop came under heavy tank, artillery and anti-tank fire from the enemy position. With exceptional skill, he manoeuvred his tank and knocked out one enemy tank and 105 millimetre gun. Despite intense anti-tank, artillery and tank fire, Naib Risaldar Basta Singh was in the leading tank during the assault. When his own tank was blown up by anti-tank mine, he got into another tank and with total disregard for his safety, kept the lead in the assault. The enemy was completely demoralised and abondoned the position in confusion and panic leaving behind many dead and a large quantity of equipment, ammunition and vehicles.

In this action, Naib Risaldar Basta Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

129. Battery Havildar Major BABU MALL (11192741), Air Defence Regiment (Territorial Army).

(*Effective date of award*—9*th December*, 1971)

On the 9th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery guarding an installation, Battery Havildar Major Babu Mall directed the fire of his gun in an accurate manner and shot down a Pakistani 104 star Fighter.

In this action, Battery Havildar Major Babu Mall displayed commendable courage and professional skill.

130. Havildar KUNWAR SINGH CHAUDHARI (6038559), The Garhwal Rifles

A company of a Battalion of the Garhwal Rifles was ordered to clear an enemy post in the Eastern Sector. This post was heavily fortified and had a 7 feet high wall around it. The company attack was held up by heavy and accurate Medium Machine Gun fire from enemy emplacements. Human ladders were organised to scale the wall and Havildar Kunwar Singh Chaudhari while finding a route over the wall was seriously wounded. Though profusely bleeding, he scaled the wall and charged the enemy machine gun post destroying it with a grenade. His bold and courageous action assured success on the objective.

In this action, Havildar Kunwar Singh Chaudhari displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

131. Havildar DES RAJ (2439873), The Punjab Regiment

(*Effective date of award*—3*rd December*, 1971)

Havildar Des Raj was one of the platoon commanders of a company of a Battalion of the Punjab Regiment which was occupying a screen position in an area in the Western Sector. On the night of the 3rd December, 1971, the enemy attacked this position in strength and managed to penetrate through the forward defences. Havildar Des Raj, with complete disregard to his personal safety, came out of his bunker and engaged the enemy at point blank range. Though seriously wounded, he continued to encourage his men and kept up fire against the enemy and was thus instrumental in repulsing the attack.

In this action, Havildar Des Raj displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

132. Havildar GOPALA KRISHNAN (1171094), Air Defence Regiment.

(*Effective date of award*—5*th December*, 1971)

Havildar Gopala Krishnan was carrying out the dual duties of section commander and No. 1 of an Air Defence Gun deployed for the protection of the Air Force Signal Unit at Amritsar. On the 5th December, 1971, enemy canberra aircraft raided this station. Havildar Gopala Krishnan directed the fire of his gun in an accurate manner and shot down an enemy canberra aircraft and was instrumental in the capture of an enemy navigator.

In this action, Havildar Gopala Krishnan displayed gallantry and professional skill of a high order.

133. Havildar UTTAM JAWALGE (1181589), Air Defence Regiment.

(*Effective date of award*—8*th December*, 1971)

On the 8th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery deployed for the

protection of the Headquarters of an Infantry Division in the Chhamb Sector, Havildar Uttam Jawalge directed the fire of his gun in an accurate manner and shot down one of the four Pakistani sabre jets raiding the Headquarters.

In this action, Havildar Uttam Jawalge displayed gallantry and professional skill of a high order.

134. Havildar AJMER SINGH (10356147), Air Defence Regiment (Territorial Army).

(Effective date of award—5th December, 1971)

On the 5th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery deployed for the protection of Amritsar Airfield, Havildar Ajmer Singh directed the fire of his gun accurately and shot down one of the two Pakistani star fighter aircrafts raiding the airfield.

In this action, Havildar Ajmer Singh displayed gallantry and professional skill of a high order.

135. Havildar (GD) KK GOPALAKRISHAN NAIR, (1155095), Air Defence Regiment

(Effective date of award—4th December, 1971)

On the 4th December, 1971, while performing the dual role of sector commander and No. 1 of an Air Defence Gun deployed for the protection of a Depot at Pathankot, Havildar (GD) KK Gopalakrishan Nair directed the fire of his gun accurately and shot down a Pakistani Mirage aircraft.

In this action, Havildar (GD) KK Gopalakrishan Nair displayed gallantry and professional skill of a high order.

136. Havildar MADAN SINGH (4146399), The Kumaon Regiment

Havildar Madan Singh was detachment commander in the Recoilless Rifle platoon of a Battalion of the Kumaon Regiment. During the attack on an area in the Eastern sector, he, undeterred by heavy fire from small arms and accurate shelling, stuck to his recoilless gun, and destroyed seven enemy strong points, inflicting heavy casualties on the enemy. His action was directly responsible for the capture of the objective.

In this action, Havildar Madan Singh displayed courage and determination of a high order.

127. Havildar NAND RAM (2641259), The Grenadiers.

A Battalion of the Grenadiers was given the task of clearing an enemy post in an area in the Eastern Sector. The attack was held up by an enemy strong point located in a well fortified building. Havildar Nand Ram, realising the importance of removing this opposition, with complete disregard to his personal safety, crept forward and destroyed the enemy in the ground floor by a grenade attack. He then rushed to the upper storey and dealt with the enemy in a similar manner thus overcoming the opposition. This enabled his Battalion to advance.

In this action, Havildar Nand Ram displayed commendable courage, initiative and determination.

138. Havildar NIRMAL SINGH (13716818), The Jammu and Kashmir Rifles.

Havildar Nirmal Singh took over command of a platoon of a Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles on the death of the platoon commander during an attack on an enemy post in the Rajasthan Sector. During the reorganisation on the objective, the platoon came under heavy enemy shelling, but Havildar Nirmal Singh with utter disregard for his safety, moved from one section to the other to ensure speedy reorganisation. When our tanks were moving up to the objective, an enemy recoiless gun suddenly opened up and one of the tanks was hit. The move of the other tanks was temporarily held up. Havildar Nirmal Singh, realising the importance of silencing the enemy gun, took one of his section and assaulted the gun from a flank. Though he was wounded in the process, he pressed home the attack and destroyed the enemy position and capture the recoilless gun.

In this action, Havildar Nirmal Singh displayed gallantry, leadership and devotion to duty of a high order.

139. Havildar GURDEV SINGH (3341590), The Sikh Regiment.

(Effective date of award—4th December 1971)

Havildar Gurdev Singh was a platoon havildar of a platoon of a Battalion of the Sikh Regiment, which was deployed in an area in the Western Sector. On the night of 3rd/4th December, 1971, his company position was attacked by the enemy in overwhelming strength supported by heavy and accurate artillery fire. The platoon repulsed two enemy attack but the enemy persisted and launched another attack on his position from a different direction. Havildar Gurdev Singh moved from bunker to bunker encouraging and inspiring his men it was largely due to him that the attacks was repulse.

Throughout, Havildar Gurdev Singh displayed gallantry, determination, leadership and devotion to duty of a high order.

140. Havildar MALKIAT SINGH (3348959), The Sikh Regiment.

(Effective date of award—3rd December, 1971)

Havildar Malkiat Singh was a platoon Havildar of a platoon of a Battalion of the Sikh Regiment which was deployed in an area in the Western Sector. He was assigned the task of capturing an enemy light machine gun which had been firing at own troops and inflicting casualties. Havildar Malkiat Singh led a section with courage and speed and himself assaulted the enemy machine gun inflicting casualties on the enemy and silencing the gun.

In this action, Havildar Malkiat Singh displayed commendable courage, determination, leadership and devotion to duty of a high order.

141. Havildar PIARA SINGH (4441429), The Sikh Light Infantry.

(Effective date of award—8th December, 1971)

Havildar Piara Singh was the platoon Havildar of the leading platoon of a Batallion of the Sikh Light Infantry advancing in an area in the Rajasthan Sector. On the 8th December, 1971, the enemy brought down heavy small arms and artillery fire on the advancing column. This leading platoon, however, pressed forward and closed in on the enemy. The enemy counter-attacked this platoon in force. Deploying one of its sections to give fire support, the platoon charged the assaulting enemy. The gunner of the light machine gun in the supporting section was hit and rendered ineffective. Havildar Piara Singh realising the importance of light machine gun force rushed to this machine gun and started firing it. He was hit on his right shoulder with a light machine gun burst, but unmindful of his severe injury he stuck to his post providing effective fire support and thus the enemy counter attack was repulsed.

In this action, Havildar Piara Singh displayed commendable courage, initiative and leadership.

142. Havildar PHURBA LIPCHA (9406534), 11 Gorkha Rifles.

Havildar Phurba Lipcha was Platoon Commander in a Battalion of the 11th Gorkha Rifles which was ordered to capture a post in the Kargil Sector. The post situated on a precipitous slope was heavily fortified with mines

and obstacles making it virtually impregnable. Havildar Phurba Lipcha managed to reach close to the enemy bunker undetected and threw grenades silencing one of the machine guns. When the enemy opened fire again he rushed into one of the light machine gun bunkers and killed the crews. This courageous act inspired his men and led to the capture of the post.

In this action, Havildar Phurba Lipcha displayed gallantry, determination and initiative of a high order.

143. Havildar KYCHARLA MAHALAKSHMIA (1170770), The Regiment of Artillery.

(Effective date of award—17th December, 1971)

On the 17th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery, deployed in the Shakargarh Sector, Havildar Kycharla Mahalakshmia directed the fire of his gun in an accurate manner resulting in the shooting down of one of the four enemy MIG 19 aircraft attacking his gun.

In this action, Havildar Kycharla Mahalakshmia displayed gallantry and professional skill of a high order.

144. Havildar SANGRAM SINGH RAWAT (4039948), The Naga Regiment.

Havildar Sangram Singh Rawat was the Commander of Medium Machine Gun Detachment during the operations against Pakistan in the Eastern Sector. The enemy launched an attack in strength on his post but Havildar Sangram Singh Rawat employed his gun with great skill and bringing down devastating fire broke up the enemy assault inflicting heavy casualties. The enemy launched another attack but he again brought down accurate fire and killed a large number of enemy soldiers. The enemy had by now closed up to his position and subjected his post to a grenade attack which put his gun out of action and injured him and the crew. At this stage, the Force Commander ordered him to move to another position. Havildar Sangram Singh Rawat, with utter disregard to his safety, ordered his detachment to move but he himself stayed behind to cover the move. The enemy charged his post but he kept them at a bay lobbing hand grenades.

In this action, Havildar Sangram Singh Rawat displayed gallantry, determination, leadership and professional skill of a high order.

145. Lance Havildar JAGDISH SINGH (9070887), The Jammu and Kashmir Militia.

(Effective date of award—3rd December, 1971)

Lance Havildar Jagdish Singh was comanding a section of a Battalion of the Jammu and Kashmir Militia. The enemy attacked his post in strength. He controlled the fire of his section effectively and inspired his men to repulse the enemy attack. Having halted the attack, he assaulted the enemy at close quarters and inflicted heavy casualties.

In this action, Lance Havildar Jagdish Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

146. Lance Havildar JASWANT SINGH (1026534), The Grenadiers.

(Effective date of award—16th December, 1971)

Lance Havildar Jaswant Singh was commanding a section of a Company of a Battalion of the Grenadiers in the operations across the Basantar River in the Shakargarh sector. As the company left for the attack from the forming up place, it came under heavy artillery and medium machine gun fire. Lance Havildar Jaswant Singh was detailed to take his section to neutralise an MMG post which was causing casualties. He led his section to the left flank to assault the enemy machine gun post. The enemy, on noticing his movement, opened up killing two of his jawans. Lance Havildar Jaswant Singh, in complete disregard to his personal safety, charged on the post and killed two enemy soldiers and silenced the gun.

In this action, Lance Havildar Jaswant Singh showed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

147. Lance Daladar RAM CHANDER (10270151), 63 Cavalry.

Lance Dafadar Ram Chander was a Gunner of the troop leader's tank of 63 Cavalry unit deployed in the Eastern sector. During an attack on our position by enemy armour, he showed great skill and cool courage in engaging and destroying the enemy tanks. He was largely responsible for the subsequent annihilation of the enemy squadron in this sector.

Throughout, Lance Dafadar Ram Chander displayed gallantry, and determination of a high order.

148. Lance Havildar PUNCJOK STOBDAN (9136879), The Ladakh scouts.

(Effective date of award—10th December, 1971)

In the battle for the Chalunka Complex in the Partapur Sector, on 10th December, 1971, when the attack by his company was held up due to heavy and accurate enemy machine gun fire, Lance Havildar Puncjok Stobdan, accompanied his platoon commander and one other rank in an assault on the enemy Medium Machine Gun post. With utter disregard to his personal safety, he charged the machine gun bunker and killed the enemy soldier and thus enabled the attack to continue.

In this action, Lance Havildar Puncjok Stobdan displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

149. Lance Havildar BANE SINGH (2048099), The Rajput Regiment.

Lance Havildar Bane Singh was a section commander in a Battalion of the Rajput Regiment. His company was assigned the task of clearing an enemy post in the Eastern Sector. During the attack, the enemy brought down sustained and accurate fire from his automatic weapons and when the assault was only 15 yards from the objective, subjected it to a heavy grenade attack. Lance Havildar Bane Singh rushed towards an enemy light machine gun which was inflicting heavy casualties and though himself seriously wounded, snatched the light machine gun through the loop hole of the bunker, thereby ensuring success on the objective.

In this action, Lance Havildar Bane Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a nigh order.

150. Lance Havildar (GD) KANS RAJ (10324414), Air Defence Regiment.

(Effective date of award—7th December, 1971)

On the 7th December, 1971, Lance Havildar (GD) Kans Raj was performing the duties of gun number one of an Air Defence Gun deployed for the protection of an Airfield. During an enemy air raid, he directed the fire of his gun accurately and shot down one enemy aircraft.

In this action, Lance Havildar (GD) Kans Raj displayed gallantry and professional skill of a high order.

151. Lance Dafadar SUSHIL KUMAR (1034139), 9 Horse.

(Effective date of award—5th December, 1971)

On the 5th December, 1971, Lance Dafadar Sushil Kumar was the gunner of the troop leader's tank guarding a Crossing in the Chambh Sector, when he was attacked

by an enemy squadron of tanks and infantry. He manned and fired his gun effectively destroying five T.59 tanks of the enemy.

In this action, Lance Dafadar Sushil Kumar displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

152. Lance Havildar JASWANT SINGH (3154794), The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—3rd December*, 1971)

Lance Havildar Jaswant Singh of the parachute Regiment (Commandos) was ordered to raid an enemy strong hold in the Jammu and Kashmir Area. He approached the enemy and overpowered them. This mission directed against the enemy personnel of special service group of the Pakistan Army destroyed the enemy stronghold killing eight commandos.

In the execution of this mission, Lance Havildar Jaswant Singh displayed gallantry, leadership and determination of a high order.

153. Acting Lance Dafadar KATAR SINGH (103100), 72 Armoured Regiment, The Armd. Corps.

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

On the night of the 6th December, 1971, Acting Lance Dafadar Katar Singh was with the squadron of the 72 Armoured Regiment which was deployed to the East of the 'Munawar Tawi' in the Western Sector. An attack on the squadron by the enemy armour was repulsed but the enemy infantry managed to surround the tanks. Acting Lance Dafadar Katar Singh with the other crew was taken prisoner alongwith the tank, Meanwhile, heavy shelling started. In the confusion, Lance Dafadar Katar Singh freed himself, got into the tank, closed the cupolas and commenced firing with the machine gun inflicting heavy casualties on the surrounding enemy. Driving the tank himself through the enemy position, he crossed the Munawar Tawi and brought back the tank intact and rejoined the squadron.

In this action, Acting Lance Dafadar Katar Singh displayed gallantry, initiative and determination of a high order.

154. Naik BAL BAHADUR (1141440), The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—7th December*, 1971)

During the operation against Pakistan in December, 1971, Naik Bal Bahadur was commanding a detachment of an air defence battery deployed in an area in the Western Sector. On the 7th December, 1971, during an enemy air raid, he directed the fire of his gun in an accurate manner and shot down an enemy MIG 19 aircraft.

In this action, Naik Bal Bahadur displayed gallantry, determination and professional skill of a high order.

155. Naik RAJINDER SINGH (13722858), The Jammu and Kashmir Rifles.

Naik Rajinder Singh was commanding a medium machine gun detachment grouped with a company of a Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles. This company was ordered to take up a defensive position in an area in the Eastern sector. The enemy subjected our defences to heavy artillery and small arms fire in a bid to disrupt the preparation of the defences. Having failed to achieve this, the enemy attacked the company's defended locality with a battalion under cover of heavy artillery fire. Firing accurately with the medium machine gun, Naik Rajinder Singh helped to stall the enemy assault. In the intense shelling by the enemy, the spare part wallet of his medium machine gun was damaged and rendered unserviceable. Later, when the enemy closed upto two hundred meters from our defence, the firing pin of his machine gun broke. Naik Rajinder Singh, realising the importance of machine gun fire for the defence, with utter disregard for his personal safety, rushed out of his bunker exposing himself to enemy fire and shelling and returned with a firing pin from another detachment. He changed the firing pin of medium machine gun despite its red hot barrel and in doing so, burnt his hands badly. He brought his gun into action again on the enemy who had closed in as near as fifty meters from our defences. The intensity of Naik Rajinder Singh's medium machine gunfire contributed largely to the breaking up of the enemy's assault in its final stage.

Throughout, Naik Rajinder Singh displayed commendable courage, initiative and determination.

156. Naik RAGHUBIR SINGH (2851641), The Rajputana Rifles.

(*Effective date of award—3rd December*, 1971)

On the night of 3rd/4th December, 1971, Naik Raghubir Singh was commanding a leading section in the attack on an enemy post in the Western sector. Inspite of heavy fire brought down by the enemy, Naik Raghubir Singh inspired his section to maintain the momentum of the attack and in the ensuing close combat he inflicted heavy casualties on the enemy and captured the post.

In this action, Naik Raghubir Singh displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

157. Naik KHAJUR SINGH (2447488), The Punjab Regiment.

(*Effective date of award—10th December*, 1971)

On the night of 10th/11th December, 1971, Naik Khajur Singh formed part of a force which attacked an enemy position in the Jammu and Kashmir sector. This was a well fortified locality held in strength by the enemy. During the attack, the assaulting troops came under very heavy and accurate fire from enemy medium machine guns. Though seriously wounded, he charged one of the Medium Machine Gun bunkers and throwing a grenade silenced the gun thereby contributing to the success of the attack.

In this action, Naik Khajur Singh displayed courage and determination of a high order.

158. Naik DHONDY RAM BHANSODE (11193273), Air Defence Regiment (Territorial Army).

(*Effective date of award—6th December*, 1971)

On the 5th December, 1971, while commanding a detachment of an Air Defence Battery guarding an installation, Naik Dhondy Ram Bhansode directed the fire of his gun in an accurate manner and shot down a Pakistani sabre Jet.

In this action, Naik Dhondy Ram Bhansode displayed courage and professional skill of a high order.

159. Naik NIHAL SINGH (285359), The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—17th December*, 1971)

Naik Nihal Singh was part of the Commando force during a raid in an area in the Rajasthan Sector. While proceedng towards the objective, his group was ambushed. He immediately rushed forward and with complete disregard to his safety, charged the enemy killing two personnel.

In this action, Naik Nihal Singh displayed commendable courage, determination and devotion to duty.

160. Naik SHAMU BHOSLE (2743291), The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—11th December*, 1971)

On the 11th December, 1971, Naik Shamu Bhosle was ordered to occupy a defended post in the Eastern Sector.

As his section reached the position, an enemy column was seen approaching the post. When the enemy column was engaged by our troops, approximately 45 enemy soldiers jumped out of their vehicles just 15 yards from Naik Bhosle and charged his position. He, with complete disregard to his safety, engaged the enemy with his light machine gun killing 15 enemy soldiers and forcing the others to retreat in utter confusion. Later the enemy launched a fierce counter attack but Naik Shamu Bhosle inspired his men to beat the attack.

In this action, Naik Shamu Bhosle displayed gallantry, professional skill and leadership of a high order.

161. Naik SIRDAR KHAN (2645231),
The Grenadiers.

During the operation against Pakistan in December, 1971, Naik Sirdar Khan was a section Commander in a Battalion of the Grenadiers which was deployed in the Eastern Sector. A Company of the Battalion was given the task of capturing an area held by the enemy in strength. On reaching the objective, the company was subjected to intense and accurate fire from two bunkers. Naik Sirdar Khan, with complete disregard to his personal safety, rushed towards one of the bunkers and fired a burst from his sten gun killing two enemy soldiers. He then crawled to the second bunker and lobbed a grenade silencing the enemy gun.

In this action, Naik Sirdar Khan displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

162. Naik BHASKARAN (2550753),
The Madras Regiment.

(*Effective date of award—12th December*, 1971)

On the night of 12th December, 1971, when his platoon was attacking the enemy held piquet in an area in the Ferozepore Sector, Naik Bhaskaran spotted an enemy medium machine gun which was interfering with the assault. He immediately led his section in an attack on the machine gun bunker. The enemy engaged his section with a Light Machine Gun pinning them down. Undeterred by this, Naik Bhaskaran crawled forward under heavy cross fire, lobbed a grenade and destroyed the light machine gun. Immediately thereafter, he charged the medium machine gun bunker and neutralised it. The enemy was completely unnerved by his move and abandoned the post.

In this action, Naik Bhaskaran displayed gallantry, determination and leadership of a high order.

163. Lance Naik MEGHRAJ SINGH (3963905),
The Jammu and Kashmir Rifles.

Lance Naik Meghraj Singh was the commander of the Light Machine Gun Detachment in a platoon of a Battalion of the Jammu and Kashmir Rifles occupying a defended locality in the Eastern Sector. The enemy made three desperate attacks under heavy and sustained artillery fire to capture this defended locality. On each of these occasions, Lance Naik Meghraj Singh, inspite of heavy artillery and small arms fire, rushed out of his trench with his light machine gun, took position on the flank and brought down effective fire on the assaulting troops, contributing materially towards breaking up the enemy assaults.

Throughout, Lance Naik Meghraj Singh displayed courage, initiative and determination of a high order.

164. Lance Naik HARBHAJAN SINGH (3357370),
The Sikh Regiment.

Lance Naik Harbhajan Singh was the section commander of the leading section of his company which was given the task of closing with the defences occupied by the enemy in an area in the Eastern Sector. His company came under intense and accurate small arms fire when it was only 300 yards short of the enemy held positions. He so deployed his section that it dominated the enemy defences. Handling the light machine gun himself, Lance Naik Harbhajan Singh was moving forward when he was hit by a burst from an enemy machine gun. Undeterred, he continued to crawl forward and taking up a suitable position, destroyed the enemy pill box. Unmindful of his injuries, he then deployed his section and ensured that his men had dug in completely.

In this action, Lance Naik Harbhajan Singh displayed gallantry, leadership and determination of a high order.

165. Lance Naik SHREEPATI SINGH (1275280),
The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—4th December*, 1971)

Lance Naik Shreepati Singh was the commander of a radar unit of an air defence detachment deployed for the protection of a radar installation in the Western Sector. On the 4th December, 1971, the enemy attacked this installation with F104 star fighter aircraft. Lance Naik Shreepati Singh showed grit and determination in laying the radar tracker visually on the enemy aircraft attacking his radar set, and though seriously wounded, continued to track the aircraft till it was shot down.

In this action, Lance Naik Shreepati Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

166. Lance Naik CHANDRAKET PRASAD YADAV (4244322),
The Bihar Regiment.

(*Effective date of award—16th December*, 1971)

During the operations against Pakistan in December, 1971, Lance Naik Chandraket Prasad Yadav was the commander of a Rocket Launcher Detachment of a Battalion of the Bihar Regiment which was deployed in the Eastern Sector. At about 1215 hours on the 16th December, 1971, an enemy convoy consisting of approximately 10 lorries loaded with ammunition and escorted by medium machine guns mounted on a lorry and two chaffee tanks tried to break through the road block established by the Battalion. One of the enemy tanks engaged a company and battalion headquarters. Lance Naik Yadav took up on himself the task of destroying the tank which was causing casualties to our troops. He closed within 10 yards of the tank before he fired the rocket launcher to destroy the enemy tank.

Lance Naik Chandraket Prasad Yadav displayed gallantry and determination of a high order.

167. Lance Naik GABAR SINGH NEGI (4042984),
The Garhwal Rifles.

(*Effective date of award—17th December*, 1971)

On the night of 16th/17th December, 1971, a Battalion, of the Garhwal Rifles was ordered to raid enemy localities in an area in the Western Sector. During the move to the objective, while the battalion was passing through a mine-field, two anti personnel mines were actuated which altered the enemy who brought down heavy volume of artillery and small arms fire on our troops. Lance Naik Gabar Singh Negi was with the leading elements of the raiding force when an enemy medium machine gun opened up from a bunker 100 yards away. Lance Naik Gabar Singh Negi along with one other rank crawled towards the enemy bunker and lobbed a grenade. He thereafter charged the post and killed two enemy soldiers and brought the machine gun to the raiding column.

In this action, Lance Naik Gabar Singh Negi displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

168. Lance Naik BISHESHWAR SINGH (2959144), The Rajput Regiment.

(*Effective date of award—13th December, 1971*)

On the 13th December, 1971, a Battalion of the Rajput Regiment, were ordered to capture an enemy position in the Eastern Sector. The attack of one of the companies was held up due to heavy and accurate fire from enemy machine gun bunker located on a flank. Lance Naik Bisheshwar Singh, one of the Section Commanders of the company, who was given the task of neutralising the enemy machine gun crawled upto one of the bunkers despite heavy enemy fire and lobbed a grenade in the bunker and silenced the gun. He then went towards the second bunker but in the process was seriously wounded in the thigh by a burst from a machine gun. Undeterred, he moved forward and succeeded in neutralising the second bunker also. While returning to his company, he saw one of his men lying wounded in the minefiled. With complete disregrad for his safety, he entered the mine-field and picked up his comrade. While returning with the casualty, he stepped on a mine and one of his legs was blown off.

In this action, Lance Naik Bisheshwar Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

169. Rifleman DHAN BAHADUR RAI (9408833), The Gorkha Rifles.

(*Effective date of award—7th December, 1971*)

On the 7th December, 1971, our troops operating in an area in the Western Sector were heavily attacked by enemy aircraft. The enemy employed six to eight aircraft in each mission and repeated strafed and bombed our troops. During one such raid, Rifleman Dhan Bahadur Rai came out of his trench and engaged the enemy aircraft with his light machine gun and shot down one enemy MIG. aircraft and was instrumental in the capture of its pilot.

In this action, Rifleman Dhan Bahadur Rai displayed gallantry and professional skill of a high order.

170. Sowar JAI SINGH (1038560), 9 Horse.

(*Effective date of award—4th December, 1971*)

On the 4th December, 1971, Sowar Jai Singh was the tank gunner of the Regimental Headquarters tank deployed in the Chhamb Sector. His tank was attacked by approximately a squadron of enemy tanks. Inspite of being heavily shelled, he continued to fire his gun with accuracy and destroyed seven T 59 tanks and one recoilless gun of the enemy. Again on the 5th December, 1971, he engaged and destroyed two enemy tanks and three recoilless guns. By inflicting these lossess Sowar Jai Singh was instrumental in stopping a major enemy armour thrust along the Dewa axis.

Throughout, Sowar Jai Singh displayed gallantry and professional skill of a high order.

171. Sapper DURGA SHANKAR (12279927), The Corps of Engineers.

(*Effective date of award—12th December, 1971*)

On the 12th December, 1971, Sapper Durga Shankar was the driver of the supply train plying twenty seven kilometers inside enemy territory in the Rajasthan Sector when six Pakistani Jets attacked his train by rockets and incendiary bombs. One of the incendiary bombs dropped two meters away as a result of which he was seriously injured. Unmindful of his injuries and undeterred by constant strafing, he moved the train in reverse to avoid damage. When the train derailed due to a broken track, he, inspite of injuries, declined medical aid and walked five miles to report the derailment to his superior authority.

In this action, Sapper Durga Sankar displayed gallantry, initiative and devotion to duty of a high order.

172. Gunner (Operator Radio Artillery) AJIT SINGH (1243715), The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award—8th December, 1971*)

Gunner Ajit Singh was a Radio Operator with the Forward Observation Officers party during the attack on an enemy position in the Fazilka Sector, on the night of 8th December, 1971. During the assault, he was struck by a shell splinter and was seriously wounded. Unmindful of his injuries, he continued to operate the radio set transmitting the Orders, as a result of which accurate artillery fire was brought down on the enemy.

In this action, Gunner Ajit Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

173. Paratrooper VAIJANATH SHINDE (4535016), The Parachute Regiment.

(*Effective date of award—11th December, 1971*)

On the night of 11th December, 1971, Paratrooper Vaijanath Shinde was with the Rocket Launcher Detachment of a company of a Battalion of the Parachute Regiment which was occupying a position in the Eastern Sector. Just as the troops reached their positions, an enemy convoy was seen approaching the position. Paratrooper Vaijanath Shinde fired upon a vehicle as a result of which a 120 millimeter mortar was destroyed and twenty three enemy personnel were killed. Following up this action, he continued firing into the enemy causing heavy casualties. Occupying the forward most trench in the locality, he bore the brunt of the determined assaults on his platoon. When his platoon commander came forward to this trench, he was injured. Paratrooper Shinde regardless of his personal safety got out of the trench and brought his platoon commander to safety. Though he was hit by an enemy bullet he stuck to his post until the enemy's attack was repulsed.

In this action, Paratrooper Vaijanath Shinde displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

174. Grenadier RAM KUMAR (2647494), The Grenadiers.

(*Effective date of award—16th December, 1971*)

Grenadier Ram Kumar took part in offensive operations of a Battalion of the Grenadiers in the Shakargarh Sector. On the morning of the 16th December, 1971, when his Company resumed the advance it came under accurate Medium Machine Gun fire from an enemy bunker. Unmindful of his personal safety, Grenadier Ram Kumar crawled to the bunker and started firing into the bunker. He not only silenced the gun but also captured the three Pakistani soldiers manning the gun.

In this action, Grenadier Ram Kumar displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

175. Sowar MOHAN SINGH (1043502), 17th Horse.

Sowar Mohan Singh was the gunner of the tank of the troop leader of a Squadron of the 17th Horse in battle of the 'Basantar River' in the Shakargarh Sector. On the 16th December, 1971, the enemy armour put in a determined and fierce counter attack. Sowar Mohan Singh, despite heavy odds, engaged numerous enemy tanks and personally accounted for five of them.

In this action, Sowar Mohan Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

176. Grenadier AMRIT (2658007),
The Grenadiers.

(*Effective date of award*—16*th December*, 1971)

On the 16th December, 1971, a company of a Battalion of the Grenadiers was detailed to carry out reconnaissance of the enemy defences in the Shakargarh Sector. When, Grenadier Amrit along with four other men got isolated and were surrounded by the enemy in a village, he with utter disregard for his safety, charged the enemy and killed three of them.

In this action, Grenadier Amrit displayed gallantry and determination of a high order.

177. Rifleman UDAY BAHADUR KHATTRI (5840320),
The 9th Gorkha Rifles.

(*Effective date of award*—15*th December*, 1971)

Rifleman Uday Bahadur Khattri was part of a Company of a Battalion of the 9th Gorkha Rifles. On the night of the 14th/15th December, 1971, his Company was order to reinforce a Company which had earlier captured an area in the Shakargarh Sector and had suffered casualties in repulsing two fierce enemy counter attacks. While his Company was moving to the objective, it came under intense and accurate Medium Machine Gun fire from an enemy bunker located nearby on a flank. Rifleman Uday Bahadur Khattri, with complete disregard for his safety, charged the Machine Gun post and lobbed a grenade into the post. This, however, failed to silince the gun. Rifleman Uday Bahadur Khattri then crawled upto the Medium Machine Gun post and threw a grenade inside the bunker through the loop hole and silenced the gun.

In this action, Rifleman Uday Bahadur Khattri displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

178. Sepoy RACHHPAL SINGH (361952),
The Sikh Regiment.

(*Effective date of award*—5*th December*, 1971)

Sepoy Rachhpal Singh was a member of a crew of a recoilless gun detachment deployed in a company locality of a Battalion of the Sikh Regiment holding the Phagla Ridge in the Chhamb Sector. On the 5th December, 1971, the enemy launched a determined attack and managed to penetrate into the company defended locality. Eight Pakistani soldiers charged the recoilless gun detachment in a bid to destroy it. Sepoy Rachhpal Singh was one of the men involved in hand to hand fight with the enemy. He shot and bayoneted three Pakistani soldiers and captured one light machine gun and two rifles. The enemy consequently withdrew in disorder.

In this action, Sepoy Rachhpal Singh displayed gallantry, and determination of a high order.

179. Gunner TEK RAM (1193311),
The Regiment of Artillery.

(*Effective date of award*—9*th December*, 1971)

On the 9th December, 1971, during the attack by a Battalion of the Kumaon Regiment on an enemy post in the Rajasthan Sector, Gunner Tek Ram was the Radio Operator with the Forward Observation Officer's party. Inspite of heavy enemy artillery and small arms fire, Gunner Tek Ram, kept up radio communication thereby enabling our own guns to effectively neutralise the enemy position and ensure success of the attack.

Throughout the attack, Gunner Tek Ram displayed courage and determination of a high order.

180. Sepoy SAMPURAN SINGH (3364799),
The Sikh Regiment.

(*Effective date of award*—3*rd December*, 1971)

Sepoy Sampuran Singh was member of a listening post deployed ahead of a defended locality in an area in Jammu and Kashmir. When the enemy approached this defended locality in battalion strength, he held on to the listing post engaging the enemy with the light machine gun and interfering with his attack for over two hours. Despite his having been severely wounded, Sepoy Sampuran Singh kept on firing till he fell unconcious.

In this action, Sepoy Sampuran Singh displayed courage, determination and devotion to duty of a high order.

181. Sepoy KRISHNA JAGDALE (2756356),
The Maratha Light Infantry.

(*Effective date of award*—4*th December*, 1971)

Sepoy Krishna Jagdale was part of a company of a Battalion of the Maratha Light Infantry which was assigned the task of capturing an enemy position in the Eastern Sector. For clearing this position, 'B' company had been allotted a troop of tanks also. During the attack the company was subjected to very heavy machine gun and artillery fire. Sepoy krishna Jagdale, with complete disregard for his safety, crawled upto the medium machine gun bunker which had held up the attack and silenced it with a grenade. Thereafter, with his light machine gun, he engaged the remaining enemy machine guns posts till they were silenced.

In this action, Sepoy Krishna Jagdale displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

182. Sepoy BOOTA SINGH (4444564),
The Sikh Light Infantry.

(*Effective date of award*—12*th December*, 1971)

Sepoy Boota Singh was with a company of a Battalion of the Sikh Light Infantry which was deployed in an area in the Western Sector. The company after capturing an area was in the process of reorganisation when the enemy launched a counter attack supported by artillery and mortar fire. Sepoy Boota Singh noticed two enemy soldiers at close quarters. With complete disregard for his safety, he came out of his trench and started firing from the hip. He shot one of the enemy soldiers and bayoneted the other to death. Seeing this gallant action, other men of his section came out of the trenches and charged at the assaulting enemy causing heavy casualties on the enemy and breaking up the assault.

In this action, Sepoy Boota Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

183. Sepoy HANUMANT KRISHNA MORE (2760210),
The Maratha Light Infantry.

(*Effective date of award*—9*th December*, 1971)

Sepoy Hanumant Krishna More was with a company of a Battalion of the Maratha Ligh Infantry which was deployed in the Western Sector. During an attack an enemy Medium Machine Gun opened fire from a flank inflicting heavy casualties on own troops. Sepoy Hanumant Krishna More, with complete disregard for his safety charged at the medium machine gun post and lobbed a grenade. Thereafter, he jumped inside the trench and killed the crew. In the process, he was wounded by a burst from the machine gun. Unmindful of his wounds, he started manning an enemy medium machine gun and fired at the retreating enemy inflicting heavy casualties.

In this action, Sepoy Hanumant Krishna More displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

184. Sepoy KACHRU SALVE (4440674),
The Mahar Regiment.

(*Effective date of award*—11*th December*, 1971)

On the night of 10th/11th December, 1971, a Battalion of the Mahar Regiment was given the task of capturing an enemy position in an area in the Shakargarh sector. Thise was a well fortified enemy position held in strength and covered by a deep mine-field. The assaulting companies came under intense shelling and small arms fire, but succeeded in capturing the objective. In the process, they suffered large number of casualties many of which were lying in the mine-filed. At day break it was noticed that a Sepoy was lying in the mine-field alive. A small patrol under a Junior Commissioned Officer was sent to evacuate the casualty, but could not make any headway due to small arms fire from enemy positions on the flank. At this stage, Sepoy Kachru Salve realising that delay in evacuation would reduce the chances of survival of his comrade, volunteered to go into the mine-field and evacuate the casualty. He entered the mine-field and, undeterred by enemy Medium Machine Gun fire, succeeded in bringing the injured Sepoy to safety.

In this action, Sepoy Kachru Salve displayed gallantry and determination of a high order.

185. Sepoy MOHAN SINGH (3365976),
The Sikh Regiment.

(*Effective date of award*—13*th December*, 1971)

Sepoy Mohan Singh was part of one of the assaulting companies during an attack on an enemy, feature in the Rajasthan sector on the 13th December, 1971. When his platoon reached near the objective, it came under intense and accurate fire from an enemy heavy Machine Gun located on the flank. Sepoy Mohan Singh with another Sepoy charged the enemy Machine Gun Post with utter disregard for his personal safety. In the process, he was seriously wounded in his left leg by a burst from a Medium Machine Gun fire. Unmindful of his injuries he crawled to the enemy bunker and silenced the Medium Machine Gun by throwing the grenade through the loop-hole killing three enemy soldiers. This enabled the company to capture the objective.

In this action, Sepoy Mohan Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

186. NC(E) MANGAT RAM (3554638),
The Sikh Regiment.

(*Effective date of award*—4*th December*, 1971)

Nc(E) Mangat Ram was part of a company holding a defended locality in an area in Jammu and Kashmir. The enemy subjected this locality to repeated attacks in battalion strength, supported by heavy artillery fire. With utter disregard to his personal safety, he carried ammunition over hazardous hilly terrain and kept the forward defended localities supplied with ammunition.

In this action, Nc(E) Mangat Ram showed courage and determination of a high order.

187. Sepoy UDAI RAJ SINGH (2951940),
The Rajput Regiment.

(*Effective date of award*—11*th December*, 1971)

On the 11th December, 1971, Sepoy Udai Raj Singh was with the company of a Battalion of the Rajput Regiment which was assigned the task of attacking an enemy position in the Eastern Sector. As the assault progressed half way upto the objective, the enemy brought heavy machine gun fire. Sepoy Udai Raj Singh, with utter disregard for his safety, rushed forward, took up position and started engaging the enemy machine gun. Later, he moved towards the bunker, leapt inside and killed the crew. Thereafter, fighting from bunker to bunker along-with his section he was instrumental in capturing the objective.

In this action, Sepoy Udai Raj Singh displayed determination and devotion to duty of a high order.

188. Sepoy GANGA SINGH (4156190),
The Kumaon Regiment.

(*Effective date of award*—14*th December*, 1971)

On the 14th December, 1971, Sepoy Ganga Singh was the Light Machine Gunner with a company of a Battalion of the Kumaon Regiment which was assigned the task of assaulting Mynamati Cantonment in the Eastern Sector. The company was pinned down due to heavy machine gun and artillery fire. Sepoy Ganga Singh with complete disregard for his safety, crawled to the enemy machine gun bunker. Forcing his light machine gun through the loop hole of this bunker, he opened fire killing the enemy inside. Moving from bunker to bunker, he cleared three bunkers. Thereafter, he crawled forward and reached three casualties and despite heavy enemy machine gun fire and shelling evacuated them to safety.

In this action, Sepoy Ganga Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

189. Rifleman PADAM BAHADUR THAPA (5744329),
The 8th Gorkha Rifles.

(*Effective date of award*—6*th December*, 1971)

On the 6th December, 1971, Rifleman Padam Bahadur Thapa was with a comany of a Battalion of the Gorkha Rifles which was assigned the task of attacking an enemy position in the Western Setor. An enemy medium machine gun firing from a flank caused casualties making the progress of the attack difficult. Rifleman Padam Bahadur Thapa drawing out his khukri rushed to the enemy position and killed the machine gunner. Thereafter he attacked the other four enemy soldiers in the post and killed all of them.

In this action, Rifleman Padam Bahadur Thapa displayed gallantry and determination of a high order.

190. Assistant Company Commander G. B. VALANKAR.

Assistant Company Commander G. B. Valankar led his company with courage and confidence in their advance in an area in the Eastern Sector. The advance was held up by stiff resistance from the enemy post. This was a well fortified post held in strength by elements of the Pakistan Special Service Group. Leading his men, with utter disregard to his personal safety, he charged the enemy position and captured it after a fierce fight.

In this action, Assistant Company Commander G. B. Valankar displayed gallantry, detemination and leadership of a high order.

191. 1265 SHRI CHANDAN SINGH CHANDEL,
Assistant Commandant,
Border Security Force.

On the 10th December, 1971, Shri Chandan Singh Chandel, who was commanding a company of a Battalion of the Border Security Force, led an attack on a strongly fortified enemy post in the Kutch Sector. The enemy was supported by mortars, machine guns and anti-tank weapons. During the assault, his company was pinned down by heavy and concentrated fire from the enemy position. With utter disregard to his own safety, and moving from one position to another, he encouraged his men and exhorted them to press forward with the assault. He led the charge and inflicted heavy casualties on the enemy in hand to hand fighting. The

success on this objective was mainly due to his inspiring leadership and personal example.

In this action, Shri Chandan Singh Chandel displayed exemplary courage, leadership and devotion to duty.

192. 66232027 SHRI AJIT SINGH, Sub Inspector, Border Security Force.

Shri Ajit Singh was a member of the assaulting troops during an attack on an enemy position in Western Sector during the recent operations against Pakistan. The enemy Medium Machine Guns opened up at almost point blank range on our advancing troops. Without regard to his safety, he rushed at one of the Medium Machine Gun positions and grabbed the weapon from the enemy's hands and killed him. By his timely action in knocking out the Medium Machine Gun, Shri Ajit Singh ensured the success of the attack.

In this action, Shri Ajit Singh displayed gallantry, determination and devotion to duty of a high order.

193. 68176022 SHRI HARI SINGH, Head Constable, Border Security Force.

On the 14th December, 1971, Shri Hari Singh, Head Constable of a company, was ordered to occupy screen position ahead of an enemy post in the Rajasthan Sector. After he occupied the position, 50 to 60 Pakistani rangers and irregulars supported by Medium Machine Guns launched an attack. Undeterred by the heavy volume of fire Shri Hari Singh encouraged his men to hold their ground and kept the enemy at bay till reinforcement arrived. Subsequently, the enemy put pressure on the post, thereby, making it difficult to reinforce the screen position. Despite heavy shelling and increasing pressure of the enemy, Shri Hari Singh put up stiff resistance and held on to his position.

In this action, Shri Hari Singh displayed gallantry and leadership of a high order.

194. Naik CHANAN SINGH (67276037), Border Security Force.

Naik Chanan Singh was commanding a section of a Battalion of the Border Security Force in the screen position in an area in the Western Sector, during the recent conflict with Pakistan. On the 3rd and 4th December, 1971, the enemy launched seven attacks against this position in overwhelming strength, supported by heavy artillery fire. In the first attack, he came out of his bunker with utter disregard to his safety and fired on the enemy from point blank range inflicting heavy casualties. His action inspired his men who fought courageously and repulsed the attack. Subsequently, the enemy launched six further attacks on the post and subjected to intense shelling, but under the inspiring leadership of Naik Chanan Singh all the attacks were repulsed.

Throughout, Naik Chanan Singh displayed courage, leadership and devotion to duty of a high order.

New Delhi, the 15th August 1972

No. 95-Prev/72.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1972, to award the President's Police and Fire Services Medal for distinguished service to the undermentioned officers :—

Shri Pradeep Chandra Das,
Deputy Inspector General of Police,
Assam.

Shri Rajeshwar Lall,
Deputy Inspector General of Police,
Bihar.

Shri Tarakkad Subramonia Venkatachalam,
Superintendent of Police, Kottayam,
Kerala

Shri Ganesh Singh,
Additional Inspector General of Police,
Rajasthan.

Shri Natesan Krishnaswamy,
Deputy Inspector General of Police (*Officiating*)
Tamil Nadu.

Shri Syed Akhtar Abbas,
Deputy Inspector General of Police,
Pradeshik Armed Constabulary,
Uttar Pradesh.

Shri Suniti Bhusan Sarkar,
Assistant Commissioner of Police,
West Bengal.

Shri Jagadish Chandra Sarkar,
Sub Inspector of Police,
Criminal Intelligence Section,
West Bengal.

Shri Yashwant Mahadeo Deshpande,
Deputy Superintendent of Police,
Central Bureau of Investigation.

Shri Shrawan Tandon,
Inspector General of Police,
Central Reserve Police Force.

Shri R. K. Mehra,
Commandant,
14th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Arthil Candoth Madhavan Nambiar,
Joint Director,
Intelligence Bureau.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 96-Prev./72.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 1972, to award the Police Medal for meritorious service to the undermentioned officers :—

Shri Pyapili Venu Gopala Krishnamacharyulu,
Deputy Inspector General of Police,
Warangal,
Andhra Pradesh.

Shri Sambathuru Veeranarayana Reddy,
Superintendent of Police,
Andhra Pradesh.

Shri Maryada Mahender Reddy,
Superintendent of Police,
Kurnool,
Andhra Pradesh.

Shri Palacholla Venkata Rangaiah Naidu,
Deputy Commissioner of Police,
Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Errabelli Sampath Kumar Rao,
Assistant Inspector General of Police,
Andhra Pradesh.

Shri Bollampalli Sreekanth Reddy,
Superintendent of Police,
Nellore,
Andhra Pradesh.

Shri Amanthra Keloth Chindan Nambiar,
Commandant, III Battalion,
A.P.S.P., Kakinada,
Andhra Pradesh.

Shri Gangireddy Raghavareddy,
Commandant,
Home Guards on Special Duty in Crime Branch,
Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Kancherla Venkata Laxmi Narasimha Veerabhadra Rao,
Inspector of Police, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Vadrevu Ramachandrudu,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
Andhra Pradesh.

Shri Kasarla Govinda Reddy,
Inspector of Police,
Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Munnam Baburao,
Sub Inspector of Police,
Andhra Pradesh.

Shri Narendra Nath Barsaikia,
Deputy Inspector General of Police,
Eastern Range,
Assam.

Shri Kankar Pal Singh Gill,
Superintendent of Police,
Kamrup District,
Assam.

Shri Madan Ram Choudhury,
Superintendent of Police,
Anti-Corruption Branch,
Assam.

Shri Kshitish Ranjan Mazumder,
Deputy Superintendent of Police,
D.S.B., Dibrugarh,
Assam.

Shri Nirendra Kumar Das,
Inspector of Police,
6th Assam Police Battalion,
Assam.

Shri Singheswar Baruah,
Inspector of Police,
District Special Branch,
Assam.

Shri Akhilendra Nath Trivedi,
Superintendent of Police,
Purnia,
Bihar.

Shri Sahdeo Ram,
Superintendent of Police,
Monghyr,
Bihar.

Shri Krishna Deo Singh,
Superintendent of Police,
Shahabad,
Bihar.

Shri Syed Mozaffar Ahsan,
Deputy Superintendent of Police,
Bihar.

Shri Krishnadeo Prasad Sinha,
Deputy Superintendent of Police,
Criminal Investigation Department
Bihar.

Shri Bacha Prasad Sinha,
Sub Inspector of Police,
Bihar.

Shri Baleshwar Tiwary,
Assistant Sub Inspector of Police,
Bihar.

Shri Hasan Sazad Buxi,
Assistant Sub Inspector of Police,
Bihar.

Shri Lopsa Hembrom,
Havildar, Dumka,
Bihar.

Shri Kalim Khan,
Constable No. 650,
Bihar.

Shri Chhatrasinh Fatesinh Solanki,
Police Inspector,
Bulsar,
Gujarat. (*Officiating*)

Shri Ramanlal Ranchhodji Desai,
Police Inspector,
Anti-Corruption Bureau,
Gujarat.

Shri Jitbahadursinh Durgabuxsinh,
Unarmed III Grade Head Constable,
Gujarat.

Shri Jagatsing Agarsing Jadeja,
Unarmed III Grade Head Constable,
Gujarat.

Shri Rajendrasinh Dalpatsinh Waghela,
Unarmed Head Constable,
Gujarat. (*Officiating*)

Shri Shrikant Chhaganlal Sharma,
Police Inspector,
Anti-Corruption Bureau, Surat,
Gujarat.

Shri Jiwanbhai Gemalbhai Motawar,
Unarmed III Grade Head Constable,
Gujarat.

Shri Iqbal Singh,
Deputy Superintendent of Police
Panipat,
Haryana. (*Officiating*)

Shri Niranjan Singh,
Prosecuting Inspector,
Special Inquiry Agency,
Haryana.

Shri Ram Chander,
Inspector of Police,
Haryana. (*Officiating*)

Shri Roshan Lal,
Sub Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
Haryana. (*Officiating*)

Shri Shanti Saroop Anand,
Inspector of Police,
Incharge District Special Branch,
Jammu and Kashmir.

Shri Meethala Veetil Kaitheri Padmanabhan Nambiar,
Deputy Superintendent of Police,
Kerala.

Shri Chakola Thomas Antony,
Deputy Superintendent of Police,
Criminal Investigation Department,
Kerala.

Shri Velluva Puthea Veettil Balakrishnan Nambiar,
Armed Police Inspector,
Kerala.

Shri Karath Poliyedath Karunakaran Nair,
Armed Police Sub Inspector,
Malabar Special Police,
Kerala.

Shri Kunnath Karunakara Menon,
Armed Police Sub Inspector,
Kerala.

Shri Kallivalappu Velayudhan Nair,
Sub Inspector of Police,
Kerala.

Shri Cholassaril Kunhalankutty Moosa,
Head Constable,
Kerala.

Shri Nechikadan Chandu,
Police Constable,
Kerala.

Shri Kalim Hamid Rizvi,
Deputy Superintendent of Police,
Madhya Pradesh.

Shri Satya Dev Dikshit,
Circle Inspector of Police,
Madhya Pradesh.

Shri Girish Kumar Tiwari,
Town Inspector of Police,
Jabalpur,
Madhya Pradesh.

Shri Mohan Singh,
Circle Inspector of Police,
Bijawar,
Madhya Pradesh.

Shri Gurbir Singh,
Town Inspector of Police, Sagar,
Madhya Pradesh.

Shri Daulatrao Kakde,
Circle Inspector of Police,
Ratlam,
Madhya Pradesh.

Shri Chander Singh Negi,
Company Commander,
2nd Battalion, Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Sheikh Akbar Gul Mohammad,
Assistant Sub Inspector of Police, Khandwa,
Madhya Pradesh.

Shri Peetam Singh,
Head Constable No. 390,
District Guna,
Madhya Pradesh.

Shri Keshar Singh,
Constable No. 443,
10th Battalion,
Special Armed Force, Sagar,
Madhya Pradesh.

Shri Ramakant Sheshgiri Kulkarni,
Deputy Commissioner of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Julio Francis Ribeiro,
Deputy Commissioner of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Ningappa Gangadharappa Yekkundi,
Inspector of Police,
Police Training College, Nasik,
Maharashtra.

Shri Ramchandra Piraji Chavan,
Inspector of Police, Poona,
Maharashtra.

Shri Arvind Govind Patwardhan,
Selection Grade Sub Inspector,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Mohmed Ismail Md. Yaseen Kadri,
Reserve Sub Inspector,
Maharashtra.

Shri Govind Sitaram Sawant,
Unarmed Head Constable,
Maharashtra.

Shri Madhukar Shankar Lohogaonkar,
Unarmed Head Constable,
Anti-Corruption and Prohibition Intelligence Bureau,
Maharashtra.

Shri Bramhavar Rathnakar Rai,
Deputy Commissioner of Police,
Bangalore,
Mysore.

Shri P. M. D'Souza,
Deputy Superintendent of Police,
Mysore.

Shri Bangalore Kollaiah Naidu Venkatachalam,
Inspector of Police,
Mysore.

Shri Anant Dattatraya Naik,
Inspector of Police, Shimoga,
Mysore.

Shri Kulletire Bopaya Appachu,
Inspector of Police,
Mysore.

Shri Chikmagalur Basappa Nagappa,
Head Constable No. 66,
Mysore.

Shri K. Mundappa Setty,
Police Constable,
Mysore.

Shri Nirodbehari Mohanty,
Superintendent of Police,
Vigilance II, Central Division,
Cuttack,
Orissa.

Shri Godabarish Misra,
Deputy Superintendent of Police
Orissa. *(Officiating)*

Shri Rangadhar Sar,
Inspector of Police,
Special Branch, Cuttack,
Orissa.

Shri Sashibhusan Mishra,
Inspector of Police,
Orissa. *(Officiating)*

Shri Mohmed Mujibur Rahman,
Inspector of Police,
Vigilance, Sambalpur,
Orissa.

Shri Harjit Singh,
Deputy Inspector General of Police,
Punjab.

Shri Krishan Kumar,
Assistant Inspector General of Police,
Punjab.

Shri Amrit Lal Wadhera,
Prosecuting Deputy Superintendent of Police,
Punjab. *(Officiating)*

Shri Shiv Charan Singh,
Sub Inspector of Police,
Punjab.

Shri Deva Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Rajasthan.

Shri Mehtab Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Rajasthan. *(Officiating)*

Shri Koneru Bhaskara,
Deputy Commissioner of Police,
Law and Order (North), Madras,
Tamil Nadu.

Shri Valaveetil Balakrishna Menon,
Deputy Superintendent of Police,
Directorate of Vigilance and Anti-Corruption,
Madras,
Tamil Nadu. *(Officiating)*

Shri Krishnaswami Swami Naidu,
Deputy Superintendent of Police,
Criminal Investigation Department,
Tamil Nadu. (*Officiating*)

Shri Ekambara Srinivasan,
Inspector of Police, Madras,
Tamil Nadu.

Shri Ramakrishna Pillai Venkatesan,
Inspector of Police, Madras,
Tamil Nadu.

Shri Arjuna Meenakshi Sundaram Subramaniam,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
Tamil Nadu. (*Officiating*)

Shri Koppukutti Nair Krishnan Unni,
Adjutant Inspector,
Tamil Nadu Special Police II Battalion,
Tamil Nadu.

Shri Ramasamy Udayar Munusamy,
Sub Inspector of Police,
Coimbatore,
Tamil Nadu.

Shri Ponnusamy Narasingam,
Reserve Sub Inspector,
Tamil Nadu. (*Officiating*)

Shri Ponniah Pillai Antonisamy,
Head Constable 1234,
Tirunelveli District,
Tamil Nadu.

Shri Arunachalam Pillai Potchimuthu,
Police Constable 699/MU,
Madurai Urban District,
Tamil Nadu.

Shri Haripada Mazumdar,
Deputy Superintendent of Police,
Tripura.

Shri Nirapada Gon Choudhury,
Deputy Commandant,
T.A.P. Battalion,
Tripura.

Shri Shyam Lal,
Superintendent of Police,
Moradabad,
Uttar Pradesh.

Shri Jamuna Narain Awasthi,
Superintendent of Police,
Sitapur,
Uttar Pradesh.

Shri Avtar Narain Kaul,
Senior Superintendent of Police,
Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Mirza Baqar Husain,
Assistant Commandant,
XIV Battalion,
Pradeshik Armed Constabulary,
Uttar Pradesh.

Shri Syed Mohd. Abid,
Deputy Superintendent of Police,
Criminal Investigation Department
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri Srish Chandra Pande,
Deputy Superintendent of Police,
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri Iqbal Ahmad Siddiqi,
Senior Public Prosecutor,
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri Syed Iltija Ali Kirmani,
Deputy Superintendent of Police,
Police Radio Section,
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri Kashi Prasad Shukla,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Department,
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri Balak Ram Varma,
Deputy Inspector of Police (M),
Uttar Pradesh.

Shri Shiv Singh,
Head Constable,
Armed Police,
Uttar Pradesh.

Shri Amar Bahadur Singh,
Inspector of Police,
Vigilance Establishment,
Uttar Pradesh. (*Officiating*)

Shri B. Robinson,
Assistant Commissioner of Police,
West Bengal.

Shri Amulya Kumar Chakraborty,
Inspector of Police,
Darjeeling,
West Bengal.

Shri Sukhendu Sarkar,
Inspector of Police,
District Enforcement Branch,
Midnapore,
West Bengal.

Shri Benoyendra Nath Chakrabarti,
Inspector of Police,
West Bengal. (*Officiating*)

Shri Sitesh Chandra Sanyal,
Inspector of Police,
West Bengal.

Shri Dhruba Nath Gupta,
Inspector of Police,
Detective Department,
West Bengal.

Shri Manabendra Nath Dutta,
Inspector of Police,
West Bengal. (*Officiating*)

Shri Sanat Kumar Banerjee,
Brigade Reserve Inspector,
Calcutta Armed Police,
West Bengal.

Shri Benoy Kumar Mukherjee,
Sub-Inspector of Police,
Detective Department,
Calcutta,
West Bengal.

Shri Haridas Banerjee,
Sub-Inspector of Police,
West Bengal. (*Officiating*)

Shri Atul Chandra Talukdar,
Sub-Inspector of Police,
Calcutta,
West Bengal. (*Officiating*)

Shri Biswanath Mukherjee,
Sub-Inspector of Police,
District Intelligence Branch,
Darjeeling,
West Bengal.

Shri Nani Gopal Banerji,
Sub-Inspector of Police,
West Bengal.

Shri Narendra Chandra Dey
Head Constable No. 163,
Howrah,
West Bengal.

Shri Chittaranjan Pandit,
Head Constable No. 310,
Howrah,
West Bengal.

Shri Paritosh Kumar Chatterjee,
Sub-Inspector of Police,
Calcutta,
West Bengal.

Shri Arun Kumar Sen Gupta,
Sergeant,
Calcutta Police,
West Bengal.

Shri Shew Prasad Ojha,
Constable 10181,
Calcutta,
West Bengal.

Shri Ram Sibak Pathak,
Constable 10589,
West Bengal.

Shri Kamal Krishna Guha,
Superintendent of Police,
Malda,
West Bengal.

Shri Shiba Prosad Mukherji,
Additional Superintendent of Police,
West Dinajpur,
West Bengal.

Shri Ram Kumar Ohri,
Superintendent of Police,
Delhi.

Shri Bhagwan Dass,
Deputy Superintendent of Police,
Delhi.

Shri Tilak Raj Anand,
Inspector of Police,
Delhi.

Shri Ram Chander,
Sub-Inspector of Police,
Delhi.

Col. R. N. Banerjee,
Deputy Inspector General,
Tripura,
Border Security Force.

Shri Sukhdev Singh Gill,
Assistant Commandant,
57th Battalion,
Border Security Force.

Shri Kishan Saran Singh,
Assistant Commandant,
1st Battalion,
Border Security Force.

Shri Piara Singh,
Inspector,
58th Battalion,
Border Security Force.

Shri Shiv Singh,
Inspector,
17th Battalion,
Border Security Force. (*Officiating*)

Shri Govind Rao Ramachandran,
Superintendent of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Tejinder Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Central Bureau of Investigation.

Shri Natvarsinh Vakhatsinh Jadeja,
Deputy Superintendent of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Ram Autar Trivedi,
Deputy Superintendent of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Sudesh Kumar Dua,
Deputy Superintendent of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Chandra Nath Mookherji,
Deputy Superintendent of Police,
Economic Offences Wing,
Calcutta,
Central Bureau of Investigation.

Shri Kuyyatil Koovan Bharathan,
Deputy Superintendent of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Tarlok Singh Bhinder,
Senior Public Prosecutor,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Veerapalli Rajagopal Reddy,
Inspector of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Shri Vinayak Tatoba Sawant,
Inspector of Police,
Economic Offences Wing,
Central Bureau of Investigation.

Shri Kahirampokkil Ahmedkutty Mohammed,
Inspector of Police,
Special Police Establishment,
Central Bureau of Investigation.

Brig K. M. Pandalai,
Deputy Director (Operations),
Central Reserve Police Force.

Shri Balottam Varma,
Deputy Inspector General of Police,
Central Reserve Police Force.

Shri Jitendra Kumar Sen,
Deputy Inspector General of Police,
Central Reserve Police Force.

Lt. Col. Umrao Singh,
Principal,
Central Training College-I,
Central Reserve Police Force.

Shri Waman Rao Pawar,
Deputy Superintendent of Police,
Central Reserve Police Force.

Shri D. S. Paul,
Principal,
Recruits Training Centre-II,
Central Reserve Police Force.

Shri Jagir Singh Cheema,
Deputy Superintendent of Police,
Central Reserve Police Force.

Shri K. M. Subba,
Deputy Superintendent of Police,
Central Reserve Police Force.

Shri Nawal Singh,
Subedar Major,
6th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Sardara Singh,
Jemadar,
51st Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Churamani Khatri,
Jemadar,
Central Reserve Police Force.

Shri Onkar Singh,
Deputy Inspector General,
Cabinet Secretariat.

Shri Narain Singh Bhati,
Senior Instructor,
Cabinet Secretariat.

Shri Govind Singh Bisht,
Sub Inspector,
Cabinet Secretariat.

Shri Tushar Dutt,
Deputy Inspector General of Police,
Central Industrial Security Force. (*Officiating*)

Shri Joseph Gomes,
Assistant Comamndant,
Central Industrial Security Force (*Officiating*)

Shri Bhagat Singh,
Deputy Inspector General,
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Lakshmi Chand,
Jemadar,
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Satya Dev Sehgal,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau.,
Simla,
Intelligence Bureau.

Shri Venugopal Shankar Kallianpurkar,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau.,
Bombay,
Intelligence Bureau.

Shri Subhas Chander Tandon,
Joint Deputy Director,
Intelligence Bureau.

Shri Jaswant Singh Partap Singh Raghuvanshi,
Assistant Central Intelligence Officer,
Grade I,
Intelligence Bureau.

Shri Sudhindranath Gupta,
Joint Deputy Director,
Intelligence Bureau.

Shri Gajendra Prasad Dubey,
Assistant Central Intelligence Officer Grade II,
Intelligence Bureau.

Shri Babu Lal Dubey,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Bhopal,
Intelligence Bureau.

Shri Amrit Kumar Chhabra,
Assistant Central Intelligence Officer Grade I,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Jammu & Kashmir,
Intelligence Bureau.

Shri Sukomal Kanti Ghosh,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Tripura,
Intelligence Bureau.

Shri Jagdish Chander Sharma,
Deputy Central Intelligence Officer,
Leh,
Intelligence Bureau.

Shri Prem Narain Mehrotra,
Deputy Fire Adviser,
Ministry of Home Affairs.

Shri Ram Sankar Gupta,
Director,
National Fire Service College,
Nagpur,
Ministry of Home Affairs.

Shri Harish Chandra Singh,
Chief Security Officer,
Western Railway,
Ministry of Railways.

Shri Inder Singh,
Security Officer,
Northern Railway,
Ministry of Railways.

Shri Madhukar Yashwant Sawant,
Assistant Security Officer,
Western Railway,
Ministry of Railways.

Shri Dinesh Mukherjee,
Adjutant, No. 1 Battalion,
Railway Protection Special Force,
Lumding,
Ministry of Railways.

Shri Narain Dass,
Sub-Inspector,
Railway Protection Force,
Northern Railway,
Ministry of Railways.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rules governing the grant of the Police Medal.

P. N. KRISHNA MANI
Joint Secretary to the President.

CABINET SECRETARIAT

(Department of Statistics)

New Delhi, the 28th July 1972

No. M-13013/4/71-*NSS.I.*—Government of India have set up an Advisory Committee on Training in Official Statistics and Related Methodology with the following functions :—

(a) to advise on the organisation of the training programmes of the Central Statistical Organisation including the duration of the courses, the syllabuses, the category of persons to be admitted, their professional background, qualifications, experience and age.

(b) to recommend uniform syllabuses, duration and other requirements for the training programmes for the primary and intermediate level workers undertaken/to be undertaken by the State Statistical Bureaus.

2. The Committee will consist of the following members :—

Chairman

Director, Central Statistical Organisation
and *Ex-officio* Joint Secretary,
Department of Statistics.

Members

Director,
Bureau of Economics and Statistics,
Maharashtra, Bombay.

Director of Statistics,
Tamil Nadu, Madras.

Director,
Bureau of Applied Economics and Statistics,
West Bengal, Calcutta.

Assistant Registrar General (Demography and Training), Office of the Registrar General of India,
New Delhi.

Deputy Director,
Labour Bureau,
Simla-4.

Director, Institute of Agricultural Research Statistics, Library Avenue,
New Delhi-12.

Dr. T. P. Chaudhuri, Indian Statistical Institute,
203 Barrackpore Trunk Road,
Calcutta-35.

Member Secretary

Joint Director, Training,
Central Statistical Organisation,
New Delhi.

3. The Headquarters of the Committee will be at the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Sardar Patel Bhavan, New Delhi, which will also provide secretarial assistance to the Committee. The report of the Committee will be submitted to the Central Statistical Organisation, Department of Statistics, Government of India.

H. L. KOHLI, Under Secy.

(Department of Personnel)

New Delhi-1, the 19th August 1972

CORRIGENDUM

No. 10/11/72-*CS(II)*.—In the rules for the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination, 1972, as published in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) Notification No. 10/11/72-CS (II), dated the 22nd July, 1972, in Part I, Section (i) of the Gazette of India, in rule 4(2),

for the existing clause (b), the following clause shall be *substituted*, namely,

"(b) He should not be more than 45 years of age on 1-7-1972 *i.e.* he must not have been born earlier than 2nd July, 1927."

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

RULES

New Delhi, the 19th August 1972

No. 32/17/72-*Estt(E)*.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date but who were commissioned on or after that date for the purpose of filling vacancies reserved for them in Grade IV of the following Services are published for general information.

(i) The Indian Economic Service, and

(ii) The Indian Statistical Service.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules the following categories of Emergency Commissioned and Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962 but before 10th January, 1968, or who had joined any pre-commission training before the latter date, but who were commissioned on or after that date will be eligible to appear at this examination,—

(i) Officers who have been released during 1972 prior to the date of this Notification or are due to be released thereafter till the end of 1973.

(ii) Officers mentioned in rule 9 to the extent and in accordance with the provisions of that rule.

NOTE 1.—For the purpose of these Rules, 'release' means :

(i) release as per the scheduled year of release.

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service.

from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service, nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

NOTE 2.—The expression "scheduled year of release" means :—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers the year in which they are due for release in accordance with phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years as the case may be as Short Service Commissioned Officers is to expire.

NOTE 3.—The candidature of a person shall be cancelled, if after submitting his application, he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct or inefficiency or at his own request.

NOTE 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

NOTE 5.—Officers belonging to the volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must not have attained the age of 26 years on the 1st January of the year in which he joined the pre-commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xi) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(xii) up to a maximum of three years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963, is a *bona fide* displaced person from Pakistan;

(xiii) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Pakistan.

(xiv) up to maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar Islands; and

(xv) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training), in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage.

(c) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu who were not employees of the Portugeese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence imprisonment or detention for not less than six months under former Portugeese Administration will be permitted to appear at the examination provided they have not attained the age of 35 years on 1-1-1972.

NOTE.—Candidates claiming age concession under rule 6(c) above will not be entitled to the age concessions allowed under rule 6(b) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination. The restriction being effective from the examination held in 1971.

8. A candidate must take the examinations held in the year of his release and in the year following the year of his release, as his first and second chances respectively.

9. Notwithstanding anything contained in Rule 8—

(i) a candidate to whom the provisions of clause (v) below are not applicable and who was invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military Service during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination may take the examination to be held in 1973, as his second chance;

(ii) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1972 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1972 examination, may take the examination to be held in 1973 as his first chance.

(iii) a candidate due for release during 1972 who was admitted to the examination held in 1972, may take the examination to be held in 1973 as his first chance, provided he was not allowed to appear in the examination held in 1972 due to exigencies of military service.

(iv) a candidate due for release prior to 1972, who was admitted to the examination held in 1972, but did not appear at that examination may take the examination to be held in 1973 as his second chance provided he was not released on or before 20th September 1971.

(v) a candidate invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service, during 1971 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination who was admitted to the examination held in 1972, but did not appear at that examination may take the examination to be held in 1973 as his first chance provided he was not released on ro before 20th September, 1971.

(vi) an Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officer who joined the pre-Commission training in the Armed Forces before 10-1-1968 but was commissioned on or after 10-1-1968 may take the examination to be held in 1973, subject to the conditions indicated below—

(a) as his second chance, if released prior to 1972;

(b) as his first chance, if released during 1972;

(c) as his first chance, if invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1971 after the closing date prescribed for receipt of application for the 1971 examination.

NOTE 1.—The provision contained in (i), (v) and (vi)(c) above will not apply to candidates who were due for release in 1971.

NOTE 2.—The provisions contained in (ii) above, will not apply to candidates who were due for release in 1972.

10. (a) A candidate for the Indian Economic Service must have obtained a degree with Economics or Statistics as a subject from any of the Universities enumerated in Appendix I.

(b) A candidate for the Indian Statistical Service must have obtained a degree with Statistics or Mathematics or Economics as a subject from any of the Universities, enumerated in Appendix I or possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

Note II.—In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

11. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commission. A candidate who is himself the Officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.

All other candidates in Government Service whether in a permanent or temporary capacity or as a work-charged employees, other than a casual or daily-rated employee must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates, and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in Service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Government in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding years(s).

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. In the case of candidates competing for both the Services, due consideration will be given to the order of preference expressed by a candidate at the time of his application.

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be

appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo physical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidaes will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistant with the requirements of the Service(s).

23. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

24. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

B. L. MATHURIA
Under Secretary

APPENDIX I

List of Universities approved by the Government of India (vide Rule 10)

INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.

The University of Mandalay.

ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Brimingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales.

SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).

The National University of Ireland.

The Queen's University, Belfast.

UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.

The University of Sind.

UNIVERSITIES IN BANGLADESH

The Dacca University.

The Rajshahi University.

UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

APPENDIX I-A

List of qualifications recognised for admission to the examination for the Indian Statistical Service only [*vide* Rule 10(b)].

(i) Statisticians Diploma of the Indian Statistical Institute, Calcutta.

(ii) Professional Statisticians Certificate of the Institute of Agricultural Research Statistics, ICAR, New Delhi.

APPENDIX II

SECTION I

Plan of the Examination

The competitive examination comprises:

(a) Written examination in subjects as set out in Sub-Sections (A) and (B) respectively of Section II below carrying a maximum of 700 marks.

(b) *Viva Voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 450 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

SECTION II

Examination Subjects

(A) The Indian Economic Service

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Economics I	200
(4) Economics II	200

(B) The Indian Satistical Service

	Maximum Marks
(1) General English	150
(2) General Knowledge	150
(3) Statistics I	200
*(4) Statistics II	200

*In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.*, (i) Industrial Statistics (including Statistical Quality Control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics and (v) Demography and Vital Statistics, of which a candidate is required to choose any two. Each paper will carry a maximum of 100 marks.

NOTE.—The standard and syllabi of the subjects mentioned in this Section are given in Part A of the Schedule to this Appendix.

SECTION III

General

1. ALL QUESTION PAPERS MUST BE ANSWERED IN ENGLISH.

2. There will be one paper of three hours duration in each of the subjects referred to in Section II above, except in the subject Statistics II. In Statistics II, there will be five papers, each of 1½ hours' duration vide Note under this subject at item 6 of Part A of the Schedule to this Appendix.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances, will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

4. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

5. For the Indian Economic Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, *viz.*, Economics I and Economics II.

For the Indian Statistical Service, the papers in the following subjects, *viz.*, General English and General Knowledge, of only such candidates will be examined and marked as attain such minimum standard as may be fixed by the Commission in their discretion at the written examination in the following subjects, *viz.*, Statistics I and Statistics II.

6. If a candidate's handwriting is not easily legible, a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with due economy of words in all subjects of the examination.

9. Candidates are expected to be familiar with the metric system of weights and measures. In the question papers, wherever necessary, questions involving the use of metric system of weights and measures may be set.

SCHEDULE

PART A

The standard of papers in English and General Knowledge will be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

The standard of papers in the other subjects will be that of the Master's degree examination of an Indian University in the relevant disciplines. The candidates will be expected to illustrate theory by facts and to analyse problems with the help of theory. They will be expected to be particularly conversant with Indian problems in the field(s) of Economics/ Statistics.

1. General English.—

Candidates will be required to write an essay in English. Other questions will be designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Passages will usually be set for summary or precis.

2. General Knowledge.—

The paper will consist of two parts :

In the first part candidates will be required to answer questions designed to test their knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. Questions may also be set on History of India and Geography, of a nature which candidates should be able to answer without special study.

In the second part candidates will be required to answer questions designed to test their ability to deal with facts and figures and to make logical deductions therefrom, their capacity to perceive implications and their ability to distinguish between the important and the less important.

3. Economics I.—

Scope and methodology.

Equilibrium analysis.

Theory of consumer's demand, Indifference curve analysis, Revealed preference approach, Consumer's surplus.

Theory of production. Factors of production. Production functions. Laws returns. Equilibrium of the firm and the industry.

Pricing under various forms of market organisation. Pricing in a socialist economy. Pricing in a mixed economy.

Public utilities : economic characterstics of public utilities price determination in public utilities; regulation of public utilities.

Theory of distribution. Pricing of factors of production. Theories of rent, wages, interest and profit. Macrodistribution theory. Share of wages in national income. Profits and economic progress. Inequalities in income distribution.

Theory of employment and output—the classical and neo-classical approaches. Keynesian theory of employment. Post-Keynesian developments.

Economic fluctuations. Theories of business cycle. Fiscal and monetary policies for control of business cycles.

Welfare economics : scope of welfare economics; classical and neo-classical approaches; New welfare economics and the compensation principles; optimum conditions; policy implications.

4. Economics II.—

Concept of economic growth and its measurement

Social accounts; national income accounts; flow of funds; accounts; input-output accounting.

Social institutions and economic growth. Characteristics and problems of developing economics.

Population growth and economic development.

Theories of growth. Growth models.

Planning—Concept and methods. Planning under Capitalist and Socialist forms of economic organisation. Planning in a mixed economy. Perspective planning. Regional Planning Investment criteria and choice of techniques; Cost-benefit analysis. Planning models.

Planning in India. Evolution of Planning. Five Year Plans. Objectives and techniques. Problems of resource mobilization, administration and public co-operation. Role of monetary and fiscal policies; price policy, controls and market mechanism. Trade policy and Balance of payments. Role of public enterprises.

5. Statistics I.—

Different types of numerical approximations; finite differences, standard interpolation formulae and their accuracies; inverse interpolation. Numerical methods of differentiation and integration.

Definition of probability. Classical approach, axiomatic approach. Sample space. Laws of total and compound probability. Conditional probability. Independent events. Baye's formula. Random variables ; probability distributions; Mathematical expectation. Moment generating functions and characteristic functions. Inversion theorem. Tchebychev's inequality. Conditional distributions. Laws of large numbers and central limit theorems.

Standard distributions ; Binomial, Poisson. Normal Rectangular. Exponential. Negative binomial. Hypergeometric Cauchy, Laplace, Beta and Gamma distributions. Bivariate and Multivariate normal distributions.

Large and small sample theory : Asymptotic sampling distributions and large sample tests. Standard sampling distributions such as χ^2, F, and tests of significance based on them. Association and analysis of contingency tables.

Correlation coefficient and its distribution. Fisher's 'Z' transformation. Regression : linear and polynomial; multiple regression—partial and multiple correlation coefficients including their distributions in null cases. Intra class correlation. Curve fitting and orthogonal polynomials.

Analysis of variance. Theory of linear estimation. Two-way classification with interaction. Analysis of covariance. Basic principles of design of experiments. Layout and analysis of common designs such as randomised blocks. Latin square. Factorial experiments and confounding. Missing plot techniques.

Sampling techniques : Simple random; sampling with and without replacement. Stratified sampling. Ratio and regression estimates. Cluster sampling, multistage sampling and systematic sampling. Non-sampling errors.

Estimation : Basic concepts. Characteristics of a good estimate. Point and interval estimates. Maximum likelihood estimates and their properties.

Tests of hypotheses. Statistical hypotheses : Simple and composite. Concept of a statistical test. Two kinds of error. Power function. Likelihood ratio tests. Confidence interval estimation. Optimum confidence bounds.

Common non-parametric tests such as sign test, median test and run test. Wald's sequential probability ratio test for testing a simple hypothesis against a simple alternative. OC & ASN functions and their approximations.

6. Statistics II.—

NOTE :—In this subject, there will be separate papers on each of the following five branches, *viz.*, (i) Industrial Statistics, (including statistical quality control) (ii) Economic Statistics, (iii) Educational Statistics, (iv) Genetical Statistics, and (v) Demography and Vital Statistics.

Candidates are required to choose any two of the above papers, which they must indicate in their applications. No change in the selection of papers once made will be allowed.

(i) *Industrial Statistics (including Statistical Quality Control).*

Theoretical basis of quality control in industry. Tolerance limits. Different kinds of control charts—X, R charts, p and c charts, group control charts.

Acceptance sampling. Single, double, multiple and sequential sampling plans. OC and ASN functions. Sampling by attributes and by variables. Use of Dodge-Roming and other tables.

Design of industrial experimentation. Use of regression techniques and analysis of variance techniques in industry.

Applications of Operational research techniques including linear programming in industry.

(ii) *Economic Statistics*

Index number of prices and quantities. Different types of index numbers, *e.g.*, index numbers of whole-sale prices and cost of living index numbers. Theory of index numbers.

Income distributions. Pareto and other curves. Concentration curves and their uses.

National Income. Different sectors of national income. Methods of estimating national income Inter-sectoral flows. Problems of regional income estimates. Inter-industry table. Applications of input-output analysis and linear programming.

Analysis and interpretation of economic time series. The four components of an economic time series. Multiplicative and additive models. Trend determination by curve fitting and by moving average method. Determination of constant and moving seasonal indices. Auto correlation, periodogram analysis, tests of randomness.

Theory of consumptions and demand, demand function, elasticities of demand, statistical analysis of demand with the help of time services and family budget data.

(iii) *Educational Statistics (including Psychometry)*

Scaling of test items. Scores, standard scores, normal scores. T and C scales stanine scale, percentile scale.

Mental tests. Reliability and validity of tests. Different methods for computing reliability. Index of reliability. Procedures for determining validity. Validation of a test battery. Speed versus power tests.

Factor Analysis. Item analysis. Use of correlation methods in aptitude tests.

Measurement of learning and forgetting. Learning models. Attitude and opinion measurement. Measurements of group behaviour.

(iv) *Genetical Statistics*

Physical basis of heredity. Mendal's laws. Linkage. Analysis of segregation, detection and estimation of linkage.

Polygenic inheritance. Components of phenotypic variation. Estimation of heritability. Selection. Basis of selection. Progeny testing. Selection for combination of characters.

Population genetics. Gene frequency. Inbreeding. Random mating. Linkage disequilibrium.

Elements of human genetics. Study of blood groups, disease traits and aberrations.

(v) *Demography and Vital Statistics*

The life table, its construction and properties; Makeham's and Compertz curves. Derivation of annual and central dates of mortality. National life tables. U.N. model life tables. Abridged life tables. Stable population. Stationary population.

Crude fertility rates, specific fertility rates gross and net reproduction rates; family size; crude mortality rate, infant mortality rates; Mortality by cause of death; Standardised rates.

Internal and international migration; net migration; backward and forward survivorship ratio methods.

Demographic transition; Social and economic determinants of population.

Population projections. Mathematical and Component methods Logistic curve fitting.

PART 'B'

Viva voce: The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The object of the *Viva Voce* is to assess the suitability of the candidate for the Service or Services for which he has applied, by a Board of competent and unbiased observers. The interview is intended to supplement the written examination for testing the general and specialised knowledge and abilities of the candidate. The candidate will also be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces.

The technique of the *Viva Voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the candidate's grasp of problems and his mental qualities, *e.g.* intellectual curiosity, critical powers of assimilation, balance of judgement and alertness of mind; the ability for social cohesion; integrity of character, initiative and capacity for leadership.

APPENDIX III

Brief particulars relating to the two Services to which recruitment is being made through this examination :

1. Candidates selected for appointment to either of the two Services will be appointed to Grade IV of the Service on probation for a period of two years which may be extended if necessary. During the period of probation, the candidates will be required to undergo such courses of training and instruction and to pass such examination and tests as the Government may determine.

2. If in the opinion of Government the work or conduct of the officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient Government may discharge him forthwith.

3. On the expiry of the period of probation or of any extension if the Government are of opinion that a candidate is not fit for permanent appointment, Government may discharge him.

4. On completion of the period of probation to the satisfaction of Government, the candidate shall if considered fit for permanent appointment be confirmed in his appointment subject to the availability of substantive vacancies in permanent posts.

5. Prescribed scales of pay for both the Indian Statistical Service and the Indian Economic Service are as follows :

Grade I—Director Rs. 1300—60—1600—100—1800.

Grade II—Joint Director Rs. 1100—50—1400.

Grade III—Deputy Director Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade IV—Assistant director Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950.

6. Promotions to the higher grades of the Service will be made on the basis of merit with due regard to seniority in accordance with the quota of vacancies set aside for promotion for each grade *viz.*, 75% for Grade III, 50% for Grade II and 75% for Grade I.

An officer belonging to the Indian Statistical Service/ Indian Economic Service will be liable to serve anywhere in India or abroad under the Central Government and may be required to serve in any post on deputation for a specified period.

7. Conditions of service and leave and pension for officers of the two Services are the same as those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations of Government of India respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

8. Conditions of Provident Fund are the same as laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

APPENDIX IV

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

(These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard.

The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirement prescribed in the regulations, cannot be declare fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulation, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board.)

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other side of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels calves, buttocks and shoulder touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres 84—89, 86—93 etc. In recording the measurements fractions of less than a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms; fractions of half of a kilogram should not be noted.....

6. (a) The candidate's eyesight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses.

Distant vision		Near vision	
Better eye (Corrected vision)	Worse eye	Better eye (Corrected vision)	Worse eye
6/9 or 6/9	6/9 or 6/12	J.1	J.II

(d) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of vit. A deficiency and (2) as a result of Organic Disease of Retina—a common cause being Retinitis Rigmentosa. In (1) the fundus is normal, generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult, and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2) dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-Retinography is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time consuming and require specialized set up and equipment, and thus are not possible as a routine test in a medical check-up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Department to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employee.

(g) *Ocular conditions other than visual acuity.*—(i) Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered a disqualification.

(ii) *Squint.*—For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye :* If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has :

(i) 6/6 distant vision and J I near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 diopteres for distanct vision.

(ii) has full field of vision.

(iii) normal colour vision wherever required.

Provided the Board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

(h) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test, the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 and diastolic over 90 should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patent's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from cloths to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level of the column at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at a still lower level This 'Silent Gap' may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or 'unfit'. The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he has no progressive disease in the ear,

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Screening of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination, where it is considered necessary, a skiagram should be taken.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50 in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like ensclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates, otherwise, requests for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical Examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Sectt. (Department of Personnel) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effctive service and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

The Board should normally consist of three members, (i) a physician, (ii) a Surgeon, and (iii) an Opthalmologist, all of whom should as far as practicable be of equal status. A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Economic Service/Indian Statistical Service are liable for field service in or out of India. In case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In cases where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(*a*) *Candidat's statement and declaration*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attetion is specially directed to the warning contained in the Note below:—

1. State your name in full (in block letters)
2. State your age and birth place .....
2. (*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese. Nagaland Tribals, etc. whose average height is distinctly lower? Answer] 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes', state the name of the race. ——.....
3. (*a*) Have you ever had smallpox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood ashthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rhueumptism, appendicitis? .....

OR

(*b*) Any other disease or accident requiring confinment to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were you last vaccinted ? .....
5. Have you suffered from any from of nervousness due to over-work or any other cause ? .....
.....

6. Furnish the following particulars concerning your family:—

Fathers' age if living and state of health	Fathers' age at death and cause of death	No. of brothers living. their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death.

Mothers' age if living and State of health	Mothers' age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before ? .....
8. If answer to the above is Yes, please state what Service/Services you were examined for ? .....
9. Who was the examining authority ?
10. When and where was the Medical Board held ?
11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if known .....

I declare that all the above answers are to the best of my belief true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in presence
Signature of the Chairman
of the Board

NOTE:—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By willfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to Superannuation Allowance Gratuity.

Report of the Medical Board on (name of candidate)

Physical Examination

1. General development :Good..... Fair,.
Poor.....
Nutrition : Thin.....Average.....Obsese.....
Height (Without shoes) .....Weight.....
Best Weight.....When ? .....any....recent change in weight?.....Temperature. .....
Girth of Chest :
(1) (After full inspiration).....
(2) (After full expiration). .....
2. Skin : Any obvious disease .....
3. Eyes:
(1) Any disease .....
(2) Night blindness .....
(3) Defect in colour vision.....
(4) Field of vision.....
(5) Visual acuity.....
(6) Fundus Examination .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glass Sph. Cyl. axis
Distant vision	R.E.		
	L.E.		
Near Vision	R.E.		
	L.E.		

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear....
Left Ear.....
5. Glands.....Thyroid.....
6. Condition of teeth.....
7. Respiratory System: Does physical examination reval anything abnormal in the respiratory organs?.....
If yes, Explain fully.....
8. Circulatory System :
(*a*) Heart : Any organic lesions ?.....Rate
Standing.....
After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....
(*b*) Blood Pressure: Systolic.....Diastolic.....
9. Abdomen: Girth.....Tenderness.....
Hernia.....

(a) Palpable : Liver .... Spleen ....
Kidneys.................Tumours
(b) Haemorrhoids.......................Fistula..........

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities ....

11. Loco-Motor System : Any abnormality...........

12. Genito Urinary System : Any evidence of hydrocele, varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance.................................
(b) Sp. Gr.. ....
(c) Albumen
(d) Sugar
(e) Casts
(f) Cells

13. Report of Screening/XRay Examination of Chest

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

NOTE:—In the case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit *vide* regulation 9 of the Regulations.

15. (i) Has he been found qulified in all respects for the efficient and continuous discharge of his duties in the Indian Economic Service and Indian Statistical Service ?

(ii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE..........

NOTE:—The Board should record their findings under one of the following three categories:

(i) Fit ....
(ii) Unfit on account of.................................
(iii) Temporarily unfit on account of.................

Place ....

Date ....

Chairman

Member

Member

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 5th June 1972

No. 7(15)/71-*JC*.—In pursuance of para 9 of notification No. 7(15)/71-IC (S. No. 127), dated 26th August 1971, published in Part I, Section I of the Gazette of India, Extra-ordinary, relating to the 10% Central outright grant or subsidy scheme 1971, Government have finalised the procedure to be adopted with regard to reimbursing the financial institutions for the subsidy disbursed through them under the scheme. Accordingly, para 8 of the scheme is amended as hereinunder :

"8. In respect of an industrial unit to be assisted by the State Government/Union Territory Administration concerned, 10% of the estimated fixed capital investment as assessed by the Committee referred to under paras 6 & 7 will be disbursed to the unit by the State Government/Union Territory Administration concerned, in as many instalments as the loan is disbursed by the State Government/Union Territory Administration concerned and simultaneously claimed from the Central Ministry of Industrial Development. In such cases, the contract to be drawn up between the State Government Union Territory Administration and the unit concerned, may cover mortgage/pledge/hypothecation of the assets upto the amount of loans to be advanced by the State Government/Union Territory Administration concerned and the 10% grant or subsidy. In respect of a new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit, to be assisted by a financial institution, an amount equal to 10% of the total fixed capital investment as assessed by the Committe referred to in paragraphs 6 & 7, will be disbursed to the unit by the financial institution in as many instalments as the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed from the Ministry of Industrial Development. In such cases, the contract to be drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortgage/pledge/hypothecation of the assets of the unit upto the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the 10% subsidy.

Provided, however, if there is any delay in the financial institution concerned getting reimbursement of the subsidy or instalment thereof from the Central Government, the financial institution shall be reimbursed by the Central Government of the interest chargeable from the industrial concern for the period between the relevant date of disbursal of the loan by the financial institution to the industrial concern and the date of corresponding reimbursement thereof of the instalment of the element of subsidy to the financial institution by the Central Government."

2. In view of this amendment of para 8, the 2nd line of para 9 of the scheme as published on 26-8-1972 is hereby *deleted*, and the amended para 9 reads as under :

"9. After having settled the claim in accordance with paras 7 & 8 above, the State Government/Union Territory Administration will in the first instance adjust the expenditure against the outstanding ways and means advances made to the State Government/Union Territory for Centrally sponsored schemes in accordance with the procedure outlined in the Ministry of Finance letter No. 2(17) P.II/58, dated the 12th May, 1958."

S. RAJARAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 8th June 1972

RESOLUTION

No. BL-5(1)/70-*Boilers*.—In pursuance of the recommendation made by the Central Boilers Board and requests received from various organisations, namely, Central Electricity Authority, Indian Merchants Chamber, Burmah Shell Refineries Limited, Fertilizers Corporation of India, Sindhri Unit, and the Indian Engineering Association, the Government of India have decided to constitute a High Powered Committee for a comprehensive review of existing laws on boilers and unfired pressure vessels and to make recommendations.

2. The Committee will consist of the following :—

(i)	Shri K. B. Rao, Director General of Technical Development	Chairman
(ii)	General Manager, Bharat Heavy Electricals Ltd., Tiruchi.	Member
(iii)	Member (Thermal) Power Wing, Central Water & Power Commission	Member
(iv)	Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Industrial Development, who is incharge of the subject, (Boilers)	Member
(v)	A Technical Representative of the State Government of Tamil Nadu.	Member
(vi)	A Technical Representative of the State Government of Maharashtra.	Member

(vii) One Senior Representative from the Indian Standards Institution.	Member
(viii) One Senior representative from the Atomic Energy Commission.	Member
(ix) Director General Factory Advice Service.	Member
(x) General Manager (Boilers and Pressure Vessels Division, Associated Vickers-Babcock Ltd., Durgapur (West Bengal).	Member
(xi) General Manager, Bharat Heavy Plates and Vessels Ltd., Visakhapatnam.	Member
(xii) Technical Adviser (Boilers) in the Ministry of Industrial Development.	Member Secretary

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To enquire whether the existing machinery for inspection of Boiler—

(a) under manufacture (both for domestic needs as well as for exports trade); and

(b) under use

is adequate to ensure, both interms of man power and technical competence as well as laboratory facilities, timely and satisfactory inspection of such boilers and if not, to recommend the steps to be taken including amendment of the existing law to improve inspecting machinery;

(ii) To consider whether the existing legal provisions are adequate to resolve expeditiously—

(a) Inter-State differences of opinion among the inspecting organisations; and

(b) differences between the manufacturers and inspecting authorities.

and if not, to recommend steps to be taken including amendment of the existing laws as found necessary.

(iii) To consider whether in the light of modern technological developments, less frequent examination of some types of steam boilers is possible without lowering standard of safety and if so, to recommend necessary changes in the existing legal provisions;

(iv) To consider whether the existing legal provisions are adequate to regulate steam boilers associated with nuclear reactors and if not, to recommend changes which appear desirable;

(v) To consider whether the existing legal provisions are adequate to cover the use of new materials, designs and techniques in the manufacture of boilers so as to encourage the development of boiler making technology and if not, to recommend changes that are necessary;

(vi) To review generally the existing laws relating to boilers under manufacture as also in use and to recommend any other changes which may be found necessary in the light of past experience and future needs, particularly in the context of expanding boiler and ancillary manufacturing industries and modern technological development in the field;

(vii) To review the existing laws relating to unfired pressure vessels and to suggest such measures and modifications that the Committee may deem fit for regulating the design and manufacture of unfired pressure vessels;

(viii) To recommend a comprehensive Bill based on the findings and recommendations under (i) to (vii) above.

4. The Committee will submit its report within a period of one year.

ORDER

ORDERED that a copy of the above Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. J. KAMATH, Jt. Secy.

New Delhi, the 17th July 1972

No. SSI(I)-17(3)/72.—In the Ministry of Industrial Development Resolution No. SSI(I)-17(3)/72, dated the 7th July, 1972, under which the Small Scale Industries Board was re-constituted, the following may be included in the list of members of the Board :—

81. Shri M. Krishnamurthy,
27, First Main Road,
Gandhi Nagar, Bangalore-9.

82. Shri N. Bhoomananda Manay,
M/s. Manay Wagon Manufacturing Company,
4, Corporation Building,
Residency Road,
Bangalore-25.

83. Shri V. V. Ajmera,
9, Haily Road,
Asha Deep,
Flat No. 102,
New Delhi.

84. Shri Surendra 'Tarun'
AT & P.O.—Rajgir,
District Patna,
Bihar.

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

ORDERS

New Delhi-1, the 29th July 1972

No. 53/15/72-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri I. M. Puri, Joint Director (Accounts) New Delhi, an Officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

2. The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri I. M. Puri, in the Ministry of Finance, Department of Company Affairs, Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 29th December, 1965.

No. 53/15/72-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri S. Bandyopadhyaya, Deputy Director of Inspection, Calcutta, an Officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

T. S. SRINIVASAN
Joint Director of Inspection and Ex-Officio Deputy Secretary to the Company Law Board

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

Department of Education

RESOLUTION

New Delhi, the 24th July 1972

SUBJECT :—*Extension of term of National Council for Women's Education*

No. F.15-3/72-Schools.4.—The Government of India in the Ministry of Education and Youth Services reconstituted the National Council for Women's Education for two years *vide* their Resolutions No. F.15-5/68-BSE. 4, dated the 20th August, 1969 and the 20th December, 1969. The term of this Council had expired on 17-4-72. The life of this reconstituted Council is now further extended upto 31-12-1972.

T. R. JAYARAMAN, Joint Secy

Department of Service and Technology

RESOLUTION

New Delhi-1, the 29th July 1972

No. 15-1/72-*Sur.2.*—The President is pleased to constitute an Advisory Committee for the National Atlas Organisation to review from time to time the programme of the preparation and publication of the National and other Atlases as well as other activities of the National Atlas Organisation and to make recommendations to Government thereon. The composition and terms of reference of the Advisory Committee will be as follows :—

Composition :

Chairman

1. Dr. S. P. Chatterjee,
Ex-Director and Ex-Adviser,
National Atlas Organisation.

Members

2. Dr. R. L. Singh,
Professor of Geography,
Banaras Hindu University,
Varanasi-5 (Uttar Pradesh).
3. Dr. V. L. S. Prakasa Rao,
Head of the Department of
Human Geography,
The Delhi School of Economics
University of Delhi,
Delhi-7.
4. Dr. Mohammad Shafi,
Head of the Department of
Geography,
Aligarh Muslim University,
Aligarh (Uttar Pradesh).
5. Prof. S. Manzoor Alam,
Head of the Department of
Geography,
Osmania University,
Hyderabad-7 (Andhra Pradesh).
6. A representative of the
Department of Science &
Technology.
7. A representative of the
Survey of India.
8. A representative of the
Botanical Survey of India.
9. A representative of the
Zoological Survey of India.
10. A representative of the
Geological Survey of India.

Member-Secretary

11. Director,
National Atlas Organisation,
50-A, Gariahat Road,
Calcutta-19.

Terms of reference :

(i) to review, from time to time, the programme of the preparation and publication of the National and other Atlases as well as other activities of the National Atlas Organisation and to make recommendations to Government thereon;

(ii) to recommend specific measures for collaboration between the National Atlas Organisation and the users of the various maps prepared by the National Atlas Organisation; and

(iii) to advise on all matters in regard to the National Atlas Organisation that may be specifically referred to it by Government.

2. The tenure of office of the Chairman and the Members of the Committee will be three years with effect from the date of issue of this Resolution. The Committee shall meet as often as necessary but at least once in a year.

3. The non-official members of the Advisory Committee will be paid travelling and daily allowance for attending the meetings of the Committee at the rates prescribed by Government *vide* Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 6(26)-EIV/59, dated the 5th September, 1960, as amended from time to time and the expenditure will be met by the National Atlas Organisation.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and all other Members of the Advisory Committee.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. N. BHARDWAJ, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 4th August 1972

No. DW.II-31(17) 72.—The Sixth Conference of the State Ministers of Irrigation and Power held recently in Srinagar while noting with satisfaction that as a result of the various steps taken in the last decade, the national average of utilisation of the potential from major and medium irrigation schemes was as high as 88% observed that there were areas and regions where utilisation was much below the national average and offered scope for accelerating the utilisation of the potential. The Conference, therefore, recommended that a Committee of Ministers be set up to look into the reasons for under utilization of irrigation potential and suggest remedial measures. Accordingly, the Government of India have decided to set up a Committee of Ministers consisting of :

Chairman

1. Shri Vasantrao Patil,
Minister for Irrigation
and Power, Maharashtra.

Members

2. Minister for Public Works,
Gujarat.
3. Minister for Irrigation and Electricity,
Madhya Pradesh.
4. Minister for Irrigation,
Bihar.
5. Minister for Irrigation & Revenue,
Rajasthan.
6. Minister for Major Irrigation,
Mysore.

7. Minister for Health, Irrigation & Power and Transport, Haryana.

2. The Joint Secretary (Ganga Basin), Ministry of Irrigation and Power, Government of India, will be the convenor of the Committee.

3. The terms of reference of the Committee are indicated below :—

(i) To collect details and analyse the existing pattern of utilization of irrigation potential in India, regionwise and projectwise.

(ii) To critically analyse the reasons for the lag in utilisation and under utilisation of irrigation potential in general and to identify critical regions or medium and major projects where steps are immediately called for.

(iii) To suggest remedial measures to be undertaken at different stages of planning, execution and operation of schemes that are designed to ensure proper and prompt utilisation of the irrigation potential created in respect of administrative, technical, economic, legislative and other aspects of the problem.

(iv) To make all other general recommendations to achieve quick utilisation of irrigation potential.

4. The Committe will submit its report within a period of six months.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India including Prime Minister's Secretariat, President Secretariat and the Planning Commission, all State Governments/Administrations of Union Territories and the Chairman/Members of the Committee.

B. P. PATEL, Secy.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 3rd August 1972

RESOLUTION

SUBJECT : Delhi Land Management Investigation Committee set up to enquire into the working of the Land and Development Office.

No. G -2517/1/70-LII.—In addition to the Chairman and other members of the Delhi Land Management Investigation Committee appointed *vide* this Ministry's Resolutions of even numbers, dated the 16th/20th January, 1971, 29th June, 1971 and the 1st December, 1971, the two undermentioned persons will also be members of the said committee :—

(i) The Chief Settlement Commissioner Department of Rehabilitation, New Delhi.

(ii) Shri J. K. L. Arora
1/9, West Patel Nagar, New Delhi-8.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India for general information.

P. C. MATHEW, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972